पंचम माला, खंड 27, अंक 47
Fifth Series, Vol. XXVII, No. 47

सोमवार, 30 अप्रैल, 1973/10 वैशाख, 1895 (शक)
Monday, April 30, 1973/Vaisakha 10, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 5th LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक 41 से 50 तक हैं / Vol. XXVII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 47—सोमवार, 30 अप्रैल, 1973/10 वैशाख, 1895 (शक)

No. 47—Monday, April 30, 1973/Vaisakha 10, 1895 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख Obituary Reference . . 1-2

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
903	हल्दिया में शिप बिल्डिंग यार्ड के बारे में रिपोर्ट पर निर्णय	Decision on Report regarding shipbuilding yard at Haldia .	2-3
904	राष्ट्रीय बीज निगम, केन्द्रीय भण्डागार निगम और राज्य फार्म निगम के लिये होल्डिंग कम्पनी	Holding Company of National Seeds Corporation, Central Warehousing Corporation and State Farms Corporation . .	3-4
905	दिल्ली में गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण	Wheat Trade take-over in Delhi	4-7
913	छोटा नागपुर और सन्थाल परगना में केन्द्रीय दल द्वारा कुष्ठ रोग के बारे में किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by Central Team on Leprosy in Chhotanagpur and Santhal Parganas	7-9
914	वर्ष 1973-74 के लिये कृषि विकास कार्यक्रम	Agricultural Development Programme for 1973-74 . .	9-12
916	चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण के लिये नियत राशी	Allocation made for Social Welfare in Fourth Five Year Plan .	12-13
917	म्यूनिख औलम्पिक में भारत की हार के बारे में जांच	Enquiry into India's debacle in Munich Olympics . .	13-14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.		
901	तमिलनाडु और अन्य राज्यों में पैडी का निर्धारित मूल्य	Price fixed for Paddy in Tamil-Nadu and other States . . 15-16
902	चीनी उद्योग जांच आयोग के सदस्यों को दी गई सुविधायें	Facilities to Members of Sugar Industry Enquiry Commission 16-17
906	किसी स्थान विशेष पर सरकारी आवास के आबंटन के लिये प्रतीक्षा करना	Waiting for allotment of Government accommodation at a particular station . . 17-18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
907	दि नेशनल लायब्रेरी, कलकत्ता के कर्मचारियों की वतन बचत और सामूहिक बीमा योजना के अधीन धनराशि जमा करना	Deposit of amount under Salary Saving and Group Insurance Scheme of employees of the National Library, Calcutta .	18–19
908	पी० एल० 480 के अंतर्गत अमरीका से मंगाए गये अनाज की किस्म तथा मात्रा	Varieties and quantities of Foodgrains imported from U.S.A. under PL-480 . .	19
909	कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व	Representation of farmers in Agricultural Prices Commission.	19–20
910	खेलों के विकास के लिये समिति	Committee for sports development	20
911	चूहों के कारण अन्न संकट में वृद्धि	Food problem more acute due to menace of rat . . .	20
912	कल्याण विस्तार परियोजनाओं को समेकित परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजनाओं में बदलना	Conversion of Welfare Extension Projects into Integrated Family and Child Welfare Projects	20–21
915	नई दिल्ली में सफदरजंग में ऊपरि पुल के निर्माण स्थल से इस्पात का गायब हो जाना	Steel missing from the site of Fly-over at Safdarjang, New Delhi	21
918	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पाठ्यक्रम डिप्लोमा लागू करना	Introduction of Diploma in Journalism in Central Universities	21
919	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थापत्य सहायकों के पद के लिये न्यूनतम अर्हतायें	Minimum qualifications for the post of Architectural Assistants in CPWD	22
920	चेचक के टीके लगाने के कार्यक्रम के लिये रक्षित विशष राशि	Special amount reserved for vaccination programme. .	22–23
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
8540	वसंत बिहार, नई दिल्ली में एक रिहायशी इमारत में मॉडर्न बाज़ार	"Modern Bazar" in a residential building in Vasant Vihar, New Delhi	23–24
8541	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के शिक्षण कार्य में गिरावट	Deterioration in Academic performances of I.I.T., Delhi .	24–25
8542	इण्डिया फाउंडेशन, पूना द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाना	Awarding of scholarships by India Foundation, Poona. .	25
8543	तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिये संस्थायें	Institutions imparting Education to Tibetan Children .	25

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8544	लद्दाख में स्वास्थ्य के विकास और संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बात अपात निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता	Assistance from W.H.O., UNICEF, UNDP for development and promotion of health in Ladakh	25–26
8545	तिलहन की मांग, सप्लाई और कमी	Demand, supply and shortage of seeds	26–27
8546	गन्ने के उत्पादन के बारे में उच्च-स्तरीय बैठक	High-level meeting on production of sugarcane. . . .	27
8547	मध्य देश में निजी संसाधनों के सिंचित भूमि के छोटे किसानों को रियायत	Concession to small holders of land irrigated through private sources in Madhya Pradesh .	27
8548	सरकार द्वारा गेहुं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिये जाने के काम में अनाज के व्यापारियों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील	Appeal to Grain Dealers to co-operate with Government in take over of wholesale trade in Wheat	27–28
8549	पत्तन विकास परियोजनाओं के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि	Amount for Port Development Projects during Fifth Plan period	28
8550	मध्य प्रदेश में अन्तर्राज्यीय सड़के और पुल	Inter-State roads and bridges in M. P.	28–29
8551	पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के लिये मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों को पेय जल देय राशि	Amount to Madhya Pradesh for drinking water in rural and urban areas in the First Year of Fifth Plan	29
8552	मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में संस्थाओं को अनुदान	Grants to Institutions in Ratlam district of Madhya Pradesh .	29
8553	मध्य प्रदेश में दूर्ग जिले की संस्थाओं को अनुदान	Grants to institutions in Durg District of Madhya Pradesh .	30
8554	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में रिक्त पद	Posts lying vacant in Central Hindi Directorate. . .	30–31
8555	त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली को आवंटित भूमि	Land allotted to Triveni Kala Sangam, New Delhi . .	31–32
8556	भारतीय खाद्य निगम में कृषि स्नातक, स्नातकोत्तर और कृषि इंजीनियर	Agricultural Graduates, Post-Graduates and Agricultural Engineer in the F.C.I. . .	32

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8557	अतिरिक्त क्षेत्र पर मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम राशि का दिया जाना	House Building Advance to Government employees to cover additional area . .	33
8558	केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में तीसरे कृषि फार्म का खोला जाना	Central Aid for setting up Third Agricultural Farm in Trivandrum, Kerala . .	33
8559	केरल में नेहरू युवक सेंटर	Nehru Yuvak Centre in Kerala	34
8560	केरल स्पोर्ट्स कौंसिल का स्पोर्टस के लिये अनुरोध	Kerala Sports Council request for a Sports School . .	34
8561	केरल में 'मोपला बे फिशिंग हार्बर' के निर्माण के संबंध में हुई प्रगति	Progress of construction of Mopla Bay Fishing Harbour in Kerala	34-35
8562	मत्स्य उद्योग के विकास हेतु योजना	Scheme for Development of Fishing Industry . . .	35-36
8563	केरल स्पोर्टस कौंसिल का केरल में एक रिजनल कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिय अनुरोध	Kerala Sports Council request for a Regional Coaching Centre in Kerala . . .	36
8564	जनकपुरी से लजपतनगर और नई दिल्ली/दिल्ली रल्वे स्टेशन तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा	D.T.C. Bus service from Janakpuri to Lajpat Nagar and New Delhi/Delhi Railway Station .	36
8565	दिल्ली विकास प्राधिकरण की जनकपुरी कालोनी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें उपलब्ध करना	C. G. H. S. facilities in Janakpuri at D. D. A. Colony. .	36-37
8566	राष्ट्रीय राज पथों के लिए धनराशि का स्वीकृत किया जाना	Amount sanctioned for National Highways.	37
8567	विदेशी छात्रवृत्तियों का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण	Reservation for S. C. & S. T. for foreign scholarships . .	37-38
8568	वैकसीन इंस्टीट्यूट बेलगाम (मैसूर) को "फ्रीज ड्राइड वैकसीन" के उत्पादन के लिये केन्द्रीय ऋण	Central Loan to Vaccine Institute Belgaum (Mysore) for manufacture of Freeze Dried Vaccine	38
8569	सिचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण और सिंचित क्षेत्रों का समेकित विकास	Modernisation of irrigation system and integrated development of Command Areas .	38
8570	फिल्म निर्माताओं पर संरक्षित स्मारकों की फिल्म लेने के लिये लगाई गई शर्त	Conditions imposed on Film Makers to shoot protected monuments . . .	39

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8571	बनावटी और अपमिश्रित भेषजों के बेचे जाने पर रोक लगाने के लिये कानून बनाना	Legislation to check selling of spurious and adulterated drugs	39
8572	नगर तथा ग्राम योजना संगठन (टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइजेशन में) विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए शर्तों में ढील	Relaxation of conditions for Promotion of Departmental Staff in Town and Country Planning Organisation . .	40
8573	संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से ड्रिलिंग रिग सप्लाई करने का अनुरोध	Request to UNICEF for drilling rigs	40
8574	मसाला आयोग के अधीन केरल में एक अनुसंधान स्टेशन खोलने का प्रस्ताव	Proposal for a Research Station under Spices Commission in Kerala	40-41
8576	सूखे की चुनौती का सामना करने के लिए "अधिक अन्न उपजाओं" अभियान	Grow more food compaign to meet challenge of Drought	41
8577	मिदनापुर जिले के डीघा स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र	Health Centre in Digha in Midnapore District . . .	42
8578	विश्वविद्यालय खोलने और उनके रख-रखाव के बारे में केन्द्रीय सरकार की भूमिका	Role of Central Government in creation and maintenance of Universities . .	42-43
8579	वर्ष 1971–72 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को हुआ लाभ अथवा घाटा	Profit and loss of National Seeds Corporation during 1971-72.	43
8580	आई० आई० टी०, दिल्ली द्वारा लालटेनों की खरीद	Purchase of Lanterns by I.I.T., Delhi	43-44
8581	दिल्ली में मजदूरों की बस्तियां	Labourers basties in Delhi .	44
8582	ब्रिटेन की सरकार को "राक ड्रिल" मशीने सप्लाई करने के लिए क्रयादेश	Orders for supply of Rock Drills with British Government .	44-45
8583	अकालग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को निःशुल्क पानी की सप्लाई	Free supply of water for farmers in Famine-affected areas .	45
8584	वक्फ सम्पत्ति के बारे में सर्वेक्षण और वक्फ बोर्ड एवं केंद्रीय सरकार के बीच संबंध	Survey *re.* Wakf properties and relations between Wakf Board and Central Government .	45
8585	गर्मी के दौरान दिल्ली में पानी की सप्लाई में वृद्धी करने के लिये केंद्रीय सहायता	Central Aid for augmenting the availability of water supply to Delhi during the Summer	45-46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8586	औषधियों का उत्पादन कर रही फर्मों पर उनके उत्पादों की क्रिस्म को उत्तम बनाये रखने के लिए नियंत्रण	Check over Drug manufacturing concerns for maintaining better quality control of their products	46
8587	पांचवी योजना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता	Irrigation potential for Minor Irrigation during Fifth Plan.	46–47
8588	मध्य प्रदेश में लिफ्ट सिंचाई योजना	Lift irrigation scheme in Madhya Pradesh . . .	47
8589	पांचवीं योजना के दौरान मिट्टि में आम्लता का परिक्षण करने संबंधी योजना	Plan for testing soil acidity during Fifth Plan . .	47
8590	पांचवी योजना के दौरान भारत सेवक समाज को पुनरुज्जीवित करने और उसे सुदृढ़ बनाने संबंधी योजना	Scheme to revise and strengthen Bharat Sewak Samaj during Fifth Plan	47
8591	गांधी टाइम-कैपसूल में मूल दस्तावेजों का रखा जाना	Inclusion of original document in Gandhi Time-Capsule	47–48
8592	ग्रामिण जल सप्लाई कार्यक्रम	Rural water supply programme	48
8593	कृषि शिक्षा के विकास पर व्यय	Expenditure on development of Agricultural Education.	48–49
8594	ग्रामिण रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम के लिए राज्यों को अधिक धनराशि	More funds to States for Crash Programme for rural employment	49
8595	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवम प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित छात्रों, अध्यापकों और प्रिंसिपलों के लिए अन्तराज्यीय शिबिर	Inter-State Camps for Students, Teachers and Principals held by N.C.E.R.T. .	49–50
8596	प्रमुख फसलों कीं उत्पादन लागत संबंधी अध्ययन करने हेतु एजंसियो को अनुदान	Grants to Agencies for study of the cost of production of principal crops	50–51
8597	चीनी के निर्यात के कारण होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए दी गई धनराशि	Amount granted for meeting the loss on Export of Sugar.	51–52
8598	नगरों का विकास करने हेतु मैसूर को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Mysore for development of Towns	52
8599	बाग की खालों की बिक्री पर प्रतिबंध	Ban on sale of Tiger Skins.	52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8600	बलराज गढ़, बिहार में उत्खनन कार्य	Excavations at Balrajgarh, Bihar	52–53
8601	देश में गैंडों की संख्या	Rhinos in the country	53
8602	सहकारी समितियों को दिये गये ऋणों का दुरुपयोग	Misuse of advances given to Cooperative Societies	53
8603	अनाथालयों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Orphanages	54
8604	ट्रैक्टरों की खरीद के लिये सीमान्त किसानों को ऋण	Loan to Marginal Farmers for purchase of Tractors	54
8605	तूतीकोरिन बन्दरगाह के विस्तार कार्य की प्रगति	Progress in expansion work of Tuticorin Port	54
8607	चीनी मिलों के कर्मचारियों को दिया गया चीनी क कोटा	Quotas of sugar given to employees of Sugar Mills	55
8609	डी० आई० झेड० क्षेत्र के सैक्टर 'डी' नई दिल्ली में पूछताछ कार्यालय का खोला जाना	Setting up of an Enquiry Office in Sector 'D' of D.I.Z. area, New Delhi	56
8610	बारानी खेती हेतु तकनीकी आधार के विस्तार तथा विकास के लिये विश्व बक से सुझाव	Suggestion from World Bank for expansion and development of technical base for dry farming	56
8611	डोंगरपुर, राजस्थान के अकालग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों में किये गये उपाय	Measures taken in famine hit tribal infested areas of Dongarpur, Rajasthan	56–57
8612	दिल्ली में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को अवैध ढंग से सहायता देना	Unlawful help to candidates during Examination in Delhi.	57–58
8613	केंद्रीय मत्स्य निगम को बंगला देश के साथ मत्स्य व्यापार के कारण हानि	Loss to Central Fishery Corporation due to Fish Trade with Bangladesh	58
8614	नरेला (दिल्ली) में 28 बिस्तरे वाला क्षयरोग अस्पताल	28-Bed T. B. Hospital at Narela (Delhi)	58
8615	भूमि सुधारों के विषय में समय-बाधित कार्यक्रम	Time-bound programme on Land Reforms	59
8616	चीनी उद्योग की लायसेंस प्राप्त क्षमता, अधिकाधिक क्षमता और वास्तविक उत्पादन	Licensed capacity, installed capacity and actual production of sugar industry	59
8618	राज्यीय राजपथों के निर्माण के लिये राज्य सरकारों को राज सहायता तथा ऋण	Subsidies and loans to State Governments for building State Highways	59–60

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8619	विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता तथा ऋण	Subsidies and loans to Universities and Colleges . .	60
8620	गत तीन वर्षों में गेहूं की बिक्री तथा खरीद के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राज सहायता	Subsidy paid by Central Government for sale and purchase of Wheat during last Three Years . .	60
8621	राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला को वित्तीय सहायता	Financial assistance to National Institute of Sports, Patiala	61
8622	मध्य प्रदेश में अनाथ महिला सदन	Destitute women Homes in M.P.	61
8623	छोटा नागपुर और संथाल परगना में रति रोग संबंधी केंद्रीय दल द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by Central Team on Veneral Disease in Chhotanagpur and Santhal Parganas	61–62
8624	छोटा नागपुर और संथाल परगना में केंद्रीय दल द्वारा क्षय रोग के बारे में सर्वेक्षण करना	Survey conducted by Central Team on Tuberculosis in Chhotanagpur and Santhal Parganas	62
8625	छोटा नागपुर तथा संथाल परगना और पश्चिम बंगाल में लघु सिचाई योजना	Minor Irrigation Schemes in Chhotanagpur and Santhal Parganas and West Bengal	63
8626	गुरू गोविंद सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद के छात्रों के भाग्य का निर्णय	Fate of Medical Students of Guru Govind Singh Medical College, Faridabad . .	63
8627	मेडिकल और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना	Mobilisation and development of Medical and Para-Medical Personnel	63–64
8628	पांचवी योजना में मैसूर में मत्स्य पालन का विकास	Development of Fishery in Mysore during Fifth Plan .	64
8629	कृषि अनुसन्धान तथा विकास की राष्ट्रीय गोष्ठी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति	Participants in National Symposium on Agricultural Research and Development	64
8630	गुजरात में सरकारी फार्म में उगाया गया गेहूं	Wheat grown on Government Farms in Gujarat . .	64–65
8631	भारत और अमरीका में गेहूं की खरीद के लिये सौदे।	Deals between India and U.S.A. for purchase of Wheat .	65–66
8632	भारतीय चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों का रजिस्ट्रेशन	Registration of Doctors for Indigenous System of Medicine	66–67

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8633	अच्छी नसल के दुधाल पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिये स्वीकृत राशि	Funds sanctioned for increasing the number of Milch Animals of good breed . . .	67–69
8634	स्कूलों में स्काऊटों का अनिवार्य प्रशिक्षण	Cumpulsory Scouting in schools	70
8635	अस्पताल में मरने वालों की आखें निकालना	Removal of eyes from those who die in Hospital . .	70
8636	ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को भूमि पर गृहस्थान का अधिकार देना	Homestead Rights on lands to Homeless persons in Rural Areas	70–71
8637	दक्षिण में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना	Setting up of Medical University in South . . .	71
8638	राज्यों में वन-विकास निगमों की स्थापना	Setting up of Forest Development Corporations in States	71–72
8640	न्यूक्लीयर फार्म रिसर्च के लिए योजना	Scheme for Nuclear Farm Research. . . .	72
8641	सूरतगढ़ फार्म में उत्पादन	Production at Suratgarh Farm	73
8642	वर्ष 1972–73 में पेरा गया गन्ना और बनाई गई चीनी	Sugarcane crushed during 1972-73 and sugar produced	73
8643	31 मार्च, 1973 के 'इंण्डियन एक्सप्रेस में "सरकारी ढंग से तौलना" (वेइंग गवर्नमेंट स्टाईल) शीर्षक के अंतर्गत समाचार	News-item captioned "weighing Government style" in the Indian Express dated 31st March, 1973 . . .	74
8644	नई दिल्ली में प्रौद्योगिकीय केंद्र की स्थापना करना	Setting up of Technological Centre in New Delhi . .	74
8645	दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों के संबंध में दिल्ली की फ्लेट ओनर्स एसोसिएशन की शिकायतें	Complaints from the Flat-owners Association of Delhi regarding D.D.A. Flats . . .	74–75
8646	विश्वविद्यालयों और कालेजों के शासन प्रबंध विषयक समिति	Committee on Governance of Universities and Colleges .	75
8647	वर्ष 1972–73 के ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार में धन का उपयोग न करना	Non-utilisation of funds to Bihar under crash programme for rural employment during 1972-73	75
8648	सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली	Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi	75
8649	वर्ष 1973–74 के लिये बीजों के उत्पादन का लक्ष्य	Targets of Seed Production for 1973-74 . . .	76

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8650	शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम में शिक्षा की प्रगति का न दिखाया जाना	Omission of progress of Education in Arunanchal Pradesh and Mizoram in Annual Report of Education Ministry .	77–78
8651	राज्यों में नसबन्दी आपरेशन के परिणामस्वरूप हुई मौतों को रोकने के लिये कार्यवाही	Measure to check deaths due to vasectomy operations in States	78
8652	सुन्दरबन पश्चिम बंगाल में रोजगार प्रधान योजना लागू करना	Job-oriented Scheme in Sunderbans, West Bengal . .	78–80
8653	परीक्षा में नकल को रोकने के लिए इनविजिलेटरों के बीमें के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid to Universities for Insurance of Invigilators for checking copying in Examination	80
8654	वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान राज्यों द्वारा आवासीय योजनाओं के लिए केंद्रीय निधियों का उपयोग	Utilisation of Central funds by States for housing schemes during 1972-73 and 1973-74 .	80–82
8655	अनाथ महिलाओं का पुनर्वास	Rehabilitation of Destitute Women	82–83
8656	व्यवसाय प्रधान शिक्षण संस्थाओं की स्थापना	Setting up of Profession-oriented Educational Institution. .	83
8657	परिवहन संबंधी सुविधाओं का परस्पारिक आदान-प्रदान करने हेतु बंगला देश सरकार के साथ बात-चीत	Negotiations with Bangladesh for mutually extending transport facilities . . .	83–84
8658	मोटे अनाज के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के लिये कांग्रेस दल के संसद सदस्यों की अपील	Appeal from Congress M.Ps. to take over wholesale trade in coarse grains . . .	84
8659	माडर्न बेकरीज़, कानपुर के हड़ताल के समय काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार	Prizes to employees of Modern Bakeries, Kanpur who worked during strike . . .	84–86
8661	दिनांक 1–4–73 के "सन्डे स्टैन्डर्ड" में "जाबलैस इन मस्टर्ड ऑयल यूनिटस फीयर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News-item captioned "Jobless in Mustard Oil Units feared" in Sunday Standard dated 1-4-73	86
8662	ठाकुरपुर (कलकत्ता) में ग्रामीण रोगियों के लिये निःशुल्क कैंसर चिकित्सा सदन	Free-Cancer Home for rural patients at Thakurpur, Calcutta	86–87
8663	किसानों को उर्वरकों की तुरन्त सप्लाई करने हेतु जिला स्तर पर डिपो खोलना	Setting up District Depot for immediate supplies of Fertilisers to farmers . . .	87

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
8664	लघु सिंचाई योजना और उनके क्रियान्वयन के लिये राज्यों को नियतन	Allocation to States for Minor Irrigation Scheme and their implementation . . .	87–89
8665	"नाविक गृह", कलकत्ता का प्रतिनिधि-मंडल	Deputation of Nabikgriha, Calcutta	90
8666	नर्सरी तथा प्राईमरी स्कलों के लिए राज्यों को अनुदान	Grant to States for Nursery and Primary Schools . . .	90–91
8667	कोचीन पत्तन पर पोतों के अनियमित रुप से पहुंचने के कारण वहां माल का भारी जमाव	Congestion of goods at Cochin Port due to irregular arrivals of Ships	91
8668	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, औद्योगिक कर्मचारी सरकारी बचत और ऋण समिति लिमिटेड, दिल्ली की आम बैठक	General Body meeting of C.P.W.D. Industrial Workers Cooperative Thrift and Credit Society Limited, Delhi . .	91–92
8669	उर्वरकों की कम सप्लाई का उडीसा में रबी की फसल पर पडने वाला प्रभाव	Effect of Short Supply of Fertilisers on Rabi Crop of Orissa .	92
8670	संसदीय कार्य विभाग में हिन्दी कर्मचारी	Hindi Staff in the Department of Parliamentary Affairs .	92–93
8671	निर्माण और आवास मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारी	Hindi Staff in the Ministry of Works and Housing . .	23
8672	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारी	Hindi Staff in Education Ministry	94
8673	राज्य फार्म निगम द्वारा पालम के निकट एक गुलाब उद्यान का विकास	Development of a Rose Garden near Palam by State Farms Corporation . . .	94
8674	राजपथ विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिये भारतीय सडक कांग्रेस द्वारा प्रत्येक राज्य में एकीकृत राजपथ विभागों की स्थापना करने का सुझाव	Suggestion from Indian Road Congress to have unified Highway Departments in each State for implementation of Highway Development Programme	94
8675	ग्रामिणों को मकानों के लिए भूमि देने की योजना की धीमी प्रगति	Slow Progress in Scheme for House Sites to Rural People .	95
8676	विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य का दर्जा बढ़ाना	Upgrading University Research	95–96
8677	सूखा राहत सहायता की व्यवस्था न करने पर मध्य प्रदेश से शिकायत	Complaint from Madhya Pradesh for providing Drought Relief Aid . . .	96

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8678	चारे को लाने-लेजाने पर रोक लगाना	Restriction on Movement of Fodder	96-97
8679	जामनगर और कच्छ के बीच स्टीमर-सेवा	Steamer Service between Jamnagar and Kutch	97
8680	राष्ट्रपति भवन में जयपुर स्तम्भ	Jaipur Pillar in Rashtrapati Bhavan	97
8681	उडीसा में डेल्टा क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र की सिंचित भूमि के उत्पादन का अनुभाग	Ratio of productivity of irrigated land of hill area to that of delta area in Orissa	97-98
8682	उड़ीसा में वर्षा द्वारा सिंचित भूमि में उर्वरक का उपयोग	Use of fertilizer in rainfed land in Orissa	98
8683	वर्षा द्वारा सिंचित लाभकर जोत	Economical holding of rain-fed land	98
8684	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना और विश्वविद्यालय निकाय	Establishment of National Institute of Homoeopathy and University faculty	98-99
8685	केंद्रीय मद्य-निषेध समति की बैठक	Meeting of Central Prohibition Committee	99-101
8686	जनता की रहन-सहन की स्थितियों में परिवर्तन होने से गांव में रोज़गार देने हेतु द्रुत कार्यक्रम का प्रभाव	Impact of Crash Programme for rural employment on change in living conditions of masses	101
8687	महात्मा गांधी संस्थान के विकास के लिए मारिशस को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Mauritius for development of Mahatma Gandhi Institute	101-102
8688	महाराष्ट्र के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted by National institute of Nutrition in drought affected areas of Maharashtra	102-103
8689	साहित्य, संगीत ओर नाटक अकादमियों को अनुदान	Grants to Sahitya, Sangeet and Natak Akademies	103
8690	क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को प्रकाशन अनुदान देने की योजना	Scheme for Award of Publication Grant to authors in Regional Languages	104
8691	राज्यों द्वारा द्रुत पोषाहार कार्यक्रम के लिये निधियों का आवंटन और उपयोग	Allotment and utilization of funds for Crash Nutrition Programme by States	104-105
8692	गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के बाद उसमें कदाचार को रोकने के लिये उपाय	Steps to check foul play in Wheat trade take over	106

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8693	चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के थोक व्यापार के अधिग्रहण के संभावनायें	Prospects of take over of wholesale trade in rice and other foodgrains	106
8694	कान्फ्रेंस कान्ट्रैक्टरों द्वारा भारतीय पत्तनों से माल उठाने पर प्रतिबंध	Restrictions on carrying cargo from Indian Ports by Conference contracts.	106-107
8695	जूनियर हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा	Free education upto Junior High School.	107
8696	मंसाई नदी पर पुल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial assistance to West Bengal for bridge over river Mansai.	107-108
8698	कनाडा द्वारा गेहूं सप्लाई करने का प्रस्ताव	Canadian offer of wheat	108
8699	नर्सों की कमी	Shortage of Nurses	108
8700	एलोपैथी की तुलना में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली पर कम खर्च की प्रतिशतता	Percentage of less expenditure on Ayurvedic system of Medicine as compared to Allopathy	108
8101	दालों के लिये अनुसंधान केंद्र	Research Centres for Pulses	108-109
8702	भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बारे में धार्मिक संस्थाओं से अभ्यावेदन	Representation from religious Institution on ceiling on land	129
8703	काशी विश्वविद्यालय में जमानत की राशी वापस न लेने संबंधी मामले	Unclaimed caution money in Kashi Vishva Vidyalaya	109
8704	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा धनराशि की अग्रिम वसूली	Realising of Lease Money in advance by D.D.A.	109
8705	छोटे प्लाट धारियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली	Extra premium realised by D. D.A. from small plot holders	110
8706	भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान को सडे गेंहूं की सप्लाई	Rotten Wheat supplied by F. C.I. to Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan	110
8707	शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऋणों को बट्टे खाते में डाला जाना	Writing off of loans by Education Ministry	110-111
8708	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा के स्तर में सुधार	Improvement in Standard of education among Scheduled Castes and Scheduled Tribes	111
8709	भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थियों पर खर्च	Expenditure on Indian and Foreign students	111-112
8710	उचित मूल्य की दुकानों तथा खुदरा दुकानों पर गेहूं का समान मूल्य	Uniform wheat price Fair Price shops and retail shops	112

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8711	सरारा तहसील, उदयपुर में भूख से मौते — Starvation deaths in Sarara Tehsil, Udaipur	112
8712	संघ राज्य क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय — Agricultural Universities in Union Territory	113
8713	स्वयंसेवी रक्त बैंक द्वारा रक्त की सप्लाई — Supply of Blood through voluntary Blood Banks	113
8714	परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन — Evaluation of progress made by Family Planning Programme.	113-114
8715	भारतीय कृषि के विकास के लिए विदेशों से सहयोग — Collaboration with Foreign country for development of Indian agriculture	114-115
8716	शिक्षित बेरोज़गारों को कृषि की ओर आकृष्ट करने की योजना — Scheme to attract the educated unemployed to agriculture	115-116
8717	आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा — Education in Tribal areas	116-117
8718	आदिवासी क्षेत्रों के लिये चिकित्सा सुविधायें — Medical facilities for Tribal areas	117
8719	बनों से प्राप्त होने वाला राजस्व और उन पर व्यय — Revenue from and expenditure on forests	117
8720	कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन अनुसंधान केंद्र — Research stations under Agricultural Universities	117-118
8722	सूरतगढ़ फार्म — Suratgarh Farm	118
8723	पांचवी योजना के दौरान सरकारी फार्मों की स्थापना — Setting up Government Farm during Fifth Plan	118
8724	रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली में तम्बू में चलाये जा रहे स्कूल — Schools functioning in Tents in R.K. Puram, New Delhi	119
8725	विभिन्न राष्ट्रीय खेल कूद संगठनों को वित्तीय सहायता — Financial assistance to various National Sports Organisation	119
8726	केंद्रीय हिन्दी निदेशालय में मैन्युअल से सम्बंधित अनुवाद कार्य का आवंटन — Allotment of Translation work pertaining to Manuals in Central Hindi Directorate	120
8727	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक का पद — Post of Director Central Hindi Directorate	123
8728	पायलट इंटेन्सिव रूरल एम्प्लायमेंट प्रोजेक्ट का स्थापना-स्थान — Location of Pilot intensive rural employment project	121
8729	काबुल विश्वविद्यालय में इंग्लिश और हिन्दी के अध्यापन की सुविधायें — Provision of facilities to Kabul University for teaching of English and Hindi	121-122

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
8730	कैन्सर के उपचार के लिये अनुसंधान कार्य — Research work to find treatment of Cancer	122
8731	"सूरमंजरी" की पांडुलिपि का मिलना — Discovery of manuscript of "Surmanjari"	122
8732	तटीय नौवहन को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को सलाह — Advice to Maharashtra Government to take-over Coastal Shipping	122
8733	देश में पोषाहार के संवर्धन के उपाय — Measures to promote Nutrition in the country	123–125
8734	केरल में राष्ट्रीय राज पथों पर सडक पुलों का निर्माण और उनको स्थान बदल कर उन्हें बनाना — Construction of Road Bridges and Diversion in National Highways in Kerala	125–126
8735	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में हाल की घटनाओं के बारे में ज्ञापन — Memo regarding recent developments in B.H.U.	126–127
8736	स्वास्थ्य पोषाहार तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये लद्दाख को वित्तीय सहायता — Financial assistance to Ladakh for health nutrition and welfare programme	127
8737	अखिल भारतीय मद्यनिषेध परिषद को आर्थिक सहायता — Economic assistance to Akhil Bhartiya Maddnishedh Parishad	127
8738	अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार — National prizes to teachers	127–128
8739	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी एण्ड साइन्स, पिलानी को विश्वविद्यालय का दर्जा — Status of University to Birla Institute of Technology and Science, Pilani	128–129
	स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण के बारे में— Re Motion for Adjournment and Calling Attention—	
	गुजरात और बिहार में खाद्य की कमी — Food Shortage in Gujarat and Bihar	129
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र — Papers laid on the Table	130–132
	लोक-लेखा समिति— Public Accounts Committee—	
	उनसठवां, बयासीवां, तिरानबेवां, चौरानबेवां और पंचानेबवां प्रतिवेदन । — Fifty-ninth, Eighty-second, Ninety-third, Ninety-fourth and Ninety-fifth Reports	132
	प्राक्कलन समिति— Estimates Committee—	
	उन्तालीसवां, बयालीसवां और तैंतालीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश — Thirtyninth, Forty-second and Forty-third Reports and Minutes	132
	सरकारी उपक्रमों सम्बधी समिति— Committee on Public Undertakings—	
	अड़तीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सार — Thirty-eighth Report and Minutes	133
	रेल अभिसमय समिति— Railway Convention Committee—	
	छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश — Sixth Report and Minutes	133

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	पृष्ठ PAGES
	शॉ वालेस एण्ड कम्पनी के हिस्सों की खरीद के बारे में वक्तव्य श्री ललित नारायण मिश्र	Statement re Purchase of Shares of Shaw Wallace & Co.— Shri L. N. Mishra . . 133–134
	इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक–वापस लिया गया	Indira Gandhi University Bill— *Withdrawn* 134
	पूर्वोत्तर पहाडी विश्वविद्यालय विधेयक–पुरःस्थापित	North-Eastern Hill University Bill—*Introduced* . . . 134
	नियम 377 के अधीन मामले–	Matters under Rule 377—
	(एक) महाराष्ट्र को खाद्यान्न की अपर्याप्त सप्लाई	(i) Inadequate supply of foodgrains to Maharashtra 135
	(दो) पत्रकार सम्मेलन में आनन्द मार्गियों के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य के बारे में	(ii) Re Home Minister's statement about Anand Margis in a Press Conference . . . 135
	वित्त विधेयक, 1973–	Finance Bill, 1973 —
	विचार करने का प्रस्ताव–	Motion to consider —
	श्री यशवंतराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . 136–137
	श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan . . 137–140
	श्री बी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao 140–142
	श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . . 142–144
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . . 144–145
	श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaih . 145–146
	श्री के० एस० चावडा	Shri K. S. Chavda . . 146–148
	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा	Shri Sukhdeo Prasad Verma . 148
	श्री चिन्तामणि पाणीग्रही	Shri Chintamani Panigrahi . 148–150
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . 150–151
	श्री रुद्रप्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh . 152
	श्री पी० नरसिंहा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy . 152–153
	श्री तरुण गोगाइ	Shri Tarun Gogoi . . 153–154
	श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya 154–155
	श्री एम० जी० उइके	Shri M. G. Uikey . . 155–156
	श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi . . . 156–157
	श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma . . 157
	श्री गोविंद दास रिचारिया	Dr. Govind Das Richhariya . 157–158
	श्री आर० एस० पांडे	Shri R. S. Pandey . . 158
	आधे घंटे की चर्चा–	Half-an-Hour Discussion—
	उर्वरक बनाने वाले कारखाने–	Fertiliser Manufacturing Units—
	श्री इ० वी० विखे पाटील	Shri E. V. Vikhe Patil . 159
	श्री डी० के० बारुआ	Shri D. K. Borooah . . 160–161

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 30 अप्रैल 1973/10 वैशाख 1895 (शक)
Monday, April 30, 1973/Vaisakha 10, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को श्री वासुदेव श्रीधर किरोलीकर के दु:खद निधन की सूचना देता हूँ। श्री किरोलीकर का 80 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल, 1973 को दुर्ग में देहांत हो गया है ।

श्री किरोलीकर मध्य प्रदेश के दूर्ग निर्वाचन क्षेत्र से 1952–57 में प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। वह वकालत का काम करते थे और दुर्ग के स्थानीय मामलों में उनका प्रमुख स्थान था। उन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम में सक्रिय भाग लिया और उन्हें कई बार जेल भुगतनी पड़ी। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र की नगरपालिका से भी और अनेक अन्य संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे थे ।

हम अपने इस मित्र के बिछोह पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे साथ यह सभा भी उनके शोकाकुल परिवार के प्रति समवेदना व्यक्त करेगी ।

प्रधान मन्त्री, परमाणु उर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी भावनाओं से सहमत हैं। हमारे एक और वीर स्वातंत्र्य सेनानी का भी देहावसान हो गया है। जैसा कि आपने सभा को बताया, श्री वासुदेव श्रीधर किरोलीकर 1932 से स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेते रहे और कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने पहली लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने से पहले मध्य प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में भाग लिया। वे स्थानीय स्वायत्त प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं में विशेष रूचि लेते थे और जनसाधारण के कल्याण के लिए स्थापित की गई अनेक स्थानीय समितियों के सदस्य रहे या उनसे अन्य प्रकार से सम्बद्ध रहे ।

मेरा निवेदन है कि आप शोकाकुल परिवार को हमारी गहरी सहानुभूति और समवेदना व्यक्त करें ।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्री वासुदेव श्रीधर किरोलीकर के निधन पर आपने तथा प्रधान मंत्री जी ने जो भावनाएँ व्यक्त की म अपनी पार्टी की ओर से सहमति प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूं कि आप शोक संतप्त परिवार तक हमारी समवदना पहुँचाये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I express my deep sense of sorrow on the passing away of Shri Wasudeo Shridhar Kirolikar and pray to God for eternal peace to the departed soul and request you to convery our condolences to the bereaved family.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मैं अपनी पार्टी की ओर से श्री वासुदेव श्रीधर किरोलीकर के देहावसान पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप शोक संतप्त परिवार तक हमारी समवेदनाएँ पहुँचा दें।

(तत्पश्चात सदस्य थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे)

(The Members then stood in silence for a Short while)

प्रश्नोंके मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हल्दिया में 'शिप बिल्डिंग यार्ड' के बारे में रिपोर्ट पर निर्णय

*903. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में स्थापित किये जाने वाले शिपयार्ड के बारे में रिपोर्ट पर सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्तसंबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० एस संजीवी राव : हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए जो कार्यकारी ग्रुप बनाया गया था क्या उसने सरकार को हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हाँ, तो प्रस्तावित शिपयार्ड में किस प्रकार तथा आकार के जहाज बनाये जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : कार्यकारी ग्रुप ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और वह विचाराधीन है। उसमें जो सिफारिश की गई है वह टैंकर और भारी मालवाहक जैसे अधिक विशाल जहाजों के बारे में हैं।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मुझे विश्वास है कि हमारे सुयोग्य माननीय मंत्री को यह ज्ञात होगा कि अब बड़े से बड़े जहाज बनाने की ओर सुझाव हैं। अतः हम भारत में अभी भी विशाखापत्तनम में केवल 14,000 टन क्षमता वाला जहाज और कोचीन में 85,000 टन क्षमता वाला जहाज बनाने की बात क्यों सोच रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निकट भविष्य में कम से कम 100,000 टन क्षमता वाला जहाज बनाने की सरकार की कोई योजना है।

श्री राज बहादुर : जहाजों के प्रकार में जो परिवर्तन हुए हैं वह पिछले कुछ वर्षों की बात है और हमारे यहाँ शिपयार्ड बनाने की आयोजना करते समय यह बात ध्यान में नहीं थी। तो भी कोचीन शिपयार्ड में बड़े बड़े जहाजों के निर्माण की ओर अधिक ध्यान देना है। आरम्भ में हम 75,000 टन भारभूत क्षमता वाले जहाजों का निर्माण करने जा रहे हैं। भविष्य में शिपयार्डों का निर्माण करते समय हम निश्चय ही बड़े बड़े जहाज बनाने की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणीग्रही : क्या इस रिपोर्ट पर शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है और क्या हल्दिया में शिपयार्ड बनाने का काम चौथी योजना अवधि में ही आरम्भ कर देने का विचार है? क्या इस समिति को सौंपे गये अध्ययन कार्य में पारादीप का प्रश्न भी शामिल था ताकि पारादीप और हल्दिया दोनों शिपयार्डों का काम एक साथ ही आरम्भ हो सके।

श्री राज बहादुर : यह कार्यकारी ग्रुप हल्दिया में एक शिपयार्ड बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के अनुसरण में नियुक्त किया गया था और इसके अध्ययन के लिए ये प्रश्न सौंपे गये थे जहाजों की मांग, किस प्रकार के जहाजों की मांग जहाज निर्माण की वर्तमान उपलब्ध क्षमता और इस मांग को पूरा करने के लिए क्षमता की पर्याप्तता एक और शिपयार्ड की आवश्यकता, उसके लिए स्थान आदि। अब एक तकनीकी तथा आर्थिक कार्यकारी ग्रुप गठित करने का निश्चय किया गया है जो तकनीकी तथा आर्थिक दोनों दृष्टि से यह मूल्यांकन करेगा कि प्रस्तावित विभिन्न स्थान .....

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पारादीप के बारे में स्थिति क्या है?

श्री राज बहादुर : अन्य स्थानों के साथ पारादीप की ओर भी ध्यान दिया जायेगा।

श्री जगन्नाथ राव : पिछले सप्ताह माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि वह पूर्वी तट पर दो शिपयार्ड स्थापित करने जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या दो शिपयार्डों की स्थापना पांचवी योजना अवधि में की जायेगी या केवल हल्दिया में ही शिपयार्ड स्थापित किया जायेगा।

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैंने बताया है, तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जायेगा। परन्तु गुजरात और महाराष्ट्र आदि राज्यों से आयी मांग के अलावा हल्दिया और पारादीप की ओर हमारा पूरा ध्यान है।

श्री ए० के० एम० इसहाक : अभी तक कोई निर्णय न लेने की बात कही गई है। यह अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा और क्या सरकार इस पर सहानुभूति के साथ विचार करेगी?

श्री राज बहादुर : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि हम विचार करने के पश्चात जो सिफारिश करेंगे उन पर योजना आयोग और सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और अन्ततः पांचवी योजना के अंग के रूप में उसका अनुमोदन इस सभा द्वारा किया जायेगा।

राष्ट्रीय बीज निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य फार्म निगम के लिए होल्डिंग कम्पनी

***904. श्री सतपाल कपुर :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम की होल्डिंग कम्पनी गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन तीनों निगमों के क्रियाकलाप समान नहीं हैं, अतः इन तीनों निगमों के लिए एक "होल्डिग कम्पनी" गठित करना सम्भव नहीं है। आशा है कि राष्ट्रीय बीज निगम उत्तम किस्म के मूल तथा प्रमाणित बीज पैदा करके और बीज उत्पादन प्रक्रिया तथा विपणन के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके उत्तम बीज उद्योग के विकास के लिए एक प्रोत्साहन-वर्धक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह निगम प्रमाणीकरण सेवाओं की व्यवस्था करके तथा बीज परीक्षण प्रयोगशाला आदि की स्थापना करके क्वालिटी के सम्बन्ध में जागरुकता उत्पन्न करेगा। भारतीय राज्य फार्म निगम का सम्बन्ध सिद्धान्ततः बीजों आदि के उत्पादन के लिए कृषि फार्मों की स्थापना करना है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम हानि को कम करने के लिए वैज्ञानिक आधार पर भण्डार सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतू एक एजेंसी के रूप में ही कार्य करता है।

Shri Satpal Kapoor : Mr. Speaker, May I know whether the Department of Agriculture has taken a decision to turn down the report submitted by the Pathak Committee for constituting the holding company.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : होल्डिग कम्पनी बनाने का जो प्रस्ताव किया गया था उसमें कृषि मंत्रालय के अधीन काम कर रहे संगठनों का कोई विशिष्ट उल्लेख नही किया गया है।

Shri Satpal Kapoor : Will the hon. Minister please let us know whether the Seed Corporation proposes to bring out new variety of improved seeds of pulses, coarse grain and Cotton and if so, by what time?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : बीज अनुसंधान का कार्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किया जाता है और बीज की कोई किस्म खोज लेने पर आधार बीज आदि का काम राष्ट्रीय बीज निगम को सौंप दिया जाता है। जिन बीजों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है उनकी कई नई किस्में निकाली गई हैं और यह कार्य बीज निगम कर रहा है।

श्री बूटा सिंह : राष्ट्रीय बीज निगम, फार्म निगम आदि तब तक गौण निगम हैं जब तक कि आधुनिक तकनीक द्वारा भूमि विकसित नहीं की जाती। भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाने का कोई प्रयास नहीं किया है जो देश भर में भूमि का विकास करे। क्या भारत सरकार के पास एक ऐसा राष्ट्रीय भूमि विकास निगम स्थापित करने की कोई योजना है जो सुविधाएं . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिल्ली में गेहूं के व्यापार का सरकारीकरण

*905. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में गेंहू के व्यापार का सरकारीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो खुदरा दुकानों के माध्यम से गेंहू की बिक्री के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और खुदरा दुकानदारों और उपभोक्ताओं के लिए एक समय में गेंहू की खरीद की क्या सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकारीकरण का गेंहू के मूल्य पर कोई विपरित प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) दो प्रकार के लाइसेंस होंगे जिनमें से एक उन व्यापारियों के लिए होगा जो कि एक समय पर 5 क्विंटल तक गेंहू का स्टाक रखेंगे और दूसरा उनके लिए होगा जो कि 20 क्विंटल तक स्टाक रखेंगे। ये लाइसेंस व्यापारी खुदरा बिक्री में दिन में एक बार उपभोक्ता को 40 किलो तक और किसी स्थापन को 2 क्विंटल तक गेहू बेचेंगे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या सरकार को लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों से कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें पांच क्विंटल का जो कोटा आवंटित किया गया है वह उपभोक्ता मांग को देखते हुए बहुत कम है? सरकारीकरण से पहले कितने व्यापारी गेंहू व्यापार कार्य में लगे हुए थे और सरकारीकरण के पश्चात् कितने लाइसेंस दिये गये हैं?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : दिल्ली में गेंहू व्यापार के सरकारीकरण का जो आदेश निकाला गया था उसमें गेंहू व्यापारियों से आवेदन भेजने के लिए कहा गया था, अतः दिल्ली प्रशासन के पास इसके लिए आवेदन आ रहे हैं जिनकी सूची कुछ दिनों के बाद तैयार की जा सकेगी। जहाँ तक अभ्यावेदन का प्रश्न है मेरी निगाह में ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं आया है और यदि कोई है तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : अखिल भारतीय गल्ला व्यापारी संघ ने ज्वार, बाजरा, मक्का, और चने की सप्लाई बन्द कर देने की धमकी दी थी। तो क्या यह केवल धमकी ही थी या उन्होंने इसे कार्यरूप भी दिया है और यदि हाँ तो सरकार को इस बारे में क्या जानकारी है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : उन्होंने इस बारे में सार्वजनिक वक्तव्य दिया है। कुछ स्थानीय संस्थाओं ने इस प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की है। मैं सभी सद्बुद्धीवाले व्यक्तियों से अपील करूंगा कि वे इस धमकी को कार्य रुप न दें। यदि वे ऐसा करेंगे तो निश्चय ही सरकार स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी कठोर कदम उठायेगी।

Shri B. P. Maurya : May I know from the hon. Minister whether there are certain forces including some political parties and the persons committed to capitalistic system which want to sabotage this good measure as it is revealed from the answer given by him? With a view to check it, will he .....(*interruptions*). Will such offences be treated as non-bailable in order to curb such forces and will such offenders be arrested under D.I.R.?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव भेजा है कि इस अपराध के लिए जमानत न स्वीकार की जाये। इस पर विचार किया जा रहा है। हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मेरी सभी से अपील है कि कोई रुकावट न डाले क्योंकि उससे जनता को अनाज जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की दिशा में कठिनाई आयेगी। यदि इस अपील पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्वाभाविक है कि कानून की सहायता लेनी होगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I want to know whether the demand by the farmers for increased procurement price of wheat is an offence. If not, how the law can be resorted to? I also want to know the total requirement of wheat in Delhi and whether Government are going to enforce total rationing, and if so, what will be the quantum of ration?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मेरा निवेदन है कि वह अपने अनुयायियों और अन्य लोगों से ऐसे तरीके न अपनाने के लिए कहें जिनसे वसूली पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ओर तो वह यह कहते है कि भारत सरकारने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न नहीं दिया है परन्तु यदि वह किसानों को वसूली में योगदान करने से रोकते रहे तो उससे समस्या हल नहीं होगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The farmers are not releasing their wheat for sale since they want a higher price. They are doing so not on our advice.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : कीमत निर्धारण व्यवस्था के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि उसमें कोई संशोधन करना है तो उस पर विशेषज्ञों की राय लेकर आगामी फसल में विचार किया जायेगा। लोकतंत्रीय व्यवस्था में मतभेद तो हो सकता है, परन्तु अनाज न बेचने के लिए किसानों को परामर्श देना उचित नहीं है ।

जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम दिल्ली की समूची आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। चाहे हम अनिवार्य या आंशिक राशन-व्यवस्था लागू करें, हम दिल्ली को प्रति व्यक्ति 8 किलोग्राम के हिसाब से गेंहू सप्लाई करेंगे। मेरे विचार से इस समय दिल्ली कठिनाई में नहीं है ।

Shree Narsingh Narayan Pandey : May I know whether the hon. Minister is aware that some people are propagating among the farmers to hold up their foodgraians and are also financing them for the purpose? I would like to know whether the whole sale grain dealers and their agents are encouraging this tendency. If so, what are the reasons for which the hon. Minister does not take action against them under the D.I.R.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : हम राज्य सरकारों से परामर्श कर रहे हैं और उन्हें पूरी शक्ति देने को तैयार हैं।

श्री जगन्नाथ राव : अनाज की सरकारी खरीद के साथ-साथ वितरण की क्या व्यवस्था रखी है? क्या इसके लिए उचित मूल्य वाली दुकानें पर्याप्त संख्या में खुली हैं ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सरकारी वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने राज्य सरकारों को कहा है कि वे इसके लिए लोक समितियां बनाये ताकि कुरीतियां दूर की जा सके । जहाँ तक उचित मूल्य वाली दुकानों का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकारों को ऐसी दुकानें पर्याप्त संख्या में खोलने के लिए कहा है।

Mr. Speaker : The hon. Member should be aware that this Question relates particularly to Delhi, but he is referring to the whole country.

Shri R. S. Pandey : There are two important aspects of this Question, one is about the price and the other is about distribution. I would like to know whether the Govt. propose to increase the procurement price, fixed at Rs. 86 and Rs. 82 in view of the increased costs of inputs, so that the procurement programme may be successful. The take over of grain trade has been wel-come but I want to know as to what extent the Govt. would help those States like Maharashtra, Madhya Pradesh and Bihar which are facing shortage of foodgrains, in providing wagons etc.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सदस्य महोदय प्रश्न को बढ़ा रहे है जबकि वह केवल दिल्ली के बारे में हैं। दिल्ली, प्रशासन इस समस्या पर विचार कर रहा है कि वर्तमान दुकानें पर्याप्त हैं या नहीं। उन्हें अधिक दुकाने खोलने के लिए कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल दिल्ली में गेहूं व्यापार के सरकारीकरण के बारे में हैं।

Prof. Narain Chand Parashar : I want to know as to the time by which the offences relating to foodgrains will be made non-bailable.

Mr. Speaker : This issue has already been dealt with.

छोटा नागपूर और सन्थाल परगना में केन्द्रीय दल द्वारा कुष्ठ रोग के बारे में किया गया सर्वेक्षण

*913. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**

श्री आर० एन० वर्मन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बिहार राज्य के छोटा नागपूर डीवीजन और सन्थाल परगना जिले में कुष्ठ रोग के बारे में केंद्रीय दल द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस रोग का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर हुआ है ; और

(ग) इस रोग पर काबू पाने के लिए उक्त सर्वेक्षण के आधार पर सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य के छोटा नागपूर डिवीजन तथा संथाल परगना जिले में किसी भी केन्द्रीय दल ने कुष्ठ के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । किन्तु, राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक नमूना सर्वेक्षण शुरु किया बतलाया जाता है जो संभवत: 1973 के अन्त तक पूरा हो जायगा । इस प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों में कुष्ठ रोग कितना फैला हुआ है इसकी ठीक ठीक स्थिति तभी मालूम हो सकेगी जब यह सर्वेक्षण पूरा हो जायगा ।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्र पोषित योजना के रूप में चलाया जा रहा है जिसके लिए कुष्ठ नियंत्रण एकक, सर्वेक्षण शिक्षण तथा उपचार केन्द्र स्थापित करने तथा सहायक केन्द्रों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें कुष्ठ नियंत्रण एकक बनाने के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । बिहार ने 25 कुष्ठ नियंत्रण एकक और सर्वेक्षण शिक्षण एवं उपचार के 15 केन्द्र स्थापित कर दिये हैं । इनमें से तीन कुष्ठ नियंत्रण एकक सन्थाल परगना में खोले गये हैं और छ: कुष्ठ नियंत्रण एकक तथा चार सर्वेक्षण शिक्षण एवं उपचार केंद्र छोटा नागपूर मण्डल में ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : विवरण में जानकारी नहीं दी गई है, क्या सरकार बतायेगी कि इस विषाल रोग में कितने व्यक्ति ग्रस्त हैं ? मेरी जानकारी के अनुसार रोगग्रस्त व्यक्तियों की संख्या चिन्ता पैदा करने वाली है क्या सरकार इसके बारे में कोई जानकारी देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के०खाडिलकर) : कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अनुमानित आंकड़े हैं । प्रत्येक क्षेत्र में नमूना सर्वेक्षण किये गये थे और उसके आधार पर कुछ जानकारी उपलब्ध है । समूचे देश में सर्वेक्षण करना है जो एक कठिन कार्य है ; दूसरे, सामाजिक बदनामी के कारण भी लोग इस रोग को छिपाना चाहेंगे । इसलिये यथासंभव जानकारी एकत्र करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : उत्तर और अधिक भ्रमोत्पादक है । मैं सरकार से इस रोग से ग्रस्त लोगों की संख्या जानने का प्रयास कर रहा था, परन्तु सरकार कोई जानकारी नहीं देगी । मेरी जानकारी के अनुसार उस क्षेत्र में इस रोग विशेष से 30 लाख लोग पीड़ित हैं । क्या सरकार इससे इन्कार करती हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं बता चुका हूं कि हमारी पास सही आंकड़े नहीं हैं । नमूना सर्वेक्षण किय गये थे लेकिन फिर भी इस रोग से सम्बद्ध सामाजिक बदनामी के कारण जानकारी एकत्र करने में कठिनाइयां हैं । हमने भी इन सब आंकड़ों के बारे में सुना है परन्तु मैं इन आंकड़ों को सही नहीं कह सकता हूं ।

श्री भागवत झा० आजाद : जब सरकार के पास इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो क्या सरकार ने सन्थाल पहाड़ी सेवा मंडल से सम्पर्क स्थापित किया है, जो सन्थाल परगना जिले में, जहां समुचे देश में कुष्ठ रोग की प्रतिशतता सबसे अधिक है, काफी सेवा कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो क्या मंडल से कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

श्री आर०के० खाडिलकर : क्या श्री डालमिया जो अनेक रचनात्मक कार्यकर्ताओं सहित उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मुझे मिले थे । उन्होंने जो भी आंकड़े एकत्र किये उनसे वे भी स्वीकार करते हैं कि रोग व्यापक है । लेकिन कठिनाई यह है कि यदि एक स्थान में पीड़ित लोगों की प्रतिशतता 8%, तो अगले गांव में यही शून्य है । इसलिये कल इन सब बातों पर विचार विमर्श हुआ था । हम इस पीड़ित लोगों की सही संख्या पत्ता लगाने और यथा संभव पूर्वोपाय करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : कितनी केन्द्रीय सर्वेक्षण समितियां हैं और विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिये विभिन्न राज्यों और विभिन्न अवस्थाओं में उनका किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

श्री ए० के० किस्कू : इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक देश में लगभग 238 कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र और 1479 सर्वेक्षण, शिक्षण और उपचार केन्द्र स्थापित किये गये हैं, यदि सदस्य चाहें तो मैं राज्यवार ब्यौरा देने के लिये तैयार हूं ।

श्री मनोरन्जन हाजरा : मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन स्थानों में नमूना सर्वेक्षण किया गया था ?

श्री ए० के० किस्कू : जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता चुके हैं, हम वास्तव में समूचे देश का एक अत्यन्त क्रमबद्ध सर्वेक्षण कर रहे हैं । लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस रोग का प्रकोप बहुत अधिक है, जैसे आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार, इत्यादि । हम यह सर्वेक्षण वास्तव में इसलिए कर रहे हैं कि हमें रोग से पीड़ित लोगों की संख्या पता चल सके । इसअवस्था पर हम पीड़ित लोगों की कुल संख्या नहीं बता सकते हैं ।

श्री मनोरन्जन हाजरा : क्या बांकुरा में नमूना सर्वेक्षण किया गया था ?

श्री दिनेन् भट्टाचार्य : यह सच है कि कुष्ठ रोग नियंत्रण एककों की स्थापना के लिये केन्द्र द्वारा आयोजित और शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त एक योजना है । लेकिन पहले से विद्यमान कुछ कुष्ठ रोग चिकित्सालय धन की कमी के कारण दयनीय स्थिति में हैं । क्या सरकार के मस्तिष्क में यह बात है कि सर्वेक्षण के चलते रहते धन के अभाव के कारण कोई चिकित्सालय बन्द नहीं किया जायेगा ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि कुछ चिकित्सालयों में स्थिति दयनीय है उपचार आदि की व्यवस्था नहीं है ।

श्री दीनेन् भट्टाचार्य : धन के अभाव के कारण ।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह सच नहीं है । जब स्वयंसेवी संगठन भी आगे आते हैं हम उन्हें जो भी धन देना संभव होता है, देते हैं । इसलिये धन के अभाव का कोई प्रश्न नहीं है । वास्तव में हम चाहते हैं कि और अधिक स्वयंसेवी संगठन आगे आयें ।

श्री नवल किशोर सिन्हा : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि अभी जो सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई वह धीरे-धीरे अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि अब सबको यह मालूम हो चुका है कि 90 प्रतिशत कुष्ठ रोगियों की बीमारी छूत की नहीं होती है ? विशेष रूप से रोगीयों को यह मालूम है । इसलिये सब जगह कुष्ठ रोग केन्द्रों में भारी भीड़ होती है, विशेष रूप से उल्लिखित क्षेत्रों में, ये केन्द्र पूरे दिन खुले नहीं रखे जाते जैसाकि होना चाहिये । ये दो-तीन घंटों के लिये खुलने के बाद बन्द कर दिये जाते हैं । दूसरी बात यह है कि दवाइयां नितान्त अपर्याप्त हैं । तीसरे, विशेष रूप से बिहार में, मधुपुर और बामबे में, जहां सृजनात्मक शल्यचिकित्सा का प्रबन्ध है, व्यवस्था नितान्त अपर्याप्त है और इसलिये सृजनात्मक शल्यचिकित्सा से जो आज के युग में कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने का अत्यन्त आधुनिक साधन है, अधिक से अधिक रोगी लाभ नहीं उठा पाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप तो भाषण दे रहे हैं ।

श्री पीलू मोदी : जो मंत्री महोदय को कहना चाहिये माननीय सदस्य ने वही कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चुप हो जाये और बैठ जायें । मैं आपको प्रत्येक अवसर पर ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य ने चिकित्सालयों के जल्दी बन्द होने और दवाइयों की कमी का उल्लेख किया । जहां तक बन्द होने का सम्बन्ध है मैं गारन्टी नहीं कर सकता । जहां तक दवाइयों की उपलब्धता का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह बात स्वीकार की जाती है कि खरीदी जाने वाली दवाइयों के मूल्य बढ़ गये हैं । इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं और कठिनाइयां दूर होते ही सभी उपलब्ध दवाइयां प्रदान की जायेंगी ।

Dr. Laxminarain Pandeya : In some parts of Bihar, Madhya Pradesh and some other States leprosy is spreading in an epidemic form. May I know the reasoans for this epidemic, the areas and people most vulnerable to this disease and the steps taken by Government to check it?

श्री आर० के० खाडिलकर : हमने प्राय: देखा है कि जितनी अधिक गरीबी होगी उतने ही अधिक गरीब लोग इस रोग के शिकार होते हैं । जैसाकि अभी मेरे साथी ने बताया नियंत्रण केन्द्र काम कर रहे हैं । उदाहरण के लिये अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र में संभवत: अधिक लोग इस रोग से पीड़ित हैं । इसलिये हम कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र चला रहे हैं ।

वर्ष 1973-74 के लिए कृषि विकास कार्यक्रम

*914. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के लिये विभिन्न राज्यों के राज्य-वार कृषि विकास कार्यक्रम क्या है ;

(ख) उसके लिये, राज्यवार तथा पदवार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ;

(ग) प्रत्येक मद के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कार्यक्रम के कार्यान्वयन से किस दर से कृषि विकास होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क से घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए एल० टी० संख्या 4915/73]

श्री आर० के० सिन्हा : मैंने उत्तर के साथ संलग्न विवरण देखा है। विभिन्न राज्यों के लिये कृषि विकास कार्यक्रम के बारे में, जो मैंने प्रश्न के भाग (क) में पूछा था, कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई, भूसंरक्षण, क्षेत्रीय विकास आदि पर बल दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस देश में खेती मानसून और मौसम की कृपा पर निर्भर करती है और हम भारत में खाद्यान्न में लगभग आत्म-निर्भर हो गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि आयोजन में कृषि अनुसंधान संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालयों को मुख्य स्थान दिया जायेगा। इस विवरण के पृष्ठ 4 पर कृषि विश्वविद्यालय और कृषि शिक्षा को बहुत कम रियायत दी गई है। मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय के उत्पादन कार्यक्रमों में कृषि संस्थानों का प्रमुख स्थान है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये पूर्वी उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से फैजाबाद में, कृषि विश्वविद्यालय जैसे प्रस्तावों को इस सरकार द्वारा प्राथमिकता या रियायत दी जायेगी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यदि माननीय सदस्य सभा पटल पर रखे गये विवरण देखें तो वे कहेंगे कि माननीय सदस्यों के बहुत समर्थन के कारण गत 4-5 वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई है ; कृषि विश्वविद्यालयों और गतिविधियों का तेजी से प्रसार हुआ है तथा हमारी सभी अनुसंधान संस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है और इनमें कृषि विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि भारत सरकार इस बुनियादी क्रियाकरण को जिसपर भारत में कृषि का विकास निर्भर करता है, अधिकतम महत्व देती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भारत सरकार का दृष्टिकोण यह है कि इस समय एक राज्य में एक ही विश्वविद्यालय हो। इनके एकीकरण के पश्चात् इसपर विचार किया जायेगा माननीय सदस्य मुझे गलत न समझे यदि मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाऊं कि अनेक कृषि स्नातक पहले ही बेरोजगार बैठे हैं। प्रसार से यह समस्या और गंभीर हो जायेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और मेरा मंत्रालय, राज्य सरकार से इस बारे में पत्र-व्यवहार कर रहा है।

श्री आर० के सिन्हा : पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश अकेला अनेक अन्य राज्यों को मिलाकर भी बराबर है और एक राज्य के लिये एक ही कृषि विश्वविद्यालय का नियम उसपर लागू नहीं किया जा सकता। पहले एक लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया है और अग्रेतर पत्र-व्यवहार के बाद इसे स्वीकृति दे दी जायेगी।

भाग (घ) से एक अन्य प्रश्न उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गंगा के मैदान के नीचे ताजे जल का अथाह भण्डार है, तथा मौसम वर्ष प्रति वर्ष अनिश्चितता, सूखा और दक्षिण-पंथी प्रतिक्रियावादियों और एकाधिपतियों का अनाज के व्यापार के राष्ट्रीयकरण को असफल करने के प्रयास को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्रालय अग्रेसर कृषि अनुसंधान तथा लघु और बड़े पैमाने की सिंचाई के लिये गंगा घाटी के नीचे ताजे जल के साठे का लाभ उठाने की संभावना पर विचार करेगा ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मंत्रालय इस समस्या को समझता है और यह क्षेत्र भूमिगत जल में संसाधनों में विश्व में सबसे अधिक सम्पन्न है और हमारा विचार इसे यथाशक्य अल्प समय में इसे पूरा करने का है। मंत्रालय का यही दृष्टिकोण है।

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker, Sir, the statistics shows that allocation to Rajasthan is the lowest although dry farming scheme is under operation there, 39 for minor irrigation and 44 for soil conservation, such is the allocation while other Sstates have been given 200 to 300 crores of rupees. What are the reasons for it?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : अपने प्रिय मित्र की तरह हमें भी राजस्थान की चिन्ता है ; उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि उसकी उपेक्षा की जा रही है और केवल वे ही उसकी वकालत कर रहे हैं। राज्य

सरकारों द्वारा ये योजनायें बनाई जाती हैं और योजना आयोग के साथ उनपर विचार-विमर्श किया जाता है। उन्हें राज्य में संसाधनों की उपलब्धता पर आश्रित रहना पड़ता है। यदि राजस्थान सरकार अपने साधनों से सम्बद्ध कोई योजना रखती है तो सरकार और योजना आयोग निसंदेह उसका समर्थन करेगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कृषि कार्यक्रम के विकास के लिये पंजाब को कितने धन का नियतन किया गया है? क्या पंजाब में प्रगति दर अधिक है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : राज्यवार नियतन दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

पंजाब, हरियाणा और कुछ भागों, संभवत: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, में देश में प्रगति दर अधिक है। सरकारी विनियोजन के अतिरिक्त भी कृषि में काफी पूंजी लगाई जा रही है।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, the production can be increased if the four inputs fertiliser, seeds and insectisides are available. Mr. F. A. Ahmed said that so much and so on was allocated for minor irrigation but the District Magistrate of my area says that he has no funds. You had said that the matter might be discussed when the Chief Minister came here but it did not materialise. May I know the arrangements being made by Government for irrigation?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed): I am sorry if the aid given to the State Government did not reach his constituency. I had drawn the attention of the Chief Minister to it and whenever I get an opportunity I will again take it up in his presence.

Shri A. B. Vajpayee: Is it a fact that the shortage of fertilisers coupled with the shortage of water is a serious handicap in increasing food production? Do Government realise that the delay in according sanction to Mithapur Project has jeopardized the programme of agricultural development?

श्री अण्णासाहेब पी. शिदे : कुछ कमी थी। गत एक वर्ष में उर्वरकों की उपलब्धता में कुछ कमी रही है। लेकिन भारत सरकार समझती है कि देश में उत्पादन में वृद्धि और काफी मात्रा में में आयात से आगामी मौसम में उर्वरकों की उपलब्धता में काफी सुधार हो जायेगा। लेकिन मैं देशमें उर्वरकों की उपलब्धता की सामान्य समस्या के बारे में सदस्य महोदय की चिन्ता को समझता हूं। जैसा कि उन्हें मालूम है भारत सरकार देश में उत्पादन बढाने के लिये अनेक कदम उठाने का विचार कर रही है। यदी व कोई विशिष्ट जानकारी चाहते है, तो पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से प्रश्न पूछ सकते है।

Dr. Govind Das Richhariya.: May I know the basic principle followed in allocation of funds ? Is it allocated on the basis of area of a state or on the basis of population ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मेरा मंत्रालय समस्याओं पर विचार नहीं करता। ये तो बड़े क्षेत्र हैं जिनपर वित्त आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग विचार करते है।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि राज्य सरकारें भारत सरकार को योजनायें भेज रही है और उनको मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा स्वीकार किया जाता है। मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में कुछ गंभीर गलतियां है। मैं एक-दो उदाहरण दूंगा। भाग (ग) के लिये विवरण में उत्पादन के लक्ष्य प्रमुख फसलों के लिये, पश्चिमी बंगाल के लिये, कुल लक्ष्य 127 लाख है, महाराष्ट्र के लिये 100 लाख है और उत्तर प्रदेश

के लिये 288 लाख है लेकिन बिहार के लिये 115 लाख है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के लिये लगभग 100 लाख के लिये 36 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश के लिये 280 लाख के लिये केवल 37 करोड रुपए नियतन किए गये है। पश्चिम बंगाल के लिए 127 लाख के लिए यह 11.1 करोड़ रुपए है। इस असंगति के क्या कारण है? योजना आयोग द्वारा विभिन्न योजनाएं मंजूर किये जाने के मूल मानक क्या है?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : संभवत: सदस्य महोदय कागजों को ठीक प्रकार देख नहीं पाये है। योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है और राज्य योजनाओं के आधार पर योजना आयोग द्वारा मंजूर की जाती है। वित्त आयोग की सिफारिशों के] आधार पर ही राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। ये नियतन मेरे मंत्रालय द्वारा निर्धारित नही किये जाते है।

चौथी पंचवार्षिक योजना में समाज कल्याण के लिए नियत राशि

+

*916. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

श्री मूलचन्द डागा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) इस राशि में से कितनी राशि अब तक खर्च की गई है; और

(ग) क्या पूरी राशि उपयोग में लाये जाने की सम्भावना है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :(क), (ख) और (ग) समाज कल्याण के लिए कुल केन्द्रीय क्षेत्र चतुर्थ योजना परिव्यय 76,96 करोड़ रुपये है। प्रथम चार वर्ष में खर्च 42 करोड़ रुपए था। चालू वर्ष के लिए योजना परिव्यय 23 करोड़ रुपए है।

76.96 करोड़ रुपए की लक्ष्य धनराशि के मुकाबले चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 65 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किए जाने की पूरी आशा है।

देश के सामने वित्तीय कठिनाईयों के परिणामस्वरूप बजट में आबंटन किया गया है, वह इस विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो भी, इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाएगा कि चालू कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव न पड़े और यदि वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ तो सरकार संसद से पूरक अनुदानों के लिए मांग करेगी।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : मैं मद-वार और राज्यवार नियतन जानना चाहती हूं तथा समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिये प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कितनी सहायता या अनुदान दिया गया?

शिक्षा, समाजकल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरुल हसन) : हमारे पास ब्यौरा है। यह एक लम्बा विवरण है। यदि आप कहें तो मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां। मुख्य प्रश्न कुल नियतन के बारे में ही था। उन्हें मद-वार नियतन भी पूछना चाहिये था ताकि इसे पहले परिचालित किया जा सकता।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : गत दो वर्षों में केरल को बाल पोषण और स्वास्थ्य के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और क्या बाल कल्याण के लिये पांचवी योजना में उनके मंत्रालय के अधीन कोई नया कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा; यदि हां, तो उसकी रुपरेखा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : पांचवी योजना में एक एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम है। तथापि, अग्रिम कार्यवाही के रुप में हम प्रयोगात्मक आधारपर 15 खण्ड चुन रहे है। केवल उसके आधारपर हम पांचवी योजना में प्ररूप करेंगे।

Shri M. C. Daga : Mr. Speaker, Sir, the answer is confusing and contradictory. You say that Rs. 76.96 crores were allocated in Fifth Plan and a sum of Rs. 43 crores were spent during the first Four Years and thus you are not able to utilise the remaining sum of Rs. 23 crores. On the other hand you say that you will come forward with a supplementary demand, if necessary. I fail to understand what sort of social welfare Board we have got which is finding it diffcult to spend even such a small allocation you want to reduce disparities and raise the standard of the poor through social welfare measures but Rs. 42 crores only have been spent out of a total allocation of Rs. 76.96 crores. Where is the need for additional demand? Which is plan has been framed that funds are being demanded?

Prof. Nurual Hasan : Mr. Speaker, we had requested the planning Commission and the Ministry of Finance to make us available the residuary sum allocated for the Fourth Plan. But keeping in view the financial position of the country in the current year and the draught, of which the House is well aware and which was referred to by the Ministry of Finance while presenting the budget, the forgetted allocations of various Departments were curtained. But we have been assured that with the improvement in the fiscal position of the country an attempt would be made not to curtail the allocation for Social welfare programme. This is the main reason.

Shri M. C. Daga : How do you propose to utilise Rs. 23 crores?

श्री एस० नूरुल हसन : यह सच नहीं है कि मेरे विभाग को 34 करोड़ रुपए उपलब्ध किये गये हैं। हमने कहा है कि हमें योजना व्यय के रूप में 23 करोड़ रुपयों का नियतन किया गया है। शेष राशि हमें उपलब्ध नहीं की गई है जिसके कारण वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताये थे। लेकिन उन्होंने हमें कहा कि यदि वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ, तो वे हमारी भरसक सहायता करने का प्रयत्न करेंगे।

[म्यूनिच औलम्पिक में भारत की हार के बारे में जांच

*917. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूनिच औलम्पिक में भारत को हुई हार के बारे में कोई जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) देश में खेलों के स्तर में सुधार करने के लिए क्या अग्रेतर उपाय सुझाये गए हैं और क्या कदम उठाए गए हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) सभा पटल पर विवरण रखा जाता है।

विवरण

म्यूनिख में 26 अगस्त से 11 सितम्बर, 1972 तक हुए बीसवें औलम्पिक खेलों में भारतीय (खिलाड़ी) दल के घटिया खेल के सम्बन्ध में सरकार को, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में भूतपूर्व उप-मंत्री श्री के० एस० रामास्वामी और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला के निदेशक श्री आर० एल० आनन्द द्वारा तैयार की गयी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण खेलों में भारत की असफलताओं के संबंध में कुछ त्रुटियां और कारण बताए गए थे। इस रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

2. भारत सरकार ने अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् से इस रिपोर्ट पर विचार करने का अनुरोध किया है। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने इस रिपोर्ट पर विचार करके एक प्रश्न माला तैयार की है, जिसे भारतीय औलिम्पिक संघ के पास उसकी टिप्पणियों के लिये भेज दिया गया है। भारतीय औलम्पिक संघ से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात ही अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की अंतिम सिफारिशें उपलब्ध होंगी। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की सिफारिश पर लिये जाने वाले निर्णयों को सरकार द्वारा सभा पटलपर रख दिया जाएगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि कुछ कमियों और भारत की असफलता के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट मिली है और वह सभा पटल पर रख दी गई है। विवरण में यह भी कहा गया है कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने, जिसे यह रिपोर्ट भेजी गई थी, इसपर विचार किया है और भारतीय औलम्पिक एसोसिएशन को उनकी टिप्पणी के लिये एक प्रश्नावली भेजी है, क्या म्यूनिख खेलों में अपनी भारी असफलता को देखते हुए इस बीच एक निष्पक्ष चयन बोर्ड बनाने की कोई व्यवस्था की गई है ताकि योग्यता के आधार पर न कि सिफारिश के आधार पर सही खेलाड़ी चुने जा सके।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नूरुल हसन) : समस्या यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं प्राय: औलम्पिक घोषणा-पत्र के अन्तर्गत होती है, जिसमें उपबन्ध है कि उनमें भाग लेने वाले गैर-सरकारी निकाय हों। अत: टीमों के चयन के लिये सीधे चयन बोर्ड बनाना सरकार के लिये संभव नहीं है क्योंकि उनका चयन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जाना होता है। हम इस बारे में सजग हैं कि कुछ करना चाहिए और इसीलिए हमने अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् से इस समस्या पर विचार करने के लिये कहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम चयन प्रक्रिया बनाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। हम कुछ अन्य कार्यवाही कर रहे हैं। जब तक उनका ब्यौरा तैयार नहीं हो जाता उनके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। बाद में सभा में सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिये मैं निश्चय ही तत्पर रहूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : अगस्त मास में विश्व हाकी प्रतियोगिता आरम्भ होगी। क्या भारतीय हाकी टीम उसमें भाग लेगी ? यदि हां, तो क्या चयन पहले से ही कर लिया जायेगा ताकि खिलाड़ियों में एक दल की भावना हो। पहले हमें दल की भावना न होने के कारण हार का मुँह देखना पड़ा है। तो क्या सरकार की ओर से चयन किया जायेगा?

श्री एस० नूरुल हसन : हम अंतर्राष्ट्रीय औलम्पिक एसोसिएशन द्वारा हम पर लगाई गई सीमाओं के अन्दर रहते हुए प्रशिक्षण की सुविधाएं देने और अन्य वित्तीय सहायता देने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तमिलनाडु और अन्य राज्यों में पैडी का निर्धारित मूल्य

*901. **श्री एम० आर० लक्ष्मी नारायण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में पैडी का प्रति क्विंटल कितना मूल्य निर्धारित किया गया है और क्या निर्धारित मूल्य सभी राज्यों के लिए समान है;

(ख) यदि नहीं, तो अन्य राज्यों के लिए क्या मूल्य निर्धारित किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या तमिलनाडु में निर्धारित मूल्य तमिलनाडु की सरकार की सिफारिश के अनुरूप हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):(क) खरीफ मौसम 1972–73 हेतु तमिलनाडु के लिए निर्धारित धान की विभिन्न किस्मों के अधिप्राप्ति मूल्य इस प्रकार हैं :—

धान की किस्म	अधिप्राप्ति मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
बहुत बढ़िया	56.00
बढ़िया	54.00
मध्यम	51.00
मोटा	47.00

समान किस्मों के धान के मूल्य सभी राज्यों में एक जैसे नहीं हैं।

(ख) और (ग) धान के अधिप्राप्ति मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्य सरकारों से परामर्श करके निर्धारित किए जाते है। तथापि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में इसके मूल्य वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है। और उनका प्रस्ताव विचाराधीन है। खरीफ मौसम 1972–73 हेतु विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित मानक किस्म के धान के अधिप्राप्ति मूल्य इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	मानक किस्म	निर्धारित किया गया धान का अधिप्राप्ति मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
1	आन्ध्र प्रदेश	अक्कुल्लु (मध्यम)	53.00
2	असम	विंटर साली (मोटा)	56.25
3	बिहार	मोटा	56.26
4	गुजरात	साठी (मोटा)	56.00
5	हरियाणा	बेगमी (मध्यम)	53.00

क्रम सं०	राज्य का नाम	मानक किस्म	निर्धारित किया गया धान का अधिप्राप्ति मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
6	जम्मू तथा कश्मीर . . .	मोटा	49.00
7	केरल	पालघाट मट्टा (मोटा)	56.25 +8.75
8	मध्य प्रदेश . . .	रूरमती (मोटा)	56.00
9	महाराष्ट्र . . .	मोटा	58.00
10	मसूर . . .	मोटा (कच्चा)	52.00
11	उड़ीसा . . .	साधारण (मध्यम)	55.00
12	तमिल नाडु	कट्टई साम्बा (मध्यम)	51.00
13	पंजाब	बेगमी	53.00
14	उत्तर प्रदेश	ग्रेड-3 (मध्यम)	56.00
15	पश्चिमी बंगाल. . . .	साधारण (मोटा)	56.00 +5.00

+यह निर्धारित अधिप्राप्ति के अलावा उत्पादक को राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुदगी बोनस का सूचक है।

चीनी उद्योग जांच आयोग के सदस्यों को दी गई सुविधाएं

*902. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी उद्योग जांच आयोग के सदस्यों को क्या सुविधाएं दी गई हैं और इसके सदस्यों के नाम क्या हैं :

(ख) क्या उनमें से प्रत्येक सदस्य को दी गई सुविधाओं में कोई अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो वह अन्तर क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें चीनी जांच उद्योग आयोग के गठन और प्रत्येक सदस्य को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) गैर सरकारी सदस्यों को दी गई सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं है सिवाये दैनिक भत्ते के बारे में जो कि प्रत्येक सदस्य को लागू नियमों के आधार पर आंका जाता है।

विवरण

चीनी उद्योग जांच आयोग के वर्तमान गठन और सदस्यों को दि गई सूविधाओं को बताने वाला विवरण

गठन

पूर्णकालिक सदस्य (सरकारी)

1 श्री वी० भार्गव, उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त जज . . अध्यक्ष

2 श्री आर० एच० चिश्ती, आई० ए० एस० (सेवा निवृत) . . सदस्य सचिव

अंशकालिक सदस्य (सरकारी)

3	डा० वी० एस० व्यास, सदस्य, कृषि मूल्य आयोग . . .	सदस्य (पदेन)
4	निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर . .	सदस्य

अंश-कालिक सदस्य (गैर-सरकारी)

5	श्री जे० सी० दीक्षित, संसद सदस्य, महा मंत्री, इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उत्तर प्रदेश शाखा	सदस्य
6	श्री फजूलुर रहमान, सदस्य, विधान परिषद, बिहार .	सदस्य
7	श्री ए० सी० बोस, सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार समवाय कार्य विभाग . . .	सदस्य
8	लाला बंसी धर, उप-अध्यक्ष, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन .	सदस्य
9	श्री पी० एस० राजगोपाल नायडू निदेशक, नैशनल फीडेशन आफ कोआप्रेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लि०, नई दिल्ली . . .	सदस्य
10	श्री वी० एन० खोसला, औद्योगिक सलाहकार, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली	सदस्य

दी गई सुविधाएं

पूर्णकालिक सदस्यों को इसी श्रेणी के अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह आवास टेलीफोन, चिकित्सा संबंधी सहायता, सरकारी कार्य के लिए स्टाफ कार और सचिवालय संबंधी सहायता जसी सुविधाएं दी जाती हैं और अंशकालिक सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता, उनको लागू संबंधित नियमों के अन्तर्गत देय, दिया जाता है ।

अंश-कालिक गैर-सरकारी सदस्यों को सचिवालय संबंधी सहायता तथा आयोग के कार्य के लिये स्टाफ कार दी जाती है और इसके आतिरिक्त संबंधित नियमों के अन्तर्गत देय यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता भी दिया जाता है ।

किसी स्थान विशेष पर सरकारी आवास के आबंटन के लिए प्रतीक्षा करना

*906 . **श्री डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी आवास के आवंटन के बिना किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर जितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़ती हो, उसके लिये अधिकतम समय-सीमा निश्चित करने के बारे में क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ; और

(ख) किसी स्थान विशेष पर जितने कर्मचारियों को 20 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करने के बावजूद भी सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, उनकी संख्या का वर्ग-वार पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के संबन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

3—11 LSS (N.D.)/73

विवरण

ऐसे कर्मचारियों की संख्या का विवरण जिनका सेवा काल 20 वर्ष से अधिक हो चुका है और जिन्हे पिछले तीन वर्षों मे दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास प्रदान नहीं किया गया।

वर्षवार कर्मचारियों की संख्या

टाइप	1970	1971	1972
I	..	..	92
II .	..	..	246
III . . .	2054	1357	2640
IV	2490	1976	3016

टाइप IV तथा उससे नीचे के टाईप के पात्र कर्मचारियों के मामले में प्राथमिकता की तिथि उस तिथि से मानी जाती है जब से एक कर्मचारी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन लगातार किसी पद पर कार्य कर रहा हो तथा उनके मामले में उनके सारे सेवाकाल पर विचार किया जाता है । टाईप V तथा इससे ऊपर के पात्र अधिकारियों के मामले में, प्राथमिकता की वह तिथि मानी जाती है जब से वह टाइप विशेष के अनुरूप परिलब्धियों को निरन्तर प्राप्त कर रहा हो । उनके मामले में उन द्वारा की गई सेवा की कुल अवधि सम्पदा निर्देशालय में उपलब्ध नहीं है ।

दि नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के कर्मचारियों की वेतन बचत और सामूहिक बीमा योजना के अधीन धनराशि जमा कराना

*907. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के लगभग 100 कर्मचारियों ने 'वेतन बचत' और 'सामुहिक बीमा योजना' के अन्तर्गत बीमा अपने अपने जीवन का बीमा करवा कर जीवन पालिसियाँ प्राप्त की थीं और उनका प्रीमियम जीवन बीमा निगम (हिन्दुस्तान बिल्डिग्स,कलकत्ता) में जमा करवाने के लिये हर महीने उनके वेतन में से काट लिया जाता है ;

(ख) क्या यह राशि वेतन बिलों की आफिस कापियों में वेतन की शुद्ध राशि में से कटौतियों के रूप में दिखा कर काटी जाती है और यह राशि किसी भी लेखा-पुस्तक में नहीं दिखाई जाती है; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों में इस प्रकार कुटौती की गई धन-राशी जीवन बीमा निगम में जमा नहीं करवाई गई है ;

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । तथापि, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्यकारी पुस्तकाध्यक्ष ने अनुदेश जारी कर दिये हैं कि इस गैर-सरकारी राशि के सम्बन्ध में की जाने वाली कटौतियों के लिए पुस्तकालय का रोकड़ अनुभाग लेखों की अलग पुस्तकें रखे।

(ग) दिसम्बर, 1969 के बाद से काटी गई राशियां जीवन बीमा निगम में जमा कर दी गई हैं, जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

की जाने वाली कटौतियों की अवधि	राशि	जीवन बीमा निगम को भुगतान करने की तारीख
दिसम्बर, 1969 से	(1) 5063.90 रु०	6 जून, 1970
जुलाई, 1970 से . .	(2) 2546.19 रु०	15 सितम्बर, 1970
अगस्त, 1970 से . .		
फरवरी, 1973 .	37,251.66 रु०	3 मार्च 1973
मार्च, 1973 . . .	2235.48 रु०	7 अप्रैल, 1973

जीवन बीमा निगम में कटौतिया जमा करने में विलम्ब हुआ है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसका कारण भारतीय जीवन बीमा निगम से मांग-अनुसूचियों का देर से प्राप्त होना/प्राप्त न होना था।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से मंगाए गए अनाज की किस्में तथा मात्रा

*908. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71, 1971–72 और 1972–73 में पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत अमरीका से किस-किस किस्म का कितना-कितना अनाज आयात किया गया ; और

(ख) इस अनाज के लिए कितनी राशि दी गई है या दी जानी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1970–71 और 1971–72 के दौरान पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त अमेरिका से आयात किया गया खाद्यान्न केवल गेहूं ही था। 1972–73 के दौरान पी० एल० 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई भी खाद्यान्न आयात नहीं किया गया था।

इन तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए गेहूं की मात्रा और उसका अनुमानित मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (हजार मी० टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1970–71	1,795.3	7346.7
1971–72	842.0	3900.3
1972–73	शून्य	शून्य

कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व

*909. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग में किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) इस आयोग को सलाह देने के लिये सरकार ने पहले से एक कृषक-दल का गठन कर दिया है । आयोग के पुनर्गठन के संबंध में संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर भी सरकार विचार कर रही है । किन्तु इस मामलें में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

खेलों के विकास के लिए समिति

*910. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेलों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और खेलों का स्तर सुधारने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार किसी समिति की नियुक्ति करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मूख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) और (ख) कोई समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, सरकार का विचार अखिल भारतीय खेल परिषद् को सुदृढ़ करने का है, जिससे कि वह खेलों के प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त कदम उठा सके। मामला विचाराधीन है ।

Food Problem More Acute due to Menace of Rat

*911. **Shri Chiranjib Jha :**
Shri Dharamrao Sharanappa Afzalpurkar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published under the caption "Chuhon ke karan Ann Sankat mein Vriddhi" (Food problem becoming more acute due to rat menace) in the issue of 10th March, 1973 of the daily Hindi 'Pradeep' published from Patna; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) A country-wide programme, namely, 'Save Grain Campaign' has been launched to educate the farmers and other agencies storing foodgrains on the scientific methods of rat control. The programme is being further intensified.

कल्याण विस्तार परियोजनाओं को समेकित परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजनाओं में बदलना

*912. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की 31 कल्याण विस्तार परियोजनायें तथा एक समेकित प्रदर्शन शिशु कल्याण परियोजना को समेकित परिवार तथा शिशु कल्याण परियोजनाओं में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या ये परियोजनायें केन्द्र द्वारा लचाई जानी हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) एक परिवार और बाल कल्याण परियोजना में एक मुख्य केन्द्र और पांच उपकेन्द्र होते है, जिनमें बच्चों विशेषकर स्कूल-पूर्व बच्चों को समेकित सेवाएं तथा गृह-कला, मातृकला; स्वास्थ्य शिक्षा, पौष्टिक आपोहार और बच्चों की देखभाल के सम्बन्ध में स्त्रियों को मूल प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मध्य प्रदेश में 1973–74 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 22 लाख रुपए (लगभग) की धनराशि निश्चित की गई है ।

नई दिल्ली में सफदरजंग में ऊपरि पुल के निर्माण स्थल से इस्पात का गायब हो जाना

***915. श्री भान सिंह भौरा :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल 1973 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली में सफदरजंग में ऊपरि पुल के निर्माण स्थल से 50 टन इस्पात गायब पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रत्यक्ष जांच करने पर लगभग 56 मीट्रिक टन इस्पात कम पाया गया । विस्तृत जांच के लिए मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है ।

(ग) जांच अभी चल रही है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में डिप्लोमा पत्रकारिता पाठ्यक्रम लागू करना

***918. श्री डी० बी० चन्द्रगोडा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम लागू करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है । तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वित्तीय सहायता के एक प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी है जिसमें पत्रकारिता में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ।

पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए सहायता के वास्ते किसी अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय का कोई प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थापत्य सहायकों के पद के लिए न्युनतम अर्हताएं

*919. **श्री पीलू मोदी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थापत्य-सहायकों के पद के लिए क्या न्यूनतम स्थापत्य एवं शैक्षणिक अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ;

(ख) सहायक स्थपतियों और स्थपतियों आदि के उच्चतर पदों पर विभागीय पदोन्नति के लिए अनिवार्य स्थापत्य एवं शैक्षणिक अर्हतायें क्या है;

(ग) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में सहायक स्थपतियों और स्थपतियों के पदों पर उक्त अर्हताओं के बिना कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(घ) क्या अधीनस्थ पदों पर कार्य करने वाले स्थापत्य स्नातकों को पदोन्नति के लिए तरजीह दी जाती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थापत्य-सहायक के पद की सीधी भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हता स्थापत्यकला में इण्टरमीडिएट (मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम) है ।

(ख) स्थापत्य-सहायकों से सहायक स्थपति के ग्रेड में पदोन्नति के लिए या सहायक स्थपतियों से स्थपति के ग्रेड में पदोन्नति के लिये कोई पृथक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित नहीं है। तथापि इन ग्रेडों में स्नातक तथा गैर-स्नातक स्थपतियों की पदोन्नति के लिये निम्न ग्रेडों में कुछ न्यूनतम पात्रता अवधि निर्धारित की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, हां । सहायक स्थपति तथा स्थपति के ग्रेड में पदोन्नति के लिये पात्र माने जाने से पूर्व स्थापत्यकला के स्नातकों को गैर-स्नातकों के लिए अपेक्षित सेवा की अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के विपरीत क्रमश: स्थापत्य सहायक के ग्रेड में में कम से कम 5 वर्ष की सेवा तथा सहायक स्थपति के ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा करनी आवश्यक है ।

चेचक के टिके लगाने में कार्यक्रम के लिए रक्षित विशेष राशि

*920. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में चेचक के टीके लगाने के कार्यक्रम के लिए कोई विशेष राशि आरक्षित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को इस योजना से लाभ हुआ है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभ पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) इस योजना से सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को लाभ हुआ है ।

विवरण

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिरक्षण कार्यक्रमों को केन्द्रीय पोषित योजनाओं के रूप में क्रियान्वित कर रहा है :

(i) चेचक से बचाव के लिए चेचक का टीका ।
(ii) क्षय रोग से बचाव के लिए बी० सी० जी० का टीका ।

(iii) डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टैटनस से शिशुओं और पूर्व स्कूल आयु के बच्चों की प्रतिरक्षा।

(iv) गर्भवती माताओं का टेटनस से बचाव ।

(i) चेचक का टीका :

देश भर में चेचक का टीका लगाने के लिए राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों को 1973–74 के बजट में 225 लाख रुपये की धन राशि की व्यवस्था की गई है। जमा कर सुखाई गई वैक्सीन (दोनों रूसी तथा स्वदेशी) विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षत्रों को सप्लाई की जाती है और ऐसी वैक्सीन का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 1–4–69 के बाद भरती किए गये अतिरिक्त टीका लगाने वालों तथा अन्य सहायक कर्मचारियों पर होने वाला सारा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है । टीका लगाने वाले कर्मचारियों की गतिशीलता में वृद्धि लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य गठन से प्राप्त किये गये वाहन राज्यों को भी दिये जा रहे हैं ।

(ii) टी०बी० से बचाव के लिए बी०सी०जी० का टीका :

विभिन्न राज्यों में स्थापित जिला टी० बी० क्लिनिकों के माध्यम से बी० सी० जी० टीका लगाने का काम राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के एक अंग के रूप में किया जा रहा है । इन क्लिनिकों में बी० सी० जी० दलों की नियुक्ति की जाती है जो चारों ओर जाकर आवश्यक टीका लगाते हैं । 1973–74 में बी० सी० जी० वैक्सीन के खर्च की पूर्ति के लिए 17.20 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । अब तक 297 बी० सी० जी० दलों का गठन किया जा चुका है जिनमें से 225 दल चौथी योजना के शुरू में काम कर रहे थे । भारत सरकार इन अतिरिक्त 72 दलों का खर्च पूरा करेगी जिसकी सीमा 25,000 रुपये प्रति दल होगी ।

(iii) शिशुओं और स्कूल जाने की आयु से कम आयुवाले बच्चों में रोग की रोकथाम :

28.47 लाख शिशुओं और स्कूल जाने की आयु से कम आयुवाले बच्चों का डी० पी० टी० से और 5.35 लाख गर्भवतियों का टेटनस से बचाव करने के लिए 1973–74 में 15.84 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । ये रोग बचाव कार्यक्रम, प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं ।

बसन्त बिहार, नई दिल्ली में एक रिहायशि इमारत में 'माडर्न बाजार'

8540. **श्री मुहम्मद युसुफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बसन्त बिहार नामक दिल्ली की एक कालोनी की एक रिहायशी इमारत में 'माडर्न बाजार' नाम से एक दुकान चल रही है जिसमें आयातित और भारतीय वस्तुएं बची जाती हैं ;

(ख) क्या इस फर्म को रिहायशी इमारत में इन वस्तुओं के बेचने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इमारत का दुरुपयोग रोकने के दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली विकास अधिनियम के अधीन किरायेदार तथा मकान-मालिक के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया गया है तथा प्लाट के उप-पटटे को रद्द करने की कार्यवाही भी मकान-मालिक के विरुद्ध की जा रही है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के शिक्षण कार्य में गिरावट

8541. श्री डी० बी० चन्द्रगोडा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पष्ट उद्देश्यों तथा मानक पाठ्यक्रम और बाहरी तथा निष्पक्ष परीक्षकों के अभा में भारतीय प्रौदयोगिकी संस्थान, दिल्ली के शिक्षण कार्य में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संस्था के प्रशासन को सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) संस्थान के विजिटर की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च, 1970 में एक पुनरीक्षण समिति नियुक्त की गई थी । जबसे यह संस्थान शुरू हुआ है तबसे लेकर इसके कार्य और प्रगति का पुनरीक्षण इस समिति को करना था । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1972 में प्रस्तुत कर दी थी । यद्यपि इस समिति ने संस्थान को अपने उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त करने के संबंध में विभिन्न उपाय सुझाए हैं, तथापि इसने इसके शैक्षणिक स्तर में गिरावट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है । अवर स्नातक अध्ययन के परिशोधित पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या और पाठ्क्रमों को आधुनिक बनाने के प्रयत्न सहित और प्रौद्योगिकी के नवीनतम विकासों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरिंग शिक्षा को बिल्कूल नए ढंग से विकसित करने के लिए उन्होंने अवर स्नातक अध्ययन की परिशोधित योजना का स्वागत किया है ।

(2) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली का यह विचार है कि जब से इसकी स्थापना हुई है इसके शैक्षणिक स्तरों में लगातार सुधार हुआ है । एक ऐसे संतुलित तथा विस्तृत आधार पर आधारित पाठ्यचर्या के जरिए देश में विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा के उच्चतम स्तर को प्रोन्नत करने का संस्थान का लक्ष्य है जो छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिए प्रत्येक अवसर प्रदान करती है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थान की अवर स्नातक पाठ्यचर्या भौतिक विज्ञान और कर्मशाला तकनीकी को व्यावहारिक जानकारी की प्रबल समझ-बूझ पर आधारित है । प्रथम दो वर्षों में समाज विज्ञान की शिक्षा दी जाती है ।

(3) उत्तर स्नातक कार्यक्रमों की रूप रेखा इस ढंग से बनाई जाती है जिससे इसमें विशिष्ट क्षेत्रों में व्यापक अध्ययन के साथ अनुसंधान रीति विज्ञान और डिजाइन में कठोर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो । ज्ञान के विशेष क्षेत्र में हाल ही में जो प्रगति हुई है उसका विशेष अध्ययन करने की व्यवस्था करना भी इसका लक्ष्य है । जबकि मूल अनुसंधान आवश्यक समझा गया है संस्थान का यह विचार है कि खास जोर उन समस्याओं पर दिया जाना चाहिए जिसका औद्योगिक विकास से सीधा संबंध है । कुछ विभागों ने उपस्करों तथा उपकरणों की रूप रेखा तैयार की है अथवा उनका विकास किया गया है । यह संस्थान परामर्श देने का कार्य भी करता है । इस प्रकार के कार्यकलापों का ब्यौरा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है । संस्थान के सभी शैक्षणिक विभागों में सक्रिय अनुसंधान कार्यक्रमों में साथ साथ प्रगति हो रही है । छात्रों के निष्पादन और अन्य शैक्षणिक विचाराधाराओं पर प्रतिवर्ष अपनी अपनी पाठ्य समितियों द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के विषय वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है । और किसी एक विशेष पाठ्यक्रम के विशेष वस्तुओं को नियमित अवधि पर विकासात्मक आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

(4) भारतीय प्रौद्रयोगिकी संस्थान, दिल्ली के पास पिछले वर्ष तक बाह्य परीक्षक होते थे परन्तु ये कोई लाभकारी नहीं पाए गए थे तथापि संस्थान में वार्षिक परीक्षा परिणामों पाठयक्रमों के स्तर आदि पर आने विशिष्ट विचारों को देने के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए बड़े प्रख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित करने की पद्धति है ।

(5) उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की वर्तमान पद्धति यह है कि ये दो परीक्षकों द्वारा जांच किए जाते हैं । इनमें से एक अध्यापक हैं और दूसरा विषेय विशेषज्ञ है जिससे पाठ्यक्रम के अध्यापन में भाग नहीं लिया है । इस प्रकार से मूल्यांकन प्रणाली निष्पन्न है ।

(6) संस्थानों के प्रौद्योगिकी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संस्था के सीनेट का संस्थान की प्रशिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के स्तरों को बनाए रखने का उत्तरदायित्व है और उसी का नियंत्रण एवं सामान्य विनियमन होना चाहिए । सीनेट एक उच्च अधिकार प्राप्त शैक्षणिक संस्था है । प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि संस्थान में सामान्य पर्यवेक्षण निदेशन और उसके कार्यकलापों पर नियंत्रण का उत्तरदायित्व संस्थान के अधिशासी बोर्ड का होना चाहिए । यह एक संभ्रम तथा उच्च अधिकार प्राप्त संस्था है ।

इंडिया फाउन्डेशन, पूना द्वारा छात्रवृत्ति दिया जाना

8542. श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियां फाउन्डेशन, पूना नामक किसी संस्था को सरकार की ओर से अमरीका और पश्चिमी योरोप में छात्रों को छात्रवृत्तियां, व्याजमुक्त ऋण और निःशुल्क आने-जाने की सुविधाएं देने का अधिकार है,

(ख) क्या सरकार ने इस संस्था की सदस्यता की जांच की है, और

(ग) क्या उन्होंने स्वयं पता लगा लिया है कि यह संस्था अवांछनीय विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों पर पर्दा डालने वाली संस्था नहीं है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Institutions Imparting Education to Tibetan Children

8543. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number and names of the institutions in the country which are engaged in the work of imparting education to Tibetan children;

(b) the amount of assistance being given to them at present; and

(c) the extent to which the amount of assistance would be increased in coming years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Metam) (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

लद्दाख में स्वास्थ्य के विकास और संवर्धन के लिए विश्वस्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

8544. श्री कुशोक बाकुला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में स्वास्थ्य के विकास और संवर्धन के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम अथवा विश्व स्वास्थ्य

संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता से कितनी योजनायें आरंभ की गई हैं या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 1971-72 के दौरान लद्दाख के लेह क्षेत्र में जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा एक जिला क्षयरोग केन्द्र पहले ही खोला जा चुका है । 18 जुलाई 1972 को यूनिसेफ भण्डार से उपर्यूक्त केन्द्र को एक गाड़ी दी गई तथा थूक के सूक्ष्मदर्शिकी कार्य करने के लिये 26 अगस्त, 1972 को यूनिसेफ भण्डार से एक खुर्दबीन दिया गया । इस केन्द्र को एक्स-रे यूनिट तथा प्रयोगशाला उपकरण आदि का एक सेट यथासमय दे दिया जायेगा । विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा अन्य अर्न्तराष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा लद्दाख जिले में क्षयरोग कार्यक्रम के विकास के लिये कोई सहायता नहीं दी जा रही है । राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वेक्षण, शिक्षण एवं उपचार (एस० ई० टी०) के दो केन्द्र खोले जा चुके हैं, जिनमें से एक जिला अस्पताल लेह से और दूसरा लद्दाख में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कार्गिल से सम्बद्ध है । कम स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में स्थित कुष्ठ नियंत्रण एकक अथवा केन्द्रों के लिये कोई यूनिसेफ सहायता उपलब्ध नहीं है ।

लद्दाख स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र यूनिसेफ सहायता पाने के हकदार केवल तभी हो सकते हैं जब निर्धारित मानदण्ड पूरा करते हों । परन्तु चूंकि लद्दाख स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इस मानदण्ड को पूरा नहीं करते, इसलिये उन्हें कोई यूनिसेफ सहायता नहीं दी गई है ।

तिलहन की मांग, सप्लाई और कमी

8545. श्री रणबहादुर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में देश में तिलहन की मांग और सप्लाई के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्राक्कलन क्या है : और

(ग) देश में तिलहन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) यद्यपि वर्ष 1972–73 की अवधि में देश में तिलहन की मांग और सप्लाई के पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं है, तथापि यह अनुमान लगाया जाता है कि खरीफ, 1972 के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण मूंगफली की फसल को हानि पहुंचने से तिलहन की सप्लाई में कमी आई है ।

(ग) देश में तिलहन की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) तिलहन और विशेषकर ग्रीष्मकालीन मूंगफली के बड़े क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ।

(ii) सूरजमुखी तथा सोयाबीन के क्षेत्र में विस्तार करना ।

(iii) तोरिया-सरसों को अफिडस के आक्रमण से बचाने के लिए व्यापक पौध रक्षण उपाय करना ।

(iv) वनस्पति बनाने में बनौले तथा चावल की भूसी के तेल और साबुन बनाने में चावल भूसी के तेल और वृक्ष मूलक तेलों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए अधिक वित्तीय प्रोत्साहन देना ।

(v) वनस्पति बनाने में कम से कम 15 प्रतिशत बनौलों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है।

(vi) वर्ष 1972–73 के दौरान देश में खाद्य तेलों की देशीय सप्लाई को बढ़ाने के लिए अब तक 10,000 मीटरी टन पाम आयल, 10,000 मीटरी टन तोरिया का तेल और 25,000 मीटरी टन सोयाबीन का तेल आयात किया जा चुका है। यह आयात खाद्य अनुदान के लिए कनाडा द्वारा मुफ्त दिए जा रहे लगभग 80,000 तोरिया के बीजों के अतिरिक्त है। साबुन के बनाने में इस्तेमाल करने के लिए चालू वर्ष में लगभग 75,000 मीटरी टन चर्बी आयात करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। खाद्य तेलों के और अधिक आयात के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

High level meeting on production of Sugarcane

8546. Shri Rana Bahadur Singh : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a high level meeting was held by Government to discuss the problems in regard to production of sugarcane in the country; and

(b) if so, the names of the States whose representatives had participated in the said meeting and the decisions taken therein ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) A meeting of the representatives of Central Government and the States of Uttar Pradesh, Bihar, Punjab, Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh was held in December 1972 to consider measures for stepping up sugarcane production in the country. It was suggested in the meeting that steps should be taken to arrange production and multiplication of disease-free seed and adoption of plant protection measures in compact blocks around each sugar factory. Based on the suggestions made at the meeting, a Centrally Sponsored Scheme has been prepared which is now under the consideration of the Government of India.

मध्य प्रदेश में निजी संसाधनों से सिंचित भूमि के छोटे किसानों को रियायत

8547. श्री रणबहादुर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश में निजी संसाधनों से सिंचित भूमि के किसानों को कुछ रियायत दी जायेगी ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य में इस काम की पेचीदगी को देखते हुए इस अवस्था में उर्वरक पर आधारित भूमि का वर्गीकरण करने का भी प्रयत्न किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। 1972 में मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा निर्धारण अधिनियम, 1960 में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार संशोधन किया गया था।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार द्वारा भूमि का और वर्गीकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकार द्वारा गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लिए जाने के काम में अनाज के व्यापारियों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील

8548. श्री बरकेजार्ज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्री ने अनाज के थोक व्यापारियों से अपील की थी कि वे देश में गेहूं का थोक व्यापार सरकार के हाथ में लिए जाने की योजना के संबंध में सरकार के साथ सहयोग करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और सरकार को व्यापारियों से कितना सहयोग मिला है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) नारनौल (हरियाणा) में 20-4-73 को अपने भाषण के दौरान गृह मन्त्री ने थोक व्यापारियों से देश में थोक व्यापार लेने की सरकार की योजना में सहयोग देने के लिए अपील की थी । उनकी अपील का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत से अनुरोध करना नहीं था बल्कि समुदाय के समूचे वर्ग से अनुरोध करना था ।

पत्तन विकास परियोजनाओं के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यय की जाने वाली धनराशि

8549. श्री वरके जार्ज : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्तन विकास परियोजनाओं के लिए पत्तन वार पांचवी पंच वर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि व्यय की जानी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : पांचवी योजना के प्रस्तावों पर अभी तक विचार किया जा रहा है और उन्हे अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

Inter State Roads and Bridges in M. P.

8550. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether the Central Government have received from the Madhya Pradesh Government some proposals for the construction of Inter-States roads and bridges in Madhya Pradesh and in the adjoining areas of the State of Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra and Orissa and if so, the action taken by the Central Government thereon;

(b) the time by which these proposals would be approved by the Government and whether the Central Government have given their approval for construction of inter-State roads and bridges to any other State so far;

(c) if so, the names of such States and the amount proposed to be given to them for this purpose; and

(d) if the answer in regard to Madhya Pradesh is in the affirmative, whether the fact that the area and circumference of Madhya Pradesh is 7200 kilometres and it is surrounded by 7 States as compared to other States, has been taken into account ?

The Minister of the State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) to (d) The proposals for assistance in the Fifth Five Year Plan under this Central Aid Programme for State Roads/Bridges of inter-State or Economic Importance have been received from the Government of Madhya Pradesh. This proposals will have to be considered while formulating proposals for the Fifth Five Year Plan along with similar other proposals received from other States keeping in view the funds available for the purpose and the *inter-se* priorities of the various proposals on an all-India basis.

2. The Government of India have, however, agreed to provide a total loan assistance of Rs. 171.50 lakhs to the Government of Madhya Pradesh for certain road/bridge works, of inter-State or Economic Importance under Central Aid Programme during the Fourth Plan period, which has been decided upon after considering *inter-se* priorities amongst. proposals received from all States during the current Plan period and the Plan allocation available.

3. Broadly speaking, following categories of road/bridge projects are eligible for consideration under the programme of State Roads/Bridges of Inter-State or Economic Importance :—

(i) Inter-State roads/bridges for ensuring through communications;

(ii) Roads/Bridges required for opening up new areas to which railway facilities cannot be provided in the near future; and

(iii) Roads/bridges which can contribute materially to rapid economic development e.g. in hilly areas and places having rich mineral resources for exploitation.

Amount to Madhya Pradesh for drinking water in rural and Urban areas in the First year of the Fifth Plan

8551. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state the amount proposed to be given to Madhya Pradesh by the Central Government for implementation of the scheme for drinking water in rural and urban areas during the first year of the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): The Fifth Five Year Plan allocation has not yet been firmly made. The specific allocation for Madhya Pradesh in the first year of the Fitfh Plan will be known after the Fifth Plan is finalised.

Grants to Institutions in Ratlam District of Madhya Pradesh

8552. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Ratlam District in Madhya Pradesh which were given grants during the financial year 1971-72 and 1972-73 indicating the amount of grants given to each of these institutions by the Ministry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : A statement showing the grant given by the Ministry of Education and Social Welfare to institutions in Ratlam District in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73 is attached.

Statement

S. No.	Name of the Institution	Grant paid during 1971-72	Grant paid during 1972-73
1.	Govt. College, Ratlam	43,125.00	1,13,275.00
2.	Govt. College, Jaora (District Ratlam)	14,625.00	1,29,375.00
3.	Govt. Girls College, Ratlam	8,125.00	500.00
4.	Mahidpur College, Mahidpur (Ratlam)	2,500.00	..
5.	Nagar Palika Law College Ratlam	5,000.00	5,000.00
6.	Sarvodaya Gram Seva Sangh, Luni (Ratlam)	900.00	900.00
7.	Nootan Bal Mandir, Station Road, Ratlam	1,400.00	1,057.00
8.	Indira Mahila Mandal, Sailina Ratlam District	..	1000.00
9.	Indira Mahila Mandal, Jaroa (Ratlam)	..	1,000.00
10.	Alote (District Ratlam)	19,900.00	19,200.00
11.	Welfare Extension Project (CD) Alote (District Ratlam)	4,000.00	7,402.00
12.	Sarvodaya Gram Seva Sangh, Lurai, Ratlam	500.00	1057.00

Grants to Institutions in Durg District of Madhya Pradesh

8553. Shri Hukum Chand Kachwai: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the names of the institutions in Durg District in Madhya Pradesh which were given grants during the financial year 1971-72 and 1972-73 indicating the amount of grants given to each of these institutions by the Ministry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : A statement showing the grant given by the Ministry of Education and Social Welfare to institutions in Durg district in Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73 is attached.

Statement

Sl. No.	Name of the Institution	Grants paid during 1971-72	Grant paid During 1972-73
1	Govt. Arts & Science College, Durg . .	66,450.00	8,365.00
2	Digvijaya Mahavidyalaya, Rajnand-Gaon. (District Durg)	18,700.00	79,375.00
3	R.C.S. Arts & Commerce College, Durg . .	4,625.00	1,000.00
4	Kalyan Arts & Commerce College, Bhilainagar (District Durg)	4,625.00	1,000.00
5	Pt. Jawaharlal Nehru Science & Arts College, Bemetara (Durg)	8,125.00	
6	Kamla Devi Mahila Mahavidyalaya, Rojnand Gaon (Durg)	14,358.00	1,875.00
7	Law College, Rojnand-Gaon (District Durg) .	5,000.00	9,375.00
8	R.C.S. Law Collage, Durg	6,592.00	3,750.00
9	Milan Sang, 10, A Street No. 6 Sector, Bhilai (Durg) .		1,000.00
10	Mahila Mandal, Lalabod, Durg.	1,877.00	2,812.00
11	Pre-Primary School, Bhilai (Durg)	500.00	1,057.00

Posts Lying vacant in Central Hindi Directorate

8554. Shri R. V. Bade : Will the **Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a number of posts are lying vacant in the Central Hindi Directorate at present; and

(b) if, so the reasons for not making appointments against those vacant posts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) A statement is attached.

Statement

Sl. No.	Designation of the post	No. of posts vacant	Present position
1	General Editor .	1	The proposal for filling this post is under consideration of the Ministry and decision is expected to be taken soon.
2	Assistant Education Officers .	2	One of the post of A.E.O. (Urdu) has been advertised and applications received in response to this advertisement are under scrutiny. The second post of A.E.O. (Sindhi) is being advertised.
3	Evaluators	11	These posts have already been notified to the U.P.S.C. on 9-1-73 and recommendations of the Commission are awaited.
4	Technical Assistant . .	1	Candidates sponsered by the Employment Exchange are being called for interview shortly.
5	Stenographer (Jr.) . . .	2	One post is lying vacant in the Regional Office, Madras for which a requisition has been sent to the Employment Exchange on 29-1-73. The second post had been advertised on 19-3-73 and the applications so received are under scrutiny.
6	Daftry	3	These posts will shortly be filled up from amongst departmental candidates by the Departmental Promotion Committee.
7	Packer	4	
8	Farash . . .	1	Nominations have been received from the Employment Exchange on 16-3-73 and the candidates are being called for interview.
9	Peon	1	The post has been notified to the Employment Exchange on 19-1-73 and nominations are still awaited.

त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली को आबंटित भूमि

8555. श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली को अपने छात्रों और कर्मचारियों के लिये होस्टल बनाने हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई हैं ;

(ख) उनको इमारत सहित भूमि का कब्ज़ा कब दिया गया था ; और

(ग) ऐसी अन्य संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको गत दस वर्षों में इमारत सहित भूमि का कब्जा दिया गया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) एक कला केन्द्र के निर्माण तथा विस्तार के लिए त्रिवेणी कला संगम को 0.604 एकड़, 0.224 एकड़ तथा 272 वर्ग गज के तीन प्लाट क्रमश: मई, 1954, मार्च, 1971 तथा नवम्बर, 1971 में आवंटित किए गए थे । इसके विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के लिए होस्टल के निर्माण हेतु विशषतौर पर कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी । मार्च तथा नवम्बर, 1971 में किए गए आवंटन की एक शर्त यह है कि विद्यार्थी-कलाकारों को वास देने के लिए, जिनकी संख्या 8 से अधिक न हो, इमारत के ऊपर एक छोटा-सा होस्टल बनाने की अनुमति दी जाएगी ।

(ख) 0.244 एकड़ की दूसरी स्वीकृति के अन्तर्गत आने वाले 4 फ्लैटों में से अब तक तीन फ्लैटों का कब्जा उनके नीचे की भूमि के साथ दे दिया गया है, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है —

(i) फ्लैट संख्या 24 निचली मंजिल तानसेन मार्ग	28-10-71
(ii) फ्लैट संख्या 26 निचली मंजिल तानसेन मार्ग	19-11-71
(iii) फ्लैट संख्या 26, ऊपर की मंजिल तानसेन मार्ग	6-3-72

ऊपरी मंजिल का चौथा फ्लैट नम्बर, 24, अभी तक हस्तान्तरित नहीं किया गया है क्योंकि इसके वर्तमान दखलकार ने इसे अभी तक खाली नहीं किया है ।

(ग) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय खाद्य निगम में कृषि स्नातक, स्नातकोत्तर और कृषि इंजीनियर

8556. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1972 को भारतीय खाद्य निगम में कुल कितने कृषि स्नातक और स्नातकोत्तर तथा कृषि इंजीनियर (स्नातक और स्नातकोत्तर) नियुक्त थे ;

(ख) क्या अनाज के थोक व्यापार को अपने नियंत्रण में लेने की योजना के अन्तर्गत गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है; और

(ग) क्या इन बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम को अनेक कृषि स्नातकों और इंजीनियरों की आवश्यकता होगी जो अनाज का भंडार बनाने में प्रशिक्षण प्राप्त होंगे, और यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होने के अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बढ़ी हुई जिम्मेदारी की दृष्टि में, भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के भण्डारण का मूलभूत प्रशिक्षण प्राप्त और कृषि स्नातकों और इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन इस समय ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

अतिरिक्त क्षेत्र पर मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम राशि का दिया जाना

8557. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जिन व्यक्तियों के पास 300 वर्ग गज का प्लाट है, वे पुराने नियमों अनुसार प्लाट के कुल क्षेत्र के केवल 50 प्रतिशत भाग पर मकान बना सकते ह और क्या वर्ष 1964 में नगरपालिका ने कुल क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग पर मकान बनाने की अनुमति दी थी ;

(ख) क्या वे सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 35,000 रुपये तक केन्द्रीय सरकार से गृह निर्माण ऋण प्राप्त किया था, जो वर्ष 1964 में अधिकतम राशि दी जा सकती थी-10 प्रतिशत अतिरिक्त क्षेत्र पर मकान बनाने के लिये, जिसे वे नहीं बना सके थे, और ऋण प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकते हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार गृह निर्माण ऋण सम्बन्धी नियमों के अधीन एक अधिकारी जिसने मूल ऋण का भूगतान कर दिया है वर्तमान मकान का विस्तार करने के लिये और ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भेज सकता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है यह बात ठीक है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । भवन निर्माण अग्रिम नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारी को उसके समस्त सेवा काल में केवल एक ही बार भवन निर्माण-अग्रिम देय है ।

केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में तीसरे कृषि फार्म का खोला जाना

8558. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम जिले में एक तीसरा कृषि फार्म खोलने का है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार का विचार किस प्रकार की सहायता देने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि त्रिवेन्द्रम जिले में तीसरा सामूहिक फार्म स्थापित किया जाए । फार्म की स्थापना के लिए वास्तविक स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय कृषि सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग तथा वन विभागों के प्रतिनिधियों के एक दल द्वारा किया जाएगा ।

(ख) सामूहिक फार्म को केरल सहकारी समिति अधिनियम (1969 का अधिनियम 21) के अंतर्गत सहकारी समितियों की एक विशेष संस्था के रूप में रजिस्टर किया जाएगा । सामूहिक फार्म के सदस्यों का चयन उसी जिले से किया जाएगा जिसमें सामूहिक फार्म स्थापित किया जाना है । सामूहिक फार्मों के लिए सक्रियरूप से कार्य करने वाले उन दम्पत्तियों को ही चुना जाएगा जो दोनों ही कृषि श्रमिक हों जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो और जिनके पास कुदी किदाप्पू अधिकार वाली अपनी भूमि न हो ।

भारत सरकार द्वारा प्लान स्कीमों के लिए दी जाने वाली सहायता के अतरिक्त राज्य सरकार ने राज्य में सामूहिक फार्म की स्थापना के लिए कोई विशेष सहायता नहीं मांगी है ।

केरल मे नेहरु युवक सेंटर

8559. **श्री वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में नेहरू युवक सेंटर आरम्भ करने में कितनी प्रगति हुई है और इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है और अब तक कितनी खर्च की गई है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 के लिए इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस प्रयोजन के लिए आरम्भ किए जाने वाले निर्माण कार्यों की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) वर्ष 1972-73 के दौरान केरल राज्य के लिए तीन नेहरू युवक केन्द्र निर्धारित किए गए थे । ये केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं। वर्ष 1972-73 में इन केन्द्रों के लिए 45,000 रु० की राशि निर्धारित की गई थी। अब तक केरल में कोई भी खर्चा नहीं किया गया है ।

(ख) इस योजना में वर्ष 1973-74 में प्रत्येक केन्द्र पर 40,000 रु० खर्च करने की परिकल्पना है । इन केन्द्रों के लिए जो न्यूनतम कार्यक्रम सुझाया गया है, उसमें खेल सम्बन्धी कार्यकलाप, सांस्कृतिक कार्यकलाप, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ साक्षरता शामिल हैं ।

केरल स्पोर्ट्स कौन्सिल का स्पोर्ट्स स्कूलों के लिए अनुरोध

8560. **वयालार रवि :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्पोर्ट्स कौंसिल ने केरल में एक स्पोर्ट्स स्कूल चलाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम):

(क) जी, हां ।

(ख) खेल-कूदों के स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है ।

केरल में 'मोपला बेफिशिंग हार्बर' के निर्माण के सम्बन्ध में हुई प्रगति

8561. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 'मोपला बे फिशिंग हार्बर' परियोजना के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या निर्धारित समय के अनुसार काम चल रहा है ; और यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जून, 1965 में, जबकि मत्स्यन बन्दरगाह का निर्माण सम्बन्धी कार्य राज्य की एक योजना के अनुसार होना था, राज्य सरकार ने मोपला खाड़ी में माल उतारने और चढ़ाने की सुविधायें बढ़ाने के लिए लगभग 31.50 लाख रुपए की लागत से कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस अनुमान में ब्रेकवाटर और खाड़ी से मिट्टी निकालने की व्यवस्था भी शामिल है । इस योजना को वर्ष 1966-67 में 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान तथा 1-4-1967 से 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जानी

चाहिये थी। शेष कार्यों और अतिरिक्त मदों के अनुमानों की स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्ताव वर्ष 1967 के बाद समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। प्रारम्भ में प्रस्तावित 1000 फुट लम्बे ब्रेकवाटर में से वर्ष 1972 के अन्त तक 800 फुट का निर्माण पूरा हो चुका था। इसके अतिरिक्त एक घाट, पहुंच मार्ग और नीलाम हाल की भी व्यवस्था की गई थी।

(ख) ब्रेकवाटर के निर्माण और खाड़ी से मिट्टी निकालने के कार्य में विलम्ब हुआ है। खाड़ी में शीघ्रता से गाद इकट्ठी होने के कारण मई, 1969 में ब्रेकवाटर के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया था, क्योंकि बन्दरगाह के डिज़ाइन का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया था। एक अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ की सहायता से गाद आदि से भरे तटों की जांच-पड़ताल की गई। इस जांच-पड़ताल के आधार पर राज्य सरकार ने निम्न कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजे थे :—

1. संशोधित रूप-रेखा के अनुसार ब्रेकवाटर को पूरा करना।

2. ब्रेकवाटर के फोर्ट कार्नर पर सुरक्षात्मक कार्य करना।

3. वर्तमान रोड़ी-टीले पर टी-एडीशन की व्यवस्था करना।

4. एक 'सेंड' टैप की व्यवस्था करना।

इन मदों में से फोर्ट कार्नर की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों के लिए भारत सरकार ने मई, 1971 में स्वीकृति प्रदान कर दी थी। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था और अब लगभग पूरा होने वाला है। जहां तक अन्य अन्तर-सम्बन्धित मदों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से एक समेकित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।

मत्स्य उद्योग के विकास हेतु योजना

8562. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में मत्स्य विकास के लिये एक बड़ी योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) राज्य और केन्द्रीय मात्स्यकी योजनाओं में, जिनके लिए चौथी योजना में 73 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, भारत के समुद्री और अन्तर्देशीय क्षेत्रों में मात्स्यकी उद्योग के विकास की एक बृहद योजना शामिल है। योजना में समुद्री क्षेत्र में मुख्यत: तटीय और गहरे समुद्री क्षेत्रों के यंत्रीकृत मत्स्यन के विकास और संसाधन सर्वेक्षण, मत्स्यन बदरगाहों, पशीतन, मत्स्यन शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के रूप में अवस्थापना संबंधी सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अन्तर्देशीय क्षेत्र में प्रजनन तथा नर्सरी की सुविधाओं का विकास करके बढ़िया किस्म के डिम्पोना की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। योजना आयोग के परामर्श से पंचम योजना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाना है। आशा है कि अपनाए जा चुके विकास के मुख्य प्रतिमान प्राय: आगे भी जारी रहेंगे और इनके साथ ही साथ मत्स्यन-ग्रामों में सुविधाये बढ़ाने और चौथी योजना में प्राप्त किए गए अनुभव की पृष्ठभूमि में मत्स्यन बन्दरगाहों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास को तेज़ करने के संबंध में योजनाओं पर और अधिक बल दिया जाएगा। तटीय यंत्रीकृत मत्स्यन विकास का कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है और आशा है कि चौथी योजना में 5500 यंत्रीकृत नौकाये प्रयोग में लाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। समुद्री उत्पादों के निर्यात से वर्ष 1968 में 22.08 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई थी जो कि वर्ष 1972 में बढ़कर 58.13 करोड़ रुपये हो गई और यह वृद्धि काफी हद तक इस कार्यक्रम के कारण ही सम्भव हो सकी है। परन्तु, गहन समुद्र मत्स्यन विकास की गति आशा से काफी कम रही है। चौथी योजनावधि में समुद्र में मछली पकड़ने के 300 पोतों प्रयोग का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु अब तक केवल 50 पोत का ही प्रयोग

शुरू हो सका है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को बढ़ाने के लिये साधारण ढंग के 50 पोत आयात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। व्यवस्था की गई है कि 18 महीनों की अवधि में आयात और तद्-नुरूप देशी पोतों का निर्माण 2 वर्षों की अवधि में पूरा हो जाये। समुद्री मात्स्यकी के क्षेत्र में सहयोग के विषय में पोलैण्ड सरकार के साथ एक करार भी हुआ है।

केरल स्पोर्टस कौन्सिल का केरल में एक रिजनल कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए अनुरोध

8563. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्पोर्टस कौन्सिल ने एन० आई० एस० की पूर्ण सहायता द्वारा केरल में एक रिजनल कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिये अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) केरल खेल-कूद परिषद् ने नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान, पटियाला, को सूचित किया है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अनुसार त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ करने की प्रारंभिक व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी थी। फिर भी, उन्होंने सलाह दी है कि इस सम्बन्ध में वे आगे पत्र-व्यवहार करेंगे।

इस सम्बन्ध में जैसे ही उनका पत्र प्राप्त होगा, उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

जनकपुरी से लाजपतनगर और नई दिल्ली/दिल्ली रेलवे स्टेशन तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा

8564. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी से लाजपतनगर क्षेत्रों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो क्या जनकपुरी के निवासियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए जनकपूरी से उक्त क्षेत्रों के लिए बसें चलाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) यह सच है कि इस समय जनकपुरी और लाजपत नगर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली जंक्शन के बीच कोई सीधी बस सेवा नहीं है।

(ख) जनकपुरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जोड़ने हेतु एक मिनी बस मार्ग चालू करने का प्रस्ताव है। वर्तमान बस बेड़ा इस समय इस स्थिति में नहीं है जिससे कि दिल्ली परिवहन निगम जनकपुरी से लाजपत नगर और दिल्ली जंक्शन के बीच सीधी बस सेवाएं उपलब्ध कर सके। ऐसी अंतरयोजक अथवा सीधी सेवाएं निगम के बेड़े में वृद्धि करने से धीरे धीरे उपलब्ध की जा सकती है। उपरोक्त प्रस्ताव पर भी उस समय विचार किया जाएगा जब निगम के बस बेड़े में सुधार हो जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की जनकपुरी कालोनी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उपलब्ध करना

8565. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में 11 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनकपुरी के उन ब्लाकों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं कब तक उपलब्ध करने का विचार है जिनमें अब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को सम्मिलित करने की स्थिति पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय निरन्तर विचार कर रहा है। नंगल राया में 1 दिसम्बर, 1970 से एक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय काम कर रहा है ; जनकपुरी के ब्लाक डी और ब्लाक सी के कुछ छोटे ब्लाकों में पहले से ही नंगल राया औषधालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है। ज्योंहीं अपेक्षित साधन सुलभ हो जाएंगे, जनकपुरी के बाकी ब्लाकों के लिये भी एक औषधालय खोल दिया जाएगा।

Amonut Sanctioned for National Highways

8566. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the amount sanctioned by Central Government for National Highways during current year ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : Subject to vote by Parliament, the following provisions have been proposed in the Budget Estimates 1973-74 for the execution of works on the National Hihgways in India :

Nature of works	Provision (Rupees in lakhs)
National Highways (Original) Works already sanctioned or to be sanctioned during 1973-74 :	6388.70
Maintenance and Repair works on National Highways . .	1508.98

Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Foreign Scholarships

8567. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of persons selected by his Ministry for study in foreign countries on foreign scholarships during the last three years and the number of persons out of them belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) whether the Central Government have issued any orders for making reservations for Scheduled Tribes in regard to selection of persons for study in foreign countries on foreign scholarships; if so, the precise details thereon;

(c) if no orders have been issued in this regard the sons therefor; and

(d) The number of persons belonging to the Ministry of Education, Government of India sent to foreign countries for study on the basis of recommendations made by Ministry of Education during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (d) The Ministry of Education receive offers of scholarships from foreign governments/organisations for which candidates are selected and nominated to the donor countries/organisations. Against these offers of foreign scholarships, 1023 candidates have been selected and nominated for study in foreign countries during the last three years (1970-71, 1971-72 and 1972-73). Out of these, five belong to Scheduled Castes and two to Scheduled Tribes.

Besides the scholarships offered by foreign governments/organisations, the Ministry of Education is also sending candidates for study abroad under the Scheme of National Scholarships for Study Abroad. This scheme was instituted in 1971-72 and since then 108 candidates have been selected and sent abroad during the years 1971-72 and 1972-73.

As selection of the candidates for the award of these scholarships is made on an all-India basis, strictly on merit, no reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been made. However, other things being equal, preference is given to candidates from Backward Areas/Backward Classes including Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

A separate scholarships scheme known as National Overseas Scholarships to Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc. students for Study Abroad is being operated by the Department of Social Welfare the (scheme is recently transferred to the Ministry of Home Affairs) under which candidates exclusively belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes etc. are sent abroad for study.

Only one officer belonging to the Ministry of Education has been sent abroad for study during the 1971-72 under the Netherlands Government Fellowships.

वैक्सीन इन्स्टीट्यूट, बेलगाम (मैसूर) की "फ्रीज ड्राईड वैक्सीन" के उत्पादन के लिए केन्द्रीय ऋण

8568. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वैक्सीन इन्स्टीट्यूट, बेलगाम (मैसूर) में "फ्रीज ड्राइड वैक्सीन" की उत्पादन सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपेक्षित धनराशि ऋण के रूप में प्रदान करेगी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं और इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) वैक्सीन संस्थान, बेलगाम (मैसूर) को ऋण के रूप में सहायता देने के लिए 1973-74 के बजट में 9.50 लाख रुपये की एक धन राशि का आवंटन कर दिया गया है।

(ख) वैक्सीन संस्थान, बेलगाम को 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान क्रमश: 6.05 लाख और 8.00 लाख रुपये ऋण के रूप में दिए गये।

1971-72 की 1 करोड़ 74 लाख 60 हजार मात्राओं की तुलना में 1972-73 में वैक्सीन की 2 करोड़ 17 लाख 1 हजार मात्राओं का उत्पादन हुआ।

सिंचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण और सिंचित क्षेत्रों का समेकित विकास

8569. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण और सिंचित क्षेत्रों का समेकित विकास करने के लिये योजना पूर्व तथा पहले की पूरी की गई परियोजनाओं की पूर्ण समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिंचाई व्यवस्था का आधुनिकीकरण और सिंचित क्षेत्रों का समेकित विकास करने सम्बन्धी आपने अन्तरिम प्रतिवेदन में योजना-पूर्व तथा पहले की पूरी की गई परियोजनाओं की पूर्ण समीक्षा करने की सिफारिश की है ताकि वर्तमान कृषि की बेहतर सेवा हेतु उनका आधुनिकीकरण किया जा सके। आयोग ने अग्रेतर यह सिफारिश की है कि यह समीक्षा सिंचाई, इंजीनियरी, कृषि विज्ञान तथा मिट्टी सम्बन्धी विशेषज्ञों के दल द्वारा की जानी चाहिये।

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग के उक्त अन्तरिम प्रतिवेदन में विहित सिफारिशों की जांच की जा रही है।

फिल्म निर्माताओं पर संरक्षित स्मारकों की फिल्म लेने के लिए लगाई गई शर्त

8570. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ने यह प्रस्ताव किया है कि फिल्म निर्माताओं को केवल तभी केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की फिल्म लेने की अनुमती देनी चाहिए जब फिल्म की कहानी संबंधित स्मारक के इतिहास से संबंधित हो तथा ऐतिहासिक रूप से सच्ची हो ; और

(ख) यदि, हां, तो ये शर्त लगाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) फिल्म कम्पनियों को, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का, केवल बन बनाए मंत्रों के रूप में दृश्यों की शूटिंग करने के लिए, दुरुपयोग करते पाया गया है जिसका स्मारक के इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं था। युद्ध करने, द्वन्द्व युद्ध, अपहरण के दृश्यों, आत्म हत्या और कभी-कभी हत्या के दृश्यों को फिल्माने के लिए इन स्मारकों को केन्द्र बनाया जाता था जो इन स्मारकों में दिखाना बिलकुल अनुचित है जहां कहीं ऐतिहासिक दृश्यों की भी शूटिंग की गई थी वहां भी तथ्यों को बहुत तोड़ा-मरोड़ा जाता था। ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड ने सन 1973 में मैसूर में हुई अपनी बैठक में निम्न-लिखित निर्णय किया है :—

"जहां कथानक का सम्बन्ध स्मारक के इतिहास से नहीं हो वहां फिल्म बनाने के उद्देश्य से स्मारक का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐतिहासिक फिल्मों के मामले में, घटनाओं और दृश्यों के ऐतिहासिक रूप से सही सिद्ध होने के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए।"

बनावटी और अपमिश्रित भेषजों के बेचे जाने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना

8571. श्री सत पाल कपूर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में वर्षवार और राज्यवार, जनता को बनावटी और अपमिश्रित भेषजों के बेचे जाने के आरोप में कुल कितने दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया ;

(ख) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनको क्या दंड दिया गया; और

(ग) क्या इन अपराधियों को कड़ा दंड देने की व्यवस्था करने के लिए इस संबंध में कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और **(ख)** सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) नकली और मिलावटी दवाइयों के बनाने और बिक्री करने से सम्बद्ध अपराधों के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में कठोर दण्डों की व्यवस्था है। इस अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जो ऐसी किसी दवाई का, जिसपर नकली मार्क लगा हो अथवा जो मिलावटी हो (इस श्रेणी में नकली दवाइयां आ जायेंगी) बिक्री के लिए निर्माण करता है, उसे बेचता है, उसका स्टाक रखता है या बिक्री के लिए उसका प्रदर्शन करता है या उसका वितरण करता है, उसे कम से कम एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है।

नगर तथा ग्राम योजना संगठन (टाउन एण्ड कण्ट्री प्लानिंग आर्गेनाइज़ेशन) में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए शर्तों में ढील

8572. श्री वरके जार्ज : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर तथा ग्राम योजना संगठन (निर्माण और आवास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) में ऐसे विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों / निम्न श्रेणी लिपिकों को तकनीकी पदों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये आयु और शैक्षिक अर्हताओं में ढील दी गई है जिनके कर्तव्यों को वे संतोषजनक ढंग से पूरा कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) नगर तथा ग्राम आयोजन संगठन के तकनीकी पदों के अधिकतर भर्ती नियमों में 100 प्रतिशत सीधी भर्ती की व्यवस्था है। अत: इन पदों के लिए सामान्यत: विभागीय उच्च श्रेणी लिपिकों / निम्न श्रेणी लिपिकों को कोई छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता। विभागीय उम्मीदवार भी इन पदों के लिए सीधी भर्ती वालों के रूप में प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं बशर्ते कि वे नियमों के अन्तर्गत निर्धारित आवश्यक अर्हताएं रखते हों।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से ड्रिलिंग रिंग सप्लाई करने का अनुरोध

8573. श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से ड्रिलिंग रिंग सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि के अधिकारियों ने भारत का अनुरोध स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो कितने ड्रिलिंग रिग्स के लिये अनुरोध किया गया था ; और

(घ) क्या ये ड्रिलिंग रिंग भारत में आपात सूखा राहत कार्यों के लिये लाभदायक सिद्ध होंगे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) **से (ग)** सूखाग्रस्त राज्यों में पेय जल की अत्यन्त कमी का सामना करने के लिये यूनिसेफ को 25 हार्डराक ड्रिलिंग रिग्ज सप्लाई करने का अनुरोध किया गया था। यूनिसेफ ये 25 रिग्ज सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है।

(घ) यह रिग्ज सूखाग्रस्त राज्यों के चट्टानी क्षेत्रों में पेय जल के प्रयोजन के लिए नल-कूप खोदने में उपयोगी रहेंगे।

मसाला आयोग के अधीन केरल में एक अनुसंधान स्टेशन खोलने का प्रस्ताव

8574. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला आयोग के अधीन केरल में एक अनुसंधान स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या इसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है और यदि हां, तो कहां पर ?

कृषि मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) :(क) जी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अपने एक संस्थान केंद्रीय उद्यान फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड के नियंत्रण में एक क्षेत्रीय मसाला केन्द्र स्थापित करने पर विचार कर रही है।

(ख) इसके लिए एक विशेषज्ञ दल ने केरल में उथाली में अस्थायी तौर पर एक स्थान का चयन भी किया है। इस स्थान की उपयुक्तता का अनुमान लगाने के लिए इसके मृदा सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

सूखे की चुनौती का सामना करने के लिए 'अधिक अन्न उपजाओं' अधियान

8576. श्री कार्तिक उरांव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सूखे की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार ने एक सुविचारित आधार पर "अधिक अन्न उपजाओं" अधियान शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओ की मुख्य बातों का क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) खरीफ 1972 में उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने के लिए रबी-ग्रीष्म, 1972-73 के लिए एक आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया गया था और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अतिरिक्त क्षेत्रा में गेहूं रबी, ज्वार तथा ग्रीष्म चावल उगाएं और पैकेज पद्धतिया को अपनाकर चने के उत्पादन को बढ़ाये। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--

(क) गेहूं : गेहूं की बारा नी खेती के 20 लाख हेक्टर क्षेत्र में उर्वरको तथा सिंचाई सुविधाओं से अधिक लाभ उठाकर और यूरिया का पर्णीय छिड़काव करके वर्ष 1971-72 में लगभग 190 लाख हेक्टर क्षेत्र की अपेक्षा वर्ष 1972-73 में 230 लाख हेक्टर क्षेत्र में गेहूं की खेती करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने का विचार है।

(ख) ग्रीष्म कालिन चावल : 1972 के ग्रीष्म मौसम के दौरान ग्रीष्म चावल वाले 20 लाख हेक्टर क्षेत्र को बढ़ाकर 30 लाख हेक्टर क्षेत्र करने का प्रस्ताव था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को लघु सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) रबी की ज्वार : रबी मौसम के दौरान लगभग 60 लाख हेक्टर सामान्य क्षेत्र को बढ़ा कर रबी की ज्वार के अंतर्गत 65.00 लाख हेक्टर क्षेत्र लाने का कार्यक्रम बनाया गया था।

(घ) चना : चना भी एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जिसका उत्पादन पकेज पद्धतियों को अपना कर बढ़ाया जा सकता है। लगभग 40 लाख हेक्टर क्षेत्र में पकेज पद्धतियों को अपनाने का विचार है जिससे अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा।

आपात कृषि उत्पादन से कार्यक्रम के लिए राज्यों को वित्तिय सहायता

रबी ग्रीष्म 1972-73 के लिए आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने में सहायता देने के उद्देश्य से राज्य सरकार को लघु सिंचाई तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए लागू के रूप में 148 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, उर्वरक, बीज, कीटनाशी आदि कृषि आदानों की खरीद के लिए राज्य सरकारों के लिए 100 करोड़ रुपये का एक अल्पकालीन ऋण भी स्वीकृत किया गया है।

मिदनापुर जिले के डीघा स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र

8577. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**

श्री आर० एम० बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मिदनापुर के डीघा स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र है और यदि नहीं तो इससे कब तक खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र से अस्पताल 25 मील दूर है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू): (क) जी हां, डीघा में एक सहायक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें बिना आहार की व्यवस्था वाले दो पलंग है । जब तक इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का रूप दिया जाता है तब तक के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें 6 पलंगों की स्वीकृति देकर इसका दर्जा बढ़ा दिया है ।

(ख) इन केन्द्र से लगभग 22 मील दूर कोंटई स्थान पर एक सब-डिविजनल रेफेरल अस्पताल कार्य कर रहा है ।

विश्वविद्यालय खोलने और उनके रख-रखाव के बारे में केन्द्रीय सरकार की भूमिका

8578. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए कसौटी निर्धारित करने के बारे में 16 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 7068 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में नए विश्वविद्यालय खोलने सम्बन्धी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में विश्वविद्यालयों का स्थापना करने और उनके रख-रखाव में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये निम्नलिखित प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं :—

(1) गोवा विश्वविद्यालय,
(2) त्रिपुरा विश्वविद्यालय,
(3) और (4) महाराष्ट्र में दो विश्वविद्यालय,
(5) धारवार (मैसूर) में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय,
(6) मैसूर राज्य में तकनीकी विश्वविद्यालय,
(7) तमिलनाडु में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
(8) फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में विश्वविद्यालय,
(9) और (10) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल तथा कुमायूँ प्रभाग में एक एक विश्वविद्यालय ।

पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों के अनुसार की जाती है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में साथ ही साथ यह भी व्यवस्था है कि यदि नए विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित कोई ऐसी सलाह मांगी जाती है, तो आयोग किसी

प्राधिकारी को उक्त सलाह दे सकता है। राज्य सरकारो से प्राप्त नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परामर्श से की जाती है। इस प्रकार के प्रस्तावों की जांच संबंधी मानदंड निर्धारित करने के लिए आयोग ने हाल ही में एक कार्य दल का गठन किया है। सभी प्रस्तावो पर उक्त मानदंड की दृष्टि से ही विचार किया जाएगा तथा संबंधित राज्य सरकारो को आवश्यक सलाह दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण तथा विकास दोनो ही प्रकार के अनुदान देता है। राज्य विश्वविद्यालया के मामले में आयोग केवल विकास अनुदान का ही भुगतान करता है।

फिर भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसे विश्वविद्यालय को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 के बाद स्थापित किया गया हो, तब तक कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा, जब तक कि आयोग निर्धारित बातों से संतुष्ट होने के बाद ऐसे विश्वविद्यालयो को इस प्रकार के अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित न करे।

वर्ष 1971–72 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को हुआ लाभ अथवा घाटा

8579. श्री के० लकप्पा :

श्री वाय० एस० महाजन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीजो को खराब घोषित कर दिये जाने के कारण वर्ष 1971-72 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को कितना लाभ अथवा घाटा हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी०शिन्दे) : 68.78 लाख रुपये के खराब घोषित किये हुए बीजों के स्टाक को बट्टे खाते में डालने के पश्चात 1971-72 की अवधि में राष्ट्रीय बीज निगम को 90,504 रुपये का लाभ हुआ था। बट्टे खाते में डाले गये इस स्टाक में 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में तैयार हुए 59.88 लाख रुपये मूल्य के संकर किस्म के बीज तथा इस वर्ष की अवधि में खराब घोषित किये हुए 8.90 लाख रुपये के अन्य बीज शामिल थे।

आई० आई० टी० दिल्ली द्वारा लालटेनों की खरीद

8580. श्री बी० एन रेड्डी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई० आई० टी०, दिल्ली के परिसर में बिजली होने के बावजूद 3 फरवरी, 1973 को आई० आई० टी०, दिल्ली के परिसर में मोदी लैन्टर्न वर्क्स से 15,000 रुपये की लालटेनें और मिट्टी के तेल के ड्रम खरीदे गए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) और (ख) संस्थान ने यह बताया है कि जनवरी/फरवरी के दौरान छात्रावास क्षेत्र में बार बार बिजली बन्द हो जाती थी जिसका मुख्य कारण यह था कि छात्रावास क्षेत्र में सब-स्टेशन सर्दी की भारी मांग को पूरा करने में असमर्थ था। इसके अलावा, संस्थान के कुछ कर्मचारी जो अन्दोलन कर रहे थे, खुली हुई धमकी दे रहे थे कि वे छात्रावास में अनिवार्य सेवाओं को भंग कर देंगे ताकि शैक्षिक कार्यक्रम को, विशेष रूप से 8 फरवरी, 1973 को शुरू होने वाली परीक्षाओ को, भंग किया जा सके जिससे कि वे अपनी मांगो को पूरा कराने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल सकें। कुछ अवसरों पर उन्होंने कैम्पस में पावर सप्लाई में गड़बड़ी की थी। इस स्थिति से निपटने के लिए, संस्थान को वैकल्पिक प्रबन्धोंके बारे में विचार करना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विध्वंसक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप अथवा अन्यथा बिजली फैल हो जाने पर अध्ययन व परीक्षाओं के लिए, विद्यार्थियोंहेतु वैकल्पिक प्रबन्ध किया जा सके।

इसलिए संस्थान को लालटेन खरीदनी पड़ी जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	फर्म का नाम	तारीख	संख्या	मूल्य
1	मैसर्स नार्दन इण्डिया ट्रेडर्स, गोदी लालटेनों के वितरक, सदर बाजार, दिल्ली-6	1-2-73	100 दर्जन	9115.32 रुपये
2	गणेश जनरल स्टोर्स, युसुफ सराय, नई दिल्ली।	5-2-73	2 दर्जन	172.20 रुपये

मिट्टी के तेल का कोई पीपा नहीं खरीदा गया था। वाटर बौयलरों के लिए रखे गए मिट्टी के तेल को छात्रों द्वारा प्रयोग के लिए प्रत्येक छात्रवास को दिया गया था।

वरिष्ठ संकाय, वार्डनों तथा छात्रों के साथ विचार-विमर्श के बाद, लालटेनों को खरीदने का निर्णय किया गया था। संस्थान द्वारा आपतकाल में खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, समुचित रूप से संगठित क्रय समिति के जरिए, तुलनात्मक दरों पर, अपेक्षित संख्या में बाजार के लालटेनें तुरन्त खरीदने के लिए, प्रबन्ध किए गए थे। उक्त खरीद, वित्तीय सीमा और निदेशक के अधिकार क्षेत्र के अन्दर थी।

प्राधिकारियों द्वारा उठाया गया एहतियाती कदम उस समय ठीक साबित हुआ, जब कि ठीक परीक्षा से पहले, छात्रावास की मुख्य सप्लाई केबिल काट दी गई थी और छात्रावासों में 24 घंटों तक बिजली की कोई भी सप्लाई नहीं थी। ऐसे भी अनेक मौके आए जबकि अस्थायी रूप से बिजली के बन्द होने के कारण लालटेनों का प्रयोग आवश्यक था।

Labourers Basties in Delhi

8581. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a number of labourers have built basties inside and alongwith the Government colonies in Delhi/New Delhi; and

(b) if so, the action taken so far to settle these labourers at proper places by allotting suitable houses to them ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) Such of these squatters as are covered under the Jhuggi and Jhonphri Removal Scheme of the Delhi Development Authority will be shifted from the sites now occupied by them and rehabilitated elsewhere by that Authority. Others have to be and are being removed from the squatted sites.

ब्रिटेन की सरकार को "राक ड्रिल" मशीनें सप्लाई करने के लिए क्रयादेश

8582. श्री पी० गंगादेव :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुएं खोदने के लिए "राक ड्रिल" मशीन सप्लाई करने के लिए सरकार ने ब्रिटिश सरकार को क्रयादेश दिए हैं;

(ख) कितनी मशीनों के लिए क्रयादेश दिये गये हैं; और

(ग) देश में ऐसी कुल कितनी "ड्रिल मशीनों" की आवश्यकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि हमने महाराष्ट्र सरकार को यूनाइटेड किंगडम से एक रिग आयात करने की अनुमति दे दी है। मैसूर सरकार को 5 रिग

मशीनों के लिए रिंग फ्रेमों और अन्य पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी है और आन्ध्र प्रदेश सरकार को 12 रिंग मशीनों के लिए रिंग फ्रेम और कुछ अन्य पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ग) यूनाइटेड किंगडम से और अधिक रिंग मशीनों का आयात करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Free supply of water to farmers in Famine Affected areas

8583. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to supply water free of charge to the farmers in the famine-affected areas in the country for irrigating their fields; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) & (b) The information is being collected from the State Governments and will be placed on the Table of the Sabha, when received.

Survey Re. Wakf Properties and Relations Between Wakf and Central Government

8584. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the survey in regard to Wakf properties has been completed or is still to be completed and the date since when the said survey work has been going on; and

(b) whether each State has a Wakf Board; and if so, the relation of the Central Government with these Boards ?

The Minister of Agriculture (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The information is being collected from the State Governments/Union Territories and will be placed on the Table of the House.

(b) Each State in which the Wakf Act, 1954, is in force, has a Wakf Board except the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh which an inter-state Board since the reorganisation of the former State of Punjab. The relation of the Central Government with the State Wakf Boards is as specified in section 62 of the Wakf Act, 1954.

गर्मी के दौरान दिल्ली में पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सहायता

8585. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में गर्मी के दौरान पानी की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन को कुल कितनी धनराशी मंजूर की और इसमें से कितनी राशि का उपयोग कर लिया गया है और अगर राशि का उपयोग नहीं हो सका है तो उस के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान (1970–71 से 1972-73 तक) दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल सप्लाई तथा मल-निपटान उपक्रम को उनकी जल सप्लाई तथा सफाई प्लान की स्कीमों के निष्पादन के लिए 1620.00 लाख रुपये के ऋण दिये हैं। उक्त उपक्रम ने ऋण की राशियों के उपयोग के बारे में निम्नलिखित सूचना दी है :—

वर्ष	दिए गये ऋण की राशि	किया गया व्यय
	लाख रुपये	लाख रुपये
1970-71 . .	390.00	432.36
1971-72 . .	510.00	451.97
1972-73 . .	720.00	706.86 (अन्तरिम)
कुल .	1620.00	1591.19

लगभग 98% राशि का उपयोग किया गया है। व्यय में थोड़ी सी कमी का कारण सीसा, सीमेन्ट, इस्पात, पाईप, विशेष उपकरण आदि जैसी सामग्री का समय पर न मिलना बताया गया है।

औषधियों का उत्पादन कर रही फर्मों पर उनके उत्पादों की किस्म को उत्तम बनाये रखने के लिए नियंत्रण

8586. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि बनाने वाली भारतीय फर्मों की तुलना में, भारत में कार्य कर रही विदेशी औषधि निर्माता फर्में तथा उनकी सहायक फर्में अपने उत्पादों की किस्म को उत्तम बनाए हुये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो कब तथा प्रत्येक फर्म के बारे में सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) देश में सभी औषध निर्माता फर्मों पर अब सरकार द्वारा क्या नियंत्रण रखा जा रहा है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस्म नियंत्रण के उपयुक्त तरीके निकाले जाएं तथा लागू किए जाएं तथा यदि वर्तमान उपायों से अपेक्षित परिणाम नहीं निकले तो क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०के०किस्कू) : (क) देश के सभी औषध निर्माताओं को औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में यथा निर्धारित न्यूनतम मानकों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप औषधियों का निर्माण करना होता है। फिर भी, निर्माताओं को इस नियमावली में विहित मानकों से अपेक्षाकृत उच्चतर मानकों को अपनाने की खुली छूट है और भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की अनेक निर्माता फर्में विहित मानकों से अपेक्षाकृत उच्चतर मानकों को बनाये हुए हैं। बहुत-सी भारतीय फर्में दवाइयों की कोटि अच्छी रखने के उपायों का पालन करती है जिनकी विदेशी फर्मों की सहायक फर्मों द्वारा अपनाये जा रहे उपायों से तुलना की जा सकती है ।

(ख) इस संबंध में सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ग) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन औषध निर्माण कर रही सभी फर्मों को लाइसेंसधारी होना चाहिये। इस प्रयोजन के लिए फर्मों को जिन शर्तों का अनुपालन करना होता है उन्हें औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली में निर्धारित किया गया है। निर्माण स्थलों का बारंबार निरीक्षण करके तथा फर्मों के साथ साथ बाजार से लिये गये नमूनों का परीक्षण करके लाइसेंस प्राधिकारी इन नियमों के उपबन्धों को लागू करवा रहे हैं। इसके अलावा केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने वाले केन्द्रीय औषध निरीक्षक भी राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों के कार्यों में साथ दे रहे हैं। कहीं पर कोई कमी त्रुटि तो नहीं है इसका पता लगाने के लिए ये देश भर में ऐसी निर्माता फर्मों का संयुक्त निरीक्षण करते हैं। इन संयुक्त निरीक्षणों का लाभकारी प्रभाव पड़ा है और इनसे देश में औषधियों का स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिली है।

पांचवी योजना के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता

8587. डॉ रानेन सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रमों के द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के उत्पन्न होने की सम्भावना है;

(ख) क्या पांचवीं योजना अवधि के दौरान लघु सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्य शुरू करने के लिये केन्द्रीय सरकार राज्यों को कोई वित्तीय सहायता देगी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस समय पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 60 लाख हेक्टर के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) तथा (ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को लघु सिंचाई योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Lift Irrigation scheme in Madhya Pradesh

8588. Shri Shrikrishna Agarwal : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate lift irrigation scheme during 1973-74 in Madhya Pradesh; and

(b) if so, an outline thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) & (b) The responsibility for formulation of irrigation schemes rests primarily with the State Governments. The Madhya Pradesh Government had proposed in their draft Annual Plan for 1973-74 an outlay of Rs. 11.02 lakhs for cooperative lift irrigation schemes (which envisage installation of pumpsets on streams and rivers).

Plan for testing Soil acidity during Fifth Plan

8589. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made any provision in the Fifth Five Year Plan for testing soil acidity; and if so, the amount provided therefor;

(b) the measures being contemplated for soil tests?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) and (b) As recommended by the National Commission of Agriculture, the Government of India, have suggested to the State Governments to provide necessary funds in their Fifth Five Year Plan programme to ensure that there is at least one soil testing laboratory in each district. About 150 laboratories are expected to be set up during the Fifth Five Year Plan period to augment the present facilities.

The soil testing laboratories have facilities for determining soil acidity.

Scheme to revive and strengthen Bharat Sewak Samaj during Fifth Plan

8590. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Fifth Five Year Plan includes any scheme to revive and strengthen 'Bharat Sewak Samaj' in the country; and

(b) whether Government also propose to make some changes in the constitution of Bharat Sewak Samaj; and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) No, Sir.

गांधी टाइम-कैपस्यूल में मूल दस्तावेजों का रखा जाना

8591. श्री लालजी भाई : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला हाउस के मैदान में दबाये गए गांधी टाइम-कैपस्यूल में "हिन्द स्वराज्य" नाम का प्रसिद्ध 10,000 शब्दों वाले घोषणापत्र जैसा बहुमूल्य दस्तावेज हैं, जिसे गांधी जी ने स्वयं लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो टाइम-कैपस्यूल में मौलिक दस्तावेज रखने का किसने निर्णय किया था और मौलिक दस्तावेज के स्थान पर इसकी प्रति क्यों नहीं रखी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम

8592. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण जलसप्लाई कार्यक्रम में तीव्र गति लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : केन्द्रीय सरकार ने स्थायी रूप से अभाव ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने हेतु 1972-73 से एक त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति-कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को उनकी त्वरित कार्यक्रम के अधीन अनुमोदित की गई ग्रामीण जलपूर्ति की योजनाओं पर खर्च के लिए शत प्रतिशत सहायक-अनुदान दिया जा रहा है।

नीचे लिखी श्रेणियों के ग्रामों में योजना लागू की जानी है :—

(i) ऐसे ग्राम जहां पर्याप्त दूरी तक (अर्थात् एक मील तक) पेय जल का सुनिश्चित स्त्रोत नहीं है ।

(ii) ऐसे ग्राम जिनके जलपूर्ति के वर्तमान स्त्रोतों के अनुरक्षण अथवा उन की सप्लाई की आवश्यकता है यदि वे स्थानिकमारी हजा, अथवा नहरुआ—कृमि—प्रभावित क्षेत्रों में हों अथवा उनमें अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड्स/खारापन या लोहा पाया जाना जैसे अन्य कारण हों ।

(iii) ऐसे ग्राम जिनमें जनजातियों, हरिजनों आदि जैसे समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए पेय-जल की सप्लाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है ।

इस कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों को 1972-73 के दौरान 1909.75 लाख रुपये की राशि दी गई है। 1973-74 के दौरान सहायक-अनुदान देने के लिए 1500.00 लाख रुपये की बजट में व्यवस्था भी की गई है।

कृषि शिक्षा के विकास पर व्यय

8593. श्री फतेहसिंह राव गायकवाड : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान मंत्रालय ने कृषि की उच्चतर शिक्षा के विकासहेतु कुल कितनी राशि व्यय की है; और

(ख) इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी०शिन्दे) : (क) 1972-73 के दौरान कृषि की उच्चतर शिक्षा के विकास पर 757.26 लाख रु० की राशि व्यय की गई थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1972-73 के दौरान दी गई राशि
1	कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विकास	662.35
2	कृषि/पशु चिकित्सा तथा डेरी विज्ञान के स्नातकोत्तर/पूर्वस्नातक कालेजों में सुविधाओं का सुधार	33.96
3	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सुविधाओं की व्यवस्था . . .	0.40
4	ग्रीष्मकालीन संस्थानों का संगठन	5.62
5	अध्ययन के उन्नत केन्द्रों की स्थापना, ...	4.93
6	कृषि तथा पशु-चिकित्सा विज्ञान के विषयों में स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को शिक्षा वृत्ति प्रदान करना	33.00
7	कृषि/पशु चिकित्सा विज्ञान के विषयों में स्नातकपूर्व विद्यार्थियों को छात्र वृत्ति प्रदान करना ।	17.00
	कुल .	757.26

ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के लिए राज्यों को अधिक धन राशि

8594. श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण रोजगार संबंधी द्रुत कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पिछले वर्ष आबंटित राशि में कई गुनी वृद्धि करने और भविष्य में रोजगार संबंधी आयोजना को सभी पूंजी विनियोजनों का एक, एकीकृत और सामान्य अंग बनाने के लिए सरकार तैयार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : वर्ष 1973–74 के लिए रखा गया परिव्यय उतना ही है जितना कि वर्ष 1972–73 के लिए था अर्थात् 50 करोड़ रुपए। पांचवीं योजना में यह उद्देश्य है कि चालू रोजगार योजनाओं को पत्येक क्षेत्र की विकास प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित छात्रों, अध्यापकों और प्रिन्सिपलों के लिए अन्तर्राज्यीय शिबिर

8595. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने शिक्षा गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और अध्यापकों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए वर्ष 1972–

5—11 L.S.S. (N.D.)/73

73 में छात्रों के लिए 16 अन्तर्राज्यीय शिबिर, अध्यापकों के लिए 2 अन्तर्राज्यीय और स्कूलों के प्रिंसिपलो के लिए एक-एक अन्तर्राज्यीय शिबिर आयोजित किया था ;

(ख) यदि हां, तो ये शिविर जिन-जिन जिलों और राज्यों में आयोजित किए गए थे उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1973-74 में इसी तरह के शिबिर आयोजित करने की एक योजना है ; यदि हां, तो य शिबिर जिन जिलों और राज्यों में स्थापित किए जायेंगे, उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) इन शिबिरों की गतिविधियों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां, ।

(ख) से(घ) विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4916/73]**

प्रमुख फसलों की उत्पादन लागत सम्बन्धी अध्ययन करने हेतु एजेन्सियों को अनुदान

8596. श्री एस० एन० मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख फसलों की उत्पादन लागत के बारे में कार्य कर रही कुछ एजेंसियों को इस संबंध में कोई अध्ययन कार्य सौंपा गया है अथवा अनुदान दिय गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारत सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में खेती की लागत / प्रमुख फसलों के उत्पादन के संबंध में अध्ययन करने के लिये एक बृहत् योजना शुरु की है। विभिन्न राज्यों में योजना के क्रियान्वयन के लिये चुनी गई एजेन्सियों को स्थानीय परिस्थिति तथा योजना के कार्य की प्रगति आदि को ध्यान में रखते हुए अनुदान-सहायता दी जाती है।

(ख) बृहत योजना के अन्तर्गत हरियाना, पंजाब, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 1970-71 के कृषि वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न समय पर तथा 11 और राज्यों में उसके पश्चात् क्षेत्र कार्य प्रारम्भ किया गया था। जम्मू तथा काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में योजना के कार्यान्वयन के लिये मंजूरी दी गई है। विभिन्न राज्यों में हाल ही में अब तक अध्ययन के लिये चुनी गई प्रमुख फसलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

योजना के अन्तर्गत (क) हरियाणा तथा पंजाब में वर्ष 1970-71 के मौसम तथा (ख) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971-72 के मौसम में चुनींदा जोतों के बारे में खेती की लागत / गेहूं के उत्पादन के संबंध में एकत्रित किये गये आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था और विश्लेषण के परिणाम कृषि मूल्य आयोग को उनके निर्देश के लिये भेज दिये गये थे। 1970-71 के मौसम में राजस्थान में खेती की लागत/बाजरे के उत्पादन के आंकड़ों के विश्लेषण का कार्य पूरा होने वाला है। अन्य राज्यों में एकत्र किये गये आंकड़ों के संकलन तथा विश्लेषण का कार्य जारी है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	योजना का कार्यान्वयन करने वाली संस्था का नाम	योजना के अन्तर्गत बोई जाने वाली फसल		
			1970-71	1971-72	1972-73
1	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	..	धान	धान
2	असम	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	..	धान	धान
3	बिहार	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना		धान	धान
4	गुजरात	सरदार पटल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यानगर	..	बाजरा	मूंगफली
5	हरियाणा	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	गेहूं	गेहूं	बाजरा
6	केरल	केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम	..	धान	धान
7	मध्य प्रदेश	जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	गेहू	गेहूं	धान
8	महाराष्ट्र	महात्मा फुले कृषि विद्यापिठ, पूना	..	ज्वार	ज्वार
9	मैसूर	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	..	ज्वार	ज्वार
10	उड़ीसा	उड़ीसा कृषि तथा तकनौलोजी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	..	धान	धान
11	पंजाब	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	गेहूं	गेहूं	कपास
12	राजस्थान	उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर	बाजरा	बाजरा	मक्का
13	तमिलनाडु	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर	..	धान	मूंगफली
14	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर	..	गेहूं	गेहूं
15	पश्चिम बंगाल	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी	..	धान	धान

नोट : 1973–74 की गन्ने की फसल की लागत के आंकड़े एकत्र करने के संबंध में महाराष्ट्र, पंजाब तथा तमिलनाडु में भी अग्रिम कार्यवाही शुरु की जा चुकी है।

चीनी के निर्यात के कारण होने वाली क्षति को पूरा करने के लिए दी गई धनराशि

8597. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी के निर्यात कारण होने वाली क्षति को पूरा करने के लिये दी गई धन राशि और सरकार द्वारा खाद्यान्न व्यापार पर दी गई उपभोक्ता राज-सहायता संबंधी राशि पर अलग–अलग कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) चीनी के निर्यात पर हानि को पूरा करने के लिए मंजूर की गई राशि इस प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)	
1970–71	8.60	
1971–72	9.50	
1972–73	0.23	(1971 में निर्यात के लिए लेकिन भुगतान 1972–73 में किया गया)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के सौदों पर उपभयोक्ता राजसहायता की राशि इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रूपयों में)
1970–71 . . .	17.98
1971–72 . . .	49.69
1972.73 . . .	117.23

नगरों का विकास करने हेतु मैसूर को वित्तीय सहायता

8598. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और धारवार के बीच एक प्रस्ताविक नगर के लिए केन्द्रीय सरकार ने 62 लाख रुपये मंजूर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर राज्य ने राज्य में अन्य नगरों का विकास करने हेतु और अधिक निधियों के लिए अनुरोध किया हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) जी नहीं।

तथापि, आवास तथा नगर विकास निगम ने जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, हुबली-धारवार नगर निगम को फ्लैटों के निर्माण के लिए मार्च 1973 में 42 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है।

बाघ की खालों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

8599. श्री ब्रजराज सिंह कौटा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में बाघ की खालों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ख) सरकार इस दिशा में पड़ने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

बलराजगढ़, बिहार में उत्खनन कार्य

8600. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलराजगढ़, बिहार में किए गए उत्खनन कार्य से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वस्तुओं का पता चला है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हाँ।

(ख) बलिराजगढ़ में खुदाई का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1962–63 में किया गया था। प्रतिरक्षा भीत्ति के आरपार और आवासीय क्षेत्र में दो दो की दर से चार खुदाइयाँ की गयी थी। इसके अतिरिक्त, नगर के विभिन्न भागों में तीन और खुदाइयाँ की गयी थी। इस क्षेत्र में पानी की सतह उची होने के कारण प्राकृतिक भूमि तल तक नहीं पहुंचा जा सका। इस खुदाई से किले बन्दी के संरचनात्मक ब्यौरों का पता चला।

पूर्व प्रतिरक्षित भण्डारों से लगभग छठी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरीय काली पालिश के बर्तन प्राप्त हुए थे।

इन किलों को कोई दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया मालूम पड़ता है और पाला काल तक इनका प्रयोग होता रहा। सहयोगी संबद्ध स्तरों पर पाई गई अन्य वस्तुओं में मालाएँ, सिक्के सुंगागृपमूर्तियों की पट्टियाँ अस्थि से निर्मित विषय वस्तुएँ आदि शामिल थी।

देश में गेंडों की संख्या

8601. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसाम में गेण्डों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में इनकी कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या गेण्डों की नसल में घातक रोग पैदा हो गया है जिसके कारण ये बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं ; और

(घ) इन को बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारी समितियों को दिये गये ऋण का दुरुपयोग

8602. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से ऐसी रिपोर्ट मिली है कि सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों का दुरुपयोग किया गया है और ये समितियां सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन देने के बजाए सहकारी समितियों को दी गई कर-संबंधी रियायतों का दुरुपयोग कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Nationalisation of Orphanages

8603. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a number of private institutions (Orphanages) in the country bring up orphan children; and

(b) if so, whether Government propose to nationalise these orphanages ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and Culture (Shri Arvind Netam) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

Loan to marginal farmers for purchase of Tractors

8604. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether applications from marginal farmers were received for loans for purchase of tractors during 1971-72; and

(b) if so, the State-wise number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Information regarding loan applications from marginal farmers for purchase of tractors would be available with the lending institutions like the Land Development Banks, Commercial Banks and Agro-Industries Corporations. The effort involved in collecting this information will not be commensurate with the results to be achieved. Under the Central Sector Scheme of marginal farmers and agricultural labourers development agencies, the marginal farmers identified for assistance are those who have holdings upto 2.5 acres of irrigated land. Generally speaking, marginal farmers have very small holdings of 1 to 2 acres and, therefore, it would not be an economic proposition for them to go in for purchase of tractors in other sophisticated high cost equipment.

तूतीकोरिन बन्दरगाह के विस्तार कार्य की प्रगति

8605. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन बन्दरगाह (तमिलनाडु) के विस्तार कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ,

(ख) क्या इस कार्य की प्रगति निर्धारित समय के अनुरूप ही है, और

(ग) यदि नहीं , तो उसके क्या कारण है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जानी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) वर्तमान संकतों के अनुसार कार्य के 1974 में पूरा होने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मुख्य सिविल निर्माण कार्यों पर लग ठेकेदारों के सामने कुछ कठिनाइयां आ जाने के कारण, परियोजना में कार्य की प्रगति को धक्का लगा है। सरकार मामले पर नजर रखे हुए है और उचित कार्यवाही की जा रही है।

Quota of Sugar Given to Employees of Sugar Mills

8607. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government fix monthly quota of sugar for employees working in each sugar mill;

(b) if so, the quantity of sugar given to each worker in a month and the State-wise quota of sugar thus given to employees;

(c) whether General Secretary of the Bharat Sugar Mills Labour Union, Sidhwalia in Siwan District of Bihar has written any letter to the Director of Sugar and Vanaspati of the Government of India on 7th March last in this ragard; and

(d) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Presently three quintals of sugar per 100 workers is distributed by the factories. A statement showing statewise the quota of levy sugar released to sugar factories for supply to their employees for the month of March 1973 is attached.

(c) No such letter appears to have so far been received in the Directorate of Sugar and Vanaspati.

(d) Does not arise.

Quota : Statement showing quota of levy sugar released to factories in each State for supply to their employees for the month of March, 1973

State	No. of factories	No. of employees	Qty. allotted (Quintals)
1. U.P.	73	88,577	2,656
2. Bihar	27	24,848	747
3. West Bengal	1	332	10
4. Assam	1	768	23
5. Haryana	3	3,698	110
6. Punjab	6	4,451	133
7. Rajasthan	3	2,615	78
8. Madhya Pradesh	6	5,030	151
9. Orissa	2	1,025	31
10. Andhra Pradesh	19	14,123	422
11. Gujarat	8	4,126	124
12. Maharashtra	43	38,409	1,153
13. Mysore	13	10,503	314
14. Kerala	3	1,210	36
15. Tamil Nadu	16	12,724	381
16. Pondicherry	1	924	28

डी० आई० जैड० क्षेत्र के सेक्टर 'डी' नई दिल्ली में पूछताछ कार्यालय का खोला जाना

8609. श्री सतपाल कपूर :
श्री वरके जार्ज :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैक्टर 'डी' डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली, के निवासियों ने अपने क्षेत्र में पूछताछ कार्यालय खोलने की मांग की है ; और

(ख) क्या उनकी माग मान ली गई है, और यदि नहीं, तो उसके विशेष कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) डायज़ स्क्वेयर में पूछताछ का एक उप-कार्यालय पहले से विद्यमान है जो इन मकानों के बहुत निकट है तथा जो सेक्टर 'डी' डी० आई० जैड० क्षेत्र की शिकायतों को भी देखता है। हेग स्क्वेयर के मकानों को अतिरिक्त नये मकानों के निर्माण के लिए गिराया जाना है ।

बारानी खेती हेतु तकनीकी आधार के विस्तार तथा विकास के लिए विश्व बैंक से सुझाव

8610. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विश्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि भारत को तकनीकी आधार के विस्तार और विकास की आवश्यकता है जिससे कि बारानी खेती पद्धति उसी प्रकार से अधिक सहायक हो सके जिस प्रकार से सिंचित भूमि में हरित क्रांति के लिए उर्वरक सहायक रहा है ;

(ख) क्या विश्व बैंक ने वर्तमान कठिनाइयों का उल्लेख किया था और यदि हां, तो वे किस प्रकार की हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने बारानी खेती के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने की कोई योजना तैयार की है और विश्व बैंक के सुझावों पर क्या विचार किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के संबंध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए हुए मसौदो के विषय में फरवरी, 1973 में विश्व बैंक टोह मिशन ने भारत का दौरा किया था। इन कार्यक्रमों के कुछ मसौदों में बारानी खेती के संबंध में उल्लेख किया गया है। मिशन के निर्णयों के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) चौथी योजना में 1970-71 से समेकित बारानी भूमि कृषि विकास के संबंध में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की गई है। 12 राज्यों में 24 अग्रगामी परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है जिन से वर्ष 1973-74 के अन्त तक प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत क्रमिक रुप में 6000/8000 एकड़ क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा । योजना का उद्देश्य बारानी भूमि अनुसंधान केन्द्र में विकसित होने वाली बारानी खेती की नई प्रोद्योगिकी का प्रदर्शन करना है। प्रत्येक परियोजना के निकटवर्ती क्षेत्रों के कृषक इस प्रकार विकसित हुई बारानी खेती प्रोद्योगिकी को अपना सकते हैं ।

डोंगरपुर, राजस्थान के अकालग्रस्त आदिवासी क्षेत्रों में किए गए उपाय

8611. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डोंगरपूर (राजस्थान) के आदिवासी क्षेत्रों पर इस वर्ष भीषणतम अकाल का प्रभाव हुआ है जिससे उस क्षेत्र के लगभग सभी आदिवासियों को अपने घर छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में अकाल सहायता कार्यों के लिए क्या केन्द्रीय सहायता दी गई है और उस क्षेत्र में सूखे और अकाल की स्थायी समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय किए गए हैं और किए जायेंगे ; और

(ग) आरम्भ की गई योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) डोंगरपुर राजस्थान के भीषण रूप से सूखाग्रस्त जिलों में से एक है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि प्रभावित जनसंख्या को आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए उपाय किए गए हैं और आदिम जाति के लोग तथा आदिवासी अपने घर नहीं छोड़ रहे हैं।

(ख) और (ग) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए दी गई अल्पकालीन और दीर्घकालीन केन्द्रीय सहायता तथा किए गए राहत उपाय बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(1) राज्य सरकार को अब तक 11 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार ने डोंगरपुर जिले की आवश्यकताओं का ध्यान रखा है।

(2) किए गए राहत उपायों में ये शामिल हैं :—

1. प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए टैस्ट राहत कार्य खोले गए हैं ;
2. मुफ्त सहायता का विवरण ;
3. पेयजल सप्लाई करने की व्यवस्था करना ; और
4. चारे की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(3) सूखा उन्मूख क्षत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में डोंगरपुर भी आता है जिसके अन्तर्गत 1973–74 तक खर्च करने के लिए धनराशि उपलब्ध है।

(4) आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार को विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम और कृषि आदानों के लिए क्रमशः 3,892 करोड़ रुपये और 4 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन योजनाओं में रबी और ग्रीष्म की फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।

(5) कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजना के विकास कार्यक्रम भविष्य में सूखे की भीषणता को कम करेंगे।

दिल्ली में परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को अवैध ढंग से सहायता देना

3612. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में असफल रहती है जो दिल्ली में परीक्षा-भवनों के बाहर उपयुक्त स्थान चुनकर माईक्रोफोन अथवा अन्य किसी साधन से परिक्षार्थियों को अक्षरशः लिखवा देने के लिए परीक्षा में आए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से बोलते जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षार्थियों को नकल करने से रोकने तथा अवैध ढंग से परीक्षार्थियों को सहायता पहुंचाने के कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) हाल ही में (मार्च–अप्रैल, 1973 में) हुई परीक्षाओं के दौरान दिल्ली में हुए ऐसे कितने मामलों की जानकारी सरकार को मिली है ; और

(घ) क्या ऐसे कदाचारों को रोकने हेतु उन्हें दण्डनीय अपराध घोषित करने तथा इन के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) दिल्ली प्रशासन अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय मत्स्य निगम को बंगला देश के साथ मत्स्य व्यापार के कारण हानि

8613. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगला देश के साथ मत्स्य व्यापार के कारण केन्द्रीय मत्स्य निगम की 15 लाख रुपये की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस हानि के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम को बंगला देश के साथ मछली के व्यापार में कुछ घाटा हुआ। इस रकम के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह 15 लाख रुपये होने की संभावना नहीं है।

(ख) चूंकि कलकत्ता में मछली की बहुत अधिक मांग थी, इसलिए बंगला देश के साथ व्यापार करार के अन्तर्गत इसके आयात की व्यवस्था की गई। इस प्रकार 9 करोड़ रुपये की मछली की ऐसी उपयुक्त किस्मों की खरीद करके आयात किया जाना था, जिनकी सप्लाई हो। कुछ अवधियों के दौरान, खासकर मार्च, 1973 के दूसरे पखवाड़े में कुछ समय की पूर्व सूचना पर ही "हिल्सा" किस्म बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो गई। चूंकि "हिल्सा" शीघ्र ही खराब हो जाती है, इसलिए इसके विपणन की तुरन्त व्यवस्था करनी पड़ी, हालांकि उस समय कलकत्ता के बाजार में ये जिस कीमत पर बेची गई वह अलाभकर थी।

नरेला (दिल्ली) में 28 बिस्तरे वाला क्षयरोग अस्पताल

8614. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से 37 किलोमीटर दूर नरेला में दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए 28 बिस्तरों वाले क्षय रोग अस्पताल के 1968 में भारत आए एक सम्राट द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन के बाद से ताला बन्द और अप्रयुक्त पड़े होने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) नरेला में 1968-69 में एक क्षय रोग क्लिनिक खोला गया था जिसके साथ 22 पलंगों का एक क्षय रोग वार्ड संबद्ध है। यह क्षय रोग क्लिनिक तो काम कर रहा है किन्तु पानी तथा आपाती ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए मकान न होने के कारण 22 पलंगों वाले वार्ड को नहीं खोला जा सका। कोई उद्घाटन समारोह का आयोजन नहीं किया गया।

(ख) अब पानी देने की व्यवस्था कर दी गई है और दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों को मकान देने के लिए प्रयास कर रहा है।

भूमि सुधारों के विषय में समय-बाधित कार्यक्रम

8615. श्री ज्योतिर्मय बसू : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि सुधारों का समय-बाधित कार्यक्रम समय से बहुत पीछे है ;

(ख) क्या केवल कुछ ही राज्यों ने इस विषय पर "पूरा" कानून बनाया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं , और

(घ) भूमि सुधारों के समय-बाधित कार्यक्रम की अब तक की राज्य वार प्रगति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्य सरकारों को जारी किये गये राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह विहित था कि सीमा निर्धारण संबंधी संशोधित कानून 31 दिसम्बर, 1972 तक बना दिये जाने चाहिये। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सीमा संबंधी संशोधित कानून पहले ही बना लिये हैं। अन्य राज्यों में ये कानून राज्य-विधान-मंडलों में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है।

चीनी उद्योग की लाइसेन्स-प्राप्त क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन

8616. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में, राज्यवार तथा वर्षवार, चीनी उद्योगों की कुल लाइसेंस-प्राप्त क्षमता, अधिष्ठापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन क्या था ;

(ख) क्या सरकार चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता में लिए लाइसेंस देने की सोच रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1969–70 से 1971–72 तक के पिराई मौसमों के दौरान देश में राज्यवार और वर्षवार चीनी की लाइसेंसशुदा क्षमता, स्थापित क्षमता और वास्तविक उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4917/73]**

(ख) और (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए चीनी उद्योग में लाइसेंस देने का 56 लाख मीटरी टन का लक्ष्य पूरा हो गया है। योजना आयोग के परामर्श से पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रति अतिरिक्त क्षमता के और लाइसेंस अग्रिम देने का प्रश्न विचाराधीन है।

राज्यीय राजपथों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को राज सहायता तथा ऋण

8618. श्री शंकरराव सावंत : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यीय राजपथों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को राज सहायता तथा ऋण देती हैं;

(ख) यदि हां, तो 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 में विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजन से ऋणों एवं राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) वर्ष 1973–74 में विभिन्न राज्यों को कितनी राजसहायता तथा ऋण दिये जाने है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) जी, हां। राज्यों में कुछ निर्दिष्ट वर्ग की सड़कों के लिए सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) सात विवरण संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4918/73]**

विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता तथा ऋण

8619. **श्री शंकरराव सावंत** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता तथा ऋण पाने वाले महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों तथा कालजों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन की राशि कितनी-कितनी है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : **(क) और (ख)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, आयोग को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को ऋण देने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में वर्ष 1972–73 के दौरान विश्वविद्यालय और कालिजों को जो विकास अनुदान दिए गए ह उसका विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4919/73]**

गत तीन वर्षों में गेहूँ की बिक्री तथा खरीद के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राज सहायता

8620. **श्री शंकरराव सावंत :**
श्री एस० एल० पेजे :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 में गेहूं की वसूली मूल्य उसके बाजार मूल्य से अधिक था, यदि हां, तो दोनों में क्या अन्तर था;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में गेहूं की बिक्री तथा खरीद पर राज-सहायता दी जाती थी; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष किस मात्रा तक तथा कितनी राजसहायता दी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) क्योंकि इन सभी वर्षों के लिए अधिप्राप्त मूल्य साहाय्य मूल्य के रूप में निर्धारित किए गए थे इसलिए बाजार के मूल्य, अधिप्राप्ति मूल्यों से नीचे नहीं आए। यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि सहाय्य मूल्य के अन्तर्गत अधिप्राप्ति न करने से बाजार मूल्य किस स्तर तक पहुंच जाते।

(ख) और (ग) गेहूँ की खरीद निर्धारित अधिप्राप्ति मूल्य पर की गई थी और यह गेहूं पूरी इक्नामिक लागत वसूल किए बिना राज्य सरकारों को दिया गया था। इक्नामिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच का अन्तर राज-सहायता होती है। तीन वर्षों के दौरान दी गई राज सहायता की राशि इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

1970–71 .	17.98 (केवल गेहूँ पर)
1971–72	49.69 (गेहूँ, चावल तथा माइलों पर)
1972–73 .	117.23 (गेहूँ और चावल पर)

राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला को वित्तीय सहायता

8621. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान को कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी सहायता दी गई है ;

(ग) क्या सरकार का इस संस्थान के कार्यकरण पर कोई नियंत्रण है ; और

(घ) क्या इस संस्थान के कार्यकरण को सुधारने के लिए कोई उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 1972–73 के दौरान 30.75 लाख रुपये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) संस्थान का शासी मण्डल, जिसमें शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व है, संस्थान के कामकाज में सुधार के लिए समय-समय पर कार्यवाही करता रहा है ।

मध्य प्रदेश में अनाथ महिला सदन

8622. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में कोई अनाथ महिला सदन चल रहेहैं, यदि हां, तो कहां–कहां पर ;

(ख) क्या राज्य में अन्य स्थानों पर भी ऐसे सदन खोलने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो कहां–कहां पर; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार मध्य प्रदेश में निराश्रित स्त्रियों के लिए कोई सदन नहीं चला रही है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

छोटा नागपुर और संथाल परगना में रति रोग सम्बन्धी केन्द्रीय दल द्वारा किया गया सर्वेक्षण

8623. **श्री ए० के० एम्० इसहाक :**
श्री हुकुम चन्द कछवाय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में बिहार राज्य के छोटा नागपुर और डिवीजन और संथाल परगना जिले में रति रोग संबंधी केन्द्रीय दल ने कोई सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इस रोग से कितने पुरुष और महीलाएं ग्रस्त हैं;

(ग) रोग ग्रस्त पुरुषों और महीलाओं की आयु समूह वार संख्या क्या है; और

(घ) इस सर्वेक्षण के आधार पर इस रोग को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० ए० के० किस्कू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। :

(घ) रतिरोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत, जो एक केन्द्र घोषित कार्यक्रम है और जिसके लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है छोटानागपुर मण्डल तथा संथाल परगना जिले में इस बीमारी को रोकने के लिए जो उपाय किये गये हैं उनके लिये अलग से बिहार राज्य को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई। राज्य सरकारें/ संघ शासित क्षेत्र अपनी-अपनी आवश्यकता तथा धनराशि की उपलब्धि के अनुसार रतिरोग क्लिनिकों की स्थापना कर सकते हैं। तद्नुसार बिहार सरकार ने 1972-73 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर सात रतिरोग क्लिनिकों की स्थापना की है:--

1. जमशेदपुर सिंहभूम।
2. छपरा सदर अस्पताल।
3. पुरनस सदर अस्पताल।
4. डालटंग गंज, पटना।
5. मोतीहार, पटना।
6. सहरसा छावनी अस्पताल।
7. हजारीबाग छावनी अस्पताल।

1973-74 के दौरान राज्य सरकार की जन-जातिय क्षेत्रों में 2 अतिरिक्त रतिरोग क्लिनिकों की स्थापना के लिये अनुमति दे दी गई है।

छोटा नागपुर और संथाल परगना में केन्द्रीय दल द्वारा क्षय रोग के बारे में सर्वेक्षण करना

8624. श्री ए० के० एम० इसहाक :
श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में केन्द्रीय दल ने बिहार के छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना जिले में क्षय रोगों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के कितने व्यक्ति शिकार हुए हैं; और

(ग) इस सर्वेक्षण के आधार पर इस रोग पर काबू पाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्रीय घोषित योजना की श्रेणी में रख दिया गया है। केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए स्वीकृत प्रतिमान के अनुरुप आर्थिक सहायता देती है

(1) क्षय-रोग क्लिनिकों की स्थापना करना और उनका दर्जा बढ़ाना ;

(2) क्षय रोग के लिये अलग पलंगों की स्थापना ;

(3) स्वैच्छिक क्षय रोग संस्थाओं को क्षय-रोग रोधी दवाइयों की सप्लाई ;

(4) राज्य क्षय रोग क्लिनिकों को क्षय रोग रोधी दवाइयों की सप्लाई।

छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगना और पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई योजना

8625. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री आर० एम० बर्मन :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटा नागपुर डिवीजन, जिला सन्थाल परगना और पश्चिम बंगाल चतुर्थ पंचवर्षीय योजना दौरान लघु सिंचाई योजना के अधीन कितने कुए गहरे नलकूप, तालाब, उथले नलकूप और बांध बनाए गए हैं ; और

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुओं, गहरे नलकूपों, तालाबों, उथले नलकूपों और बांधों जैसे निर्माण–कार्यों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के अलावा लघु सिंचाई योजनाओं में संस्थागत और निजी स्रोतों से काफी बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई जाती है। अत: इन योजनाओं की संख्या बहुत अधिक है और छोटा नागपुर डिवीजन, जिला संथाल परगना तथा पश्चिम बंगाल में चौथी पंचवर्षीय योजना के चार वर्षों में ऐसे निर्माण–कार्यों की संख्या, उन पर व्यय की गई धनराशि और उनसे सींची जाने वाली भूमि के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा यह चौथी योजना का अन्तिम वर्ष है और मांगी गई पूरी जानकारी अप्रैल, 1974 के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कालेज, फरीदाबाद, के छात्रों के भाग्य का निर्णय

8626. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कालिज, फरीदाबाद के 211 छात्रों के भाग्य के निर्णय के संबंध में आगे और क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या इस बीच कोई अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है और यदि नहीं तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) और (ख) इस संबंध में आगे और जो विचार विमर्श हुआ इसके परिणामस्वरूप पंजाब के मुख्य मंत्री एक नये ट्रस्ट बनाने का सोच रहे जो इस कालज को फरीदाबाद से ले जाने / पंजाब में किसी स्थान पर इसे पुनरस्थापित करने और इसे समुचित आधार पर चलाने का काम करेगा। इस विषय पर 27 अप्रैल, 1973 को लोक-सभा में एक वक्तव्य पहले ही दिया जा चुका है।

मेडिकल और परा-मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाना

8627. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिय मेडिकल और परा-मेडिकल कर्मचारियों की भर्ती एवं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने हेतु विशेष उपाय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रशिक्षित चिकित्सकों की भरती करके देहात के लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुधार की सुविधाएं देने के उद्देश्य से देहातों के लिये एक मार्गदर्शी स्वास्थ्य योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस मार्गदर्शी परियोजना के अधीन 29 उप-केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा देख-रेख की सुविधाएँ देने का विचार है । प्रत्येक केन्द्र में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों और होमोपैथी के तीन-तीन प्रशिक्षित चिकित्सक होंगे और इसके अधीन लगभग 10,000 की आबादी को सुविधाएँ मिलने की आशा है ।

पांचवीं योजना में मैसूर में मत्स्य पालन का विकास

8628. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मैसूर में मत्स्य पालन के विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : पंचम योजना में मीन-उद्योग विकास के कार्यक्रमों को अभी योजना आयोग के विचार-विमर्श से अन्तिम रूप दिया जाना है । अनंतिम कार्यक्रमों में अन्तर्देशस्थ तथा समुद्रीय मीन-उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है । अन्तर्देशस्थ क्षेत्र में डिमपोना की अधिक सप्लाई से सम्बन्धित चौथी योजना की स्कीमों को तालाबों तथा हौजों में सघन मीन-पालन विकास की समेकित योजनाओं से अनुपूरित करने का विचार है । राज्य मीन-उद्योग निगम को सशक्त करने तथा सर्वेक्षण , शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, आदि योजनाओं को जारी रखने के अतिरिक्त, समुद्रीय मीन-उद्योग के संबंध में परम्परागत मीन-उद्योग के सुधार के लिये बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान करने तथा उन्नत किस्म की यंत्रीकृत नौकाओं को प्रारम्भ करने का विचार है ।

छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के निवेशपूर्वक सर्वेक्षण ने मालवे तथा होन्नावर के विकास के लिये क्रमशः लगभग 301.25 लाख रुपए तथा 53.54 लाख रुपए के व्यय की सिफारिश की है । इन परियोजनाओं की मंजूरी के संबंध में विचार किया जा रहा है और आशा है कि अधिकांश कार्य पांचवीं योजना की अवधि में पूरा हो जाएगा । इसके अतिरिक्त मछली पकड़ने की नौकाओं के यंत्रीकरण कार्यक्रम से उत्पन्न हुई मांग को पूरा करने के लिये पंचम पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने पर अवतारण तथा घाट संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करने का विचार है ।

कृषि अनुसंधान तथा विकास की राष्ट्रीय गोष्ठी से सम्मिलित होने वाले व्यक्ति

8629. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में हाल ही में हुई कृषि अनुसंधान और विकास की राष्ट्रीय गोष्ठी में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : 4 मार्च से 12 मार्च, 1973 तक दिल्ली में हुई कृषि अनुसंधान और विकास की राष्ट्रीय गोष्ठी में सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4920/73]**

Wheat Grown On Government Farm In Gujarat

8630. Shri Arvind M. **Patel** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state. :

(a) Whether wheat was cultivated in Government farms in Gujarat State during 1972 ;

(b) if so, the acreage of land in which wheat was grown and the expenditure incurred per acre on seeds, fertilizers, wages and water ; and

(c) the price on which the wheat produced by these farms was made available to the consumers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) to (c) The information has been called for from the State Government and will be placed on the table of the Sabha as soon as it is received.

Deals between India and U. S. A. for Purchase of Wheat

8631. Shri Arvind M. Patel : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the dates on which India and U.S.A. entered into various deals for the purchase of wheat during the last three years and amount of money, in rupees for which each deal was entered into ;

(b) the quantity of wheat imported by India under these deals during each of the last three years;

(c) the prices at which the said wheat was supplied to India; and

(d) the prices at which it would be made available to the consumers?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Import of wheat from U.S.A. during the financial years 1970-71, 1971-72 and 1972-73 was made under the following arrangements :

Date of Contract	Amount (In lakh of rupees)
Agreement dated 13-10-1969	9995.8
Agreement dated February 1970	392.2
Agreement dated 1-4-1971	7402.5*
Agreement dated 21-10-1971	400.0
Contracts signed during December 1972 to March 1973.	2895.0

*Funds provided under the PL. 480 Agreement of 1-4-1971 were expected to fetch about 15.70 lakh tonnes of wheat. However a quantity of only about 11.33 lakh tonnes was purchased. The unutilised amount was surrendered.

6—11 L.S.S./(N.D.)/73

(b) & (c) Quantities imported and their price range are as under :

Agreement	Quantity (In '000 tonnes)	Price Range (Rs. per tonne)
1970-71		
Agreement dated 13-10-1969	1504.9 (Against this agreement a quantity of 1024.0 thousand M.T. had been imported in 1969-70 year).	384-445
Agreement dated February 1970.	101.0	377-398
Agreement dated 1-4-1971.	*290.4 *(This was advance supply against the Agreement vide Letter of Conditional Reimbursement No. LCR-39-H dt. 2-12-1970).	450-476
TOTAL .	1896.3	
1971-72		
Agreement dated 1-4-1971	842.0	448–475
Agreement dated 21-10-1971 .	95.0	421
TOTAL .	937.0	
1972-73		
Contracts entered during December 1972 to March 1973. .	13.1 .	662–773
TOTAL .	13.1	

(d) Central issue price is Rs. 78 per quintal, the same as for indigenous wheat.

Registration of Doctors for Indigenous System of Medicine

8632. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have formulated any scheme in regard to registered doctors of indigenous system of medicine in the country for the next financial year; and

(b) if so, the outline thereof ?

The Deputy Minister in The Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) and (b) No. The Central and the State Governments, however, utilise the services of the qualified registered doctors of indigenous system of medicine to man the medical relief, research and teaching organisations of these systems.

Funds Sanctioned for Increasing the Number of Milch Animals of Good Breed

8633. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether Government have sanctioned some funds with a view to increasing the number of milch animals of good breed; and

(b) if so, the State-wise information thereof and the target fixed in this regard in each State ?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) In this connection the Government have undertaken the following Central Sector and Centrally Sponsored Cattle Development Schemes with the ultimate objective to improve the mumber and productivity of future progenies :—

1. Establishment of Central Cattle Breeding Farms :

Four Central Cattle Breeding Farms have been set up at Suratgarh (Rajasthan) for Tharparkar breed, Chiplima (Orissa) for Red Sindhi, Dhamrod (Gujarat) for Surti Buffaloes and Hessarghatta (Mysore) for Jersey breed. Two more farms are being set up at Koraput (Orissa) for Jersey breed and Almadi (Tamil Nadu) for Murrah Buffaloes. The amount spent on Central Cattle Breeding Farms during the last 3 years is indicated below:—

(Rs. in lakhs)

	1970-71	1971-72	1972-73 (upto Jan. 73)
1. C.B.F. Suratgarh (Rajasthan)	25.53	14.14	6.55
2. C.B.F. Chipliam & Koraput (Orissa) . .	8.96	12.41	2.77
3. C.B.F. Dhamrod (Gujarat). . .	10.33	12.46	1.94
4. C.B.F. Hessarghatta (Mysore)	1.10	0.24	0.24
Total .	55.92	39.25	11.50

One more Farm will be set up under this Scheme. These Cattle Breeding Farms are being established for production of progeny tested bulls (required for breeding purposes) of various breeds of cows and buffaloes of national importance.

2. Central Intensive Cattle Development Projects :

Four projects for cattle development are running in the areas from where milk is being collected for Delhi Milk Supply Scheme. These projects are located at Karnal and

Gurgaon in Haryana State, Bikaner in Rajasthan and Meerut in U.P. The total amount spent statewise on these projects during the last 3 years is :—

(Rs. in lakhs)

Year	Haryana	Rajasthan	U.P.
1970—71 . . .	26.14	24.26	16.36
1971—72 . .	26.90	15.00	8.68
1972—73	24.50	17.50	11.00

3. Herd Registration Scheme :

This scheme is being run to identify (through actual milk recording) the high milk yielding cows and buffaloes and to provide incentives to the owners so that the number of good cows and buffaloes could be increased through better breeding and feeding. The progenies of such animals are selected and utilised for breeding purposes. There are two units of Herd Registration— one functioning at Rohtak (Haryana) and the other at Ahmedabad (Gujarat). Rohtak Unit is controlling and supervising the milk recording of Murrah buffaloes and Haryana cows in Haryana, Delhi, Rajasthan and western U.P. The Ahmedabad Unit is dealing with Gir and Kankerej breeds of cows which are found in Gujarat State. Each Unit is headed by an Assistant Registrar who is assisted by Inspectors and Milk Recorders. A total number of 1,653 high yielding cows and buffaloes of Murrah, Haryana, Gir and Kankerej Breeds were registered upto 1971-72. The amount spent on both Units during the last 3 years is:—

	Rothak (Haryana)		Ahmedabad (Gujarat)	
1970—71.	Rs.	92,000	Rs.	44,000
1971—72.	Rs.	86,000	Rs.	62,000
1972—73.	Rs.	90,000	Rs.	92,000

4. Extension Scheme for Production of Cross-bred Heifers at National Dairy Research Institute, Karnal:

This scheme was sanctioned only in October, 1971 at a total cost of Rs. 14.33 lakh for production of 300 cross-breed heifers and their rearing upto the age of 18 months after which they will be sold to the interested farmers at no profit no loss basis. The amount spent on this Scheme is :

1971—72.	Rs. 2,40,257
1972—73.	Rs. 3,50,000

5. Frozen Semen Bank:

A total number of 5 Frozen Semen Banks have been sanctioned for establishment at Karnal (Haryana), Indore (Madhya Pradesh), Bangalore (Mysore) and Lucknow (Uttar Pradesh). The scheme has not yet started functioning. One more Central Frozen

Semen Bank which is in the advance stage of establishment has involved expenditure indicated below :—

1970—71	Rs. 0.76 lakhs
1971—72	Rs. 2.60 lakhs
1972—73	Rs. 0.97 lakhs (Provisional)

6. Progeny Testing Scheme :

A total number of 9 projects have so far been sanctioned during the last two years. The total target is for establishment of 10 projects during the Fourth Five Year Plan. This scheme aims at identification of superior bulls on the basis of the actual production and performance of the daughters and to finally use the tasted bulls extensively for breeding purposes. The Project so far sanctioned pertain to the breeds of Red Dane, Gir, Jersey, Haryana, Sahiwal and Murrah breeds of cattle and buffaloes. The Statewise location, breeds of cattle/buffalo and the amount spent since the Scheme sanctioned are indicated below :

(Rs. in lakhs)

Location	Breed	Expenditure 1971—72	Expenditure 1972—73 provisional
1. Hessarghatta (Mysore).	Red Dane	1.70	2.10
2. Junagarh (Gujarat) .	Gir	0.11	3.99
3. Hosur (Tamil Nadu).	Sindhi	0.77	6.04
4. Lucknow (U.P.)	Sahiwal	1.30	0.817
5. Bharatpur (Rajasthan) .	Haryana	0.41	1.89
6. Banwashi (Andhra Pradesh) .	Murrah	0.20	5.35
7. Gauriakarma (Bhar)	Jersey	0.71	5.20
8. Durg (Madhya Pradesh)	Murrah	1.80	2.24197
9. Barpetta (Assam)	Jersey	Nil	2.37
TOTAL .		7.00	30.00 lakhs

7. Import of Exotic Cattle:

The importation of the exotic cattle for distribution to various States for breedings purposes was started in 1961. Government have imported (upto December'1972) a total number of 2,290 exotic cattle of different breeds from various sources for cross-breeding.

The amount spent on importation during the last 3 years is:—

1970—71	Rs. 4.955
1971—72	Rs. 1.81
1972—73	Rs. 55.11 (Provisional)

The final allocation/distribution of the imported animals to the various States and Institutions is indicated in the statement attached. [*Placed in Library. See No. L. T.* 4921/73].

स्कूलों में स्काऊटों का अनिवार्य प्रशिक्षण

8634. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्कूलों में मैट्रिक तक स्काऊटों का अनिवार्य प्रशिक्षिण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

अस्पताल में मरने वालों की आंखे निकालना

8635. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों में मरने वालों की आंखें निकालने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) नेत्रहीनों आदि के पुनर्वास तथा कल्याण के लिये मृत व्यक्तियों की आंख जैसे अंगों को निकालने का एक कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) इस स्तर पर यह प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को भूमि पर गृह-स्थान का अधिकार देना

8636. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों को भूमि पर गृह-स्थान का अधिकार देने और उनकी पृष्टि की दशा में कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में राज्य-वार, कितने व्यक्तियों को भूमि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, निम्नलिखित राज्यों में पट्टेदारों को भूमि पर गृहस्थान के अधिकार दे दिये गये हैं :—

आन्ध्र प्रदेश का तेलंगना क्षेत्र, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ।

आन्ध्र प्रदेश के आन्ध्र क्षेत्र और मध्य प्रदेश के लिये इस संबंध में कानून के उपाय विचाराधीन है।

(ख) कुल राज्यों द्वारा दिये गये आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

राज्य	लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या
गुजरात	1,06,315
महाराष्ट्र	1,29,651
मैसूर	2,00,237
मनीपुर	464
पंजाब	200
त्रिपरा	1,335
उत्तर प्रदेश	1,49,589
पश्चिमी बंगाल	60,000
तमिलनाडु	1,57,265
हिमाचल प्रदेश	901

दक्षिण में मेडिकल युनिवर्सिटी की स्थापना

8637. श्री राम भगत पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की रूप रेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) तथा (ख) जी नहीं । हाल ही में मैसूर सरकार ने उस राज्य में एक स्वास्थ्य विज्ञान विश्व-विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था । स्वाथ्य मंत्रालय द्वारा इस योजना पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और वह इससे सहमत नहीं हुआ ।

राज्यों में वन विकास निगमों की स्थापना

8638. श्री राम भगत पासावन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में वन विकास निगम बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन निगमों की रचना तथा कृत्य क्या होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने राज्यों में बड़े पैमाने पर वन रोपण और वन उद्योगों के विकास के लिये सांस्थानिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये वन विकास निगम स्थापित करने की सम्भावना के बारे में विचार करें । मैसूर में मैसूर राज्य वन निगम और कर्नाटक राज्य वन उद्योग निगम नामक दो निगमों की स्थापना हो चुकी है और अनेक अन्य राज्यों ने वन निगमों की स्थापना के संबंध में काफी दिलचस्पी दिखाई है । राष्ट्रीय कृषि आयोग ने "उत्पादन वानिकी-मानव द्वारा लगाए गए वन" के संबंध में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में बडे पैमाने पर वनरोपण का कार्यक्रम शुरू करने के लिये निगम स्थापीत करने की सिफारिश की है । केन्द्रीय वन मण्डल ने अपनी फरवरी, 1973 की बैठक में राज्यों को उपर्युक्त सिफारिशों को अपनाने की सिफारिश की थी ।

(ख) निगमों की गठन संबंधी ब्यौरा तैयार करने का कार्य स्वयं राज्यों पर छोड़ा गया है। जहां तक इसके कृत्यों का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर, सांस्थानिक वित्तीय सहायता का लाभ उठाकर वन उद्योगों का विकास करने तथा लकड़ी पर आधारित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बड़े पैमाने पर वन रोपण करना है।

Scheme for Nuclear Farm Research

8640. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are going to pay more attention to nuclear Farm Research;

(b) if so, the outlines of the scheme in this regard; and

(c) the extent of benefit likely to accrue therefrom?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, please.

(b) A note containing the outlines of the scheme is appended. **[Placed in Library. See No. L.T. 4922/73.]**

(c) The use of nuclear techniques in agriculture is expected to develop newer varieties of plants with better quality and quantity of proteins, higher oil content in oil seeds efficient use of fertilizers and of water, control of diseases and pests in plants and animals.

The project is in operation since October, 1968 and the following benefits have accrued so ar:——

(i) Creation of a modern sophisticated facility called the Nuclear Research Laboratory for advanced research in agricultural science.

(ii) Preparation of a radiation attenuated vaccine against control of lung worm disease in sheep which has been successfully tried in Kashmir for the control of this disease and this is going for extension implementation on a large scale in Jammu and Kashmir state.

(iii) Development of a technique for rapid and non-destructive analysis of oil seeds for oil content and this is helping greatly in the screening of oil seeds like the Brassica, groundnut and sunflower for their oil content.

(iv) It has been shown that for rice, nitrogen fertilizers need be placed at 5 cm below the surface of soil for better and efficient utilisation of this nutrient but for phosphorus the fertilizer need be put on the surface and puddled before transplanting of rice.

(v) For wheat the fertilizer nitrogen and phosphorus both need be placed below the surface for better and efficient use. It has been shown that basic slag, a waste product of the Indian steel mills which analyse low in respect of phosphorus, can be used as a highly suitable material on acid soil for crop production. This will save the country million of rupees in foreign exchange.

(vi) Four rice mutants have been developed with more desirable characters. Barley mutants with high protein and high lysine contents have also been developed. All these are under trial.

(vii) Basic research on animal nutrition and synthesis of milk protein will help in increasing the productivity of livestock.

The scheme is also offering an excellent inter-institutional collaboration in specific fields.

Production at Suratgarh Farm

8641. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the production at Suratgarh Farm has been increasing every year for the last three years since 1971-72;

(b) whether there is scarcity of water in the said farm as a result of which production is reduced there ; and

(c) action proposed to be taken by Government to have the maximum production from the said farm ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) Production at the Central State Farm, Suratgarh during the year 1971–72 was 83506 quintals. Figures in respect of the production for the year 1972–73 are not yet available but the production is likely to be more than that of 1971-72. Similarly the Production of the crops that will be grown in 1973–74 is likely to be more than that of 1972-73.

(b) Yes, sir.

(c) The Central State Farm, Suratgarh is at the tail end of the Bhakra Canal System as a result of which the farm is getting erratic and irregular supplies of irrgation water. Recently at our request the Government of Rajastan have agreed, in principle, to transfer Suratgarh farm from the command of the Bhakra Canal System to Rajasthan Canal System. With the switch-over of the farm to Rajasthan Canal System, the irrigation supply position is likely to improve and consequently the production will go up.

वर्ष 1972–73 में पेरा गया गन्ना और बनाई गई चीनी

8642. श्री विभूति मिश्र : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के मौसम में कुल कितना गन्ना पेरा गया और 31 मार्च, 1973 तक उससे चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या इस उत्पादन से भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाए जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1972-73 मौसम (31-3-73 तक) के दौरान पेरे गये गन्न ओर उत्पादित चीनी की कुल मात्रा क्रमश: 346. 61 और 33. 15 लाख मीटरी टन था ।

(ख) और (ग) गन्ने का अधिक मूल्य निर्धारित कर, आंशिक नियंत्रण की नीति जारी रख कर, उत्पादन शुल्क में छूट देकर, समान खुदरा मूल्य आदि शुरू कर के पहले ही किये गये उपायों के फलस्वरूप चालू मौसम के अन्त तक चीनी का उत्पादन 38 लाख मी० टन के आसपास होगा जब कि पिछले मौसम में चीनी का उत्पादन 31. 13 लाख मी० टन हुआ था । लाइसेंसशुदा और नये कारखाने चालू होने, मौजूदा क्षमता का आधुनिकरण/विस्तार करने, गन्ना विकास-कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने, धीरे-धीरे बफर स्टाक तयार करने और अन्य दीर्घकालीन उपाय करने के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि चीनी की सप्लाई और मांग के बीच संतुलन बनाये रखने के निर्धारित उद्देश्य को अगले कुछ वर्षों में प्राप्त कर लिया जायेगा । इस बीच, मासिक निर्मुक्ति पर सोच-समझकर नियंत्रण करके इसकी उपलब्धि की सीमा के अन्दर चीनी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी ।

तोलना (वेइंग गवर्नमेंट स्टाईल) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

8643. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मार्च, 1973 के "इण्डियन एक्सप्रेस" के पृष्ठ 7, कालम 1 में 'वेइंग गवर्नमेंट स्टाईल' शीर्षक से छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सरकारी स्रोतों को गेहूँ बेचने में कम वजन के बाटों का प्रयोग हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या एस० डी० ओ० सदर द्वारा निगम के गोदाम पर कब्जा कर लिया गया था; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 265, 266 और 420 के अधीन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध उनकी व्यक्तिगत हैसियत में केस रजिस्टर्ड किया गया है क्योंकि 50 किलो का वज़न गलत पाया गया था और वजन में 500 ग्राम की कथित कमी थी ।

(ग) दोषपूर्ण बाटों को बदल दिया गया है । मामले की जांच की जा रही है । भारतीय खाद्य निगम द्वारा दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

नई दिल्ली में प्रौद्योगिकीय केन्द्र की स्थापना करना

8644. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में नई किल्ली में प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने की सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के सम्बन्ध में दिल्ली की फ्लैट-आनर्स एसोसिएशन की शिकायतें

8645. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की फ्लैट-आनर्स एसोसिएशन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों के सम्बन्ध में वह शिकायत की है कि इन फ्लैटों के निर्माण में घटिया किस्म के सामान और फिटिंग अदि का उपयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा रोकने के लिए क्या आवश्यक उपाय किए जा रहे है और निकट भविष्य में सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । सभी प्राप्त शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है ।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के शासन प्रबन्ध विषयक समिति

8646. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों और कालेजों के शासन प्रबंध विषयक समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभिशासन संबंधी समिति ने हाल ही में अध्यापकों के विषय में अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में अध्यापकों के वेतनमानों और उनकी सेवा-शर्तों के विषय में उल्लेख किया गया है। तथा आयोग द्वारा उस पर शीघ्र विचार किए जाने की संभावना है ।

वर्ष 1972–73 में ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में धन का उपयोग न करना

8647. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के ग्रामीण रोजगार के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित राशि को औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में खर्च न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली

8648. श्री शशि भूषण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सर गंगाराम अस्पताल, नई दिल्ली ने गरीब बाहरी रोगियों और सामान्य वार्ड में प्रवेश पाने वाले रोगियों की दवाइयां, भोजन तथा अन्य सुविधाएं नि:शुल्क देनी बन्द कर दी है; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? गरीब रोगियों के लाभ के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) जी हां ।

(ख) सर गंगाराम अस्पताल एक प्राइवेट अस्पताल है, जो, प्राप्त सूचना के अनुसार, निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करता है :—

(1) पहली बार आने पर 25 पैसे का कवर चार्ज दिया जाता है और वह भी केवल उन लोगों से जो इसे दे सकते हैं ।

(2) अस्पताल की दवाइयों की सूची में सम्मिलित दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं ।

(3) जनरल वार्ड में कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है ।

(4) निर्धन रोगियों को मुफ्त एक्स-रे और प्रयोगशालासेवाएं प्राप्त करने के लिये कभी मना नहीं किया गया ।

1973–74 के लिए बीजों के उत्पादन का लक्ष्य

8649. श्री शशि भूषण :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1973-74 में बीजों के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और लक्षित उत्पादन किस प्रकार हो सकेगा तथा इससे बीजों की घरेलू मांग की पूर्ति किस सीमा तक हो सकेगी ;

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम ने 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान बीजों का कुल कितना उत्पादन किया और यह उत्पादन लक्ष्यों से कितना कम था और कम उत्पादन के क्या कारण थे; और

(ग) 1973-74 में बीजों के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) वर्ष 1971-72, 1972-73 तथा खरीफ 1973 के लक्ष्य और वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1973-74 के ग्रीष्म रबी के लिये बीजों के उत्पादन के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किये गये हैं।

राष्ट्रीय बीज निगम के अतिरिक्त, देश में बीजों के उत्पादन तथा बीजों की मांग की पूर्ति का कार्य राज्य के कृषि विभागों, गैर-सरकारी बीज उत्पादकों, कृषि विश्वविद्यालयों, सहकारी समितियों, तराई विकास निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम के उत्पादन के लक्ष्य, प्रभावी मांग तथा उत्पादन की क्षमता संबंधी अनुमान उनके अपने मूल्यांकन पर आधारित होते हैं।

अनियमित वर्षा होने, सूखे पड़ने, रोगों तथा कीटों के आक्रमण होने, बिजली की कमी के कारण परिसंस्करण कार्य में बाधा पड़ने–तदनरूपी अनाजों के मूल्यों में असामान्य वृद्धि होने तथा निर्धारित स्तर के बीजों के प्राप्ति में बाधा होने के कारण 1971-72 तथा 1972-73 की अवधि में कुछ किस्मों के बीजों के उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके।

(ग) अनियमित वर्षा तथा सूखे आदि प्राकृतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, लेकिन वर्ष 1973-74 के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संगठन व्यवस्था में सुधार करने, मूल बीजों का सामयिक संचलन करने, उपयुक्त क्षेत्रों तथा विश्वसनीय उत्पादकों को अभिज्ञात करने तथा परिसंस्करण क्षमता में वृद्धि करने के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं।

विवरण

	1971-72		1972-73		केवल खरीफ, 1973 के लिए लक्ष्य
	लक्ष्य (क्विन्टल)	प्राप्ति (क्विन्टल)	लक्ष्य (क्विन्टल)	प्राप्ति (अनुमानित) (क्विन्टल)	(क्विन्टल)
1. अनाज .	2,15,405	1,10,505	2,81,460	2,08,965	1,04,000
2. रेशेदार फसल .	22,800	8,473	23,925	12,753	15,825
3. चारा की फसल .	5,022	2,802	6,060	1,270	1,010
4. तिलहन .	17,462	1,820	8,830	1,514	8,150
5. दालें . .	500	431	4,820	945	9,250
6. सब्जियां .	12,000	5,596	11,000	6,507	8,175

शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम में शिक्षा की प्रगति का न दिखाया जाना

8650. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1972-73 के अपने वार्षिक प्रतिवेदन (नवां अध्याय) में भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया है;

(ख) क्या संघ राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम में शिक्षा की प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस चूक के क्या कारण हैं विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त संघ राज्य क्षेत्रों का उद्घाटन 20 जनवरी, 1972 को किया गया था; और

(घ) इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1972-73 के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्य का अलग-अलग संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) वार्षिक रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को शामिल नहीं किया जा सका क्योंकि इन संघ शासित क्षेत्रों ने वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशन के लिये अपनी सामग्री समय पर नहीं भेजी थी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक विवरण संलग्न है । मिजोरम से रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है और उपलब्ध होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

विवरण

1972–73 वर्ष के लिए अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा की प्रगति दर्शने वाला विवरण

उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी कबीली विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है । दूर-दूर से आने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न जिलों में अन्तर-ग्राम जूनियर हाई और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में रहने की सुविधाएं दी जाती हैं ।

सामान्यत:, संघ शासित क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को भारत सरकार की अनुमोदित दरों के अनुसार अपनी शिक्षा के लिये पुस्तक अनुदानों सहित वजीफें/छात्र वृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

चुनी गई योग्य लड़कियों को सरकार के खर्चे पर अध्ययन के लिये भारत की विख्यात संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 50 कबीली छात्राएँ वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर में अध्ययन कर रही हैं ।

सभी उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं में विज्ञान की सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं । जवाहर लाल नेहरू कालेज, पासिघाट में विज्ञान अध्यापन को शुरू किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये भारत सरकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं ।

तिरप जिलें में बी० एस० बी० संस्थान में मैट्रिक उत्तीर्ण अध्यापकों को बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

प्रत्येक वर्ष 12 स्नातक अध्यापकों को बी० टी० प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये गोहाटी विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है। प्रत्येक वर्ष विज्ञान के 5 स्नातक अध्यापकों को क्षेत्रीय शिक्षा कालेज में प्रतिनियुक्त किया जाता है। चांगलैंड स्थित संस्था में छः मासीय लघु कालीन अंग्रेजी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। एक समय पर 100 अध्यापकों को दाखिल किया जाता है।

संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न भागों में 59 प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र हैं।

राज्यों में नसबन्दी आपरेशन के परिणामस्वरूप हुई मौतों को रोकने के लिए कार्यवाही

8651. श्री शशि भूषण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) नसबन्दी आपरेशनों से विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या इस बीच मौत के कारणों का पता लगाया गया है; और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और मौतों को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या कुछ मामलों में, आपरेशन करने वाले डाक्टरों को इन मौतों का जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि उन्होंने लापरवाही की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) राज्य सरकारों द्वारा भजी गई सूचना के अनुसार नसबन्दी आपरेशनों के कारण पिछले तीन वर्षों में हुई मौतों की कुल संख्या निम्नलिखित है :—

1970-71	6
1971-72	16
1972-73	41

(ख) राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अधिकांश मौतें टिटेनस के कारण हुई। इस विषय पर प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सकों, विकृति विज्ञानियों तथा सूक्ष्मजीवि विज्ञानियों की एक बैठक में विचार किया गया था तथा टिटेनस का संक्रमण रोकने के लिये राज्य सरकरों को विस्तृत अनुदेश जारी कर दिय गए थे।

(ग) और (घ) सरकार को अभी सभी मौतों की जांच रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। इन रिपोर्टों के प्राप्त होते ही मांगी गई सूचना सभा पटल पर रख दी जायगी।

सुन्दरबन, पश्चिम बंगाल में रोजगार प्रदान योजना लागू करना

8652. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरबन का विकास कतिपय रोजगार प्रधान योजनाओं को लागू करने के लिये किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सुन्दरबन में कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य बनायी जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :

सुन्दर बन का विकास

(क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि सुन्दरबन क्षेत्र के व्यापक विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों में निम्नलिखित अनेक रोजगार-प्रधान योजनाएं और परि-योजनाएं शामिल हैं :—

1. भूमि रक्षण : बांध और डाइक योजनाएं—तट बन्धन सम्बन्धी योजनाएं
2. जलनिकास और बाढ़ नियंत्रण की योजनाएं
3. भूमि सुधार और पुनर्वास सम्बन्धी योजना
4. वनरोपण सम्बन्धी योजनाएं
5. उन्नत कृषि सम्बन्धी योजनाएं
6. मात्स्यकी योजनाएं
7. सड़क और संचार विषयक योजनाएं
8. शिक्षण सम्बन्धी योजनाएं
9. मुख्य विकास योजनाएं
10. अवस्थापना सम्बन्धी अन्य योजनाएं

ये समस्त योजनाएं अत्याधिक रोजगार-प्रधान हैं । अत: क्रियान्विति के समय (1) कुशल, अर्ध-कुशल और व्यावसायिक तथा (2) अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे । इन योजनाओं की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप दूसरे चरण में स्वत: रोजगार और अन्य प्रकार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे । इन दोनों अवस्थाओं में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा या कितने व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होगी इस विषय में अनुमान लगाया गया है और जो नीचे दिया गया है :—

रोज़गार के अवसर	मानव वर्ष (000)
(क) क्रियान्विति की अवस्था में	247.154
1. कुशल और व्यावसायिक रोज़गार	4.860
2. अर्ध-कुशल रोज़गार	4.860
3. अन्य	16.200
4. श्रमिकों का उपयोग (भूमि सम्बन्धी कार्यों आदि के लिए) .	221.234
(ख) निम्न योजनाओं से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे	50.487
1. कृषि (सुधरे हुए क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों की फसल, कपास आदि)	46.302
2. मत्स्यपालन	4.185
कुल योग .	297.641

इस प्रकार क्रियान्विति की अवस्था (10 वर्ष की अवधि) में 10 वर्षों के लिए लगभग 24.71 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा ।

सुन्दरबन में सुधारी गई भूमि का क्षेत्रफल

सुधारा गया कुल नया क्षेत्र : 24.50 हजार एकड़। इसमें डेल्टा परियोजना के प्रथम चरण में सुधरने वाला 20,000 एकड़ क्षेत्र और हारीबांगा सुधार परियोजना का 4,500 एकड़ क्षेत्र भी शामिल है।

परीक्षा में नकल को रोकने के लिए इनविजिलेटरों के बीमे के लिए वित्तीय सहायता

8653. **श्री भागिरथ भंवर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को परामर्श दिया था कि परीक्षाओं के लिये नियुक्त किये जाने वाले इनविजिलेटरों तथा कर्मचारियों का बीमा किया जाये क्योंकि पहले की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर, नकल करते हुए विद्यार्थियों द्वारा इनविजिलेटरों को खतरनाक परिणामों की धमकी दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रयोजन के लिये विश्वविदयालयों को आर्थिक सहायता देगा; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1972–73 और 1973–74 के दौरान राज्यों द्वारा आवासीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय निधियों का उपयोग

8654. **श्री समर गुह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान आवासीय योजनाओं के लिए नियत की गई केन्द्रीय धनराशि का उपयोग कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली और शुरू की जाने वाली योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

(ग) किनकिन राज्यों ने आवासीय योजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय धनराशि का उपयोग नहीं किया है ; और

(घ) वर्ष 1972-73 के दौरान कितने परिवार लाभान्वित हुए और प्रस्तावित योजनाओं से कितने परिवारों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) यह मंत्रालय संबंधित योजनाओं के उपबन्धों के अनुसार राज्य प्लान सीमा से बाहर, केन्द्रीय क्षेत्र की निम्नलिखित दो सामाजिक आवास योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देता है :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना ; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना।

1972-73 के दौरान दो योजनाओं के अन्तर्गत नियत की गई/विभिन्न राज्यों द्वारा ली गई निधियां इस प्रकार हैं :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना :—

राज्य का नाम	1972-73		मकानों की संख्या	
	नियत की गई राशि	ली गई राशि	वास्तविक प्रगति	
			स्वीकृत	पूरे किये गये
	लाख रुपयों में			
1. आसाम . . .	55.00	47.50	1289	164
2. केरल . . .	..	..	..	..
3. मैसूर . . .	..	..	224	12
4. तमिलनाडु . . .	2.752	1.74	36	..
5. त्रिपुरा . . .	0.20	..	..	..
6. पश्चिम बंगाल . .	0.50	0.50	50	..
	58.452	49.74	1599	176

शेष राज्यों में बाग नहीं हैं ।

1973-74 के लिये 64 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । राज्यों द्वारा आवश्यकताएं सूचित किये जाने के बाद इसका नियतम किया जायेगा ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना :—

योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए/दिए गए अनुदान इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1972-73		
		अनुमोदित अनुदान	दिया गया अनुदान	वास्तविक प्रगति
1	बिहार . . .	45.82	11.45	अभी मालूम नहीं ।
2	गुजरात . . .	306.58	76.65	
3	हरियाणा . . .	0.08	0.02	
4	हिमाचल प्रदेश . .	0.64	0.16	
5	केरल . . .	677.76	205.44	
6	महाराष्ट्र . . .	164.56	41.14	
7	मैसूर . . .	239.38	59.84	
8	उड़ीसा . . .	8.40	2.10	
9	पंजाब . . .	31.68	7.92	
10	राजस्थान . . .	11.24	2.81	
11	तमिलनाडु . .	75.51	18.88	
12	उत्तर प्रदेश . .	30.85	7.71	
13	पश्चिम बंगाल . .	19.39	4.85	
	जोड़ .	1,611.89	438.97	

7—11 L.S.S. (N.D.)/73

1972-73 के दौरान शेष राज्यों को कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई थी ।

1973-74 वर्ष के लिये 5 करोड़ रुपय की राशि की व्यवस्था की गई है ।

इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई अन्य सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना के आरंभ से, राज्यों को केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिये, इकट्ठी 70 : 30 के अनुपात से 'ब्लाक ऋणों' और 'ब्लाक अनुदानों' के रूप में दी जाती है, जिसमें सामाजिक आवास योजनाएं शामिल हैं, जो किसी योजना विशेष, परियोजना या विकास शीर्ष से संबद्ध नहीं होती । राज्य सरकारें उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर, "ब्लाक सहायता" का नियतन तथा उसका प्रयोग करने में स्वतन्त्र हैं । अतः यह बताना संभव नहीं है कि राज्य सरकारों ने इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता का प्रयोग कहां तक किया है ।

जहां तक बिना विधानमण्डलों के संघ क्षेत्रों का संबंध है, निधियां इस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की जाती हैं तथा सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्रति वर्ष दी जाती हैं । ऐसे संघ क्षेत्रों को 1972-73 के दौरान दी गई निधियां इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	संघ क्षेत्र का नाम	1972-73 के दौरान दी गई तथा प्रत्याशित खर्च की निधियां
1	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह . . .	0.60
2	दिल्ली	220.00
3	चण्डीगढ़	40.00 (नान-प्लान निधियां)
	जोड़ .	260.60

1973-74 के लिये निधियां अभी नहीं दी गई हैं ।

(घ) विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित हुए परिवारों की संख्या उन के अधीन निर्मित किए गए मकानों की संख्या के बराबर होगी ।

अनाथ महिलाओं का पुनर्वास

8655. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन 1969 से 1972 तक के वर्षों में राज्यवार उन अनाथ महिलाओं की संख्या क्या है जिन्हें सहायता दी गई और जिनका पुनर्वास किया गया ।

(ख) उक्त अवधि में समाज कल्याण बोर्ड को कितनी राशि आबंटित की गई और बोर्ड द्वारा कितना धन-खर्च किया गया और कितना अप्रयुक्त पड़ा है ;

(ग) मंजूर की गई राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वर्ष 1972-73 के लिए इस प्रयोजन के लिए बोर्ड की क्या योजना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का निराश्रित स्त्रियों के पुनर्वास के लिए सीधी वित्तीय सहायता देने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। बोर्ड के कुछ कार्यक्रमों, जैसे कि वयस्क स्त्रियों के लिए शिक्षा के संक्षिप्त कार्यक्रमों तथा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों में, अलबत्ता, निराश्रित स्त्रियों के पुनर्वास सम्बन्धी सेवाएं सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों पर चतुर्थ योजना के पहले चार वर्षों में लगभग 73 लाख रुपये का खर्च हुआ है।

व्यवसाय प्रधान शिक्षण संस्थाओं की स्थापना

8656. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के योजनाबद्ध विकास की प्रौद्योगिकीय कृषि तथा सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु व्यवसाय प्रधान शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना अपेक्षित समझती है ;

(ख) यदि हां तो क्या योजना आयोग से इस मामले के बारे में विचार विमर्श किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यवसाय प्रधान संस्थाओं के क्षेत्रों का पता लगाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी और समिति द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर ठोस शिक्षा परियोजनाएं बनाई जायेंगी, और

(घ) सरकार के प्रस्ताव की रुपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (घ) पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के लिए प्रस्तावों के मसौदे में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक तथा विविधतापूर्व पाठ्यक्रम शुरु करने की एक योजना है। इन्हें 18-19 सितम्बर, 1972 को हुई के० शि० स० बोर्ड की 36वीं बैठक की रिपोर्ट में शामिल किया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है। राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के परामर्श से इसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे है। योजना आयोग के विषय निर्धारण दल ने सिफारिश की है कि विस्तृत परियोजनाएं तयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की जानी चाहिए। इस सिफारिश की अब आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान करने हेतु बंगला देश सरकार के साथ बातचीत

8657. श्री समर गुह : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोनों देशों में परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का पारस्परिक आदान-प्रदान करने हेतु बंगला देश की सरकार के साथ कोई बातचीत की है,

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) भारत सरकार तथा बंगला देश गणतंत्र सरकार के बीच 1-11-72 को अंतर्देशीय जल पार गमन तथा व्यापार पर एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अन्तर्गत दोनों सरकारें दोनों के बीच वाणिज्य के लिए तथा एक देश में दो स्थानों के बीच दूसरे देश की सीमा से होकर

माल के आवागमन के लिए अपने जल मार्गों का उपयोग करने के लिए आपस में लाभकारी व्यवस्थाएं करने हेतु सहमत हो गई हैं। इस संधि के अनुसार कलकत्ता और भारत के पूर्वी राज्यों के बीच बंगला देश से होते हुए नदी सेवाएं 19 नवम्बर, 1972 से शुरू हुई।

भारत और बंगला देश के बीच सड़क परिवहन करार करने के प्रश्न का, अक्तूबर 1972 में ढ़ाका में हुई बंगला देश व्यापार समीक्षा वार्ता के दौरान जिक्र हुआ था। बंगला देश सरकार ने इस विषय पर करार के प्रारूप के लिए अनुरोध किया था। यह तैयार किया जा रहा है।

मोटे अनाज के थोक व्यापार का सरकारी करण करने के लिए कांग्रेस दल के संसद सदस्यों की अपील

8658. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

श्री वरके जार्ज :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांग्रेस दल के 30 संसद सदस्यों ने सरकार से जोरदार अपील की है कि आगामी फसल से मोटे अनाज के थोक व्यापार का सरकारीकरण किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है कि कुछ संसद सदस्यों ने गेहूँ और चावल के अलावा, मोटे अनाजों के थोक व्यापार को लेने के लिए कहा है।

(ग) फिलहाल मोटे अनाजों का थोक व्यापार लेने का प्रस्ताव नहीं है।

Prizes to Employees of Modern Bakeries Kanpur who worked during strike

8659. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether prizes have been given to the employees who worked inside the Modern Bakeries (India) Ltd., Kanpur during the strike;

(b) if so, the names of the employees who have been given prizes indicating the nature and value of the prizes given to each of these employees separately; and

(c) the number of employees working inside the said factory during the strike who have not been given prizes and the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Cash awards and letters of appreciation were given to certain employees who worked during the period of strike.

(b) A statement indicating the names of the employees to whom cash awards/letter of appreciation have been given is attached.

(c) Eight. No award was given to them as their general performance during this period did not deserve any such award.

STATEMENT

Names of employees who were given cash awards and letters of Appreciation:—

S/Shri		S/Shri	
1. B. C. Gupta	@Rs. 75 to each	42. A. N. Srivastava	@ Rs. 50 to each
2. R. P. Narayan		43. S. N. Ghosh	
3. Daljit Singh		44. V. D. Khare	
4. M. Soloman		45. S. C. Sangal	
5. H. P. Chaurasia		46. A. K.Pandey	
6. V. P. Sharma		47. Ram Swaroop	
7. R. N. Singh		48. Surender Kumar	
8. P. L. Tripathi		49. V. S. Nigam	
9. B. P. Dubey		50. Devi Prasad	
10. Surender Kumar		51. J. P. Shukla	
11. Indra Moban		52. R. C. Misra	
12. Matbar Singh		53. S. Z. A. Jaffery	
13. P. N. Mehta		54. Aditya Prakash Dwivedi	
14. C. P. Misra		55. Bhagwan Deen	
15. Chhotey Lal		56. Ram Bharosey Singh	
16. Mohd. F. U. Ziaee		57. Hira Lal	
17. Kanwar Kant		58. Ishaw Charan	
18. B. P. Sharma		59. A. K. Narula	
19. Basant Ballabh		60. M. L. Advani	
20. Gopal Prasad		61. K. L. Bhatia	
21. Sarvan Kumar		62. B. R. Gulati	
22. Ram Bhajan		63. Sukh Ram	
23. Roop Narayan		64. Raja Chandravanshi	
24. John Patrick		65. Lal A. K. Singh	
25. Mahadeo Prasad		66. R. K. Srivastava	
26. U. D. Tiwari		67. R. P. Gupta	
27. M. L. Verma		68. Jai Ram Singh	
28. Sohan Lal		69. P. S. Gupta	
29. D. P. Mali		70. Ramesh Chandra	
30. Ratan Lal		71. Ashok Kumar	
31. Balbir Singh		72. Jagdish Pd. II	
32. Bhoodev Prasad		73. G. C. Shukla	
33. R. N. Saxena		74. Prem Baboo	
34. Sukhdeo Singh		75. Jhabboo	
35. R. P. Gupta		76. Gajraj Prasad	
36. H. S. Rahi		77. Sant Prasad	
37. R. P. Shukla		78. Jagdish Prasad I	
38. S. K. Dixit		79. Rajindra Singh	
39. Prakash Deo		80. Ram Lakhan	
40. G. C. Kulsrestha		81. Chhedi Lal	
41. Deen Dayal			

NAMES OF EMPLOYEES WHO WERE ISSUED LETTER OF APPRECIATION

1. Shri K. S. Arya
2. ,, K. K. Pandey
3. ,, S. P. Singh
4. Shri R. C. Misra
5. Smt. Asha Verma
6. Shri Basant Lal

मस्टर्ड आयल यूनिटस फीयर्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8661. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 अप्रैल, 1973 के "सण्डे स्टण्डर्ड" में "जाबलैस इन मस्टर्ड आयल यूनिटस फीयर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि अगर वनस्पति निर्माताओं को अपने उत्पादों में सरसों का तेल प्रयोग करने की अनुमति दी गई तो सरसों का तेल बनाने वाले घानी कारखानों में काम कर रहे 2,500 व्यक्ति बेकार हो जायेंगे;

(ख) क्या कनाडा से प्राप्त अलसी (रेंप-सीड) जो पश्चिमी बंगाल में सरसों के तेल के स्थान पर काम में लाई जाती है, का आना बन्द हो जाने के कारण संकट उत्पन्न हो जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में बेकार हो जाने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या प्रगतिशील कार्यवाही की है ; और

(घ) इससे पश्चिम बंगाल की अर्थ व्यवस्था पर किस सीमा तक प्रभाव पडेगा और कितने व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । तथापि, जो भय प्रकट किया गया है वह निराधार समझा जाता है ।

(ख) देश में खाने के तेलों की कुल कमी पर काबू पाने की दृष्टि से पूर्णतया अस्थायी उपाय के रूप में 1970-71 में पहली बार कनाडियन तोरिया आयात करने का प्रबंध किया गया था । अतः इस आयातित सप्लाई को जारी रखने अथवा बंद करने और किसी राज्य विशेष में सरसों के तेल के यूनिट के चलने के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि होता है, पश्चिमी बंगाल को 2,000 मीटरी टन आयातित तोरिये का मासिक आवंटन जारी रखा जा रहा है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

ठाकुरपुर (कलकत्ता) में ग्रामीण रोगियों के लिए निःशुल्क कैंसर चिकित्सा सदन

8662. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी संस्था द्वारा ग्रामीण रोगियों के लिए ठाकुरपुर, कलकत्ता में निःशुल्क कैंसर चिकित्सा सदन स्थापित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्था का नाम और योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह सदन कब तक चालू हो जाएगा ; और

(घ) इस संस्था को सरकार किस प्रकार की सहायता (वित्तीय या अन्य प्रकार की) देगी?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

किसानों को उर्वरकों की तुरन्त सप्लाई करने हेतु जिला स्तर पर डिपो खोलना

8663. श्री आर० एन० बर्मन :

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका मन्त्रालय भारतीय उर्वरक निगम के पर्यवेक्षण में जिला स्तर पर डिपो खोलने का विचार करेगा, जहां से कि भुगतान करने पर कृषकों को उर्वरकों की तुरन्त सप्लाई की जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : जी नहीं। इस तरह का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। राज्यों के भीतर उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं और केन्द्रीय सरकार से किसानों को वितरित करने के लिए प्राप्त सभी आयातित उर्वरक जिलों में सहकारी संस्थानों और अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से वितरित किये जाते रहे हैं। देश में निर्मित उर्वरकों का एक महत्वपूर्ण भाग भी जिलों में सार्वजनिक एजेंसियों के जरिये ही बेचा जाता है।

लघु सिंचाई योजना और उनके क्रियान्वयन के लिए राज्यों को नियतन

8664. श्री आर० एन० बर्मन :

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73, 1973-74 के लिये लघु सिंचाई योजनाओं हेतु राज्यों को राज्यवार कितना धन नियत किया गया है; और

(ख) परियोजनाओं के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के लिये राज्य योजनाओं में योजना आयोग द्वारा सिफारिश किये गए परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। वर्ष 1972-73 के दौरान कृषि मंत्रालय ने एक विशष आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया था और इसके अन्तर्गत राज्यों को लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये विशेष धनराशि आबंटित की गई थी। इनके बारे में भी अनुबंध में जानकारी दी गई है।

(ख) किये गये वास्तविक व्यय या किये जाने वाले सम्भावित व्यय के रूप में राज्यवार प्रगति भी अनुबंध में दिखाई गई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1971–72		1972–73		1973–74	
		स्वीकृत परिव्यय	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्थापित व्यय	आयात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मुक्त की गई रकम	स्वीकृत परिव्यय
1	आन्ध्र प्रदेश .	5.30	5.09	2.51	4.42	8.40	3.03
2	असम . .	2.55	2.38	2.47	2.50	2.02	3.38
3	बिहार . .	7.83	7.82	8.08	10.80	17.73	12.01
4	गुजरात . .	5.91	4.98	6.80	7.67	5.00	7.60
5	हरियाणा . .	1.96	1.51	1.20	1.52	12.00	1.90
6	हिमाचल प्रदेश .	0.48	0.48	0.50	0.50	0.33	0.55
7	जम्मू तथा कश्मीर .	1.50	1.37	1.90	1.84	..	1.90
8	केरल . .	2.75	2.86	2.40	2.45	2.50	2.00
9	मध्य प्रदेश .	8.00	8.27	9.66	10.06	5.81	13.23
10	महाराष्ट्र . .	15.35	15.39	16.90	16.90	24.96	17.44
11	मणिपुर . .	0.08	0.06	0.09	0.29	0.38	0.10
12	मेघालय . .	0.17	0.15	0.25	0.25	..	0.41

13	मैसूर . .	5.63	6.58	7.78	6.60	5.30	5.82
14	नागालैण्ड . .	उपलब्ध नहीं	0.12	उपलब्ध नहीं	0.12	0.20	0.16
15	उड़ीसा . .	3.47	4.00	3.23	3.23	6.60	3.89
16	पंजाब . .	3.47	1.99	2.85	3.07	14.72	4.75
17	राजस्थान . .	2.87	2.89	3.02	2.80	3.89	2.75
18	तमिलनाडु .	6.89	7.28	7.66	7.75	2.99	7.70
19	त्रिपुरा . .	0.12	0.08	0.26	0.49	0.23	0.64
20	उत्तर प्रदेश .	21.30	21.58	20.48	20.60	20.75	21.48
21	पश्चिम बंगाल .	4.50	5.53	5.88	6.64	14.33	7.50
	कुल राज्य .	100.13	100.41	100.92	110.50	148.14	118.24
	सकल संघ क्षेत्र .	0.54	0.46	0.56	0.60	..	0.76
	समस्त भारत .	100.67	100.87	101.48	111.10	148.14	119.00

उपलब्ध नहीं : कृषि उत्पदान के अन्तर्गत सम्मिलित ।

"नाविकगृह", कलकत्ता का प्रतिनिधि मण्डल

8665. **श्री अटल बिहारी बाजपेई :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाविकगृह", कलकत्ता का एक प्रतिनिधि मण्डल हाल ही में प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें नाविकों की शिकायतें और नेशनल युनियन आफ सीमेंस आफ इंडिया के कदाचारों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मामले उठाए गए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इससे क्रुद्ध होकर नेशनल यूनियन आफ सीमेंस आफ इंडिया के व्यक्तियों ने 28 मार्च, 1973 को लगभग 10.30 बजे प्रतिनिधि मण्डल के एक व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में बहुत बुरी तरह मार लगाई और पुलिस ने शरारती व्यक्तियों के विरुद्ध कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं की; और

(घ) यदि हां, तो मामले का पूर्ण विवरण क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, हां । 15 मार्च, 1973 को एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री महोदया से मिला था और उन्हें नाविकों की शिकायतों के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था । ज्ञापन में उठायी गयी बातें तथा उनके स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4923/73]**

(ग) और (घ) संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार 28 मार्च, 1973 को 10.50 बजे प्रातः मैरिन हाउस, कलकत्ता के बाहर लड़ाई की घटना में 3 व्यक्ति शामिल बताये गये है । उनमें से दो व्यक्ति भारतीय नाविकों के राष्ट्रीय संघ के तथा एक अन्य गुट का बताया गया है । पुलिस ने 3 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की और मामला न्यायालय में भेजा गया । ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पुलिस ने उपचारी उपाय भी किये ।

नर्सरी तथा प्राईमरी स्कूलों के लिए राज्यों को अनुदान

8666. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को नर्सरी और प्राइमरी स्कूलों के लिए अनुदानों के रूप में कितनी वार्षिक सहायता दी जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : प्रचलित प्रणाली के अनुसार, वित्त मंत्रालय सभी विकास सैक्टरों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता (योजनागत) एकमुश्त दी जाती है, न कि विभिन्न सैक्टरों/योजनाओं के लिये पृथक रूप से । तथापि, प्रत्येक राज्य की प्राथमिक शिक्षा के लिये (नर्सरी, प्रारम्भिक, और मिडिल शिक्षा सहित) परिव्यय निर्धारित किया जाता है । विभिन्न राज्यों में 1973-74 के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के लिये निर्धारित परिव्यय दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध I में दिया गया है । **[ग्रथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4924/73]**

इसके अलावा, 1971-72 से, राज्यों को शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने — प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार-नामक योजना के अन्तर्गत भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान राज्यों को उपलब्ध की गयी सहायता की धनराशि अनुबन्ध II क और अनुबन्ध II ख में दी गयी है । [ग्रथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 4924/73]

कोचीन पत्तन पर पोतों को अनियमित रुप से पहुंचने के कारण वहां माल का भारी जमाव

8667. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री वयालार रवि :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन पत्तन पर पोत अनियमित रूप से पहुंचते हैं और इसके फलस्वरुप वहां बहुत बडी मात्रा में माल जमा हो गया है;

(ख) क्या सरकार को पोतों के पहुंचने में अनिश्चितता के कारण निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों का पता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) जी, हां । नौवहन महानिदेशक ने भारत/यू० के० महाद्वीपीय सम्मेलन से लिखा-पढ़ी की और फलतः स्थिति काफी सुधर गई है । भारत सरकार ने पोतवणिकों की सहायता के लिये कोचीन में भाडा जांच ब्यूरो का शाखा कार्यालय भी स्थापित किया है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग औद्योगिक कर्मचारी सहकारी-बचत और ऋण समिति लिमिटेड, दिल्ली की आम बैठक

8668. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 नवम्बर, 1972 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की औद्योगिक कर्मचारी सहकारी बचत और ऋण समिति लिमिटेड, दिल्ली की आम बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ सदस्यों की ओर से सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को एक चुनाव याचिका प्राप्त हुई है जिसमें अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया है और चुनावों को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया गया है ;

(ग) क्या समिति के अध्यक्ष समेत बहुत बडी संख्या में सदस्यों से समिति के सचिव द्वारा तैयार किए गए आम बैठक के कार्यवाही वृतान्त की सत्यता को चुनौती देते हुए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो वे कब प्राप्त हुए और अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार के कुछ अभ्यावेदन दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुए थे, जिनमें यह कहा गया था कि प्रश्नगत चुनाव सोसायटी के चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ है ।

(ग) जी हां ।

(घ) दिल्ली प्रशासन के पास दिसम्बर, 1972 से अभ्यावेदन आने लगे थे । दिल्ली प्रशासन द्वारा शिकायत करने वालों को अभ्यावदन के एक हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे अपने शिकायत को दूर करने के लिए दिल्ली में लागू सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत मध्यस्थता का मामला दायर कर सकते हैं ।

उर्वरकों की कम सप्लाई का उड़ीसा में रबी की फसल पर पड़ने वाला प्रभाव

8669. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) उर्वरकों की कम सप्लाई का उड़ीसा में रबी की फसल पर किस हद तक प्रभाव पड़ा ; और

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) मौसम के प्रारम्भ में राज्य के पास बचे हुये स्टाक को छोडकर रबी 1972-73 के लिय उड़ीसा की उर्वरकों की मांग के संबंध में सितम्बर, 1972 में हुए पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन में निम्न अनुमान लगाया गया था :—

नाइट्रोजन (एन)	21,900 मीटरी टन
फास्फेट ($पी_2$ $ओ_5$)	4,900 मीटरी टन
पोटांश ($के_2$ ओ)	2,400 मीटरी टन

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि इसमें से देशी उर्वरक विनिर्माताओं ने 21,450 मीटरी टन एन, 5,067 मीटरी टन $पी_2$ $ओ_5$ तथा 3,145 मीटरी टन $के_2$ ओ सप्लाई किया है । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की सूचना के अनुसार उसने केन्द्रीय उर्वरक पूल से 3,700 मीटरी टन एन० भी प्राप्त किया है । इस प्रकार उडीसा में कृषकों की उर्वरकों की मांग पर्याप्त रूपसे पूरी कर दी गई है ।

संसदीय कार्य विभाग में हिन्दी कर्मचारी

8670. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) उनके विभाग में काम कर रहे हिन्दी कर्मचारियों, जैसे हिन्दी सहायक, हिन्दी अनुवादक, तकनीकी सहायक, अनुसन्धान सहायक और हिन्दी अधिकारी आदि की कुल संख्या और उनके वेतन-मानों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसे हिन्दी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने पदों पर गत तीन वर्षों अथवा उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं, किन्तु फिर भी अस्थाई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क)

पद का नाम	वेतन मान	कर्मचारियों की संख्या
1. हिन्दी अनुवादक ग्रेड-1 अस्थाई पद (27-11-70 से सृजन किया गया)	रुपये 320–15–425–दक्षतारोध–15-530.	एक
2. हिन्दी अनुवादक, ग्रेड-2 अस्थाई पद (26-12-70 से बदला गया)	रुपये 210–10–270–15–300–दक्षतारोध–15–450–दक्षतारोध–20–530.	एक
3. हिन्दी सहायक स्थायी पद	रुपये 210-10-270-15-300-दक्षतारोध-15-450–दक्षतारोध–20–530.	एक
4. हिन्दी टाइपिस्ट स्थायी पद	रुपये 110–3–131–4–155–दक्षतारोध–4–175–5–180.	एक

(ख) भाग (क) में दिये गये कर्मचारियों में से स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :–

स्थायी	अस्थायी
एक	तीन

(ग) दो-एक हिन्दी सहायक और एक हिन्दी टाइपिस्ट ।

हिन्दी सहायक को इसलिए पक्का नहीं किया जा सका क्योंकि एक मात्र पद जिसके स्थान पर वे स्थानापन्न रुप में कार्य कर रहे हैं, मौलिक रुप में हिन्दी अनुवादक ग्रेड-1 द्वारा धारित है ।

हिन्दी टाइपिस्ट को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है और वे पक्का किया जाने के योग्य नहीं है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारी

8671. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में विभागवार और वर्गवार अलग-अलग हिन्दी सहायकों, हिन्दी अनुवादकों, तकनीकी सहायकों, अनुसन्धान सहायकों, हिन्दी अधिकारियों आदि की कुल संख्या और उनके वेतनमान कितने हैं ;

(ख) अस्थायी एवं स्थायी कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसे हिन्दी कर्मचारियों आदि की संख्या क्या है जो अपने पदों पर तीन या उससे अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं परन्तु अभी तक अस्थायी हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी कर्मचारी

8672. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालयों में काम कर रहे हिन्दी कर्मचारियों जैसे हिन्दी सहायक, हिन्दी अनुवादक, तकनीकी सहायक, अनुसन्धान सहायक और हिन्दी अधिकारियों की कुल संख्या और उनके वेतनमानों का विभाग-वार श्रेणीवार अलग-अलग क्या ब्यौरा है;

(ख) उनमें स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की अलग अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) ऐसे हिन्दी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने पदों पर पिछले तीन साल अथवा उससे अधिक समय से काम कर रहे है, परन्तु फिर भी अस्थायी है, और इसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4925/73**]

राज्य फार्म निगम द्वारा पालम के निकट एक गुलाब उद्यान का विकास

8673. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य फार्म निगम ने निकट भविष्य में पालम के निकट एक गुलाब उद्यान का विकास करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) योजना की विशेष बातों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है । निगम द्वारा भमि नियत करने पर ही योजना तैयार की जायेगी । तथापि योजना का कार्यान्वयन सरकार की स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा और यह स्वीकृति निगम से प्राप्त परि-योजना रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् दी जायेगी ।

राजपथ विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रत्येक राज्य में एकीकृत राजपथ विभागों की स्थापना करने का सुझाव

8674. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री जी० वाई कृष्णन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस ने केन्द्रीय सरकार को राजपथ विकास कार्यक्रम को ठीक प्रकार से लागू करने हेतु केन्द्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की सड़कों और ग्रामीण सड़कों के बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एकीकृत राजपथ विभागों की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि इंडियन रोड्स कांग्रेस का सुझाव मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, अत: इसे विचारार्थ उन्हें भेज दिया गया है ।

ग्रामीणों को मकानों के लिए भूमि देने की योजना की धीमी प्रगति

8675. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीणों को मकानों के लिए भूमि देने की योजना की प्रगति धीमी रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और इस संबंध में राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, नहीं । ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी । $1\frac{1}{2}$ वर्ष की अल्पावधि के दौरान 13 राज्यों में 6,52,828 आवास-स्थलों की व्यवस्था के लिए लगभग 16.12 करोड़ रुपये की लागत की 1382 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं । कुछ अन्य राज्यों से भी परियोजनाएं प्राप्त हो गई हैं तथा उन पर कार्यवाही की जा रही है ।

तथापि, विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को यह सुझाव दिया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत अपनी परियोजनाओं को सही ढंग से बनाने तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वे अपनी प्रशासनिक तथा तकनीकी मशीनरी को उपयुक्त रुप से सुदृढ़ और तदनुरुप बनाएं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य का दर्जा बढ़ाना

8676. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के अनुसंधान कार्य को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के और अधिक अनुरुप बनाने के लिए जैसा कि 30 मार्च, 1973 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री ने जोर दिया था, इसका दर्जा बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किय हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, उसके पास उपलब्ध साधनों के अन्दर अनेक विषयों में विश्वविद्यालय अनुसंधान को प्रोत्साहित किया है । अनुसंधान के लिए उपलब्ध समर्थन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार का है ।

जहां तक अन्वेषण शुरू करने की समस्याओं का संबंध है, आयोग ने अपनी विशेष पुनरीक्षण समितियों तथा विषय विशेषज्ञों के पेनलों के परामर्श से विश्वविद्यालय अनुसंधान को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है । विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यक्रमों में मूलभूत अनुसंधान तथा व्यावहारिक पहलुओं, दोनों से संबंधित समस्याएं शामिल हैं । उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त तथा विशेष सहायता के लिए चुने गए विभागों ने विशेष रूप से उन अनेक, ऐसी समस्याओं पर विचार किया है जो स्थानीय तथा प्रादेशिक समस्याओं पर लागू होती हैं और जिनका उनसे संबंध है ।

भावी वर्षों में विश्वविद्यालय अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण समर्थन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है ।

जहां तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संबंध है, यह अब विश्वविद्यालयों में अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों और राष्ट्रीय आवश्यकताओं से संबद्ध अधिकाधिक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान योजनाओं को सहयोग दे रही है ।

सूखा राहत सहायता की व्यवस्था न करने पर मध्य प्रदेश से शिकायत

8677. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए सूखा राहत सहायता की व्यवस्था न करने पर केन्द्र से कोई शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार के अनुरोध पर एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने फरवरी, 1973 में राज्य का दौरा किया था । दल की रिपोर्ट के आधार पर राहत कार्यों के अलावा, राहत उपायों के लिए 1.44 करोड़ रुपये के खर्च की सीमा अपनाई गई है । राज्य और केन्द्रीय सरकारों के बीच तयशुदा प्राथमिकताओं के अनुसार टिकाऊ और उत्पादकारी स्वरूप राहत कार्यों पर खर्च के लिए केन्द्रीय सहायता मिल सकती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चारे के लाने ले जाने पर रोक लगाना

8678. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चारे के लाने ले जाने पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में सूखे की स्थिति के कारण कुछ राज्यों में चारे की कमी महसूस की गई थी । राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था ताकि वे अपने क्षेत्रों से दाने-चारे की कुछ मदों के ले जाने पर रोक लगा सकें । इस स्थिति का और ऐसे प्रतिबंधों से पड़ोसी राज्यों पर पड़ने वाले असर की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को कुछ मदों के संबंध में ऐसे प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे दिया, जिनकी उन्होंने मांग की थी । निम्नलिखित राज्यों को उनके सामने दी गई अवधि के लिए यह प्रतिबंध लागू करने की अनुमति दी गई थी :—

राज्य का नाम	तारीख जब तक के लिए अधिकार दिए/बढ़ाए गए हैं
1. गुजरात	31 जुलाई, 1973
2. राजस्थान	31 जुलाई, 1973
3. मैसूर	31 मार्च, 1973
4. बिहार	30 नवम्बर, 1972
5. मध्य प्रदेश	31 मार्च, 1973

महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 31 जुलाई, 1973 तक महाराष्ट्र पशु चारा (नियंत्रण) आदेश, 1973 लागू करने की स्वीकृति दे दी है ।

जामनगर और कच्छ के बीच स्टीमर-सेवा

8679. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जामनगर और कच्छ के बीच स्टीमर सेवा आरम्भ करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रुपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Jaipur Pillar in Rashtrapati Bhavan

8680. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1819 on the 27th November, 1972 and state :

(a) whether the Indian motif has since been substituted for British crown in the Jaipur Stambh (Pillar) in Rashtrapati Bhavan; and

(b) if not, the time by which Indian motif would be substituted therein?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) The experts are still engaged in working out acceptable alternative substitutes which will also be capable of execution at a high artistic level in place of the blotted out British Emblem. The work will be undertaken as soon as a decision in taken.

उड़ीसा में डेल्टा क्षेत्र की तुलना में पहाड़ी क्षेत्र की सिंचित भूमि के उत्पादन का अनुपात

8681. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितने एकड़ भूमि खेती योग्य है ;

(ख) खेती के लिए उपलब्ध सिंचित भूमि का क्षेत्रफल कितना है ;

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्र में सिंचित भूमि में राज्य में डेल्टा अथवा तटवर्ती क्षेत्र के बराबर उत्पादन हो सकता है ; और

(घ) राज्य में पहाड़ी क्षेत्र में सिंचित भूमि की तुलना में डेल्टा क्षेत्र में उत्पादन का अनुपात कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि योग्य भूमि के आंकड़े, भूमि उपयोग सांख्यिकी के एक भाग के रूप में एकत्रित किये जाते हैं और कुछ समय बीतने पर ही उपलब्ध होते हैं। 1970–71 (वह अन्तिम वर्ष जिसके आंकड़ उपलब्ध है) में उड़ीसा में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 8,039 हजार हैक्टर था।

(ख) अनुमान है कि वर्ष 1970–71 में उड़ीसा का कुल 1149 हजार हैक्टार क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत था ।

(ग) तथा (घ) पहाडी तथा डेल्टा के क्षेत्र में सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत विभिन्न फसलों की उत्पादकता के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। परन्तु तटवर्ती या डेल्टा क्षेत्र की तुलना में कुछ फसले पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने के लिए अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई हैं।

उड़ीसा में वर्षा द्वारा सिंचित भूमि में उर्वरक का उपयोग

8682. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रत्येक 100 में से कितने किसान वर्षा द्वारा सिंचित भूमि में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ;

(ख) जहां-जहां इसका उपयोग किया गया है वहीं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में असिंचित भूमि पर उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी।

वर्षा द्वारा सिंचित लाभकर जोत

8683. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच व्यक्तियों के परिवार के लिये वर्षा द्वारा सिंचित कितनी जोत लाभकर मानी जाती है ;

(ख) उक्त भूमि की प्रति वर्ष अनुमानित शुद्ध आय कितनी है ; और

(ग) क्या उक्त भूमि एक औसत भारतीय के खर्च की आवश्यकता पूरी करने में समर्थ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 5 व्यक्तियों के परिवार के लिए लाभकर जोत का आकार, उससे होने वाली अनुमानित आय और उसका पर्याप्त होना कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें यह भी शामिल हैं—भूमि की उर्वरता, वर्षा की मात्रा और उसका समय पर होना, सधन खती, फसल पद्धति, अपनाई गई प्रौद्योगिकी, कृषि आदानों का प्रयोग और कृषि आदानों तथा उत्पादन का मूल्य और उपभोग संबंधी मापदंड। इन बातों में विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर होने की संभावना है।

नैशनल इन्स्टीटचूट आफ होम्योपैथी की स्थापना और विश्वविद्यालय संकाय

8684. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री प्रसन्नाभाई मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट आफ होम्योपैथी तथा इस चिकित्सा शास्त्र के लिये विश्वविद्यालय स्तर पर एक विभाग की स्थापना करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे इंस्टीट्यूट के लिये सरकार किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार कर रही है ;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। विश्वविद्यालय संकाय की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की बैठक

8685. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की बैठक 24 मार्च, 1973 को नई-दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने इस प्रयोजन के लिये राज्यों को 13 सूत्री कार्यक्रम का सुझाव दिया है ; यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक में समझौते की मख्य बातों की एक सूची संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों में आबकारी मामलों के सब कार्यभारी मंत्री केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति के सदस्य हैं। बैठक में भाग लेने वाले अथवा उनके प्रतिनिधि मुख्य निष्कर्षों से सहमत थे। तो भी, राज्य सरकारों की औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा की जा रही है।

विवरण

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की 24 मार्च, 1973 को हुई बैठक में समझौते की मुख्य बातें

1. मद्यनिषेध से सम्बन्धित राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के लिए साधारण समर्थन था।

जबकि गुजरात के मंत्री, दिल्ली के कार्यकारी पार्षद, श्री जस्टिस टेक चन्द, श्री पी० बी० पटवारी तथा श्री जीवन लाल जयराम दास ने पूर्ण मद्यनिषेध का समर्थन किया, अन्य व्यक्तियों ने यह महसूस किया कि निम्नलिखित कारणों से शीघ्र ही पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करना सम्भव नहीं होगा :

(क) वित्तीय प्रतिबन्ध ;

(ख) लागू करने की प्रशासनिक समस्याएं;

(ग) अवैध शराब निर्माण ; तथा

(घ) विषैली तथा नकली शराब ।

2. यह स्वीकार किया गया है, कि शराब के उपभोग पर नियन्त्रण करने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए अनेक उपायों का सुझाव किया गया था, जिनमें निम्नलिखित शामिल थे :

(क) स्थानीय विकल्प के सिद्धान्त को स्वीकार करना ;

(ख) शराब की दुकानों के स्थान का नियमन—धर्मस्थानों, शिक्षा-संस्थाओं, बस्तियों, विशेषतया हरिजन बस्तियों तथा राजमार्गों के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए ;

(ग) मद्यनिषेध के दिन—सभी स्थानों पर वेतन मिलने के दिनों को समान रूप से मद्यनिषेव के दिन मानना तथा शराब की दुकानों के कार्य-समय पर रोक;

(घ) निम्नलिखित पर साधारण प्रतिबंध लगाना ;

(1) सार्वजनिक मद्यपान ;

(2) स्पिरिट वाले पेयों में अल्कोहोल की मात्रा ;

(3) अवैध शराब निर्माण ; तथा

(4) विषैली और नकली शराब/दवाइयों का उपयोग ;

(ङ) (1) युवकों और युवतियों ;

(2) गाड़ियों के ड्राईवरों ;

द्वारा शराब पिए जाने पर विशेष रोक लगाना ।

यदि आवश्यक हो तो इसे सम्बन्धित कानूनों में उपयुक्त संशोधन करके किया जा सकता है । गाड़ियों के ड्राइवरों की ब्रीथालाइज़र जांच होनी चाहिए ।

(च) नशीली वस्तुओं की विज्ञप्ति पर रोक लगाना ; यदि आवश्यक हो तो इसे अनुज्ञप्तिधारी के भाग पर एक संविदागत दायित्व बनाना ;

(छ) आबकरी नीतियों के, जो मद्यनिषेध की और सहायक होगी, पुनर्विलोकन का पुरः स्थापन ।

3. साधारणतः यह विचार किया गया कि मद्य-निषेध के लिये सूचना का सवदिशि माध्यम तथा शैक्षिक पद्धति के प्रयोग का भरसक प्रयत्न करना चाहिए । इस कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों को भी सहायता देनी चाहिए ।

4. यह स्वीकार किया गया कि आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं पर विशेषरूप से जांच करने हेतु मंत्रियों की एक विशेष समिति का गठन किया जाए ताकि शराब के व्यापारियों द्वारा शोषण करने से आदिवासी जनसंख्या को बचाया जा सके । इस समिति की रचना में निम्नलिखित राज्यों के (आबकारी कार्यभारी) शामिल होने चाहिए :—

बिहार

मध्यप्रदेश

महाराष्ट्र

उड़ीसा

राजस्थान

पश्चिम बंगाल

5. यह सुझाव दिया गया कि निम्नलिखित मदों के ऊपर एक विशेष जांच करनी चाहिए;

(क) संघ राज्य क्षेत्रों में मद्यनिषेध; तथा

(ख) शराब के उत्पादन और विक्रय को हाथ में ले लेना जब तक मद्यनिषेध पुरः स्थापित नहीं किया जाता ।

6. यह देखा गया कि स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार तथा उत्पादिता पर शराब के मानव सेवन के प्रभावों पर समाजशास्त्रीय तथा शरीरक्रिया पर अनुसंधान की आवश्यकता है।

7. यह स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय सरकार को नियमित रूप से सम्बन्धित आंकड़ों का प्रदाय करना चाहिए और विभिन्न प्रगति से भी उसे अवगत रखना चाहिए।

8. यह स्वीकार किया गया कि केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की बैठक वर्ष में एक बार होनी चाहिए।

जनता की रहन सहन की स्थितियों में परिवर्तन होने से गांवों में रोजगार देने हेतु द्रुत कार्यक्रम का प्रभाव

8686. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदनों से यह विदित होता है कि केन्द्र की गांवों में रोजगार सम्बन्धी द्रुत योजना का पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर सब क्षेत्रों में भारी प्रभाव पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या गांवों में रोजगार परियोजना के लिये द्रुत योजना बनाने से वहां के लोगों के जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा ; और

(ग) क्या यह परियोजना कम खर्चीली और लाभकारी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) राज्यों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि यह योजना असम, जम्मू तथा काश्मीर, मणिपुर और मेघालय, जो अपने आवंटनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं, को छोड़कर शेष सभी राज्यों में संतोषजनक रूप से कार्यान्वित हुई है।

(ख) इस योजना के लिए वार्षिक परिव्यय 50 करोड़ रुपये है। 1972–73 में 1200 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है। इन सीमाओं के भीतर मजदूरों द्वारा कमाई गई मजदूरी से वे अपने जीवन में सुधार कर सके हैं।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की गई परियोजनाएँ अन्य नियमित विभागों द्वारा निष्पादित की जा रही इसी प्रकार की परियोजनाओं की अपेक्षा सस्ती और अधिक किफायती रही है।

महात्मा गांधी संस्थान के विकास के लिए मारिशस को वित्तीय सहायता

8687. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारिशस में महात्मा गांधी संस्थान के विकास के लिये सरकार का विचार मारिशस को वित्तीय सहायता, पुस्तक और जनशक्ति प्रदान करने का है ;

(ख) क्या मारिशस का विचार भी वहां की नयी शैक्षणिक योजना के ढंग पर पेस सैटिंग (प्रगतिशील) माध्यमिक स्कूल की स्थापना करने का है ;

(ग) क्या स्कूल और संस्थान हाल ही में हुये भारत-मारिशस सांस्कृति करार का अंग होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त करार के अन्तर्गत अन्य कौन-कौन सी बातें आती है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां। महात्मा गांधी संस्थान स्थापित करने के लिए मोरिशस सरकार को 44 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता हेतु वचन दिया गया है। भारतीय सहायता के अन्तर्गत मोरिशस में उपलब्ध न होने वाली निर्माण सामग्री (इस्पात और सीमेंट के अलावा) मुहैया करना संस्थान के निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु भारतीय कार्मिकों की प्रतिनियुक्त, प्रयोगशाला के लिए उपस्कर तथा कला वस्तुएं शामिल होंगी।

(ख) मोरिशस सरकार द्वारा गतिनिर्धारिक माध्यमिक स्कूल स्थापित करने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) भारत-मोरिशस सांस्कृतिक करार में केवल संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की मोटी रुप रेखा दी गई है और उक्त करार में किसी स्कूल अथवा संस्थान का अलग से कोई उल्लेख नहीं है।

(घ) उक्त करार का उद्देश्य संस्कृति। कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में प्रत्येक सम्भव तरीके से भारत और मोरिशस के बीच सम्बन्धों को संप्रवर्तित तथा विकसित करना है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, दोनों देश के प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों तथा अन्य विशेषज्ञों के आदान प्रदान, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशनों के आदान प्रदान, एक दूसरे देश के छात्रों को छात्रवृत्तियां, अनुदत्त करके रेडियों, प्रेस और इसी प्रकार के अन्य जन साधनों के जरिए, एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी के प्रसार को बढाने शरीरिक शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्रों में आदान प्रदान, एक दूसरे के देश में पर्यटकों के दौरों के जरिये विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक तथा कलात्मक संस्थाओं, अकादमियों, संग्रहालयों तथा पुस्तकालयों के बीच सहकारिता को सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे। उक्त करार में मोरिशस की शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अध्यापन को प्रोत्साहित करने तथा मोरिशस में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रसार की भी व्यवस्था है।

महाराष्ट्र के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान द्वारा किया गया सर्वेक्षण

8688. **श्री वसन्त साठे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय पौषाहार संस्थान ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के मख्य निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) प्रतिवेदन के विभिन्न निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां;

(ख) इस प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

मोटे तौर पर पांच वर्ष से कम आयु के 30% बच्चों में पोषण संबंधी कमी के एकाधिक लक्षण विद्यमान् थे। बच्चों में प्रोटीन–कैलोरी की कमी की गम्भीर स्थिति वाले 4%

थे। विटामिन 'ए' की कमी बहुत से बच्चों और प्रौढों में पायी गई। लगभग 25% व्यक्तियों में वी–कम्पलेक्स के लक्षण पाये गये। खुन की कमी तो बहुतों में थी। कुपोषण के अधिक गम्भीर विकारों से प्रौढ अपेक्षाकृत मुक्त थे तथा निरन्तर भूखा रहने से शरीर में जो सूजन आदि आ जाती है उसका कोई मामला देखने में नहीं आया। देश के दूसरे अनेक भागों में अत्यधिक गरीब वर्गों में प्रायः जो स्थिति देखने में आती है यह उपर्युक्त स्थिति भी उससे मिलती-जुलती है। आहार सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि एक प्रौढ व्यक्ति को औसतन 1600 केलोरिज़ और 55 ग्राम प्रोटीन मिल पाता था जबकि बच्चों के मामले में यह औसत 700 केलोरिज तथा 25 ग्राम प्रोटीन का था।

(ग) महाराष्ट्र सरकार को इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भेज दी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा सहायता कार्य आरम्भ कर दिया गया है। प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों और चलते फिरते अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा राहत कार्य का अच्छा प्रबन्ध किया गया है तथा 'टटनस' और हैजा से बचाव जसी रोग-निरोधक सेवाएं भी प्रदान की जा रही है। कामगारों को उनकी मजदूरी के एक अंश के रुप में 200 ग्राम सुखदी का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 850 केलोरिज़ और 22 ग्राम प्रोटिन के साथ साथ कुछ विटामिन और खनीज भी होते हैं।

महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के चिकित्सा सामग्री संगठन ने विटामिन 'ए' की 100 मि० लि० वाली (एक मि० लि० में 200,000 इण्टरनेशनल यूनिट होते हैं) 10,000 बोतले सप्लाई की है। टटनसटाक्साइड की 1,00,000 मात्राएं सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से भी अनुरोध किया गया है।

साहित्य, संगीत और नाटक अकादमियों को अनुदान

8689. श्री वसन्त साठे : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में साहित्य, संगीत और नाटक अकादमियों को दिये जाने वाले अनुदान में तेजी से लगातार कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इन अकादमियों ने सांस्कृतिक विकास के पोषण के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं हेतु अधिक अनुदान के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा इन अकादमियों को गत दस वर्षों में अनुदान की जो राशि दी गई है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इन अकादमियों के योजनेतर बजट, बजट तैयार करने के सामान्य मानदण्डों को मद्देनजर रखते हुए तयार किये जाते है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली उनकी योजनाएं विचाराधीन हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को प्रकाशन अनुदान देने की योजना

8690. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशनों के लिए लेखकों को प्रकाशन अनुदान देने की कोई योजना चला रही है ;

(ख) यदि हां, तो पुस्तकों के प्रकाशन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान भाषावार कितना अनुदान दिया गया ;

(ग) क्या सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं के युवा और प्रति लेखकों को लेखन-कार्य में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। "भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" की सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत प्रादेशिक भाषाओं में अपनी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए लेखकों को भी व्यक्तिगत हैसियत से अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध i) **[ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4926/73]**

(ग) और (घ) विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध ii) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1926/73]**

राज्यों द्वारा द्रुत पोषाहार कार्यक्रम के लिए निधियों का आबन्टन और उपयोग

8691. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में द्रुत पोषाहार कार्यक्रम के लिये मंजूर किये गये 22 करोड रुपये के परिव्यय में से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वास्तविक उपयोग बहुत कम किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये राज्यों में गत तीन वर्षों में इस कार्यक्रम के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि का वास्तविक उपयोग किया गया है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत आबंटित निधि का कम उपयोग किये जाने के क्या कारण है ; और

(घ) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1972–73 में इस कार्यक्रम के लिए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को कुल आबंटित लगभग 1,997 लाख रुपए था।

1972–73 के दौरान इन तीन राज्यों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार थी --

राज्य का नाम	लाभान्वितों के सम्बन्ध में प्रगति के पुनर्विलोकन पुनिरीक्षित किए गए भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य (रुपए लाख की राशियों में)	
	आबंटित	प्राप्त किए गए	आबंटित	प्राप्त किए गए
मध्य प्रदेश .	4,85,000	3,62,203 (1,377 केन्द्रों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है)	310.20	199.87
महाराष्ट्र .	4,35,000	3,58,813	119.85	166.06
उत्तर प्रदेश .	1,75,000	1,22,675 (120 केन्द्रों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है)	56.39	53.36

केवल मध्य प्रदेश सरकार ने धन का उपयोग नहीं किया था यद्यपि लाभान्वितियों के सम्बन्ध में लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गया था। खाद्य की मुफ्त प्रदाय के रूप में 'केयर' की सहायता के कारण सरकारी धन के उपयोग में कमी हुई।

(ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	लाभान्वितों के संबंध में भौतिक लक्ष्य आबंटित	प्राप्त किए गए	वित्तीय लक्ष्य आबंटित	प्राप्त किए गए (रुपए लाख की राशियों में)
1970–71 .	6,80,000	6,55,000	394.30	128.21
1971–72 .	21,35,000	21,38,000	996.73	868.88
1972–73 .	41,53,000	36,70,000	1,997.04	1,719.58

(ग) वर्ष 1970–71 तथा 1971–72 में धन के उपयोग में कमी के मुख्य कारण अधिकतर राज्यों में कार्यक्रम का विलम्ब से शुरू किया जाना तथा उसकी उत्तरोत्तर प्रगति थे तथा उनके साथ ही साथ 'केयर' द्वारा खाद्य पदार्थों का अंशदान भी था जहां तक वर्ष 1972–73 में कमी का संबंध है, वर्ष 1973–74 के बजट में 40 प्रतिशत कटौती किए जाने के कारण जनवरी, 1973 में ही इस कार्यक्रम को सीमित करना पडा था, जिसके परिणामस्वरूप इस वीत्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में कोई विस्तार नहीं हुआ।

(घ) इस कार्यक्रम का लगातार पुनर्विलोकन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस कार्यक्रम को निर्बाध रूप से तथा कुशलतापूर्वक चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी बाधाओं का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारी-करण के बाद उसमें कदाचार को रोकने के लिए उपाय

8692. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुत से राज्यों में गेहूं का थोक व्यापार सरकार के हाथ में जाने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार पर इस संबंध में क्या क्या उत्तरदायित्व आये है ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये है कि इस व्यापार में लगाये गये व्यक्ति कदाचार न करें तथा सरकार को भारी हानि न उठानी पड़े ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 'खाद्य' एक समवर्ती विषय है और इसलिए सम्बन्धित राज्य सरकारें खाद्य नीतियों की वास्तविक कार्यान्विति के जिम्मेदार है, केन्द्रीय सरकार आम-तौर पर इन कार्यों का निरीक्षण करती है और उनका समन्वय करती है ।

(ख) राज्य सरकारों से सम्बद्ध पार्टियों की गतिविधियों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये पार्टियां थोक व्यापार लेने के निर्णय की कार्यान्विति पर प्रतिकूल असर डालने की कोशिश कर सकती है ।

चावल तथा अन्य खाद्यानों के थोक व्यापार की अधिग्रहण की सम्भावनाएं

8693. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो चावल तथा अन्य आवश्यक खाद्यान्नों के व्यापार को अधिग्रहण करने के क्या परिणाम निकलेंगे ; और

(ग) क्या उक्त अधिग्रहण के लिए कोई अनुमानित समय निश्चित किया गया है ; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1973–74 के विपणन मौसम से गेहूं का थोक व्यापार लेने के निर्णय की कार्यान्विति की प्रगति अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा संतोषजनक बताई जाती है। सरकार ने 1973–74 के खरीप विपणन मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने का पहले ही निर्णय कर लिया है । किसी अन्य खाद्यान्नों का थोक व्यापार लेने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

कांफ्रेस कांट्रैक्टरों द्वारा भारतीय पत्तनों से माल उठाने पर प्रतिबन्ध

8694. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन के सम्बन्ध में ब्रिटेन/भारत-ब्रिटेन/कांटीनेन्टल कान्फ्रेन्सेज़ की स्थापना बडी उलझनपूर्ण है और वह अपने ग्राहकों को अपेक्षित सेवा प्रदान करने में असफल रहा है, और

(ख) क्या भारतीय पत्तनों से माल उठाने के बारे में विभिन्न कांफ्रेंस कांट्रेक्टों तथा सब कांट्रेक्टों के बारे में कोई प्रतिबंध लगाए गए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय निर्यातकों की नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) भारत-यू० के०-पाकिस्तान महाद्वीप सम्मेलन के बारे में कुछ शिकायतें रही है । वे सम्मेलन के स्वरूप के कारण नहीं उत्पन्न हुई बल्कि उसके कार्य के कारण उत्पन्न हुई । सम्मेलन ने पूल करने की पद्धति के द्वारा माल की ढुलाई को विनियमित कर दिया है, इससे पोत वाणिकों की मांग पूरी नहीं होती जब कभी मांग जहाजों की अनुसूची पर उपलब्ध नौवहन स्थान से अधिक हो जाती है । जब उनसे अतिरिक्त नौवहन स्थान की व्यवस्था करने के लिये कहा जाता है तब भाड़ा जांच ब्यूरो ऐसे मामलों को हाथ में लेता है ।

जूनियर हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा

8695. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में छात्रों की संख्या के अनुसार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देकर सारे देश में जूनियर हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसे कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में जूनिअर हाई स्कूल और हाई स्कूल अथवा माध्यमिक स्तर तक के छात्रों की कुल संख्या का राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में मिडिल/ज्यूनियर हाई स्तर (एक से 8 कक्षाएं) तथा माध्यमिक स्तर (9–10/11 कक्षा) तक पढ़ाने वाले छात्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4927/73**]

मंसाई नदी पर पुल बनाने के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

8696. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां पुल बनाने के लिए, जिसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है और उसका नाम 'पंचानन सेतु' रखा गया है, पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया है जिसका आश्वासन इससे पहले भी दिया जा चुका है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) (क) : और (ख) मंसाई नदी के ऊपर प्रस्तावित पुल जब बन जायगा तब वह राज्य सड़क पर पड़ेगा । अतः पश्चिम बंगाल सरकार मुख्यतः उक्त पुल से संबंधित सभी मामलों के साथ ताल्लुक रखती है । परंतु राज्य सरकार ने अंतर्राज्य या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों संबंधी केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के लिए अपने

प्रस्तावों में इस पुल को भी शामिल कर लिया है। इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध धन और अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न प्रस्तावों की परस्पर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, अन्य राज्यों से प्राप्त इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ साथ पांचवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में प्रस्ताव तैयार करते समय इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

कनाडा द्वारा गेहूं सप्लाई करने का प्रस्ताव

8698. **श्री पी० नरसिम्मा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कनाडा से अनुदान के रूप में गेहूं लेने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख) कनाडा के प्राधिकारियों ने खाद्य सहायता अनुदान के अधीन कुछ गेहूं का आयात करने के बारे में हमारी अभिरुचि पूछी थी। हमने उन्हें बताया था कि हमने अनुदान के अधीन और दिसम्बर, 1971 के बाद रियायती शर्तों पर खाद्यान्नों का आयात नीति के तौर पर बन्द कर दिया है।

Shortage of Nurses

8699. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the total number of nurses in the country at present and the additional number of nurses required and the steps being taken by Government to meet this shortage and the extent of success achieved by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri. A. K. Kisku) : About 86,620 registered nurses were available in the country as on 31-12-1972. The existing number is considered adequate for maintaining the ratio of 1 nurse to 5 beds in hospitals and for meeting the requirements of Primary Health Centers and Family Planning work.

Percentage of less expenditure on Ayurvedic system of medicine as compared to Allopathy

8700. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state : the percentage of less expenditure incurred on Ayurvedic System of medicine in the country during 1971 as compared to that incurred on Allopathy?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : The information is being collected and will be furnished as soon as it is received.

दालों के लिए अनुसंधान केन्द्र

8701. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में दालों के लिए अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) दलहनों के सुधार के लिए भारत के विभिन्न भागों में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने के सम्बन्ध में एक योजना पहले ही से चल रही है ।

(ख) इस समय अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना के अन्तर्गत 12 राज्यों में 15 अनुसन्धान केन्द्र चल रहे है ।

भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बारे में धार्मिक संस्थाओं से अभ्यावेदन

8702. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्हें धार्मिक संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जिनमें कहा गया है कि उनकी भूमि की अधिकतम सीमा नियत न की जाए ; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है ; और यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) धार्मिक संस्थाओं के अधिकार में भूमि पर छूट देने के संबंध में बिहार, हरिणाया, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) इस संबंध में राष्ट्रीय मागदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए इन विधेयकों की जांच की गई थी ।

Unclaimed caution money in Kashi Vishvavidyalaya

8703. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of students who have not withdrawn their caution money from the Kashi Vishvavidyalaya;

(b) the amount of the caution money lying unclaimed; and

(c) the amount of interest accrued on this amount and the items on which it was spent?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) to (c) Information is being collected from the University and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टा-धनराशि की अग्रीम वसूली

8704. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टा धनराशि की अग्रिम वसूली करता है ; और पट्टाधिकारियों को यह धमकी दी जाती है कि यदि वह 55 रुपये (अर्धवार्षिक पट्टा राशि) नहीं देंगे तो उनका पट्टा रद कर दिया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो पट्टाधारियों को निर्धारित अवधि के दौरान पट्टा राशि कभी भी देने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां । किसी भी राशि की अदायगी न करना पट्टा-विलेख की शत का उल्लंघन है ।

(ख) पट्टा-करारनामों के अनुसार पट्टे की राशि अर्धवार्षिक रूप में तथा निर्धारित तिथियों से पूर्व किसी भी समय अदा की जानी होती है ।

छोटे प्लाट धारियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रीमियम की वसूली

3705. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिग्रहण लागत में वृद्धि होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण छोटे प्लाटधारियों (निम्न आय वर्ग) से 2 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अतिरिक्त प्रीमियम वसूल करता है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की नीलामी से प्राप्त बड़ी राशि में से यह राशि क्यों नहीं दी जा सकती ; और

(ग) इस अतिरिक्त राशि पर पट्टा राशि भी वसूल क्यों की जाती है जबकि राशि भूमि को अधिग्रहण लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिये ली जाती है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि के आबंटियों से अर्जन की अधिक लागत वसूल करना न्याय संगत है तथा अन्य साधनों से इस की पूर्ति नहीं की जा सकती ।

(ग) क्योंकि अतिरिक्त राशि प्रीमियम का एक भाग है अतः इस राशि पर भी भूमि किराया-देय है ।

Rotten Wheat Supplied by F.C.I. to Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan

8706. **Dr. Laxminaryana Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the wheat supplied by the Food Corporation of India to Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan was found roetten and the consumers refused to purchase it; and

(b) if so, the full information in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The State Governments of Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan have reported that no rotten wheat was supplied by F.C.I.

(b) Does not arise.

Writing off Loans by Education Ministry

8707. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) Whether a considerable amount of temporary loans unrecovered during 1971-72 has been written off by his Ministry; and

(b) if so, state-wise break-up thereof and the reasons for which these loans could not be recovered?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) & (b) Rs. 61,931 was written-off in 1971-72 under the National Loan Scholarships Scheme, due to the death of loanee scholars or due to their being incapacitated. Further as provided in the Scheme, a sum of Rs. 4,56,900 was waived as these pertained to scholars who took to the teaching professi on after completion of their studies. The state-wise break-up of loans written off is given in the statement attached.

Statement of waived amounts—1971-72 Under National Loan Scholarships Scheme

Name of the State	Amount waived in case of loanee scholar joining teaching profession	Amount written off in case of demise of loanee scholar	Amount written off in case of loanee scholar becoming invalid or being incapacitated	Total
1	2	3	4	5
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Andhra Pradesh .	30,831	4,104	..	34,935
Gujarat	7,936	12,635		20,571
Haryana	8,000	..		8,000
Himachal Pradesh	1,500	..	..	1,500
Kerala	25,007	9,680	3,000	37,687
Maharashtra	20,000	490	..	20,490
Mysore	68,655	3,050	2,160	73,865
Punjab . . .	3,600	1,000	1,000	5,600
Tamil Nadu .	1,45,901	14,895	5,760	1,66,556
Uttar Pradesh . . .	1,45,470	4,157	..	1,49,627
TOTAL .	4,56,900	50,011	11,920	5,18,831

Improvement in Standard of Education among Scheduled Castes and Scheduled Tribes

8708. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the steps taken for improving the standard of education among Scheduled Castes and Scheduled Tribes with particular reference to Uttar Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Expenditure on Indian and Foreign Students

8709. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether some students have been sent abroad for studies by Government on Government expenses during 1971-72 ;

(b) whether some students from abroad have also come to India for a similar purpose whose expenses in regard to study are borne by Govt. of India ; and

(c) if so, the expenditure being incurred on Indian students and foreign students separately and the number of scheduled caste students out of those who are studying abroad ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) The following are the two Schemes under which students are sent abroad for study at Government expenses :

(i) National Scholarships Scheme for Study Abroad ;

(ii) National Overseas Scholarships to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc. students for study abroad.

Under the first Scheme, 23 students were sent abroad during 1971-72 ; and under the second Scheme 3 students (2 Scheduled Caste and One Scheduled Tribes) were sent abroad during 1971-72.

Under the General Cultural Scholarships Scheme, Government of India award scholarships to nationals selected from African, Asian and other foreign countries for Post-Matric studies in India. All expenses in regard to their study in India are borne by the Government of India. Under this Scheme, 161 students came to India during 1971-72. Besides the General Cultural Scholarships Scheme, foreign scholars/trainees also come to India under the Commonwealth Education Cooperation Plan as well as other receiprocal scholarship schemes. The expenses of these scholars in India are also met by the Government of India. The total number of scholars who came to India under these Schemes during 1971-72 is 319.

The total expenditure incurred on Indian students who were studying abroad during 1971-72 is Rs. 7,87,100 approximately. The total expenditure incurred on the foreign students who were studying in India during 1971-72 is Rs. 31,67,991 approximately.

उचित मूल्य की दुकानों और खुदरा दुकानों पर गेहूं का समान मूल्य

8710. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उचित मूल्य की दुकानों और खुदरा दुकानों पर गेहूं का समान मूल्य सुनिश्चित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो समान मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) :(क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार से राज्य सरकारों को समान निर्गम मूल्य पर गेहूं की मौजूदा नीति चल रही है । तथापि, खुले बाजार में गेहूं के खुदरा अधिकतम मूल्य सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से दिए जाने वाले गेहूं के निर्धारित निर्गम मूल्यों के अनुसार सामान्यतया विनियमित किए जायेंगे ।

सरारा तहशील, उदयपुर में भूख से मौतें

8711. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान में उदयपुर जिले के सरारा तहसील में भूख से होने वाली मौतों के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में भुखमरी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है । तथापि, राज्य सरकार ने आवश्यक राहत उपाय किए हैं जैसे कि सूखे से प्रभावित जनसंख्या को रोजगार सुलभ करने के लिए टैस्ट राहत कार्य खोलना, मुफ्त राहत देना, पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्यान्नों की सप्लाई करना, आदि ।

संघ राज्य क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय

8712. **श्री पी० जी० मावलंकर**: क्या कृषि मंत्री विश्वविद्यालयों के लिये शर्तें और सहायता के बारे में 16 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7066 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र में एक या अधिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्वयंसेवी रक्त बैंक द्वारा रक्त की सप्लाई

8713. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या देश के रोगियों की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयंसेवी रक्तबैंक द्वारा रक्त की पर्याप्त सप्लाई की जा रही है ; और

(ख) क्या सरकार सामाजिक-सेवा भाव वाले नागरिकों से रक्त-दान एकत्रित करने वाली स्वयं-सेवी ऐजेन्सियों को वित्तीय सहायता देगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक योजना विचाराधीन है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन

8714. **श्री पी० जी० मावलंकर** :

श्री त्रिदिब चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सफलता प्राप्त हुई ; और

(ग) इस कार्यक्रम को और फलदायी बनाने के लिये और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) :(क) और (ख) जी हां । परिवार नियोजन कार्यक्रम, ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति करता रहा है । देश में किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि परिवार नियोजन के बारे में जागृकता ग्रामीण क्षेत्रों में 60-70 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में 70-80 प्रतिशत है । पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल नस-बन्दी आपरेशन करवाने वालों तथा लूप पहनने वालों में से लगभग 60 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों के थे । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गए कार्य के परिणामस्वरूप परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों द्वारा प्रजनन शील आयुवर्ग के लगभग 14.4 प्रतिशत दम्पतियों को सुरक्षित किया गया है तथा राष्ट्रीय जन्म दर जोकि 1961 में 41.7 प्रति हजार के स्तर पर थी घट कर 1971-72 में लगभग 37 प्रति हजार हो गई है ।

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम को और फलदायी बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए जा रहे हैं :—

1. सभी स्तरों पर प्रसूति और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा सामान्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एकीकरण । माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल के लिए प्रतिरक्षीकरण तथा रोग निरोधक योजनाओं को सुदृढ करना ।

2. एक नई प्रेरणा नीति अपनाना जिसमें नए नारे भी सम्मिलित है, जिनमें मां के स्वास्थ्य तथा शिशु और परिवार नियोजन के कल्याण का दृष्टिकोण नीहित है और जो व्यक्तियों तथा विशेष वर्गों की ओर अधिकाधिक उन्मुख है ।

3. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ करना ।

4. गर्भाशयी गर्भरोधक (लूप) और नसबन्दी सेवाओं के बारे में जनता के डर और शंकाओं को दूर करके और उत्तम चयन द्वारा इन तरीकों में सुधार करना ।

5. सुधरी हुई गर्भनिरोधक तकनीक तैयार करने पर, जिसमें देश में तैयार किये गए तरीके और उपकरण शामिल है; अधिकाधिक बल देना ।

6. प्रसवोत्तर कार्यक्रम, सघन जिला कार्यक्रम और मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंख्या परियोजनाओं जैसी विशेष योजनाओं को उच्च प्राथमिकता देना ।

7. जिन राज्यों में परिवार नियोजन की प्रगति धीमी रही है उनकी ओर विशेष ध्यान देना ।

8. परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्य कर रहे विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के प्रशिक्षण को तेज करना और उसमें सुधार करना ।

Collaboration with Foreign Country for Development of Indian Agriculture

8715. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the countries which are collaborating with India at present in regard to development of Indian agriculture and new agricultural system ; and

(b) board outlines thereof ?

The Ministry of State in the Ministry of Agriculture(Annasaheb P. Shinde): (a) The countries which are at present collaborating with India for the development of agriculture are Australia, Canada, Denmark, Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, Japan, Norway, Sweden and Soviet Russia.

(b) Broad outlines of the assistance provided by these countries are given in the attached statement.

STATEMENT

Name of the Country	Broad Outlines of the assistance provided.
1. Australia . . .	Sheep Breeding, The assistance is in the form of experts, training facilities and equipment.
2. Canada . . .	Research in increasing agricultural potential. The assistance includes experts, training facilities and equipment.
3. Denmark . .	Development of Dairy farming and cattle development.
4. Federal Republic of Germany.	Provision of experts, training facilities and equipment and inputs like fertilisers and pesticides for all round agricultural production in Hill areas.

5. German Democratic Republic.	Exchange of experts and provision of training facilities.
6. Japan . .	Trials and demonstrations of extension techniques. Assistance includes training facilities for Indians in Farm machinery and implements.
7. Norway . .	Fisheries including equipment etc.
8. Sweden . .	Fisheries, Forestry, water management and water development in hard rock areas.
9. U.S.S.R. . . .	Oilseed research equipment ; cotton technology ; Farm Mechanisation; collection of germ plasm, research in production of sheep pox vaccine; plant quarantine ; wheat hybrid rice production etc.

Scheme to attract the educated unemployed to agriculture

8716. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to attract the attention of the educated unemployed persons towards agriculture ; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) Yes.

The Department of Agriculture have formulated the following schemes to provide self employment opportunities for educated unemployed.

1. Farm Graduates Scheme.*
2. Establishment of Agro-Service Centres.*
3. Self employment of Agriculture Graduates in rural areas.**
4. Training of Farm boys and girls (school drop outs) in agriculture.**

(b) 1. *Farm Graduates Scheme.*—The object of the scheme which is financed by the State Bank of India, is to provide financial assistance to prospective graduate farmers having requisite technical qualifications and worthwhile Farm development projects of agriculture-production but unable to undertake them due to lack of resources.

The scheme will cover among others, the following activities :

(i) production of food grains, and commercial crops etc.

(ii) undertaking poultry, dairy fisheries, grape and orchard gradens, etc.

(iii) setting up and running of custom service units. Financial assistance will cover:—

(a) Medium term loans for development of land, irrigation facilities etc.

(b) Instalment credit for purchase of tractors and other agricultural implements.

(c) Working capital for fertilisers and pesticides.

2. *Agro Service Centres.*—This Central scheme under the Ministry of Agriculture was formulated to provide self employment to technical personnel such as graduates/Diploma

*already under implementation.

**yet to reach implementation stage.

holders in Engineering, Agricultural Graduates and Ex-service men who have reasonable experience in agriculture and providing the following technical services and supplies to the faiming community;

(i) Agricultural Machinery Hiring for Land preparation, .harvesting .etc.

(ii) Installation of pumpsets and other farm equipments, maintenance and services and other help.

(iii) Supply of fertilisers, pesticides, and engineering stores of day to day use and spare parts of agricultural implements etc.

The scheme envisages setting up of 2,500 Agro-Service Centres by 1973-74.

14 State Cells under the State Agro-Industries Corporations have been/or being set up with a grant-in-aid worth Rs. 3.45 lakhs per sell to provide training to enterpreneure in addition to the two centres at Budani and Hissar.

3. *Self-employment of agriculture graduates in rural areas.*—The scheme has been formulated with a view to providing opportunities to 1000 unemployed agricultural graduates per year during the Fifth plan so that they could profitably employ themselves and utilise gainfully the knowledge and skills that they have acquired. This will also enable them to take up agricultural consultancy and custom service in their areas for this purpose, each agricultural graduate will be provided a honorarium of Rs. 1200 per year for a period of two years. In addition, they will also be given a sum of Rs. 300 per year for conducting two demonstrations on their farms. Thus during the Fifth Plan period, 5,000 agriculture graduates would be provided employment opportunities under this scheme.

4. *Training of Farm boys and Girls (School drop outs) in agriculture.*—This scheme has been formulated with a view to provide short duration training in agricultural and allied disciplines to rural school drop-outs, for developing necessary skills in them to take up agriculture as economic profession. During the Fifth Plan period, it is proposed to provide training to 32,000 farms boys and girls at the rate of 6,400 per year.

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा

8717. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर देश में विद्यमान सामान्य स्तर से बहुत नीचा है और क्या इस बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) उक्त क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिये शिक्षा मंत्रालय का क्या कार्य रहा है ;

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना में मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय अथवा विशेष योजनाएं आरम्भ की जा रही है ; और

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिये कुल परिव्यय में से जनजाति क्षेत्रों के लिये कितनी धनराशि के आबंटन का प्रस्ताव है और उक्त धनराशि कुल परिव्यय के अनुपात में कितनी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नरुल हसन) : (क) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा के संबंध में एक रिपोर्ट (1965-66) प्रकाशित की है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुसूचित जन जातियों को, अन्य जातियों के शैक्षिक विकास के स्तर तक पहुँचने के लिए अभी पर्याप्त प्रयास करने होंगे ।

(ख) और (ग) जन जातियों में शिक्षा के प्रसार को शिक्षा मंत्रालय बहुत महत्व देता है और उसका प्रस्ताव प्राथमिक आधार पर बहुत सी योजना तैयार करने का है। इनमें, भर्ती अभियान, प्रेरणाएं प्रदान करना, छात्रवृत्तियां और छात्रावास, आश्रम स्कूलों की स्थापना, उन दूरवर्ती क्षेत्रों में भी स्कूल खोलना, जहां वे आर्थिक दृष्टि से न्यायसंगत न हो, जनजातीय क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्ति, प्राथमिक स्तर पर माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए जनजातीय भाषाओं का विकास और पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण, ताकि शिक्षा को उनकी परम्पराओं और संस्कृति के अनुरूप बनाया जा सके।

(घ) पाँचवी पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यक्रमों के वास्ते किया जाने वाला आबंटन अभी विचाराधीन है।

आदिवासी क्षेत्रों के लिए चिकित्सा-सुविधाएं

8718. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिए जिन अन्तरंग चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है उनका बिलकुल उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) क्या दवाओं की कमी तथा संस्थाओं द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को न ढालना इन सुविधाओं के अनुपयुक्त रहने के कारण हैं ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का भी विचार है हालांकि उनका उपयोग प्रायः नगण्य ही होता है ; और

(घ) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि इन योजनाओं को आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाये ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी।

वनों से प्राप्त होने वाला राजस्व और उन पर व्यय

8719. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950, 1960 और 1970 में देश में, राज्यवार, वनों से कितना शुद्ध राजस्व प्राप्त हुआ और कितना प्रशासनिक व्यय हुआ ; और

(ख) समस्त देश में और क्रमशः उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए वन विभागों ने कुल कितनी धन-राशि खर्च की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) राज्य वन विभाग से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन अनुसन्धान केन्द्र

8720. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय तथा राज्य अनुसन्धान संस्थानों के अधीन कुल कितने अनुसन्धान केन्द्र हैं ;

(ख) ऐसे कितने अनुसन्धान केन्द्र हैं जो केवल मात्र जनजातीय क्षेत्रों में कृषि समस्याओं पर ही कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों में कृषि की विशेष समस्याओं का अध्ययन किया जा रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) कृषि-विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों आदि से सूचना एकत्रित की जा रही है, और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

सूरतगढ़ फार्म

8722. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़ स्थित सरकारी फार्म में हाल ही में धान के उत्पादन में पिछले सभी रिकार्ड तोड दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में पिछले खरीफ के मौसम में वहां प्रति एकड़ कितनी पैदावार हुई है; और

(ग) क्या गेहूं, कपास, गन्ना तथा अनाज के उत्पादन में भी इसी प्रकार वृद्धि हुई है ; और

(ध) क्या इस फार्म को निरन्तर लाभ हो रहा है अथवा नहीं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूरतगढ़ स्थित सरकारी फार्म में हुई प्रति एकड़ धान की पैदावार नीचे दी गई है :—

1970	1971	1972
7.09 क्विंटल	7.34 क्विंटल	13.75 क्विंटल

(ग) यद्यपि गेहूं, कपास, गन्ना और चने की पैदावार पिछले रिकार्ड से अधिक नहीं हुई, तथापि 1971-72 में इनकी औसत पैदावार 1970-71 की तुलना में अधिक थी ।

(घ) फार्म 1969-70 से निरन्तर लाभ कमा रहा है ।

पांचवी योजना के दौरान सरकारी फार्मों की स्थापना

8723. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी योजना के दौरान और कितने सरकारी फार्म स्थापित करने का विचार है तथा वे कहां होंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : पांचवीं योजना के दौरान निम्नलिखित राज्यों में फार्म स्थापित करने का विचार है :—

1. मध्य प्रदेश
2. उत्तर प्रदेश
3. पश्चिम बंगाल
4. आंध्र प्रदेश
5. गुजरात
6. नागालैंड जैसे कुछ अविकसित क्षेत्र ।

इन फार्मों को किन स्थानों पर स्थापित किया जाए, यह बात बड़े आकार के यंत्रीकृत फार्मों की स्थापना के लिए सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली भूमि की उपयुक्तता पर निर्भर करेगी ।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में तम्बूओं में चलाये जा रहे स्कूल

8724. **श्री झारखंडे राम** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में कितने स्कूल तम्बूओं में चलाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिये भूमि आबंटित की हुई है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्कूलों को भूमि आबंटित की गई है ; और

(घ) निर्माण कार्य कब से शुरू करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कोई भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल रामकृष्णपुरम क्षेत्र में तम्बूओं में नहीं चल रहा है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा रामकृष्णपुरम के निम्नलिखित राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि आबंटित की गई है :—

(1) राजकीय बाल/बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, रामकृष्णपुरम-II

(2) राजकीय बाल/बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, रामकृष्णपुरम-III

(3) राजकीय बाल/बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, रामकृष्णपुरम-V

(4) राजकीय बाल/बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, रामकृष्णपुरम-VI

(5) राजकीय बाल/बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, रामकृष्णपुरम-VII

रामकृष्णपुरम के सेक्टर 2, 3, 5, 6 तथा 7 पांचों ही स्थलों पर स्कूल भवन बन चुके हैं । रामकृष्णपुरम के सेक्टर 2 की भूमि पर दूसरा भवन भी निर्माणाधीन है ।

विभिन्न राष्ट्रीय खेल-कूद संगठनों को वित्तीय सहायता

8725. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राष्ट्रीय खेल-कूद संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में विभिन्न राष्ट्रीय खेल-कूद संगठनों को कितनी सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या इन संगठनों के कार्यकरण के बारे में सरकार को कुछ कहना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हाँ, बशर्ते कि निर्धारित शर्तें पूरी की गई हों ।

(ख) खेलों संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 1972-73 के दौरान 8,69,294 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में मैन्युअल्स से सम्बन्धित अनुवाद कार्य का आवन्टन

8726. **श्री राजदेव सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में मैन्युअल्स से सम्बन्धित अनुवाद-कार्य इस कार्य के लिये कार्यकारी जनरल एडिटर के पुत्र को आबंटित किया गया था ;

(ख) क्या यह तथ्य सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय लिपिक सेवा (आचार) नियम, 1964 का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने, इस मंत्रालय को अगस्त 1970 में यह सूचित किया था कि विश्वविद्यालय स्तर की मानक पुस्तकों के निर्माण, पत्रिकाओं तथा इस कार्य के कार्यभारी महा सम्पादक के पुत्र सहित कुछ व्यक्तियों को अनुवाद कार्य के आबंटन के संबंध में उन्हें गुप्त साधन से प्राप्त रिपोर्ट की जाँच करने के लिए, वे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कुछ अभिलेखों की जाँच करना चाहते हैं । केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को संबंधित फाइलें उपलब्ध कर दी गई थीं और उनसे आवश्यक जाँच पड़ताल करने का अनुरोध किया गया था । उन फाइलों की जाँच पड़ताल करने के बाद केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इस मंत्रालय को इस प्रकार सूचित किया था :—

> "सूचना की सतर्कतापूर्वक और गोपनीय ढंग से जाँच की गयी और हमने इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया है क्योंकि इसे केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा आगे कार्यवाई करने के उपयुक्त नहीं समझा गया "।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक का पद

8727. **श्री राजदेव सिंह :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के कार्यकलाप निदेशक को केन्द्रीय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस पद के लिये नहीं चूना गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में निदेशक के पद को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पद के लिये किये गये तदर्थ प्रबन्धों को जारी रखने का क्या औचित्य है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक ने 1972 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के मिले हुए कार्यालय के कार्य का निरीक्षण किया था । उनकी रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक के पद को समाप्त करने का निर्णय किया गया है । तथापि, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष का पद रखा जाएगा और वह अध्यक्ष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेगा । वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष का पद यथाशीघ्र भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । इसी दौरान, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के स्थानापन्न निदेशक की व्यवस्था तदर्थ आधार पर जारी रखी गई है ।

पायलट इन्टेंसिव रूरल एम्प्लायमेंट प्रोजेक्ट का स्थापना स्थान

8728. **श्री अनादि चरणदास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों अथवा स्थानों के नाम क्या हैं जहां पायलट इंटेंसिव एम्प्लायमेंट प्रोजेक्ट कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(ख) इस कार्यक्रम का विस्तार किन क्षेत्रों में किया जा रहा है और उस पर कितना व्यय होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जिन खण्डों/जिलों में प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है उनके नामों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। यह तीन वर्षीय परियोजना है। इस योजना को कार्यान्वित करते हुए अभी एक वर्ष ही हुआ है। इस समय इस कार्यक्रम का विस्तार करने का इरादा नहीं है। इसके विस्तार के प्रश्न पर केवल इसके अंतिम परिणामों का पता चलने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

विवरण

प्रायोगिक गहन ग्राम रोजगार परियोजना के लिए चुने गए जिलों/खण्डों की सूची।

राज्य	खण्ड का नाम	जिले का नाम
1. आन्ध्र प्रदेश .	शादनगर	महबूबनगर
2. असम	पचिम नलबाड़ी	कामरूप
3. बिहार.	मुसाहरी	मूजफ्फरपुर
4. गुजरात	तलाला	जूनागढ़
5. हिमाचल प्रदेश .	सदर	बिलासपुर
6. जम्मू तथा कश्मीर	केल्लैर	अनन्तनाग
7. केरल . .	त्रितला	पालघाट
8. मध्य प्रदेश	अलिराजपुर जनजातीय विकास खण्ड	झबुआ
9. महाराष्ट्र	करंजा	वर्धा
10. मैसूर .	हरिहर	चित्रदुर्गा
11. उड़ीसा	अस्का	गंजम
12. राजस्थान	बुखिया	बंसवाड़ा
13. तमिलनाडू .	मांलूर	साउथ आरकोट
14. उत्तर प्रदेश	बंसदिह	बल्लिया
15. पश्चिम बंगाल . .	नयाग्राम	मिदनापुर

Provision of Facilities to Kabul University for Teaching of English and Hindi

8729. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Government of India propose to provide means, teachers and other facilities to the Kabul University to help in making arrangements for teaching of English there;

(b) if so, whether the Government of India would correspond with the Government of that country for making arrangements for the teaching of Hindi also in the Kabul University and offer suitable assistance in this regard; and

(c) if so, the time by which it would be done?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. The Government of Afghanistan has sought for such assistance.

(b) and (c) The Government of India will consider favourably any proposal for making arrangements for the teaching of Hindi also, if andwhen it is received from Kabul.

Research Work to Find Treatment of Cancer

8730. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether about 500 plants have been sent to the Research Institute in U.S.A. from India for the Research work being conducted to find treatment of cancer in the world;

(b) whether about 150 plants have also been sent for the research work from Indore (Madhya Pradesh);

(c) whether Dr. Robert E. Perdue of the Nashville Medical Plants Research Laboratory under the U.S. Agricultural Research Service had also visited Indore on the 1st April 1973 in this connection; and

(d) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa) : (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

Discovery of Manuscriqt of "Surmanjri"

8731. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the historic manuscript of the rare work "Surmanjri" of Bhakt Kavi Surdas has been discovered in an old hut at Fatehpur by Chandrika Prasad Dixit, Hindi Reader in Pandit Nehru Degree College, Banda ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) No, Sir. The Government have no information on the subject.

(b) The question does not arise.

तटीय नौवहन को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को सलाह

8732. श्री राम प्रकाश : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने तटीय नौवहन को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में महाराष्ट्र सरकार को सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये कितनी सहायता देने की पेशकश की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अनुमान है कि जिक्र कोंकन तटीय यात्री नौवहन सेवा का किया गया है । भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को सेवा अपने हाथ में लेने की इस प्रकार की सलाह नहीं दी है । परंतु इस प्रस्ताव की वांछनीयता और औचित्य के संबंध में एक या दो अवसरों पर अनौपचारिक रूप से विचार-विनिमय किया गया है, परंतु किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में पोषाहार के संवर्धन के उपाय

8733. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, अलग-अलग, एक भारतीय का औसतन आहार किस किस्म का रहा है और उस आहार में क्या-क्या वस्तुएं आती हैं ;

(ख) इस आहार की कमियों को दूर करने और इसे प्रोटीन, खनिज और अन्य महत्वपूर्ण विटामिनों से समृद्ध बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) देश में पोषाहार संवर्धन के लिए क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारत की चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रति व्यक्ति को प्रति दिन निवल भोजन कैलरी और प्रोटीन की उपलब्ध मात्रा :

खाद्य वस्तु	पहली पंच वर्षीय योजना (1951–56) योजना के तीन वर्षों का औसत 51-53*	दूसरी पंच वर्षीय योजना (1956–61) योजना के तीन वर्षों का औसत 57-59*	तीसरी पंच वर्षीय योजना (1961–66) योजना के तीन वर्षों का औसत 63-65*	चौथी पंच वर्षीय योजना (1969–74) योजना अवधि का पहला वर्ष 1969-70 (टी०)
क				
1. अनाज (ग्राम) . .	333	359	381	384
2. स्टार्चयुक्त आलू, अन्य स्टैपल खाद्य (ग्राम) . . .	30	29	35	48
3. चीनी तथा मीठा (ग्राम) .	31	38	54	49
4. दालें, गिरी तथा बीज (ग्राम) .	60	65	55	53
5. सब्जी (ग्राम) . .	**	**	7	10
6. फल (ग्राम) . .	34	31	45	48
7. मास (ग्राम) . .	4	4	4	4
8. अंडे (ग्राम) .	..	1	1	1
9. मछली (ग्राम) .	2	3	3	3
10. दूध (ग्राम) .	128	129	118	116
11. वसा और तेल (ग्राम)	8	11	10	10
ख				
1. कैलरी .	1,740	1,900	2,000	1,990
2. प्रोटीन (ग्राम) . .	46.6	50.2	49.9	49.4

नोट :— *—विभक्त वर्षों को स्ट्रोक द्वारा दिखाया गया है अर्थात् 1951/53, 1951/52–1953/54 का सूचक है ।

2. **—आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

3. ··—कुछ नहीं, नगण्य मात्रा (बताए गये यूनिट के 1/2 से भी कम) अथवा इंदराज व्यवहार्य नहीं ।

4. टी०—अस्थायी आंकड़े ।

(ख) और (ग) चौथी पंच वर्षीय योजना में कार्यान्वित किए जा रहे पोषाहार संबंधी कार्यक्रम :

क्रम संख्या	योजना	उस विभाग का नाम जोकि योजना को कार्यान्वित कर रहा है।
1	स्टेपल खाद्य के विटामिन तथा खनिज द्वारा प्रबलीकरण के टेस्ट की व्यवहार्यता।	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्रालय।
2	राज्य पोषाहार ब्यूरो के माध्यम से पोषाहार संबंधी शिक्षा के लिए प्रायोगिक परियोजना।	
3	माताओं और बच्चों में पौषाणिक रक्त क्षीणता का रोगनिरोधन।	
4	विटामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों के अंधापन को रोकना।	
5	व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम।	सामुदायिक विकास विभाग।
6	महिलाओं और स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए संयुक्त कार्यक्रम।	
7	मूंगफली के आटे और सोयाबीन उत्पाद का उत्पादन।	खाद्य विभाग।
8	बालाहार और कम कीमत के प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ तैयार करना।	
9	शिशुओं के खाद्य पदार्थ का उत्पादन।	
10	प्रोटीन आइसोलेट और प्रोटीन आइसोलेट टोन्ड दूध के लिए प्रायोगिक संयंत्र।	
11	बिनौले से आटा तैयार करना।	
12	गेहूं के उत्पादों का प्रबलीकरण।	
13	नमक का प्रबलीकरण।	
14	डबल रोटी का प्रबलीकरण।	
15	श्रव्य-दृश्य सहायता तथा प्रचार।	
16	स्वैच्छिक एजेंसी के माध्यम से विस्तार कार्य करना।	
17	खाद्य तथा पोषाहार विस्तार की चलती-फिरती यूनिट।	
18	पोषाहार और भोजन संबंधी सर्वेक्षण।	
19	पौष्टिक खाद्य पदार्थों की स्वीकार्यता के बारे में अध्ययन।	
20	लाइनर तकनीकों के माध्यम से कम लागत का भोजन तैयार करना।	
21	मूंगफली सुखाना और अफलाटाक्सिन का नियन्त्रण।	
22	सामुदायिक डिब्बाबन्दी तथा परिरक्षण केन्द्र।	
23	पीनट बटर का उत्पादन।	
24	खान-पान औद्योगिकी तथा व्यावहारिक पोषाहार संस्थान।	
25	अनुसन्धान संबंधी योजनाएं।	

क्रम संख्या	योजना	उस विभाग का नाम जोकि योजना को कार्यान्वित कर रहा है
26	मक्का, दालें और मिलेट का विधायन ।	खाद्य विभाग
27	खाद्य औद्योगिकी प्रशिक्षण केन्द्र ।	
28	खाद्य उत्पाद तथा शीत भाण्डागार योजना ।	
29	माडर्न बेकरी के माध्यम से शिक्षा देना ।	
30	प्रयोगशालाएं ।	
31	स्कूल में भोजन की व्यवस्था ।	शिक्षा विभाग ।
32	बालबाडी के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन ।	समाज कल्याण विभाग ।
33	स्कूल न जाने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए विशिष्ट भोजन कार्यक्रम ।	

केरल में राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क पुलों का निर्माण और उनको स्थान बदल कर उन्हें बनाना

8734. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक केरल के राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क पुल के निर्माण तथा मार्ग बदल कर उनका पुनर्निर्माण का कार्य किस हद तक पूरा हुआ है ;

(ख) इस बारे में पूरे न हुए बड़े कार्य कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना):(क) से (ग) चौथी योजना में, केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 47-क के विकासार्थ निम्नलिखित सड़क कार्यों की व्यवस्था की गई है :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47-क था के खण्ड की लुप्त कडी पेरुपिलावु-कडाबुलूर लुप्त कड़ी का निर्माण ।

(2) कुल 312 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग 17 जो कि पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 47-क था, और राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के भाग पर मौजूदा इकहरी गली वाले खण्ड का दो गलियों में चौड़ा करना और मजबूत बनाना जिसमें कमजोर/तंग पुलियों का निर्माण/चौड़ा करना तथा उसके लिए भूमि-अधिग्रहण शामिल है ।

(3) अल्वे-एर्नाकुलम खण्ड के लिए 4 गलियों तक सड़कों का चौड़ा करना ।

इन कार्यों में से लुप्त कड़ी पेरुमपिलानु-कडाबुलूर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । उपर्युक्त मद (2) के चौड़ा और मजबूत बनाने के कार्य के संबंध में 110 किलोमीटर के लिए 2.68 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है । लगभग 40 किलोमीटर की लम्बाई को छोड़कर दो गलियों तक प्रस्तावित सभी खण्डों पर भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दी गई है । भूमि अधिग्रहण के लिए 6.6 करोड़ रुपये की पहले ही मंजूरी की जा चुकी है ।

8 मार्च, 1972 से पहली पश्चिम तटीय सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 घोषित की गई है । अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की केन्द्रीय सहायतित सड़कों के कार्यक्रम के रूप में लगभग 15 वर्ष पहले इस सड़क पर कार्य शुरू किया गया था । बलियापटनम पुल और कुछ छोटे कार्यों के निर्माण के सिवाय जिनके पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है, शेष सब कार्य पूरा हो चुका है। इसके राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किये जाने के बाद, चतुर्थ योजना कार्यक्रम के भाग के रूप में इस सड़क में इकहरी गली राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक और सुधार किये जाने का प्रस्ताव है, जिसके संबंध में कमियों की जांच पड़ताल हो रही है और सुधार प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है । उपर्युक्त सुधार कार्यों की पांचवीं योजना अवधि के अंत तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

मोड़ और पुल :

राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के लिये चौथी योजना के दौरान शुरू किये गए मोड़ कार्य, पालघाट, चालाकुड़ी, कोरट्टी, अलवे, कोचीन, शेरतलई और अलेप्पी नगरों के लिए है । कोरट्टी और शेरतलई उपभागों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है । कोचीन, पालघाट, अल्वे और चलाकुडी उपमार्गों के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है । पूरे होने वाले उप-मार्गों में कोचीन एक बड़ा उपमार्ग है जिसकी पुल कार्यों की लागत सहित लागत 420 लाख रु० होगी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और 47 पर जिन 37 पुल निर्माण कार्यों की व्यवस्था की गई है उनमें से 9 पुल अभीतक बनाए गये है और 22 पुलों का कार्य प्रगति पर है। पूरे किये गए पुलों में नीनदाकारा, चालाकुडी और कुरमाली के बड़े बड़े पुल हैं जो कि चौथी योजना से पहले शुरू किये गए थे । पूरे होने वाले पुलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर ये पुल मुख्य हैं—यक्कारा (209/3 किलोमीटर), त्रिप्पालूर (227/5 किलोमीटर), नरगामपल्ली (198/8 किलोमीटर), मंगलम (239/21 किलोमीटर), मंगलथजहम (152/4 किलोमीटर), कुंवलमअरुर (कोचीन उपमार्ग में), पत्तनगाड-कुम्बलम (कोचीन उपमार्ग में), चम्पकाए (कोचीन उपमार्ग में), कृष्णापुरम (461/2 किलोमीटर), इथीक्कारा (508/8 किलोमीटर) और पूत्रमपारा (532/4 किलोमीटर) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर बलियापटनम पुल ।

बनारस हिन्दु विश्व विद्यालय में हाल की घटनाओं के बारे में ज्ञापन

8735. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय छात्र संघ, उत्तर प्रदेश राज्य समिति के नेताओं से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हाल की घटनाओं के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस ज्ञापन में दी गई विभिन्न बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) अखिल भारतीय छात्र संघ की उत्तर प्रदेश राज्य समिति के अध्यक्ष, महा सचिव, और सचिव ने अपने 2 अप्रैल, 1973 के पत्र में प्रधान मंत्री का ध्यान बनारस हिंदु विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्रिया कलापों की ओर आकर्षित किया है और उनसे अपील की है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाने और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कब्जे से भवन को खाली करवाने में कुलपति की हर-सम्भव सहायता और सुरक्षा प्रदान की जाए ।

(ग) विश्वविद्यालय ने उस अनुमति को रद्द करने का पहले से ही निर्णय ले लिया है जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रांगण में भवन का उपयोग कर रहा है तथा उसे खाली करवाने के लिये दीवानी मुकदमा दायर किया है । मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं के संबंध में कार्रवाई करना विश्वविद्यालय प्राधिकारियों का दायित्व है ।

सरकार,. . .कुलपति को पूर्ण समर्थन प्रदान करती रही है और उसका प्रस्ताव कुलपति को तथा विश्वविद्यालय के सांविधिक रूप से नियुक्त प्राधिकारियों को सभी अपेक्षित कदम उठाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का है ताकि विश्वविद्यालय के सामान्य शैक्षणिक कार्यकलाप को आरम्भ करना संभव हो सके ।

स्वास्थ्य पोषाहार तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए लद्दाख को वित्तीय सहायता

8736. श्री कुशोक बाकुला : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों के स्वास्थ्य, पोषाहार तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों अथवा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए लद्दाख (जम्मू व काश्मीर राज्य) को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि (यूनिसेफ) की सहायता से लद्दाख में कितने बाल कल्याण कार्यक्रम चलाये गये हैं ; और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लद्दाख में बाल कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संकति विभाग में [उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेतम) : (क) से (ग) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरे राज्य के लिए दी जाती है, न कि, उसके किसी भाग के लिए ।

Economic Assistance to Akhil Bhartiya Madyanishedh Parishad

8737. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the extent of economic assistance given to Akhil Bhartiya Madyanishedh Parishad since its inception to date and the amount earmarked for it for the current year;

(b) the result of the review of the working of this Parishad; and

(c) the justification for giving increased economic assistance to the aforesaid Parishad in view of the increasing tendency of consumption of liquor in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) The All India Prohibition Council (Akhil Bhartiya Madyanishedh Parishad) has been given economic assistance to the extent of Rs. 8,35,000 since its inception in 1964. The amount earmarked for the current year is Rs. one lakh.

(b) There has been no review of its working. Periodical assessments are made from progress reports.

(c) The best way of tackling the liquor problem in the country will be to educate the people about the evil effects of liquor consumption. The Council is actively engaged in doing precisely this type of educational propaganda. There has been no increase in its assistance which is Rs. one lakh per year.

National Prizes to Teachers

8738. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of teachers in the country given national prizes during the last three years ; and

(b) the number among them who belong to Ladakh (J. & K. State)?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (a) & (b) During the last three years, 296 teachers have been given the National Awards. Of these, two belong to the State of Jammu and Kashmir.

बिरला इन्स्टीटचूट आफ टेकनालोजी एण्ड साइन्स पिलानी को विश्वविद्यालय का दर्जा

8739. **श्री शिवनाथ सिंह** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिडला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी एण्ड साइंस, पिलानी, राजस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत ऐसा किया गया है ;

(ख) इस समय इस विश्वविद्यालय के शासी निकाय (गवर्निग बाडी) के कौन-कौन से सदस्य हैं ; और

(ग) इस संस्था के निदेशक की नियुक्ति करने की प्रक्रिया क्या है और क्या इसका वर्तमान निदेशक एक निदेशक की नियुक्ति के लिए अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही नियुक्त किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार ने जून, 1964 में घोषित किया कि बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी, जो एक उच्च शिक्षण संस्था है, उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए एक विश्वविद्यालय के रूप में समझा जाना चाहिए ।

(ख) संस्थान के नियमों तथा विनियमों के नियम 11(क) के अनुसार संस्था के शासी मंडल (शासी-निकाय) का गठन निम्न प्रकार है :—

अध्यक्ष	श्री जी० डी० बिरला
अवेतनिक कोषाध्यक्ष	श्री एम० पी० बिरला
संस्थान के निदेशक	डा० सी० आर० मित्रा
संस्थान के संकायाध्यक्षों में से बारी-बारी से संकाय का एक अध्यक्ष	डा० ए० के० दत्तगुप्त
कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय . .	डा० आर० सी० मेहरोत्रा
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नामजद अधिकारी	प्रो० एम० आर० चोपडा
भारत सरकार के तीन नामजद अधिकारी . .	डा० एम० एस० मुथाना श्री एस० सरशिवम डा० जगदीश लाल
बिरला शिक्षा ट्रस्ट को तीन नामजद अधिकारी .	श्री एल० एन० बिरला श्री के० के० बिरला श्री वी० के० बिरला
संस्थान की आमसभा द्वारा चुने गए तीन सदस्य	डा० सी० डी० पांडे डा० पी० के० केलकर डा० एस० धवन

(ग) संस्थान के नियमों तथा विनियमों के नियम 22 को अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार पढ़ा जाये :—

"चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर शासी मंडल द्वारा निदेशक नियुक्त किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष, शासी मंडल के दो नामजद अधिकारी तथा भारत सरकार के दो नामजद अधिकारी होंगे"

वर्तमान निदेशक की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्थान ने निम्नलिखित स्थिति बताई है :

"वर्तमान निदेशक डा० सी० आर० मित्रा की सेवाएं, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल डा० गोपाला रेड्डी के सद प्रयत्नों के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त की गई थी। काफी लम्बी अवधि तथा सावधानी पूर्वक छानबीन करने के बाद तथा देश के अन्तर्गत तथा बाहर के बहुत से प्रसिद्ध शिक्षा विदों से परामर्श करने के पश्चात् डा० मित्रा का चयन किया गया था।

* * * * *

चयन को शासी मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। सात महिने से अधिक सराहनीय सेवाओं के सपश्चात् शासी मंडल के एक सर्वसम्मत संकल्प द्वारा निदेशक पद के पूर्ण उत्तरदायित्व तथा अधिकार के साथ डा० मित्रा को संस्थान के निदेशक के रूप में स्थायी बनाया गया था।

संस्थान के निदेशक के रूप में डा० मित्रा की नियुक्ति तथा स्थायीकरण की जांच संस्थान के न्यायामिकत्ता (सालिसीटर) मैसर्ज खेतान एण्ड कं० द्वारा और प्रसिद्ध वकील पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्य मन्त्री श्री सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा स्वतन्त्रतापूर्वक की गयी थी तथा उनकी नियुक्ति वैध घोषित कर दी गई थी।"

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण के बारें में
RE MOTION FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION

गुजरात और बिहार में खाद्य की कमी

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, I have given notice of an adjournment motion regarding food shortage in Gujarat and Bihar.....

Mr. Speaker : This goes on daily. How can we take up an adjournment motion daily ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : A Social Worker has been killed in firing. Teargas has been used to disperse the mob in Surat. *Lathi charge* has been resorted to in Allahabad. The people in Bihar are facing a lot of difficulty due to food shortage.

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा मामला है जिस पर सभा में पहले चर्चा हो चुकी है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : You will have to discuss it again and again. On the one hand it has been claimed by the Minister of Agriculture that this year there has been more procurement of wheat in comparison to that of last year, but on the other hand the fact is that it is not available. My call attention notice may at least be admitted.

Mr. Speaker : I have not received any call attention notice. Where have you given ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have given a call attention notice after having discussed it with you.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : हमने इस विषय पर चर्चा करने के लिये नियम 193 के अधीन पूर्व सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : उन सदस्यों को जिनकी पूर्वसूचनायें मंजूर कर ली गई हैं, उचित समय पर बुलाया जायेगा। बिना मेरी आज्ञा के कोई भी सदस्य खड़ा न हो।

सभा पटल पर रखें गयें प्रत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अधीन वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1970-71 के वार्षिक लेखे और तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1970-71 के वार्षिक लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4905/73]

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अधिन भारत के नियंत्रक और महालेखापरिक्षक का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष, 1970-71 के प्रतिवेदन—केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यक) भाग 2—चलचित्र वित्त निगम लिमिटेड का कार्यकरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4906/73]

केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण जारी किए जाने के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण जारी किये जाने के बारे में अधिसूचना संख्या 5(4)—डब्ल्यू एण्ड एम/73 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल, 1973 में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4914/73]

हिन्दुस्थान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा, उसका वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परिक्षित लेखे और उसपर टिप्पणिया

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4907/73]

माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकारण की समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर टिप्पणियां, आंध्र प्रदेश (आन्ध्र क्षेत्र सम्पदा (उत्पादन और रयतवाडी म परिवर्तन) संशोधन अधिनियम, 1973 तथा उपज उप कर अधिनियम, 1966 के अधिन अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी. शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) माडर्न बैकरीज़ (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मार्डन बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 71-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी 4908/73]

(2) आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षत्र) सम्पदा (उत्पादन और रयतवाड़ी में परिवेतन) संशोधन अधिनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (राष्ट्रपति का 1973 का अधिनियम संख्या 1) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 31 मार्च, 1973 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4909/73]

(3) उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 22 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 388 की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 14 अप्रैल 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 16 सितम्बर, 1972 की अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 1131 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4910/73]

भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर टिप्पणियां

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा के वर्ष 1971-72 के विषिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 4911/73]**

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र समापटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1970-71 के क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4912/73]

लोक-लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

उनसठवां, बयासिवां, तिरानबेवां, चौरानबेवां और पंचानबेवां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक-लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) खाद्य विभाग और पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में समिति के 7 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 59वां प्रतिवेदन ।

(2) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रक्षा सेवाएं), 1970 और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (रक्षा सेवाएं) के पैराग्राफों पर 82वां प्रतिवेदन ।

(3) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1964-65 से 1970-71 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर 93वां प्रतिवेदन ।

(4) वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-1970 और 1970-71 केन्द्रीय सरकार (सिविल) के प्रतिवेदन पर 94वां प्रतिवेदन ।

(5) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1966-67 से 1970-71 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर 95वां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

उन्तालीसवां, बयालीसवां और तैंतालीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—विद्युत के सम्बन्ध में 39वां प्रतिवेदन ।

(2) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन-विभाग)—पर्यटन के सम्बन्ध में 42 वां प्रतिवेदन ।

(3) गृह मंत्रालय—आन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ-राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में 43वां प्रतिवेदन ।

(4) उपर्युक्त तीन प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(5) सामान्य विषयों के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

अड़तीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में 38वां प्रतिवेदन ।
(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(2) निम्नलिखित के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश :—

(एक) पाईराइट्स फासफेट्स एण्ड केमीकल्स लिमिटड के सम्बन्ध में 39 वां प्रतिवेदन ।
(दो) प्रक्रिया तथा प्रकीर्ण विषय ।
(तीन) की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन ।

———

रेल अभिसमय समिति
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री आर० के० सिन्हा (फैज़ाबाद) : मैं रेलवे अभिसमय समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) वर्ष 1969-70 और 1970-71 के लिये लाभांश की दर तथा अन्य सम्बद्ध विषयों पर छठा प्रतिवेदन ।

(2) समिति की 5वीं से 38वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

———

शॉ वालेस एण्ड कम्पनी के हिस्सों की खरीद के बारें में वक्तव्य
STATEMENT Re. PURCHASE OF SHARES OF SHAW WALLACE & CO.

रेल मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

शा वालेस एण्ड कम्पनी के हिस्सों की खरीद पर हुई आधे घंटे की बहस के सम्बन्धित लोक सभा की 16 अप्रैल की साइक्लोस्टाइल की हुई कार्यवाही को पढ़ते समय, मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने मेरे विरुद्ध और मेरे दो सहयोगियों श्री चह्वाण और श्री मिर्धा के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे । मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था क्योंकि इस मामले से मेरा सम्बन्ध नहीं है; अन्यथा मैं तत्काल इन आरोपों का खंडन करता ।

श्री बसु ने मेरे विरुद्ध निम्नलिखित टिप्पणी की थी :

> "क्या यह वही कहानी नहीं है जो . . . . . हुई थी—ओरिऐंटल कार्पेट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी—सुदर्शन बिड़ला द्वारा और वह व्यक्ति श्री ललित नारायण मिश्र के पास गया ? श्री ललित नारायण मिश्र उसे अवश्य श्री मिर्धा के पास ले गये होंगे ।"

मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं कि उपर्युक्त आरोप पूर्णत: निराधार और राजनीति द्वारा प्रेरित है। श्री बसु के आरोप का खोखलापन उनके इस कथन से और भी स्पष्ट हो जाता है कि "श्री ललित नारायण मिश्र उसे अवश्य श्री मिर्धा के पास ले गये होंगे।"

इसके अलावा, मैं ओ०सी०एम० के श्री कल्याण बसु अथवा श्री सुदर्शन बिड़ला को जानता तक नहीं। इसलिए मेरे द्वारा उनमें से किसी को श्री मिर्धा के पास ले जाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में श्री कल्याण बसु या श्री सुदर्शन बिड़ला की बात तो दूर, मैं किसी भी व्यक्ति को कभी श्री मिर्धा के पास नही ले गया।

मुझे विश्वास है कि सदन मेरे इस कथन से सहमत होगा कि हम सब संसदीय परंपराओं को बनाये रखने के बड़े इच्छुक हैं और किसी भी सदस्य के विरुद्ध निरी कल्पना के आधार पर इस तरह के ऊटपटांग आरोप लगाना बहुत खेदजनक है।

इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक, 1972

INDIRA GANDHI UNIVERSITY BILL, 1972

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरुल हसन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिलांग में शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शिलांग में शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एस० नुरुल हसन: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय विधेयक, 1973

NORTH EASTERN HILL UNIVERSITY BILL, 1973

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री एस० नुरुल हसन): मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्वोत्तर अंचल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर अंचल के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए शैक्षणिक और सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री एस० नुरुल हसन: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामलें

MATTERS UNDER RULE 377

महाराष्ट्र को खाद्यान्न की अपर्याप्त सप्लाई

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : महाराष्ट्र में सामान्यत: और बम्बई में विशेषतया खाद्यान्न की सप्लाई की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। बम्बई में राशन व्यवस्था भंग हो गई है। राशन में गेहूं और चावल जितना एक सप्ताह के लिए दिया जाता है उससे केवल दो ही दिन चलते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए ज्वार, बाजरा और मक्का भी उपलब्ध नहीं है। अत: भुखमरी फैल रही है। महाराष्ट्र ने अगम्य क्षेत्रों के लिए 36,000 मीट्रिक टन के अतिरिक्त, मार्च में 2,83,000 मीट्रिक टन गेंहूं की मांग की थी। इस प्रयोजनार्थ केवल 1,67,091 मीट्रिक टन गेहूं दिया गया है।

यदि अगम्य क्षेत्रों के लिये 36,000 मीट्रिक टन गेहूं 10 दिन के भीतर सप्लाई न किया गया, तो वहां पर भुखमरी फैल जायेगी। बम्बई, पूना, शोलापूर, कोल्हापूर और ऐसे अन्य नगरों में लोग बहुत परेशान हैं। वहां पर दंगे भी हो सकते हैं। अत: महाराष्ट्र में अपेक्षित मात्रा में अनाज भेजने की तुरन्त व्यवस्था की जानी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The situation in Maharashtra is very precarious. This is what Members belonging to the Congress party are also saying.

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : गुजरात में भी यही स्थिति है। माननीय मंत्री सभी राज्यों के बारे बारे में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह एक विस्तृत बयान देंगे।

पत्रकार सम्मेलन में आनन्द मार्गियों के सम्बन्ध में गृहमंत्री के वक्तव्य के बारे में

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, with your permission, I want to raise a point of order under Rule 377. On Friday, the 27th April, on the calling attention motion in regard to the activities of Ananda Margis, a demand has been made that the House should be taken into confidence in regard to these activities and all the information should be placed on the Table of the House. Shri K. C. Pant, thereupon pointed out that the case was going in an open Court and the whole picture about the activities of Ananda Margis would come to light. At that time, although the Home Minister, Shri Dixit was present in the House, he did not say anything and had kept quiet. But later on, he called a press conference and made an important statement in regard to the Ananda Margis and said that they believed in violence; that they wanted to bring about dictatorship in the country ; and that they were getting money from foreign countries. This action of the Home Minister involves a very serious question of property. When the Home Minister was present in the House, he should have made a statement here instead of calling a press conference and making a statement outside. The Minister should be taken to task for breach of this propriety.

Mr. Speaker : Whenever a broad question of policy is to be announced and when the House is in session, the Minister should first make such an announcement here in this House. But in case of day-to-day administrative and other matters it is, however, not necessary to do so.

वित्त विधेयक, 1973

FINANCE BILL, 1973

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

मैं अपने आयव्यपक भाषण में वित्तीय प्रस्थापनाओं की मुख्य मुख्य बातों को पहले ही विस्तार पूर्वक कह चूकां हूं। अत: इनके बारे में पुन: कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास प्रस्थापनाओं के बारे में बहुत से सुझाव आए हैं। सुझाव देने वाले सदस्यों को म धन्यवाद दता हूं । मैं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से इन प्रस्थापनाओं के बारे में बातचीत कर चूका हूं। मैंने वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को भी कहा है कि वे भी भिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों से बाचचीत करे और यह पता लगाए कि उन्हें बजट प्रस्थापनाओं के बारे में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सीधे करो का सदन में तथा बाहर स्वागत किया गया है। कृषि से भिन्न आय और कृषि से प्राप्त आय दोनों को मिला कर कर लगाने की योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे कृषि क्षेत्र से संसाधन जुटाए जा सकेंगे। हमें इस योजना के विभिन्न उपबन्धों पर कई टिप्पणियां प्राप्त हुई है। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि शुद्ध कृषि आय का हिसाब लगाते हुए उसमें कृषि आयकर को सम्मिलित न करने से ऐसे राज्यों में जहां कृषि आयकर लगाया जाता है करदाताओं को बहुत कठिनाई होगी। मैं समझता हूं कि कृषि और गैर कृषि की आंशिक समेकित योजना के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय का हिसाब लगाते हुए राज्य के कानून के अन्तर्गत दिए जाने वाले कृषि आय-कर को कटौती के रूप में स्वीकार करना वांछनीय होगा। इसलिए इस उद्यश्य को पूरा करने के लिये विधेयक में एक संशोधन लाने का मेरा विचार है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विहित ही है इस विधेयक का उद्येश्य किसी व्यक्ति विशेष हिन्दू अविभाजित परिवार आदि के मामले में आय कर पर अधिकार की भिन्न भिन्न दरों को जारी रखना ही है। जिन मामलों में करदाता की शुद्ध कृषि आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, तथा कृषि और गैर-कृषि दोनों को मिला कर कुल आय 15,000 रुपए से अधिक है उन मामलों में भिन्न भिन्न दरें लागू करने से कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होगी। अत: मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन मामलों में कृषि तथा गैर-कृषि की कुल आय 15,000 रुपये से अधिक है और शुद्ध कृषि आय, जो 5000 रुपये से अधिक है, पर उसी दर से अधिभार लगाया जाए जो कि कुल आय कर लगता है, उचित उपबन्ध में संशोधन लाया जाए। इस से उन करदाताओं को, जिनकी कृषि आय 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें लाभ होगा यदि उनकी कुल आय 15,000 रुपये से अधिक है ।

मैं समझता हूं कि छोटे निर्माताओं को राहत देने तथा कुछ विषमताओं को दूर करने के उद्येश्य से कुछ क्षेत्रों के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कुछ परिवर्तन अवश्य किए जाने चाहिए।

आप को याद होगा कि मैंने मिश्रित चिकनाई वाले तेलों तथा चर्बियों के छोटे निर्माताओं को राहत देने के उद्येश्य से ऐसे उत्पादकों को जिनका गत वित्तीय वर्ष में 200 मीट्रिक टन से अधिक उत्पादन नहीं था इस प्रकार के तेलों और चर्बियों पर 100 मीट्रीक टन तक छूट देने का प्रस्ताव किया था। यद्यपि इस वह प्रयोजन पूरा हो गया है जो मेरे मन में था परन्तु ऐसे विचार व्यक्त किए गए है कि मात्रा कम करने से छोटे एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि इन की यह कठिनाई भी दूर की जाए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि 100 मीट्रीक टन से 200 मीट्रीक टन तक शुल्क की कुल रियात की सीमा बढ़ाई जाए तथा इस तरह से 200 मीट्रीक टन से 300 मीट्रीक टन तक की अधिकतम सीमा में भी तदनुसार संशोधन किया जाए।

खोई और लुग्दी आदि गैर-पारम्परिक कच्चा माल का प्रयोग करने वाली मिलों को कुछ छूट देने के लिए उपयुक्त संशोधन लाने का मेरा प्रस्ताव है जिससे उन मिलों को भी जिन्हें पूर्व निर्धारित छूट के कारण 9 पैसे प्रति किलोग्राम की छूट न मिलती हो, यह राहत मिल सके।

50 वाल्ट से अनधिक शक्ति से काम करने वाली बिजली की मोटरों को मिलने वाली छूट बन्द हो जाने से बैटरी से चलने वाले खिलौनों आदि पर भी शुल्क लग जाएगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि 5 वाल्ट से अनधिक शक्ति से काम करने वाली बिजली की मोटरों को शुल्क से मुक्त रखा जाए।

खनिज रुई पर निरन्तर छूट दिए जाने तथा कांच रुई पर उत्पादन शुल्क लगाए जाने से कई किस्म की कांच पर असमान भार बढ़ गया जबकि उनकी कीमतें खनिज रुई के समान थी। इसलिए मेरा यह विचार है कि हेमर प्रक्रिया से तयार होने वाली रुई पर 20 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से शुल्क कम किया जाना चाहिये ताकि कांच रुई पर समान शुल्क लगे। मेरा यह भी विचार है कि खनिज रुई पर भी शुल्क की दर में वही छूट दी जाए जो सस्ती कांच रुई को दी जाती है जिससे दोनों में अन्तर समाप्त हो जाए।

चलचित्र उद्योग संगठन तथा कुछ प्रसिद्ध चलचित्र निर्माताओं ने लिखा है कि कच्ची चलचित्रों फिल्मों पर आयात शुल्क 15 पैसे प्रति मीटर से 50 पैसे प्रति मीटर तक न बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि इससे चलचित्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परन्तु मैं इस से सहमत नहीं हूं। वे इतना भार वहन कर सकते हैं। तथापि मेरा विचार है कि प्रादेशिक भाषाओं में कम लागत वाली फिल्मों के निर्माताओं को राहत देने के उद्देश्य से पोजेटिव और नैगेटिव दोनों प्रकार की सादी कच्ची फिल्मों पर प्रति मीटर शुल्क 50 पैसे से घटा कर 30 पैसे कर दिया जाना चाहिए।

बहुत से सदस्यों ने प्लास्टिक सामग्री के बारे में अभ्यावेदन भेजे हैं। मैं ने जी० ए० टी० टी० के अन्तर्गत आनें वाली वस्तुओं पर शुल्क की दरों में भी सुधार कर दिया है जिससे प्लास्टिक की अन्य सामग्री पर लगाए गए शुल्क की दरों में समानता लाई जा सके।

शुल्क की वृद्धि से सेल्यूलोज नाइट्रेट शीटों पर प्रभाव पड़ा है। इन शीटों का प्रयोग जैसूर के कंघें बनाने में होता है। चूंकि इन शिटों का निर्माण भारत में नहीं होता है इसलिए उन्हें आयात पर निर्भर करना पड़ता है। अतः इस उद्योग पर कुप्रभाव न पड़े मेरा विचार है कि इन शीटों पर उत्पादन शुल्क 100 प्रति शत से कम करके 60 प्रतिशत कर दिया जाए।

लगभग 115 ऐसे लघु एकक हैं जो पोलीथीलीन के बुने हुए थैले तैयार करते हैं। इन में पोलीथीलीन टेप का प्रयोग किया जाता है। आयात शुल्क में वृद्धि करने से इस पर भी प्रभाव पड़ा है यह विचार व्यक्त किया गया है कि शुल्क के बढ़ने से आयातित सामग्री देसी माल की तुलना में बहुत महंगी हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मरा विचार यह है कि शुल्क को 100 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, हमारा देश गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है जिस गम्भीरता को अब और छिपाया नहीं जा सकता। मुद्रास्फिति बहुत तजी से बढ़ रही है। तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दुगुना हो गया है। परन्तु न तो विकास और न ही घरेलु बचत दर को प्राप्त किया गया है। जैसी कि तीसरी योजना से विचार किया गया है

रिज़र्व बैंक ने 1970 में लोगों की दशा तथा उनके जीवन निर्वाह के बारे में एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में कहा था कि 1970 में गांवों के 70 प्रतिशत लोगों की आय 18 रुपये प्रति-मास से कम थी। उस प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि अधिकांश लोगों की पोषक क्षमता

[श्री ए० के० गोपालन]

1968 और 1969 में निर्धारित की गई थी। यदि हम इस संख्या में कुछ लाख शहरी लोग और मिला दे तो उससे भारत की गरीबी की सही स्थिति का पता चल जाएगा। परन्तु फिर भी सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह कहने की हिम्मत की है कि हमारे देश में केवल 30 प्रतिशत निचला वर्ग ही गरीब है।

हमारे देश में सूत की कमी है, सीमेंट की कमी है, उर्वरक की कमी है, इस्पात की कमी है हर एक चीज की कमी है परन्तु पुलिस की कमी नहीं है। सूत की तो विशेषकर कमी है और इसके दाम भी बहुत बढ गए है, सूत न मिलने के कारण हथकरघे बुनकर अपना व्यवसाय छोड़ रहे हैं। सूत मिलों में भी इकट्ठा हो रहा है तथा उसे वहां से उठाया नहीं जा रहा है क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक ओर सूत की कमी है और दूसरी ओर यह जमा हो रहा है। सरकार को सूत के वितरण की व्यवस्था करनी चाहिये।

आज समाचारपत्रों में दिल्ली में विद्युत चलित करघों का वर्णन किया गया है। उनमें यह बताया गया है कि सूत की कमी के कारण दिल्ली में सभी विद्युत चलित करघे तथा हथकरघ बन्द हो गए हैं। लगभग 50 दिन पहले सरकार ने देश में सूत के मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण किया था किन्तु दिल्ली में किसी कारखाने को आज तक सूत नहीं मिला है जिसके कारण बहुत से कारखाने बन्द हो गए हैं और लगभग 7000 कार्मिक बेरोजगार हो गए हैं।

केरल में सूत की 3,000 गांठें बेकार पड़ी है तथा कन्नानूर स्पिनिंग मिल में 5000 गांठें बेकार पड़ी है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है। हमारी सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार ने सूत के वितरण में दो महीन क्यों ले लिये हैं। इस का परिणाम यह हुआ है कि समूचे दश में सूत की कीमतें बढ़ गई है और लाखों लोग बेकार हो गये है। हमारा नारा है "गरीबी हटाओ" परन्तु इसे कार्य रुप नहीं दिया जाता है।

अब मैं बिजली के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। कांग्रेस सरकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें यह कहना चाहती है कि बिजली का वर्तमान संकट मानसून न होने के कारण हुआ है। मैं समझता हूं कि यह कह कर वे अपनी असफ़लता को छिपाना चाहते हैं। परन्तु इसका क्या कारण है कि तापीय विद्युत केन्द्र भी ठीक काम नहीं कर पाये हैं। तारापुर आण्विक विद्युत केन्द्र क्यों फेल हो गया है यह तरक प्रस्तुत किया गया है कि घटिया किस्म के कोयले के कारण तापीय विद्युत केन्द्रों का उत्पादन कम हुआ है। परन्तु मैं पूंछना चाहता हूं कि घटिया किस्म के प्रयोग के लिए कौन उत्तरदायी है। क्या इस संबंध में किसी को दण्ड दिया गया है। क्या सरकार को यह नहीं पता था कि बिजली की कमी हो जाएगी। यदि पता था तो इस संकट को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया। बिजली की कमी के कारण लाखों लोग बेकार हो गए हैं। इससे तमिलनाडु तथा इसके बाहर बड़े उद्योगों को भी धक्का पहुंचा है। यदि सरकार इसपर पहले विचार करती तो यह स्थिति उत्पन्न न होती।

बिजली के साथ ही साथ मैं सिंचाई के बारे में भी कुछ कहना चाहुंगा। सिंचाई आयोग का प्रतिवेदन देखने से पता चलता है कि सरकार की सिंचाई नीति असफल रही है। इससे बेरोजगारी की समस्या और खराब हो गई है।

सीमेंट भी बहुत कम मात्रा में मिल रहा है तथा इसकी खपत कीमत बहुत बढ़ गई है। मूल्य नियंत्रण के बावजूद सीमेंट का मूल्य 30 रुपये बोरा हो गया है। सीमेंट का उचित वितरण नहीं हो रहा है तथा सरकार चूप बैठी है। एक ओर सीमेंट की कमी है तथा दूसरी ओर केरल में नटकम सीमेंट फैक्टरी में इतना सीमेंट जमा हो गया है कि उसको उठाने वाला कोई नहीं है। यह सारी बात हमारी समझ के बाहर है।

कुछ दिन पहले हमने बिहार महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों में अनाज की कमी के बारे में चर्चा की थी। हमने भूमि सुधार तथा फालतू भूमि किसानों को देने के बारे में भी में चर्चा की थी। मैं इन के विस्तार में तो नहीं जाना चाहता परन्तु यदि सरकार ने किसानों को सस्ते दाम पर उर्वरक दे दिया होता तथा सस्ता उर्वरक बनाने के लिए योजना बना ली होती तो किसानों को उर्वरक मिल गया होता तथा उन्होंने अनाज का उत्पादन बढ़ा लिया होता। हमारी वितरण प्रणाली सही नहीं है। सरकार कोई प्रभावी वितरण प्रणाली बनाने की बजाए जापानी एकाधिकार कम्पनियों के साथ सहयोग करने के बारे में समझौता कर रही है। हमारे इंजीनियरों को पूर्ण विश्वास है कि वे भारतीय तकनीक से उर्वरक कारखाने सही ढंग से चला सकते है परन्तु सरकार जापानी कम्पनियों को भारत में लाना चाहती है। यदि हमने देशीय जानकारी के आधार पर उर्वरक कारखाने स्थापित किए होते तो हमारा उर्वरक का उत्पादन बढ़ गया होता और अन्ततोगत्वा अनाज का उत्पादन बढ़ गया होता।

जहां तक उपयोग करने की क्षमता का संबंध है हमारी बहुत सी निर्धारित क्षमता बिना उपयोग के पड़ी हुई है। हमारी सीमेंट की मशीनों, रबड़ की मशीनों आदि के मामले में 20 प्रतिशत क्षमता का भी उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि 1972 में क्षमता के उपयोग में काफी सुधार हुआ है परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि इस मुख्य कारण औद्योगिक लाइसेंस नीति में उदारता बरतने के कारण बहुत से क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाना है। हमें यह पता नहीं कि क्या 1973 में पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा अथवा नहीं। हमने 1970 में 363 की बजाए 1972 में 877 लाइसेंस जारी किए है परन्तु अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ाई गई क्षमता का अधिक उपयोग नहीं हो सका है। अतः कुछ क्षेत्रों में क्षमता उपयोग का अनुपात कम हो गया है।

औद्योगिक उत्पादन के विकास में जो 7.2 प्रतिशत दिखायी गई है यह मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग के कारण से है। यदि कपड़ा उद्योग में उत्पादन पिछले वर्ष अच्छा नहीं होता, तो अर्थ-व्यवस्था और भी खराब होती।

महाराष्ट्र में सूखे के कारण स्थिति बहुत खराब है। परन्तु वहा राहत कार्य में लगे व्यक्तियों को उचित मजूरी नही दी जा रही है। नागपूर तथा नासिक के हाल के दंगों से समाज में फैली बेचैनी का पता चलता है। सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

अनाज की वसूली के मामले में सरकार अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है। अब सरकार इसके लिये बहाने ढूंढ रही है। सरकार ने जबरन वसूली लागू करनी चाहिये। इसी तरीके से खाद्य समस्या से अच्छी तरह निपटा जा सकता है। सरकार को बड़े बड़े जमीदारों के प्रति कठोरता का रुख अपनाना चाहिये।

खाद्य वितरण व्यवस्था भी बहुत त्रुटिपूर्ण है। उचित दर दुकानों पर लोगों को मोटा अनाज भी नहीं मिलता है। आप पायेंगे कि सूखे वाले क्षेत्र में बाजरे जैसे मोटे अनाज की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई हैं।

आत्म निर्भरता प्राप्त करना एक अच्छा नारा है। परन्तु यदि हम अपने भुगतान सन्तुलन पर दृष्टि डाले तो बहुत निराशा होगी। 25 वष के आयोजन के फलस्वरुप बुरी तरह की निर्भरता की स्थिति में आ गये हैं। सरकार विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिये इस प्रकार के नारे को लगा रही है।

विदेशों से अधिकाधिक करार किये जा रहे हैं। सरकार ऐसी ऐसी वस्तुओं के आयात के लिये करार कर रही है जो बहुत साधारण है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

[श्री ए० के० गोपालन]

सरकार अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाती जा रही है। इसका बोझ जनसाधारण पर पड़ता है। 1973-74 के बजट में 118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। इस से जनसाधारण के उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी। इसी प्रकार सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है मूल्यों में आठ से दस प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

सरकार पुलिस और सी० आर० पी० आदि पर अब बहुत अधिक राशि व्यय कर रही है। यह भूखी जनता को और दबाने के लिए ही है। आजादी के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को हवालात में बन्द करके मारा जा रहा है। पुलिस के अधिकार कम किये जाने चाहिये। इस बारे में कानून बनाया जाना चाहिय। पुलिस को अभियुक्तों को पीटने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सरकार पुलिस की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। मंत्री महोदय ने कहा है कि देश के सभी ग्रामों में पुलिस स्टेशन का विचार है। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होगा।

देश के विकास में क्षेत्रीय असन्तुलन के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो पिछड़े क्षेत्र है उनके विकास के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो देश अखण्डता को खतरा उत्पन्न हो जायेगा।

केरल में सरकारी कारखाने स्थापित करने के लिए किसानों से भूमि ले ली गई है परन्तु उस पर कारखाने कब स्थापित होंगे यह किसी को मालूम नहीं है। सरकार वायदे करती है, परन्तु उन्हें पूरा नहीं करती है। केरल में अनेक परियोजनाओं के लिये चुनाव के समय आश्वासन दिये गये है। उन्हें पूरा नहीं किया गया है। यह एक प्रकार का तमाशा हो रहा है। स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की बात भी की जाती है। यह ठीक नहीं है। हम सब भारत के वासी हैं। किसी विशेष स्थान पर केवल वहीं के लोगों को ही नौकरी देना ठीक नहीं है।

सीमा शल्क विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी तस्करी का जब्त किया हुआ माल नीलामी में स्वयं ले लेते है। इसकी जांच करायी जाये भ्रष्टाचार का यह एक तरीका है। सरकार को इन बातों पर विचार करके स्थिति सुधार करना चाहिये।

डा० व्ही० के० आर० व्ही० राव (बेलारी): सभापति महोदय मार्कसिस्ट नेता की बात को पूरी तरह से समझ पाना बहुत कठिन है। मैं उनकी कुछ एक बातों पर ही बोलूंगा।

[**श्री सेझियान पीठासीन हुए**
SHRI SEZHIYAN *in the Chair*]

इस बात से सभी सहमत है कि गत 25 वर्षों में देश ने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की है। यह ठीक है कि यह हमारी आशाओं के अनुसार नहीं हुई है। आप 1948-49 की स्थिति को ध्यान में ले। उस समय अनाज का उत्पादन बहुत कम था अब उस समय के उत्पादन से लगभग दुगुना हो गया है। देश की जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण अनाज की फिर भी कमी महसूस की जा रही है। इसके लिये किसी राजनीतिक दल को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। ऐसी स्थिति में निराशावादी न होकर आशावादी होना चाहिये। यह ठीक है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु उनका हमें धैर्य से सामना करना है। हमें सबको उदार दृष्टिकोण अपना कर और दलगत राजनीति से उपर उठकर ऐसी समस्याओं पर विचार करना चाहिये। सभी दलों देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने में सहायता करनी चाहिये इससे समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी। आज देश हिंसा का वातावरण बना हुआ है। गत वर्ष

बहुत गम्भीर सूखा पड़ा है। सरकार ने बड़ी कार्यकुशलता से स्थिति को संभाला है इसके लिय सरकार सराहना की पात्र है। इसके लिये वित्त मंत्री भी हकदार है। उन्होंने ये समयपर राहत-कार्यों के लिये धन की व्यवस्था की। हमें यह शिकायत नहीं करनी चाहिये उस राज्य के लिये कम राशि दी गई है। सरकार के कार्य की सराहना की जानी चाहिये। सरकार ने आपात उत्पादन कार्यक्रम बनाकर अनाज के उत्पादन को बहुत बढाया है। यह सर्व विदित है कि हमारे औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। हमारे आयात में कमीं और निर्यात में वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि आजादी के 25 वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है। नितान्त गलत है। आप 1943–44 के बंगाल के अकाल को ब्यौरा देखे तो पता चलेगा कि उस समय इतना भयंकर सूखा नहीं पड़ा था जितना कि गत वर्ष था। इस बार सरकार ने संबंधित राज्यों को विशेष सहायता देकर राहत कार्य चलाया है। इस कारण से 1972–73 के बजट में घाटे की स्थिति उत्पन्न हुई है।

सरकार ने विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर बहुत धनराशि व्यय की है। इन कार्यक्रमों में रोजगार कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा, झुग्गी झोंपड़ी संबंधी कार्यक्रम, आदि शामिल है। इनपर लगभग 125 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 150 करोड़ रुपये नियत किये जा रहे ह। बिजली की कमी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह 150 करोड़ रुपये किस प्रयोजन के लिये रखे जा रहे हैं।

हमारा देश विकास की क्षमता बहुत है। इस समय हम इस स्थिति में है कि आर्थिक प्रगति की गति तीव्र की जा सकती है। हमें अपने संसाधनों का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये। प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है। हमारा प्रशासन समस्याओं को ठीक प्रकार हल नहीं कर रहा है। "प्रशासन" से मेरा अभिप्राय सभी वे लोग है जो निर्णय करने और कार्यान्वियन में लगे हुए है। वित्त मंत्री अथवा योजना मंत्री को बताना चाहिये कि गत 25 वर्षों में हम ने क्या अच्छे कार्य किये हैं और किन किन मामलों में कमियां है। और उनके बारे में क्या किया जा रहा है।

आर्थिक विकास के मामले में हम अपने संसाधनों एवं क्षमताओं का पूरा उपयोग क्यों नहीं कर पाये हैं, इसका एक बड़ा कारण यह है कि पिछले डेढ साल की अवधि में समूचे देश में हिंसा तथा अशान्ति का बोल–बाला रहा है। वर्ष 1971 की स्थिति, जब कि हमें युद्ध करना पड़ा था और उसके पश्चात् आज की स्थिति में कितना अन्तर है यह भले भांतीं समझ सकते हैं। वर्तमान स्थिति के लिए विरोधी पक्ष बहुत हद तक जिम्मेदार है क्योंकि उसके सहयोग के बदले विरोध और आलोचना का शख्त रुख अपनाया है। आज देश के समक्ष स्थिति यह है कि 1971–युद्ध में हमें जो सफलता मिली उससे हमारे शत्रुओं की संख्या बड़ी है और उसके साथ साथ देश के सामने भारी आर्थिक समस्यायें आई है जिनमें से एक मूल्यों में वृद्धि की समस्या है जिसे उत्पादन बढ़ाये बिना हल नहीं किया जा सकता इसी संदर्भ में, आगामी वर्ष पांचवीं पंच-वर्षीय योजना प्रारम्भ होगी जिसके लिए योजना आयोग ने लगभग 2600 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई है जिसकी व्यवस्था सरकार को कर प्रस्तावों से ही करनी पड़ेगी – जिससे मूल्य और भी अधिक बढेंगे, अतः सरकार को इस प्रश्न पर गंभीर रूप से विचार करना चाहिये और करारोपण प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए एक आयोग बिठाना चाहिये जो भारतीय कर प्रणाली की उचित व व्यापक रुप से जांच करे और वर्तमान कर ढ़ाचे में सुधार के मार्गोपाय सुझाये जिससे कि मुद्रा-स्फिति हुए बिना सरकार अधिक राशि जुटा सके।

घाटे की अर्थव्यवस्था हमारे बजट में हर साल एक आम बात हो गई है, घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा अप्रत्यक्ष करों का भारी बोझ केवल उपभोग की वस्तुओं पर ही नहीं अपितु बीचस्त

[डॉ० व्ही० के० आर० व्ही० राव]

(इन्टरमीडियट) वस्तुओं पर भी पड़ता है। उसका प्रभाव सीमेंट, इस्पात तथा अन्य बुनियादी कच्चे माल पर पड़ता है। जिसके फलस्वरुप सरकर को भी पर्याप्त मात्रा में इसकी कीमत चुकानी पड़ती हैं। हम आयात तथा उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहत है और निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इससे भी मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है। सरकार को मेंल्यों पर काबू पानके लिए हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये और कर-प्रणाली तथा घाटे के अर्थव्यवस्था की जांच करने के लिए भी समुचित पद उठाने चाहिये। बाजार ऋणों का भी हमारी घाटे की अर्थव्यवस्था तथा मुद्रा स्फिति पर प्रभाव पडता हैं। अप्रत्यक्ष करों पर भी मैं अधिक जोर नहीं देना चाहूंगा। इस बात के लिए कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम यह जान सके कि हम अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए किस प्रकार का राजस्व जुटा सकते हैं। योजना आयोग से अध्ययन दल बना कर इस संपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करने के लिए कहा जाना चाहिए।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध हैं, हमें घाटे की अर्थव्यवस्था की एक सुरक्षित सीमा के अन्दर चलने की बात सोचनी चाहिए। जब कभी सरकार को इस सीमा में वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हो, उसे अपनी आर्थिक नीति का समुचा ब्यौरा लेकर संसद के समक्ष आना चाहिए ताकि सदन को यह पता लग सके कि उसका उपयोग कहां तक उत्पादन और कहां तक गैर-उत्पादन प्रयोजनों के लिए हो रहा है। इस समस्या का हल केवल घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लेकर नहीं कर सकते वित्त मंत्रालय को अप्रत्यक्ष करो में, पिछले वर्षों की भांति, फिर भी वृद्धि करनी पड़ेगी इसके फलस्वरुप मूल्य फिर बढ़ेंगे। इससे छुटकारा पाने का उपाय यह है कि आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि की जाये और अन्य लोग द्वारा उपभोग को जाने वाली वस्तुओं की सप्लाई में कमी की जाये। इसके साथ साथ लोगों को सीमेंट तथा अन्य इमारती सामान के बदले अन्य स्थानीय सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन समता में सभी वृद्धि का उपयोग मजदूरी माल और उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जा सके। उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने पर भी हम कपड़ा, मिट्टी का तेल, खाद्यतेल, आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित मामलों में व्यापार का राष्ट्रीयकरण तथा लोक वितरण प्रणाली से छुटकारा नहीं पा सकते। इसमें बहुत सी बाधायें तथा प्रशासनीय समस्यायें हैं जिनसे छुटकारा पाना आवश्यक किन्तु छुटकारा पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता।

श्री वीरेन्द्र अगरवाल (मुरादाबाद): हमारा देश बहुत बुरे आर्थिक और राजनितिक संकट के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व असफल ही नहीं रहा वरन उसने निर्धन लोगों के साथ विश्वासघात भी किया हैं। आर्थिक स्थिरता, बढ़ते हुए मूल्यों, बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा चारों ओर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जनसाधारण का जिवन दयनीय ही नहीं हुआ अपितु वह परेशानसा हो गया है राजनितिक स्थिरता तानाशाही बन कर रहा गई है इसका कारण यह है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।

सरकार की वित्तीय नीति से मूल्य बढ़ गये है और इसके परिणाम स्वरुप मुद्रा स्फीति हो गई है। इससे अभाव की आर्थिक व्यवस्था पैदा हो गई है। सरकार ने निर्धनता दूर करने के लिए कई कदम उठाये है किन्तु ये सभी कदम निरर्थक सिद्ध हुए हैं। गरीबी हटाओ का नारा देश की गरीब जनता से एक एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आर्थिक नीतियों की असफलता के लिए समुची कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। यह उचित समय है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और अपनी असफलता पर पुर्नविचार करे ताकि आर्थिक नितियों को इस ढंग से नथा रुप दिया जाये जिससे जनता की अकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि यह एक देश व्यापी आन्दोलन का रूप धारण कर सकती हैं।

वित्त मंत्री महोदय ने दावा किया है कि शुद्ध बैंक ऋण घाटे की अर्थव्यवस्था का आवश्यक रूप से एक अंश नहीं है। किन्तु वास्तव में शुद्ध बैंक ऋण घाटे की अर्थव्यवस्था का आवश्यक रूप से एक अंग है। देश में शुद्ध बैंक ऋण काफी तीव्र गति से बढ़ा हैं।

रिजर्व बैंक अपनी मासिक बुलेटिन और वार्षिक प्रकाशन में उन कारणों की एक सारणी प्रस्तुत करता है जो सार्वजनिक मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की शुद्ध राशि भी दिखायी जाती है। सरकारी क्षेत्र में विनियोजन के लिए धनराशि कैसे जुटायी जाये इसका स्वरुप बताते समय योजना आयोग ने तीसरी योजना के समय से घाटे की अर्थ व्यवस्था संबंधी इसी कल्पना को अपनाया है जबकि पूर्ववर्ती योजनाओं में यह कल्पना भिन्न थी। देश में शुद्ध बैंक ऋण काफी तेजी से बढ़ा है जो मुद्रास्फिति का एक मुख्य कारण है। जबतक सरकार शुद्ध बैंक ऋण पर नियंत्रण नहीं करेगी तब तक घाटे की बजट प्रक्रिया से मूल्यों को रोकने में कोई सहायता नहीं मिल सकती।

योजना आयोग ने निरंतर यह कहा है कि मुद्रा अपूर्ति किसी भी हाल में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये अर्थात् गत वर्ष विकास दर की तुलना में 2-3 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़नी चाहिये थी। पिछले वर्ष हमारे देश में विकास की दर केवल 1.5 प्रतिशत थी जबकि मुद्रा अपूर्ति में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। मुद्रा स्फीतिका यह भी एक मुख्य कारण है। यदि सरकार सच्चे दिल से मूल्य-वृद्धि रोकना चाहती है तो विकास दर में कम से कम 1 प्रतिशत वृद्धि की सम्भवना को ध्यान में रखकर मुद्रा अपूर्ति में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न होने दी जाये।

सरकार को एक ऐसा कराधान आयोग गठित करना चाहिये जो विभिन्न वस्तुओं पर लगाये जा रहे करों तथा उनसे मूल्य वृद्धि पर पड़ रहे प्रभाव की जांच करें। इस आयोग को यह जिम्मेदारी भी सौंपी जानी चाहिये कि बचत दर में कैसे वृद्धि की जाय। इस समय बचत दर घटती जा रही है जिससे परिणामस्वरुप हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार को यह भी विचार करना चाहिए कि बजट प्रस्ताव करते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क आदि के बारे में विभिन्न कराधान उपायों को किस प्रकार तैयार किया जाये ताकि उनका मूल्य वृद्धि पर कोई प्रभाव न पड़ सके।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए भी सरकार को प्रयत्न करने चाहिये। सरकार को चाहिये कि वह उन उद्योगों को जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जायें शतप्रतिशत प्रोत्सहन दे।

सामान्य जनता के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादान को बढ़ाने की ओर सरकार को सब अधिक ध्यान देना चाहिये। बजट तैयार करते समय सरकार को चाहिये कि वह घाटे की वित्त व्यवस्था के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व को पुनः सक्रिय बनाकर संसाधन जुटाने का प्रयास करे। सरकारी क्षेत्र में संस्थापित क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करके हमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने चाहिए। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए काले धन को रोका जाये, अनुत्पादक व्यय में कटौती की जाय, और कृषि तथा उद्योग दोनों में विकास दर की तीव्र किया जाये। जब भी सरकार ने किसी उद्योग को अपने हाथ में लिया है तभी उत्पादन घटा है, कीमतें बढीं हैं और रोजगार में कमी आयी है अधिक कीमतों के कारण गरीब लोगों पर बोझ बढ़ा है। हम एक ऐसी सीमा पर पहुँच चुके है जहां हर क्षेत्र में अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। अतः सरकार को राष्ट्रीयकरण या सरकारी करण संबंधी अपनी नीति पर एक दिशद रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। इस प्रकार अनिश्चितता का वातावरण समाप्त हो सकेगा। हमारे देश में अधिकांश मिलों और कारखानों की स्थिति काफी कमजोर हो चुकी है क्योंकि उन्हें अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती और उद्योगों को लगातार भय दिखाया जाता है जिससे अर्थ-व्यवस्था वास्तव में पंगु हो चुकी है। अतः सरकार अपनी नीति स्पष्ट रूप से घोषित करे ताकि स्थिति डांवाडोल न रहे।

[श्री वीरेन्द्र अगरवाल]

आज सरकार के पास व्यवहार कुशल प्रबन्धकों की कमी है। और सरकारी कार्यों में तालमेल नहीं है। तालमेल के लिए कोई मंत्रालय नहीं बनाया गया है। प्रधान मंत्री को इस ओर ध्यान देकर उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर कम से कम 10 प्रतिशत करनी चाहिए। आर्थिक समन्वय मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए जब तक आर्थिक निर्णयों के संबंध में एक प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक वित्त विधेयक भी सरकार की पूर्व नीतियों के समान बनकर रह जायेगा और सरकार द्वारा निष्पादित कार्य का पहले जैसा हाल रहेगा।

विधिशासन और आर्थिक तथा राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण लोकतंत्रीय समाजवाद का मुख्य आधार है। सरकार सर्वाधिकारवादी हो गई है और ठोस आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित नीतियों का पालन करने से इन्कार करती है। सरकार का कहना है कि वह व्यावहारिकता की ओर बढ़ रही है। समझ में नहीं आता कि यह कैसी व्यावहारीकता है। आर्थिक निर्णय लेने को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाये।

श्री जगन्नाथ राव (छतपुर) : बजट प्रस्तावों से सरकार तथा देश के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों का पता चलता है जसाकि सामाजिक न्याय के साथ साथ अधिक आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना और तदनुसार वित्त मंत्री जी ने अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षत्रो को खुल दिल से धन-राशि आबंटित की है। मुद्रास्फीति का एक मुख्य कारण मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना है। वर्षो 1964–65 से तो मुद्रा आपूर्ति में दुगनी वृद्धि हुई है जबकि उसके अनुरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। जब तक इस मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित नहीं किया जायेगा, मुद्रा स्फीति को नहीं रोका जा सकता। दूसरे, फिजूलखर्ची पर चाहे, वह केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा की जाये, अधिक से अधिक रोक होनी चाहिये, इस दिशा में कोई प्रतिबंध लगाने का इस बजट में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। इस बजट में व्यय कर का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है।

सरकार ने गेहूं तथा चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेकर अच्छा ही किया है। सरकार के पास इस के लिए एक स्थायी व्यवस्था तन्त्र होना चाहिए। यह व्यवस्था तन्त्र न केवल चावल और गहूं व्यापार के लिए बल्कि कपड़ा, आधारभूत दवाइयों आदि जैसी सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार के लिए भी होना चाहिए। इनके वितरण के एक उपयुक्त तथा सनियोजित व्यवस्था समूच दश में और विशेषकर एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थापित की जानी चाहिए। इस समय इनके वितरण में अत्यधिक असमानता है। अतः इन वस्तुओं की सरकारी खरीद के लिए ही नही वरन् इनके वितरण के लिए भी एक व्यवस्था तंत्र का होना वहुत आवश्यक है।

यह जो अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1972–73 तक बचतराशि बढ़कर 300 करोड़ रुपये तक पहुँच जायेगी, एक अच्छी बात है। इस बचत में दुगुनी वृद्धि होनी चाहिए। सामान्य जनता से अधिक बचत जुटायी जानी चाहिए। 61 महीने की सावधिक जमा पर 7 1/4 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। 3000 रुपये तक इस ब्याज पर कर नहीं लगता। यह सीमा 5,000 या 6,000 रुपये तक क्यों न बढ़ा दी जाये? इस प्रकार की सावधिक जमा योजनाओं के संबंध में यह सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

निर्यात बढ़ाने और आयात को कम करने का प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परम्परागत वस्तुओं तथा इंजीनियरी सामान को छोड़कर अन्य वस्तओं के मामले में निर्यात को अत्याधिक बढ़ाना सम्भव नहीं है

यह बताया गया है कि आय और उपभोग के क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को कम करने के लिए दृढ़ प्रयत्न करना आवश्यक है। करसंबंधी प्रस्ताव जो इस वर्ष पेश किये गये हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। धन कर के माध्यम से एकाधिकारी संगठनों की परिसम्पत्ति कम की जा सकती है। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जायेगा, तब तक आय की विषमताओं को कम नहीं किया जा सकता।

धीरे धीरे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता जा रहा है और अब यह दबाव अधिकतम सीमा तक पहुँच चुका है, परन्तु इस दबाव को कम करने का कोई विश्वास नहीं दिलाया गया है। इस दबाव के कारण अर्थ-व्यवस्था पिछड़ती जा रही है। मुद्रा स्फीति के इन दबावों को कम करने के लिए जो उपाय रखे गये हैं वे पर्याप्त नहीं है। और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जो विकास होगा वह अर्थ-व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त न होगा। इसके लिए अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। अधिक उत्पादन न कर सकने की दशा में भी अधिक महंगाई भत्ता देने की नीति से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जो सरकार पूरा करना चाहती है। उत्पादन को अवश्य बढ़ाना होगा। अर्थ-व्यवस्था के विकास के इन दो शत्रुओं, मुद्रा स्फीति और जनसंख्या पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है।

ऐसी आशा है कि खरीफ की फसल अच्छी होने से न केवल 85 करोड़ रुपये का वित्त व्यवस्था का घाटा पूरा हो जायगा बल्कि सरकार को 200 करोड़ और भी उपलब्ध हो जायेंगे जो सरकार को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए खर्च करने होंगे।

इसके साथ साथ हमें आवश्यक वस्तुओं की सरकारी खरीद और उनके वितरण के लिए स्थायी व्यवस्था-तंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए। अर्थ व्यवस्था उन्नत न होने का एक बड़ा कारण सरकारी क्षेत्र का विकसित न होना है। सरकारी क्षेत्र का उतना विस्तार नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था जबकि निजी क्षेत्र आवश्यकता से अधिक विस्तृत हो गया है जिससे एकाधिकारवाद की वृद्धि हुई है। एकाधिकारवाद को रोकने का एकमात्र उपाय सरकारी क्षेत्र का विस्तार करना है। सभी आधारभूत उद्योग सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए। तभी अर्थअव्यवस्था अत्यधिक उन्नत हो सकती है और विकास का समान आधार तयार हो सकता है।

श्री पो० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : स्वस्थ लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए न केवल विरोधी पक्ष की भूमिका ही, अपितु समाचारपत्रों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह इतनी क्रांतिकारी बात नहीं है कि उसने खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने का निर्णय लिया है। किन्तु विरोधी पक्ष द्वारा गलत बयानी करने का प्रयास किया गया है और कुछ एकाधिकारीवादी समाचारपत्र देश का और उसकी जनता का बड़ा अहित कर रहे हैं। सरकार ने लाखों लोगों को खाद्यान्न देने का उत्तरदायीत्व अपने हाथ में लेते समय यह सोचा कि इन आवश्यक वस्तओं का वितरण कुछ व्यक्तियों के हाथों में नहीं रहना चाहिये जो राष्ट्र के साथ मनमानी कर सकें। किन्तु इस बारे में कुछ विरोधी दल और कुछ एकाधिकारवादी समाचारपत्र गलत बयानी कर रहे है।

अनेक बुराइयां है जिनके कारण आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ती जा रही है। यही समय है जब सरकार इन बातों की ओर ध्यान देकर अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये और उसे सही रास्ते पर ले आये।

यद्यपि एकाधिकारवाद को रोकने और कतिपय निहित स्वार्थों पर अंकुश लगाने के लिए बहुत से कराधान उपाय किये गये हैं, परन्तु अभी भी हमें काले धन को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त उपाय निकालने होंगे। आज देश में काले धन की समानान्तर अर्थ-व्यवस्था कार्य कर रही है और काला धन बहुत अधिक बढ़ गया है जो हमारे यहाँ मुद्रास्फीति प्रवृतियों का एक कारण है

[श्री पी० वेंकटासुब्बया]

हमारे देश में बहुत अधिक जाली मुद्रा है। करों की चोरी के परिणामस्वरूप काले धन और जाली धन की अर्थ-व्यवस्था फैलती जा रही है। हमारे आर्थिक ढांचे पर इसका कष्टप्रद प्रभाव पड़ रहा है। इन बातों को रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे आर्थिक जीवन से इन तत्वों को निकाल दिया जाये कोई उपाय खोज निकाला जाना चाहिए।

बिजली की कटौती की गई है और किसानों को कृषि संबंधी कामों के लिए बिजली नहीं दी जा रही है। यह एक अखिल भारतीय समस्या बन चुकी है। सबसे अधिक बुरा प्रभाव किसानों और छोटे पैमाने की उद्योगों में लगे व्यक्तियों पर ही पड़ा है। डीजल का मूल्य बहुत अधिक बढ़ गया है और सभी प्रकार की कुरीतियां चल रही है। यद्यपि डीजल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है परन्तु इसे केवल काले बाजार में अधिक मूल्य देकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

क्षेत्रीय असन्तुलन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज़ादी के 25 वर्ष बाद भी आर्थिक विषमताओं और क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। असमानताएं और भी बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति विशेषकर सूखा ग्रस्त और प्रतिकूल मौसम से प्रभावित क्षेत्रों में है। सरकारी नीतियों से इन क्षेत्रों ने कोई लाभ महसूस नही किया है। ऐसे क्षत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दिये गये प्रोत्साहनों से इस प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं हुए है जिस रूप में वे मिलने चाहिए थे क्योंकि वहाँ पर आधार ढांचे का अभाव है।

देश की जनता की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन को सुनियोजित किया जाना चाहिये था। पन बिजली परियोजनाओं के दिन अब नहीं रहे किन्तु कुछ स्थानों में ही ऐसी परियोजनाओं से लाभ हो सकता है। श्री सेलम परियोजना एक बड़ी पन बिजली योजना है। कुछ वर्ष पहले इस कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु इसे अभीतक पूरा नहीं किया गया है। इस पर व्यय का अनुमान 35 करोड़ रुपये से बढ़कर 75 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसी परियोजनाओं को जो तुरन्त लाभ दे सके और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी सहायक हो सके, शुरू किया जाना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो इन्हें योजना के बाहर भी शुरू किया जा सकता है ।

मुझे प्रसन्नता है कि तेलंगना के नेता इस बात के लिए तयार हो गये है कि एकीकृत राज्य के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं उन्हें दूर किया जायेगा। मेरा विचार है कि सद्भावना और आपसी सूझबूझ द्वारा सर्वसम्मत्ति से ऐसा सूत्र तैयार किया जाये जिससे आन्ध्र प्रदेश राज्य एकीकृत रहे और दश के मामलों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके ।

कई बार से मानसून विफल रहने के कारण देश में पेय जल की बहुत कमी हो गई है। सरकार द्वारा योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करने पर भी स्थिति बिगड़ती जा रही है अफ़सरशाही नहीं चाहती कि योजनाएं उचित ढंग से क्रियान्वित हों। अतः ऐसे अफ़सर शाहों को अधिक उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

शताब्दियों से पिछड़े और दलित वर्ग की उपेक्षा की जाती रही है। जब तक इन लोगों को अनाज, कपडा और आवास जैसी मूल सुविधाएं प्रदान नहीं कर दी जायेंगी तब तक हम अपने आपको स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कह सकते।

श्री के० एस० चावडा (पाटन) : मैं श्री गोपालन् के इस वक्तव्य से सहमत हूं कि आजादी के बाद आज हमारा देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर चौथी योजना के अन्तर्गत 5.5 प्रतिशत रखी गई थी परन्तु यह लक्ष प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर घट गई है जिसका मुख्य कारण यह है कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास दर को जो लक्ष रखा गया था उसकी अपेक्षा यह दर घटी है।

विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता में से 40 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया गया है। यदि इसका उपयोग किया जाता तो हमारा देश विद्युत की भारी कमी से बच जाता। गुजरात में केवल तापीय और परमाणु विद्युत का उत्पादन होता है किन्तु संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत की भारी कमी है।

खाद्य समस्या ने भी बहुत विकट रूप लिया है। खाद्यान्नों की कमी है और लोग भूख से मर रहे हैं। दक्षिण गुजरात में भूख से चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कुछ राज्यों, विशेषरूप से महाराष्ट्र और गुजरात में, जहां उन्हें अनाज दिये जाने की बजाय गोलियों से मारा गया है, अनाज सम्बन्धी दंगे होने के समाचार मिले हैं।

ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा जैसी बडी बड़ी नदियों का पानी बर्बाद जा रहा है। और वह समुद्र में व्यर्थ जाता है तथा प्रत्येक राज्य का नदी जल के बंटवारे के बारे में विवाद है। सरकार एक समन्वयकारी प्राधिकरण के रूप में प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है और आमतौर से नदजल की समस्याओं तथा विशेष रूप से नर्मदा के पानी की समस्या का समाधान करने में सरकार विफल रही है।

काला धन भारी मात्रा में परिचालन में है। सरकार द्वारा धन का अपव्यय किया जा रहा है और देश में उत्पादन की अपेक्षा जनता में मुद्रा आपूर्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसके परिणाम-स्वरूप मुद्रा स्फीति हो रही है और मूल्य बढ़ रहे है। आम आदमी नारों से और बडे बड़े कायदों से सरकार का मूल्यांकन नहीं करता परंतु वह तो यह देखता है कि आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या किया है। सरकार इस कार्य में बुरी तरह विफल रही है।

बेरोजगारी प्रतिवर्ष बढ़ रही है। रोजगार कार्यालयों के रजिस्टरों में बेरोजगारों की संख्या 1970 में 40 लाख थी जो 1972 में बढ़कर 69 लाख हो गई है। किन्तु वास्तविक बेरोजगारी इससे भी अधिक है क्यों कि बहुत से लोग अल्प रोजगार प्राप्त हैं। 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए 100 करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी ताकि जोरदार कार्यक्रम तैयार किया जा सके। बहुत से राज्य इस स्थिति में नहीं हैं कि वे आवंटित धन का उपयोग कर सकें।

छात्र समुदाय में अनुशासन हीनता है क्योंकि वे निराश और हताश हैं। उन्हें अनुभव होता है कि उनको मिलने वाली डिग्रीयां केवल कागज के टुकडे हैं जिनसे रोजगार नहीं मिल सकता।

संक्षेप में यह है, कि सरकार का 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम बुरी तरह असफल हुआ है। सरकार को वास्तविक स्थिति समझ लेनी चाहिए। सरकार कुछ व्यक्तियों को कुछ देर के लिए या सभी व्यक्तियों को कुछ देर के लिए मूर्ख बना सकती है किन्तु सभी व्यक्तियों को सदाके लिए मूर्ख नहीं बना सकती।

यदि किसी श्रमिक की मृत्यू हो जाये और उसकी भविष्य निधि में 5,000 रुपये से अधिक हो तो उसके लिए सम्पदा शुल्क निकासी प्रमाणपत्र पेश करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि

[श्री के० एस० चावडा]

खानों या बागानों या कारखानों में कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मचारी धनी लोग नहीं होते । उन्हें सम्पदा शुल्क स्वीकृति प्रमाणपत्र पेश करने से छूट देनी चाहिए । छटनी हुए कर्मचारी को छटनी के लिए जो मुआवजा दिया जाता है उस पर उसे आयकर देना पड़ता है । यह मुआवजा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसकी नौकरी छूट जाती है । अतः ऐसे मामलों में उसे आयकर से छूट देनी चाहिए ।

कीमतों में वृद्धि होने के कारण बड़े औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों को अत्यधिक मंहगाई भत्ता मिलता है, इसपर भी उन्हें आयकर देना पड़ता है जिससे उनकी आय में कमी होती है । ऐसे मामलों में इन कर्मचारियों को आयकर देने में छूट दी जानी चाहिए ।

Shri Sukhdev Prasad Verma (Nawada) : The nationalised banks are not helping our farmers and small artisans as is expected of them. The procedure of advancing loans is very complicated and dilatory. This has frustrated the efforts of many a farmer. Government should see that the procedure of giving loans be simplified and more and more farmers and small artisans be enabled to receive loans from banks.

Only 16 per cent of total villages in Bihar have been electrified so far. The per capita consumption of power in Bihar is also one of the lowest and that is hardly 67 units. In North Bihar it is only 10 units. Patretu and Barauni Thermal Power Stations are working below their capacity. These power stations should be expanded and enlarged. The Bihar Government have sent proposals amounting to Rs. 17 crores for this purpose. Government should see that this amount is made available to the State Government.

The State of Bihar is one of the most backward states in our country. This imbalance should be removed. Government should take special steps that the backward regions are brought at par with the developed regions of our country. That can be done by making available larger resources for electrification and irrigation schemes.

There are schemes for construction of hydel stations at Talughat and Katihar. But no decision has been taken so far. These schemes should be approved expeditiously so that the development of this state may be expedited.

In my constituency, irrigation is almost non-existent. I urge upon the hon. Minister to implement the Muhana Reservoir Scheme, the Upper Sakari Scheme, the Tillaiya Division Scheme and the North Koil Dam Scheme which has been pending for the last 10-12 years.

Unemployment has assumed serious dimensions in Bihar. On account of high prices of coal, brick kilns cannot be operated and this has rendered thousands of labour unemployed. Government should give a serious thought to their policy of employment.

The cooperative banks and other institutions which are meant to help the weaker section and the agriculturists have become an instrument in the hands of vested interests. A committee should be appointed to investigate their affairs.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वरी) : हम एक संक्रमणकाल से गुजर रहे हैं – सामंतशाही से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उससे एक समाजवादी अर्थ व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं । यह प्रक्रिया कठिनाइयों से भरी है । हमारे देश में 41 प्रतिशत लोग अत्याधिक निर्धन हैं । अतः हम अपने देश से गरीबी हटाने के लिए बचनबद्ध हैं । गरीबी उन्मूलन का कार्य हमारे लिए एक चुनौती है । हम अपने लक्ष की ओर अग्रसर हैं और आशा है कि गरीबी हटाने का जो कार्यक्रम हमारे सामने है उसे हम पूरा करेंगे ।

राज्यों पर केन्द्र सरकार के ऋणों का भार 31 मार्च, 1971 को 6,400 करोड़ रुपये था और यदि हम 1972–73 में दिये गये ऋणों की राशि भी शामिल कर लें तो इस ऋणभार का हिसाब 7,500 करोड़ रुपये बैठता है। उड़ीसा जैसी बहुत सी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को यह लिखती रही है कि जिस प्रकार भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सहायता एजेन्सियों को ऋण चुकता करने का समय बदलने के लिए कहती रहती है उसी प्रकार उसे राज्य सरकारों को दिये गये अपने ऋणों की वापसी का समय बदलना चाहिए या ऐसे ऋणों की वापसी को माफ कर देना चाहिए। सन्तोष की बात है कि वित्त मंत्रालय ने यह मामला छठे वित्त आयोग को सौंप दिया है।

इस बजट में पांचवीं योजना के लिए एक ठोस आधार की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। पहली योजना में यह 333 करोड़ रुपये घाटे की वित्त व्यवस्था थी। दूसरी योजना में यह 354 करोड़ रुपये हो गई और तीसरी–योजना में बढ़कर 1135 करोड़ रुपये हो गई। चौथी योजना में उसकी कुल राशि 2,000 करोड़ रुपये हो जायेगी। जहां तक हमारे आर्थिक विकास और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण करने का सम्बन्ध है, यह सबसे बड़ी बाधा है।

एक अन्य पहलू भी बहुत चिन्ताजनक है कि हम बैंकों तथा ऋणदाता संस्थाओं से सार्वजनिक ऋण लेकर ऋणभार में वृद्धि कर रहे हैं क्योंकि यह सारी धन राशि अनुत्पादक मदों पर खर्च की जा रही है न कि उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए। सरकारी क्षेत्र में शुद्ध अतिरिक्त बैंक ऋण 1971–72 में 1025 करोड़ रुपये हो गया है जबकि 1970–71 में यह ऋण 511 करोड़ रुपये और 1969–70 में 29 करोड़ रुपये था। देश को जिस वित्तीय स्थिती का सामना करना पड़ रहा है वह धन का निकास हो जाने के कारण है और इसी से हम पिछले कई वर्षों से हानि उठा रहे हैं। जहां तक ऋणों पर व्यय और विदेशी ऋण के परिशोधन का सम्बन्ध है, 1972–73 में हमने इन ऋणों पर 200 करोड़ रुपये ब्याज दिया है। इस देश से बाहर ले जाये गये विदेशी निजी पूंजी निदेश पर लाभ के रूप में काफी धन का विकास हुआ है।

जहां तक हमारी अर्थ-व्यवस्था के वित्तीय प्रबन्ध का सम्बन्ध है, इसके लिए कुछ अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उत्पादन की गिरावट, जनता के पास मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मुनाफाखोरों द्वारा जमाखोरी और अन्य बातें तथा समूचे देश में पैदा हुई अभाव की मनोवृत्ति हमारी अर्थ–व्यवस्था का मुख्य दोष है।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, हमारा लक्ष 5 प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करना है। पिछले चार वर्षों में इस देश में हमने कृषि विकास में 1,000 करोड रुपये का निवश किया है। विचारणीय है कि कृषि के विकास पर जब अपने 1,000 करोड रुपये लगाये हैं, तो 5 प्रतिशत विकास दर क्यों प्राप्त नहीं की गई है।

अर्थ-व्यवस्था के न सुधरने में एक बड़ी बाधा यह है कि गुप्त धन और आय में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस बुराई से निपटने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए।

उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। वहां प्रत्येक वस्तु का अभाव है और गेहूं उपलब्ध नहीं है।

हमने राज्य सरकारों के लिए अनाज वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है परन्तु राज्य सरकारें इस लक्ष्य के अनुसार अनाज वसूली नहीं कर रही हैं। इन परिस्थितियों में, थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेने की सरकार की नीति सफल नहीं हो सकती। यह एक गम्भीर मामला है जिस पर वित्त मंत्री को अवश्य विचार करना चाहिए। सख्त उपाय किये बिना हम मूल्यों पर पड़ने वाले मुद्रा–स्फीति सम्बन्धी दबाओं को नहीं रोक सकते।

[श्री चिंतामणि पाणिग्रही]

हमारे विकास मार्ग में सबसे बड़ी एक और बाधा बिजली की कमी है। योजना आयोग और सरकार द्वारा निर्धारित किये गये बिजली उत्पादन के लक्ष्यों की लगातार बहुत कम पूर्ति हुई है। बिजली उत्पादन के लक्ष्यों की पूर्ति में इतना पीछे रह कर हम जनता की विद्युत् की बढ़ती हुई मांग कैसे पुरी कर सकते हैं ? दूसरी और तीसरी योजना में इसके लिए अवश्य कुछ किया गया था जो आज हमारे लिए सहायक सिद्ध हो रहा है। जहां तक चौथी योजना का प्रश्न है, इसमें अवश्य कुछ दोष रह गया है। इसीलिए हम पानी, बिजली सिंचाई आदि की कमी अनुभव कर रहे ह, आशा है कि वित्त मंत्री वर्तमान अर्थव्यवस्था में व्यय दोषों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेंगे।

श्री पां० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : हमारे देश में भयंकर सूखा पडा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न में कमी हुई है और गत कुछक दिनों या सप्ताहों में शायद भूख से कुछ मौतें भी हुई है। कल-परसों प्रधानमंत्री ने भूख से हुई मौतों के समाचारों का स्पष्ट रूप से खण्डन किया है। प्रधान मंत्री का वक्तव्य वास्तविक स्थिति से सर्वथा विपरीत है। विशे कर महाराष्ट्र और गुजरात और कई अन्य राज्यों में स्थिति बड़ी गम्भीर है। लोगों ने खाद्यान्नों के लिये दंग-फसाद किये ह। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि विरोधी दल स्थिति से फायदा उठा रहे हैं।

दुःख की बात है कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों और जन शक्ति के बावजद भी हमारे विकास दर बहुत कम है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

सरकार कहती है कि वह समाजवाद लाना चाहती है किन्तु सरकार की नीतियों के अन्तर्गत राज्य नियंत्रणवाद चल रहा है। बजाय इसके कि समाज चीजों का मालिक और नियंत्रक बने, सरकार की कड़ी और कठोर शक्तियों की ही प्रधानता है, ताकि सामान्य व्यक्ति को भुला दिया जाये और नौकरशाही की शक्तियां बढ़े। कार्यवाही करने से देरी की जाती है तथा भ्रष्टाचार और भाईभतीजावाद का बोलबाला है। कल्याणकारी उपाय और अधिक तेज करने के बजाय कागजी कार्यवाही बढ़ रही है। नौकरशाहों के हाथों में अत्याधिक शक्ति केन्द्रित होने के कारण विलम्ब अधिक होगा। हम सभी को खतरनाक तथा अनर्थकारी स्थिति से बचना है। हमें शीघ्र आमूल सुधार करने होंगे।

वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि प्रत्यक्ष कर इस तरह से लगाये जायें ताकि उच्च स्तर पर कर अपवंचन न हो सके। वित्त मंत्री प्रत्यक्ष कर की दर पर भी विचार करें ताकि उन्हें यह पता लग सके कि वह उच्च स्तर पर लोगों पर कितना कर लगा सकते हैं। इससे वह अपने उत्तर में यह भी बता सकते हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था में जो काला धन परिचालन में हैं उस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है।

मंत्री महोदय सभा को यह भी बतायें कि वास्तव में करों की कितनी रकम वसूल नहीं हुई है। यदि अधिकारी यह कहें कि कोई कर निर्धारिती द्वारा अदा किया जाना था परन्तु विवाद-ग्रस्त होने के कारण नहीं लिया गया है तो ऐसी स्थिति में जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उसे कर अपवंचन नहीं कहा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो वह इस प्रश्न की जांच करने के लिए एक छोटी जांच समिति नियुक्त कर सकते हैं। इसके बाद वह यह कह सकते हैं कि करों की कितनी राशि बकाया है।

हमारा औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। बिजली की कमी है और बिजली में कटौती की जा रही है। बिजली के विकास पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। सरकार को दूरदर्शिता के साथ इस मामले की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए कि बिजली की कमी यथा शीघ्र दूर की जाये ताकि हमारे औद्योगिक उत्पादन में बाधा न हो।

जहां तक कृषि का संबंध है, यदि हम चाहते हैं कि हरितक्रांति सफल हो तो नदियों का पानी शस्त्र और पिछडे क्षेत्रों में भेजा जाये। प्रधान मंत्री को नर्मदा नदी सम्बन्धी अपना निर्णय शीघ्र देना चाहिए। यदि इस परियोजना को सफलतापूर्वक ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा, तो गुजरात, मध्य-प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों को लाभ पहुंचेगा।

यद्यपि इसका स्वागत है कि विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधान पास कर दिये गये हैं तथापि आशा है कि इससे भूमि की अलाभप्रद जोतें नहीं बनेंगी और भूमि के इस तरह टुकडे नहीं होंगे कि प्रति एकड़ उत्पादन घट जाये।

अहमदाबाद वस्त्र उद्योग सम्बन्धी श्रमिकों का एक शहर है। यह एक विषम स्थिति है। एक ओर हमारे देश में कुछ लखपति लोग हैं और इसी ओर अनेक संख्या में लोग दयनीय स्थिति में रह रहेहैं। ये लोग किसी तरह केवल जिन्दगी बिता रहे हैं। ये लोग जिन गंदी बस्तियों में रह रहे हैं वे इस धरती पर सचमुच नरक हैं। अतः श्रमिकों की स्थिति पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है।

1971 में बोनस 8.33 प्रतिशत दिया जाता था। 1972 और 1973 में इसकी क्या स्थिति है? क्या यह इन वर्षों में नहीं दिया जायेगा? इसके पश्चात् उन औद्योगिक संस्थाओं में जिनमें काफी लाभ होता है, मजदूरों को अधिक बोनस मिलना चाहिए। श्रमिकों को बोनस और उपदान के अतिरिक्त उनकी भविष्य निधि की राशि 20 वर्ष के बाद वापस दी जानी चाहिए। किन्तु यदि सरकार की दलील यह है कि भविष्य निधि की राशि योजना अन्तर्गत परियोजनाओं में लगायी जायेगी और इसकी वापसी से राष्ट्रीय पुंजी निवेश में अडचन आयेगी, तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को अपनी भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की दर अधिक मिले।

स्वतंत्रता के 25 वर्षों के बावजूद भी हरिजनों को पीटा और लूटा जाता है तथा उनकी हत्या की जाती हैं। उन्हें शिक्षा या पेय जल जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जा सकी हैं। उच्च जाति के लोग उन्हें सभी भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, हरिजनों की स्थिति में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है।

जहां हम नहीं चाहते कि छात्रों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़, वहां हमने छात्रों में असन्तोष बढ़ाना चाहा है क्योंकि वर्त्तमान शिक्षा सुविधाएं अपर्याप्त हैं। ये शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं नाम मात्र की हैं। यह शिक्षा इस प्रकार की है जो आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रही है।

सरकार को राष्ट्र मंडल की सदस्यता के सम्बन्ध में पहल करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रमंडल को भारत की सदस्यता से काफी अधिक श्रेय मिले और भारत को पहले से अधिक श्रेय प्राप्त हो, क्योंकि राष्ट्रमंडल एक लाभदायक मंच है जहां विभिन्न देश मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं।

जब हमने इजरायल को मान्यता दी हुई है, तब हम उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध क्यों स्थापित नहीं कर लेते ताकि हम जान सकें कि इजरायल क्या करता है और जब वह कोई गलत बात करें तब हम उस बारे में स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं।

हम विस्फोटक स्थिति में रह रहे हैं। आज हमारा राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन अस्तव्यस्त होता जा रहा है क्योंकि उच्च नेता वैसा नहीं कर रहे है जैसा वे कहते रहते हैं। हम इस देश में विवेक, स्वतंत्रता, कल्पना और ईमानदारी चाहते हैं क्योंकि केवल तभी हमारे पास अधिक संख्या में सही ढंग के व्यक्ति होंगे जो देश में लोकतंत्र और समाजवाद को आगे ले जाएंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I have sought your permission for postponement of this debate under rule 109. An alarming situation has arisen out of the strike by 27,000 textile workers in Delhi. Several shops in South Delhi have been looted. But the Govt. have not turn even a deaf ear to this situation. I want that this matter be discussed in this House and the hon. Minister of Home Affairs may state the steps being taken by him to control the situation.

Mr. Chairman : It is not a matter for which this debate be adjourned.

Shri Rudra Pratap Singh (Barabanki) : The Congress Party has promised to the people to try to remove economic and social disparities as well as poverty and unemployment. On the basis of this promise the people have given overwhelming support to the Party. It is gratifying that the Govt. have taken important steps to redeem the pledges given to the people.

The Constitution (24th Amendment) Act, is an important step towards clearing the way for onward march to socialism. Privy purses of ex-rulers have been abolished. The last two budgets and the President's Address showed clearly the policies which the Government wants to pursue. In the present Budget also an attempt has been made to tax the people who have been enjoying certain special benefits.

Our party has been making constant efforts to introduce land reforms. In our election manifesto it was stated that land ceiling would be 10 to 18 acres.

Wherever in the country the ceiling is more than 18 acres, it should be brought down to 18 acres.

In the case of irrigated land, the ceiling should be 10 acres. The ceiling on urban property should be fixed according to the value of 10 acres of irrigated land. Steps should be taken to impose ceiling on urban property as early as possible.

The Government should nationalise the Sugar industry. All the industries which give huge profits to their owners, should be nationalised.

The provision in the budget for aggregation of both the agricultural and non-agricultural components of a Tax payer's income for purposes of determining the rates of income tax is a welcome step. It will tackle the capitalists who are trying to purchase farms and are thus converting their black money into white money.

The proposed increase in the rate of duty on films may create an adverse effect on our film industry. As far as possible there should not be increased levy on films.

The whole approach of the Congress party has been that people should not use narcotics and wine. The Govt. should, therefore, impose more and more tax on wine.

The Government should make an all-out effort to remove economic disparities. We should tax the rich people more and give relief to the common and poor people.

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकी है। उनका कहना है कि वित्त विधयक और बजट प्रस्ताव इस उद्देश्य को प्राप्त करने में किसी भी प्रकार से हमारी सहायता नहीं करते। परन्तु उन्हें उन कारणों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो बजट प्रस्ताव पेश होने के पश्चात उपस्थित हुए हैं। उनकी अवहेलना करना उचित नहीं है। ब्रिटिशकाल के एक वित्त मंत्री ने 50 वर्ष पूर्व लिखा था कि इस देश का बजट प्राय: मानसून के जुए की भान्ति है। आज भी वहीं स्थिति है। सूखा एक प्राकृतिक बात है जिसको हम दूर नहीं कर सकते। हमारी योजनाओं में दो-तिहाई अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इस से संतुलन बिगड़ गया है।

हमारे देश में वैसे तो बहुत बार सूखा पड़ता है परन्तु हाल में जो सूखा पड़ा है इसका प्रकोप बहुत अधिक रहा है। सूखे के साथ ही साथ बिजली की भी भारी कमी हो गई है। बिजली के संकट ने विकट रूप धारण कर लिया है। इससे हमारे औद्योगिक और कृषि के क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस दुर्भाग्यपूर्ण और

अप्रत्याशित घटना के कारण देश को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इससे सबक सीखे और यह महसूस करे कि ऐसे सूखे फिर भी पड़ सकते है। इसलिए अपने आयोजन को एक नया रूप दे और ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी करे। इन समस्याओं के बाबजूद तथा इस प्रकार की अन्य बातों के होते हुए वित्तमंत्री ने जिस दलेरी से काम किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि भारी कठिनाइयों के बावजूद जिनका हम सामना कर रहे है मंत्री महोदय ने सामाजिक न्याय और बेरोजगारी से राहत पाने के लिए बनाई गई योजना के लिए अधिकाधिक धन नियत किया है। यह सही दिशा में एक पग उठाया गया है।

जैसाकि किसी माननीय सदस्य ने कहा भी है हमारे देश में छोटे किसानों की विकास एजेंसियों की बहुत कमी है। इसी प्रकार ब्याज की भिन्न भिन्न दरों को, जो एक अन्य सामाजिक न्याय का उपाय था, उस सीमा तक लागू नहीं किया गया है जिस सीमा तक किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ऐसी अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित नहीं हुई हैं जिनके लिए धन नियत किया गया था। इस प्रकार की निराशा से बचने के लिए वित्त मंत्री को ऐसे पग उठाने चाहिएं जिनसे वे पूर्ण रूप से लागू की जा सकें और उनका भिन्न क्षेत्रों में पूरा उपयोग किया जा सके जिनके लिए वे बनाई गई हों।

हम जिस सामाजिक न्याय को प्राप्त करना चाहते है वह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमने सामाजिक न्याय और एकीकृत आर्थिक विकास के उद्देश्य को पूरा करना है तो इस देश में किसी भी व्यक्ति को इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में इस राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता ही गया है। इन क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने के लिए ठोस और लगातार कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में गत वर्ष 70 या 80 सदस्यों ने एक गोष्ठी बुलाई थी जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की समस्या की ओर सरकार का ध्यान विशेष तौर पर दिलाया गया था।

अभूतपूर्व सूखे की स्थिति और बिजली की कमी ने समूचे देश में समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। इससे न केवल औद्योगिक उत्पादन बल्कि कृषि उत्पादन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मैं आपको अपने क्षेत्र रायल सीमा की बात बताता हूं। रायलसीमा के दक्षिणी जिले में बिजली की सप्लाई 75 प्रतिशत तक कम कर दी गई है तथा कृषि को "लिफ्ट सिंचाई" के लिए दो घण्टे तक भी बिजली उपलब्ध नहीं होती। यदि किसान बिजली को छोड़ कर डीजल इंजन का प्रयोग करना चाहे तो इसके लिए उन्हें तेल नहीं मिलता। सरकार को कम से कम डीजल तेल की सप्लाई करने के लिए तो प्रयास करना चाहिए जिससे वहां के किसानों को सूखे की स्थिति में कुछ तो राहत मिल सके।

श्री तरूण गोगोई (जोरहाट) : सभापति महोदय, हमारा देश इस समय आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयों में से गुजर रहा है इन सभी बातों को देखते हुए हमारी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के सम्बन्ध में जो पग उठाए हैं वे मैं कह सकता हूं कि सही दिशा में ही उठाए गए हैं। यह बात भी सही है कि हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कठिन कार्य करना है और बहुत से क्रांतिकारी उपाय भी करने हैं। परन्तु मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि इस दिशा में एक अच्छा आरम्भ किया गया है।

हमारे देश के सामने आज दो बड़ी समस्याएं निर्धनता और बेरोजगारी की है। यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में लाखों लोग के पास खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और रहने को मकान नहीं है, शिक्षा व आधुनिक जीवन की तो बात ही क्या करनी है। हमारे 40 प्रतिशत लोग तो निर्धनता के स्तर से भी नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे है तथा 1960 के मूल्य-स्तर के अनुसार उनकी आय 20 रुपए प्रति मास है। दूसरी ओर हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो धन में खेल रहा है। वे लोग दिन-प्रति-दिन अमीर बन रह हैं। अतः इस तरह से अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है।

[श्री तरूण गोगोई]

यद्यपि देश में कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है परन्तु फिर भी प्रति व्यक्ति दैनिक अनाज की उपलब्धता 1961 में उपलब्ध अनाज से कम रही है। इसके अलावा चाहे हमने कपास का सबसे अधिक उत्पादन किया फिर भी हमारे कपड़ों का स्तर विश्व में सब से नीचा रहा है। हमारी सूती कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी सब से कम है। यह बल्कि पहले से भी कम हो गई है।

बेरोजगारी की स्थिति भी दिनोदिन खराब हो रही है। 1970 में बेरोजगारी की जितनी संख्या थी 1972 में उसमें 35.2 लाख की बढ़ौतरी हो गई है। इससे युवकों में बहुत निराशा फैल गई है।

सरकार ने क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का एक बहुत बड़ा दावा किया हुआ है। परन्तु वास्तव में हम देखते हैं तो पता चलता है कि आर्थिक क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है। इसके फलस्वरूप हमारे बहुत से क्षेत्र पिछड़ गए हैं। आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सहित पूर्वी भारत में खनिज के भण्डार है और प्राकृतिक संसाधन भी हैं परन्तु फिर भी ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जबकि अन्य ऐसे राज्यों का आधिक विकास हुआ है जब कम संसाधन है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र आसाम के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। भारत के मानचित्र में आसाम सामरिक महत्व का स्थान रखता है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है किन्तु फिर भी यह पिछड़ा हुआ राज्य है। ब्रिटिश राज्य में विदेशी अपने हितों के लिए इस राज्य का प्रयोग किया करते थे तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी इस राज्य के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने आसाम की केन्द्रीय परियोजनाओं में अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम पूंजी लगाई।

आसाम में चाय का उत्पादन भारत में सब से अधिक होता है तथा विदेशी मुद्रा कमाने में इसका दूसरा स्थान है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि फिर भी इसका अपेक्षित विकास नहीं किया गया है। क्षेत्र पांच में होने के कारण आसाम को 1.15 रुपए उत्पादन शुल्क देना पड़ता है जब कि देश के अन्य भागों में 25 पैसे ही लिए जाते हैं। मुझे आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और इसे कम करने का प्रयत्न करेंगे।

आसाम तेल का सब से बड़ा भण्डार माना जाता है। इसमें गुजरात की तुलना में तेल और प्राकृतिक गैस के अधिक भण्डार पाए जाते हैं। परन्तु इस के बावजूद भी आसाम में पैट्रो रसायन का उतना विकास नहीं किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिए। पैट्रोलियम के मुख्यालय आसाम में स्थापित किए जाने चाहिए।

आसाम में बिजली की खपत सब से कम होती है। यहा पर सिंचाई की सुविधाएं भी सब से कम है। बाढ़ के कारण हजारों एकड़ भूमि बर्बाद हो जाती है। आसाम की अर्थव्यवस्था प्रति वर्ष बाढ़ के कारण नष्ट भ्रष्ट हो जाती है।

जहां तक केन्द्रीय सरकारी सेवा तथा सरकारी उपक्रमों में रोजगार का सम्बन्ध है उसमें भी विषमता बरती गई है। ऐसी सेवाओं में कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। देश के अन्य भागों में तो रोजगार देने की बात ही छोड़िए हमारे अपने राज्य में ही स्थानीय लोगों के साथ अन्याय किया गया है जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया है। सरकार की यह घोषित नीति रही है कि 5000 अथवा इससे कम वेतन वाले पद स्थानीय रोजगार केन्द्रों में से लोगों द्वारा भरे जाएंगे जिससे स्थानीय लोगों को उचित न्याय प्राप्त हो सके परन्तु आसाम में हमेशा इसकी अवहेलना की गई है। सरकार को ऐसी स्थिति में सुधार करना चाहिए।

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य (गिरिदीह): विपक्षी दलों के कुछ माननीय सदस्यों ने कोयले के अधिक दामों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों सहित विभिन्न उद्योगों के अधूरे उपयोग के बारे में कुछ प्रश्न उठाए थे। यह बात भी सही है कि दामोदर घाटी निगम द्वारा संचालित तापीय संयंत्रों

में तथा चन्द्रपुर तापीय विद्युत संयंत्र और बोकारो तापीय विद्युत संयंत्र में 45 से 60 प्रतिशत तक की क्षमता में काम हो रहा है । परन्तु जीतपुर कोयला खान में हाल में एक भयावह दुर्घटना हुई थी। इसलिए सभी कोयला क्षेत्रों में सहायक विद्युत केन्द्र होने चाहिए, केवल तभी ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यदि हम कोयले का उत्पादन बढ़ाना चाहते है तथा यदि हम कोयला खनन उद्योग में जोखिम को कम करना चाहते है तो हमें सभी कोयला क्षेत्रों में छोटे छोटे तापीय विद्युत संयंत्र लगाने चाहिए जो वर्तमान संयंत्रों की सहायता कर सकें।

छोटा नागपुर तथा संथाल परगना के लोगों को पेय जल डेढ़ दो मील से जा कर लाना पड़ता है जिससे उन्हें बहुत असुविधा होती है। कई आदिवासियों को तो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी इलाके में आकर पानी लेना पड़ता है। वन विभाग भी अपना काम सफलतापूर्वक नहीं कर सका है। छोटा नागपुर में आदिवासियों की अर्थव्यवस्था वन सम्पत्ति पर निर्भर करती है। इस उद्योग से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है।

अभ्रक पर निर्यात शुल्क लगा दिया गया है जिससे इस उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ।

कोयले के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए नियत किए गए हैं। इसलिए सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि व्यापक अनुसंधान किया जाना चाहिए तथा विकास कार्य की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बकों ने छोटा नागपुर के गांवों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस क्षेत्र में बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच की जानी चाहिए।

कृषि मूल्य आयोग ने हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में वसूली मूल्य की सिफारिश की है परन्तु हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसान को अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है जिन के मूल्य बहुत बढ़ रहे हैं।

छोटा नागपुर एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यदि हम इस क्षेत्र का विकास करने में सफल हो जाएं तो इससे अन्य क्षेत्रों का भी विकास हो सकता है।

Shri M. G. Uikey (Mandla) : I support the Finance Bill. But I have to make a submission. Tribal people are illiterate people and they are being exploited by various agencies. It is therefore requested that for the Adivasi areas banking rules and procedures should be so simplified that they can be saved from exploitation. In tribal areas in the cooperative societies a lot of bungling is going on and funds are being misappropriated. It is therefore necessary that rules and regulations under the cooperative system should be changed radically.

In the tribal areas irrigation schemes are not being implemented for the last years. Though survey work has been completed but the schemes have not been implemented. Not only that even minor irrigation tanks have not been constructed there. This has resulted in frustration amongst poor agriculturists. The Finance Minister should see that a special scheme is undertaken for irrigation in such areas. The Central Government should allocate more funds to the State Government so that irrigation facilities may be provided in these areas. Tribal people could not make use of the manures provided to them in the absence of irrigation facilities.

[Shri M. G. Uikey]

The third point that I would like to point out is that nobody has drawn the attention of the authorities to the fact that the lands of the poor tribal people are not in their own names. In these circumstances neither they can take advantage of land reforms nor of soil conservation. So unless some settlement is made in regard to their land they cannot enjoy the benefit of land reforms. If Government wants the welfare of these people then they should see that the land is registered in their names.

Some hon. Member from Gujarat had raised a point regarding river Narmada. In my constituency the area through which the river Narmada flows is mostly a tribal area. In that area there is neither minor irrigation nor lift irrigation. Though survey of the river has been made yet work is still pending. In case that area does not get water it would be a great injustice to the tribal people.

The tribal people like coarse grains. They do not take wheat or rice. Provision should therefore be made to supply coarse grains to these people. The difficulty that stands in the way is that there are no roads in tribal areas as a result of which it is difficult to supply grains to them. In case foodgrains are not supplied to them before the start of monsoon, people would have to face great hardships. The State Govt. should take steps in this regard and at the same time the Finance Minister should allocate more funds for transporting foodgrains to those are as before 15th of June. In case it is not done then they might even face starvation.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने सरकार की कड़ी आलोचना की है परन्तु उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश को इस समय बड़ी गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके मुख्यत: दो कारण है। एक कारण तो यह है कि इस बार मानसून नही हुई और दूसरे देश के लगभग सभी भागों में सूखा पड़ गया है। माननीय सदस्यों को पता ही है कि मानसून पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है तथा यदि हम अपनी नदियों को जल का प्रयोग सिचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए करना चाहे तो उसके लिए धन की बहुत आवश्यकता है जो हम आसानी से जुटा नहीं सकते ।

विभिन्न क्षेत्रों में हमारा विकास कार्यक्रम समान नहीं है तथा हमारे देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना आज भी बहुत कठिन है। वहां जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। अत: वहां कोई भी खाद्य वस्तुएं नही भेजी जा सकती। इस कारण ऐसे क्षेत्रों की समस्याएं दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में स्थिति काफी गम्भीर है। इसका कारण यह है कि वहां पर काम करने वाले सरकारी अधिकारी समय पर खाद्य वस्तुओं का वितरण नहीं कर पाते। यही कारण है कि लोगों की समस्याएं बढ़ रही है।

अब मैं अपने उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उड़ीसा खनिज संसाधनों में समृद्ध है। मलंगटोली, सगोपल्ली और सुकिन्दा क्षेत्रों का जहां पर काफी खनिज संसाधन उपलब्ध है, विकास करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है। रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि जाखेपुरा से इन खनिज क्षेत्रों तक यातायात की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। यह एक नई लाइन नहीं है जिसके लिए सर्वेक्षण किया जाए। यहां पर 1964–65 में सर्वेक्षण हो चुका है। यह लाइन आदिवासियों तथा अनुसूचित जाति के इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगी। वास्तव में सरकार उड़ीसा के लोगोंपर दबाव डाल रही है। सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में निर्णय ले जिससे लोगों को लाभ पहुंच सके ।

उड़ीसा के लोग एक पृथक उत्पादन शुल्क कलक्टरी की मांग कर रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह लोगों की इस मांग पर विचार करे और इस पर निर्णय ले।

पारादीप बन्दरगाह का निर्माण लोह-अयस्क का निर्यात करने के लिए किया गया था। परन्तु चूंकि उन-क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है जहां से लोहा अयस्क निकाला जाता है इसलिए इस बन्दरगाह की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस की सरकार को जांच करनी चाहिए।

मेरे निर्वाचनक्षेत्र में एक प्राकृतिक बन्दरगाह धमारा है। इसका एक मी० क्षेत्र बन्दरगाह के रूप में विकास करने की योजना पर सरकार पहले ही अन्तिम निर्णय कर चुकी है किन्तु इस योजना को कार्यरूप देने के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं किया है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सकती।

उद्योग मंत्री को चाहिए कि वह अपने मंत्रालय में औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में कार्यवाही करने हेतु एक विशेष कक्ष बनाए जिससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जा सके। इसी प्रकार मेरी प्रार्थना है कि उड़ीसा में पटसन उद्योग सम्बन्धी परियोजना जितनी जल्दी हो सके आरंभ की जाए।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : Though I support the Bill but I would like to draw the attention of Government to some of the facts. The scarcity of foodgrains nas created crisis in Dhanbad region. There is always a deficit in this area and the people of this area have to depend on the supply of food-grains from outside. The Central Government used to handle the supply of foodgrains directly before 1956 but the State Government has not been successful to ensure adequate supply of foodgrains. Under such circumstances the foodgrain dealers have been charging exorbitant prices. I would request the Government to look into this aspect.

A great factor that stands in the way of coal production is the power scarcity. There is load shedding to the extent of 20 per cent in the coal mine areas of Hazaribagh. There are about 700 coal mines. Such a load shedding brings an abrupt disruption in the working of coal mines. At the same time valuable implements may be damaged thereby. In case such load shedding continues it may create havoc in the industry.

The capacity of Damodar Valley Corporation is 1061 Megawatts but it is generating 600 megawatts of power. Now the capacity has further gone down to 225 MW. The Government should find out why the power generation has gone so down. It is provided in the D.V.C. Act that no power generation plant can be installed in that region. This has hampered the generation of power. I would therefore request the Government to go into the working of D.V.C.

There is a proposal to establish a thermal power station at Katihar. This should be implemented as early as possible. The D.V.C. Act should be amended in such a way that these difficulties may not stand in the way.

In those areas there is scarcity of water. Tnere is a Tenghat Scheme. Under this Scheme a provision for drinkable water will be made. This scheme should be implemented as early as possible.

In that region the functioning of telephone system is very defective. The subscribers don't get response to their calls. A lot of improvement is required in that field.

Dr. Govind Das Richhariya (Jhansi) : We are confronted with natural calamities of drought and failure of crops in various parts of the country which have affected our economy. The entire country is facing power shortage. We did not effect suitable changes in the Fourth Plan priorities which resulted in the natural calamity of drought. The Fifth Plan priorities also need radical overhaul. I suggest that the generation of power and means of irrigation hould be accorded second place after the defence in the list of plan priorities.

[Dr. Govind Das Richhariya]

The problem of river disputes is closely connected with the question of irrigation. Rivers are natural wealth of the nation. We should make necessary changes in our legislation as would bring these rivers flowing through two or more States under the complete control of Centre so that we may get rid of all disputes arising from such rivers. The Central Government should formulate schemes to generate power from these rivers and the power generated should be so distributed among the different States that the lands lying on the banks of these rivers got adequate water and power.

Then there is a basic need to change the method of generating electricity. Among three methods used today greater emphasis should be laid on the use of atomic power and thermal power. Thermal Power Stations should be set up at such places which are either near the coal mines or where coal is easily and readily available. There a grid consisting of stations having a capacity to generate three to four hundred megawatts of electricity should be constructed and it should supply electricity to the whole country. Due attention should also be paid to exploit perennial rivers like Brahmaputra, Ganga and Yamuna for the purpose of generating Hydro-electricity and harness their flood waters by setting up big power stations on their banks which would benefit us in two ways—first, it will enable us to have effective control on floods of these rivers which cause havoc every year and secondly, it will increase our production of electricity.

While formulating the fifth five year plan, it is essential that the basic principles of the plan should be so enunciated that they do not leave any scope for discrimination in the allocation of funds to different States. These funds should be earmarked on the basis of population or area of land under the State. For such plans as are connected with man as such funds should be allocated on the basis of population whereas for schemes and plans pertaining to land, funds should be given on the basis of area of land. This will remove the disparity and imbalance among different States.

Plans should be first framed at the district level and the States should be given instructions that they should disburse funds starting from the district level. While formulating the fifth five year plan this should be adopted on the basic principle.

We formulated our plans with high expectations but failed to achieve expected results because of their faulty implementation by the bureaucracy which has no faith in socialism. The Government cannot bring in socialism to which they are committed unless they have a committed machinery to implement their schemes and plans. It is, therefore, desirable that our laws should be so amended that the machinery to implement these plans is committed to socialism.

Steps should be taken to nationalise all sick industries in the country. Workers should be made partners in the administration and profit accruing from the industry. There is no doubt that it will bring about increase in production and profitability of the industry if the workers have any say in the administration and share in the profit.

With these words I support the Finance Bill.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : It is unfortunately an year of scarcity. Every where there is shortage of electricity power, water, foodgrains, cement, iron etc. and no essential commodity is easily available in the market. The present state of affairs is the result of lack of imagination and farsightedness on the part of our planners who, while formulating the plans did not assess the situation in proper perspective. Unless the position of production of goods in the country improves, the Finance Ministry cannot bring about any miracle to alleviate the suffering of the people.

Mr. Speaker : The hon. Member may continue his speech tomorrow. We will now take up Half-an Hour Discussion.

**उर्वरक बनाने वालें कारखाने

**FERTILIZER MANUFACTURING UNITS

Shri E. V. Vikhe (Kopargaon) : The figures of production of various fertilizer manufacturing units show that our fertiliser production is much below the installed capacity both in the public and private sectors. Whenever this question is raised, power shortage or labour trouble are said to be the main reasons for this state of affairs. The short fall in production is having an adverse effect on our agricultural production. Our agricultural scientists and technologists are making great headway in research and new varieties of seeds are being discovered and developed. But these seeds require more use of fertilisers and we cannot increase our agricultural production unless we get fertilisers in adequate quantity.

We have not made any good progress., so far as manufacture of fertilisers in the country is concerned. We had a target of 34 lakh tones of fertilisers in the Fourth Five Year Plan which was reduced to 19·5 lakh tonnnes. But we failed even to achieve the reduced target. In order to increase our production, we should import necessary machinery and equipment for the purpose otherwise we will have to depend on others.

The private sector is not cooperating with the Government with intention to create artificial scarcity of goods and then make huge profits by exploiting the situation. But our public sector undertakings should produce more and more fertilisers. We should appoinet those persons as chairmen of these undertakings who believe in socialism. Today bureaucrats who have no faith in socialism are Chairmen of these undertakings. The Managing directors and other officers of these undertakings should also be persons having faith in socialism, so that cooperative movement in the country could get proper incentive. The Governmen should tell us their view point in this matter.

The Nagal fertiliser is now being expended. But its production is not increasing. The land of the Punjab State is deficient in the matter of sulphur. Every state has fertiliser projects. The states should find out as to which type of fertiliser is required for a particular type of land and then try to increase its production. Each state should make calculations regarding their requirements of fertilisers and then fix a target for four or five plans. Efforts should then be made to increase production, so that we may achieve self-sufficiency in the matter of fertilisers. We will always be facing crisis if we continue to depend on imports on which we have to spend a lot of foreign exchange also As regards distribution of fertilisers, we have been demanding for a pretty long time to give this work in the hands of cooperatives. Thet Government should tell us about the steps being taken in this regard.

The minister should also tell the House as to why there was shortfall in the production of fertilisers in the fourth Plan and how much foreign exchange had to be spent on this account. The Minister should also tell the House about the steps proposed to be taken to increase ertiliser production.

Shri M. C. Daga (Pali) : I want to know the amount spent on fertilisers during the First, Second, Third and Fourth Five Year Plans and the loss suffered during the same periods; the targets of producton fixed for each Plan and the success achieved. What target is being fixed for the Fifth Plan? What is the total amount of foreign exchange we spent so far on the import of fertilisers? When will the new fertiliser Plant being set up at Meethapur go into production ? Who can be held responsible for not stepping up production of fertilizers to the requirements of the country ?

**आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-Hour Discussion.

Shri Chandrika Prasad (Balia) : Fertiliser is an essential requirement for agricultur. But the fact is that our fertiliser production is much below the installed capacity. I want to know the steps taken by the Government in this regard. The hon. Minister should also tell us the time by which the Gorakhpur Fertiliser Plant will go into full production as also the steps taken or proposed to be taken to set up Phosphate factories in U.P.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बारुआ): यह सच है कि हमारा उर्वरक उत्पादन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है क्योंकि किसी उर्वरक कारखाने में जिस में बहुत अधिक निवेश किया जाता है, उसकी क्षमता का कम से कम 90 प्रतिशत औसत उत्पादन होना चाहिए। किन्तु हम वर्ष 1972–73 में 71 प्रतिशत से अधिक उत्पादन नहीं कर पाये हैं।

अधिष्ठापित (इन्स्टौल्ड) क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के अथवा न हो सकने के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखानों का काम उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि गैर–सरकारी एककों का रहा है, यदि सरकारी क्षेत्र के सभी संयंत्रों का मिलाकर कुल उत्पादन देखा जाये तो वह निर्धारित अथवा अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 60 प्रतिशत बैठता है जिसे किसी भी तरह सराहनीय कार्य नहीं कहा जा सकता।

सरकारी क्षेत्र में, राउरकेला संयंत्र में 41 प्रतिशत उत्पादन होता है, राउरकेला संयन्त्र अब इस्पात संयंत्र से संलग्न है, विचार ऐसा था कि कोक भट्टी गैस का उपयोग उर्वरक उत्पादन के लिए किया जायेगा। किन्तु यह हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि इस्पात मंत्रालय के अधीन है, कोक भट्टी गैस पर्याप्त नहीं हुई क्योंकि इसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया गया।

नेवेली कारखाना लिगनाइट पर आधारित है और यह एकक 30 प्रतिशत की क्षमता से कार्य कर रहा है, नवली भी इस मंत्रालय के अधीन न हो कर इस्पात मंत्रालय के अधीन है, वहां भी लिगनाइट की अपर्याप्त सप्लाई रही है।

इन दोनों एककों में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, किन्तु जब तक इस्पात का विस्तार नहीं होगा, तब तक कोक भट्टी गैस का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। राउरकेला उर्वरक कारखाना राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तारण से जुड़ा हुआ है।

यह सच है कि उर्वरक कारखानों को 90 प्रतिशत क्षमता से कार्य करना होता है। हम इन कारखानों के कार्य में सुधार करने कोभरसक कोशिश कर रहे हैं। किन्तु हमारे सामने कुछ बड़ी कठिनाइयां है। नागल कारखाना जो पहले 85 या 86 प्रतिशत कार्य कर रहा था, अब केवल 40 प्रतिशत पर काम कर रहा है। सभी संयंत्रों की एक साथ मिलकर क्षमता 60 प्रतिशत होगी, यदि राउरकेला और नेवेली को इसमें से निकाल दिया जाये तो वह 67 प्रतिशत हो जाती है, यदि हम सिंदरी, नेवेली और एफ० ए० सी० टी० को निकाल दें तो यह 73 प्रतिशत बैठती है। किन्तु मैं इस प्रगति से सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने अपने मंत्रालय में आवश्यक कार्यवाही की है और राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में लिखा है। कानपूर में 90 प्रतिशत तक की क्षमता का उत्पादन करने की अच्छी मशीनरी रही है किन्तु बिजली की कमी के कारण उस पर भी असर पडा है, गोरखपुर में 40 प्रतिशत बिजली की कटौती हुई है। केवल तामिल नाडु एक ऐसा राज्य है यहां 75 प्रतिशत बिजली की कटौती होने पर भी उर्वरक कारखानों की बिजली में कमी नहीं की गई है, अन्य उर्वरक कारखानों की रक्षा करने के लिए मैंने वहां के मुख्य मंत्रियों को लिखा है।

कुछ उर्वरक कारखाने काफी पहले चालू हो सकते थे। बरौनी कारखाना चलाने में दो वर्ष का विलम्ब हो गया है अन्यथा उसमें अब तक उत्पादन आरम्भ हो गया होता। ऐसी उम्मीद है कि यह करखाना अगले वर्ष के प्रारम्भ चालू हो जायेगा।

इसी प्रकार दुर्गापुर और कोचीन में उत्पादन आरम्भ होने में $2\frac{1}{2}$ वर्ष से अधिक का विलम्ब हो गया है। इसका एक कारण यह भी है कि हमें देशी उपकरण निर्माता लोग ठीक समय पर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर बिजली की कमी भी है। बरौनी और नामरूप परियोजनाओं में भी 2 वर्ष का विलम्ब हो गया है। किन्तु सरकार की ओर से भारसक कोशिश यही है कि स्थिति में जल्दी से जल्दी सुधार लाया जाय और उत्पादन बढाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाय। इस बीच यदि बिजली फिर से मिलनी शुरू हो जग्यें तो स्थिति में काफी सुधार हो जायगा।

अभी कुछ उर्वरक कारखाने निर्माणधीन है यदि वे निर्धारित समय में पूरे हो जायें, तो स्थिति पर्याप्त रुप से सुधार जायगी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगभग 10 या 12 उर्वरक कारखाने बनाये जायेंग किन्तु जहां तक आत्म निर्भर होने के प्रश्न का सबन्ध है, मैं नहीं समझता कि हम इन कारखानों के बनने पर आत्म निर्भर हो जायेंगे क्योंकि कृषक उर्वरकों के लाभ से अवगत हो गये हैं और उर्वरकों की मांग बढ़ती जा रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय, ने पांच परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है जिनमें से एक मथुरा में तेल शोधक कारखाने के समीप दूसरी भटिंडा में और तीसरी करनाल या पानीपत में स्थापित की जायगी। दो उर्वरक कारखाने समुद्रतट पर स्थापित किय जायेंगे उनमें से एक के लिए परादीप नामक स्थान चुन लिया गया है और दूसरे के लिए अभी स्थल के बारे में विचार किया जा रहा है,

अत: यदि हम अपने कार्यक्रमों में प्रयत्नशील व सफल रहे तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, यदि हम पूर्ण रूपेण आत्म–निर्भरन न भी बन सके तो भी, उर्वरकों की कमी काफी हद तक निश्चित रूप से दूर हो जायगी।

कांडला में एक सहकारी कारखाने का निर्माण हो रहा है और सहकारी समितियों की सहायता से भटिंडा कारखाना भी बनाया जायगा।

जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, दो कारणों से यह एक भारी कठिन समस्या मालूम पडती है एक तो यह कि बहुतसी एजेंसियां है और कृषि विभाग भी एक वितरण एजेंसी है, भारतीय उर्वरक निगम भी हमारी अपनी वितरण एजेंसी है और गैर सरकारी कम्पनियों की भी अपनी वितरण एजेंसियां हैं, भारतीय उर्वरक निगम का मुख्य कार्य केवल उत्पादन करना है और वितरण के सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करना आवश्यक है, हम इस विषय पर कृषि मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसका सन्तोषजनक समाधान निकल आयेगा। इस कार्य को किसी व्यक्ति विशेष को देने के बजाये सहकारी समितियों को देना बेहतर होगा, किन्तु सभी सहकारी समितियाँ उतनी प्रभावकारी नहीं होती और न हैं, अत: सहकारी समितियों के बारे में हमें नये दृष्टिकोण से काम लेना होगा और उनकी नवीकरण करना होगा।

श्री मूलचंद डागा द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं अभीष्ठ जानकारी सभा-पटल पर रख दूंगा अथवा माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार 2 मई, 1973/12 वैशाख, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, May 2, 1973/ Vaisakha 12, 1895 (Soka).

भा०स०मु०ना० वि०-6—11 एल० एस० एस० (एन० डी०)/73 ता० 21-8-73—400